बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

बिहार में शिक्षा की प्रगति

१९६३-६४

और

१९६४-६५

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा मुद्रित
१९७५

– 5412
370.6
BiH – B

सूची

भाग १—रिपोर्ट

क्रमांक	अध्याय	विषय	पृष्ठ
१		आमुख	क-ख
२	१	सामान्य सारांश	१—१५
३	२	शिक्षा-कार्मिक और संगठन	१६—२०
४	३	प्राथमिक शिक्षा	२१—३०
५	४	बुनियादी शिक्षा	३१—४१
६	५	माध्यमिक शिक्षा	४२—६०
७	६	विश्वविद्यालय शिक्षा	६१—८८
८	७	शिक्षकों का प्रशिक्षण (बुनियादी और गैर-बुनियादी) ।	८९—९८
९	८	व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा	९९—११२
१०	९	समाज शिक्षा	११३—११५
११	१०	बालिकाओं एवं महिलाओं की शिक्षा	११६—१२८
१२	११	प्रकीर्ण	१२९—१४३

NIEPA DC

D01885

-5412
370.6
BIH-B

Sub. National Systems Unit,
National Institute of Educational
[illegible]
[illegible] Delhi-110016
DOC. No. 1885
Date 26.11.84

आमुख

इस रिपोर्ट में, १९६३-६४ और १९६४-६५ के दौरान बिहार राज्य में शिक्षा की प्रगति का विवरण दिया गया है।

इस विभाग से सामान्यतः एक वार्षिक रिपोर्ट निकाली जाती है, किन्तु कुछ अपरिहार्य कारणों से ऐसा नहीं किया जा सका। चूंकि वार्षिक रिपोर्ट समय पर नहीं निकाली जा सकी, इसलिए दो वर्षों की रिपोर्ट एक ही खंड में प्रकाशित की जा रही है।

इस खंड के भाग १ में सामान्य विवरण है और भाग २ तथा ३ में दो वर्षों की सांख्यिकीय तालिकाएं।

१९६३ से १९६५ तक की अवधि में प्राथमिक, माध्यमिक, विश्वविद्यालय, शारीरिक और सांस्कृतिक-शिक्षा के इन सभी क्षेत्रों में अविराम प्रगति हुई है। हां, योजना-बजट में भारी कटौती हो जाने के कारण समाज-शिक्षा की प्रगति को कुछ धक्का पहुंचा है।

प्राथमिक शिक्षा

प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में, बालकों के लिए १,९८६ और बालिकाओं के लिए १६१ नये स्कूल खोले गए। जिला और नगरपालिका बोर्डों द्वारा संचालित बहुतेरे विद्यालयों को विस्तार और सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत ले लिया गया। स्वभावतः, इसका परिणाम यह हुआ कि छात्रों की संख्या १९६२-६३ में जितनी थी वह बढ़कर २,०८,४३३ हो गई। इस अवधि में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की स्कीम में भी अच्छी प्रगति हुई। शहरी क्षेत्रों में, स्कूलों में नामांकन का प्रतिशत, कुल आबादी के ८५.४ तक पहुंच गया। शहरी क्षेत्रों में, स्कूलों में स्थान-व्यवस्था की समस्या, इस विभाग के लिए एक चुनौती बन गई। प्राथमिक शिक्षा पर खर्च की वृद्धि आलोच्य अवधि में जारी रही। इस खर्च की सबसे प्रमुख बात यह है कि १९६४-६५ के दौरान कुल खर्च का ९२.५ प्रतिशत सरकारी हिस्से का खर्च था। सरकारी स्रोतों से खर्च की अत्यंत महत्वपूर्ण मदें रही हैं शिक्षकों के वेतन का अभिकांश, मंहगाई भत्ता, प्रधानाध्यापक भत्ता, स्कूलों के आकस्मिक साज-सामान और शत-प्रतिशत सरकारी खर्च पर स्कूल-भवनों का निर्माण। यह सिलसिला पूर्व वर्षों में नहीं रहा है।

माध्यमिक शिक्षा

बिहार में सरीय बुनियादी, मिडिल और उच्च (हाई) तथा उच्चतर माध्यमिक स्कूलों को माध्यमिक शिक्षा की श्रेणी में रखा गया है। आलोच्य अवधि में ४१ उच्चतर माध्यमिक स्कूलों (३० बालकों के लिए और ११ बालिकाओं के लिए), १७१ हाई स्कूलों (१५८ बालकों के लिए और १३ बालिकाओं के लिए), और ८७५ मिडिल स्कूलों (७५५ बालकों के लिए और १२० बालिकाओं के लिए) की वृद्धि हुई है।

इसका स्वाभाविक परिणाम यह है कि सभी कोटियों के स्कूलों में नामांकन में काफी वृद्धि हुई है। माध्यमिक शिक्षा के विस्तार के परिणामस्वरूप उच्च/उच्चतर/बहुद्देशीय स्कूलों में २,१२६ अतिरिक्त शिक्षकों, मिडिल स्कूलों में ५,४८७ अतिरिक्त शिक्षकों और सीनियर बुनियादी स्कूलों में ३६ अतिरिक्त शिक्षकों को काम दिया जा सका है। गुणवत्ता में सुधार लाने के ख्याल से इन स्कूलों में अप्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या घटाने की कोशिश जानबूझकर की गई। इस दृष्टि से विशेष उल्लेखनीय वर्ग मिडिल स्कूलों का है जिनमें प्रशिक्षित शिक्षकों का प्रतिशत बढ़कर, १९६२-६३ में ३५ के मुकाबले १९६४-६५ में ७१.८ हो गया।

बालकों के माध्यमिक स्कूलों के, जिनमें मिडिल स्कूल भी शामिल हैं, मद्धे खर्च में सरकार का अंश जो १९६२-६३ में बढ़कर २४.४७ हुआ था, वह बढ़कर १९६३-६४ में ४१.६२ और १९६४-६५ में ४१.९९ हो गया। इसी प्रकार, बालिकाओं के माध्यमिक स्कूलों, जिनमें मिडिल स्कूल भी शामिल हैं, पर होनेवाला सरकारी खर्च, जो १९६२-६३ में १५ प्रतिशत बढ़ा था, १९६३-६४ में ५५.२१ प्रतिशत और १९६४-६५ में ५६.३७ प्रतिशत तक बढ़ गया। इस अवधि की सर्वाधिक उल्लेखनीय उपलब्धि रही है बिहार राज्य माध्यमिक शिक्षा समिति की रिपोर्ट का प्रकाशन। राज्य-सरकार ने समिति की सिफारिशों पर सावधानी से विचार किया और उच्च/उच्चतर/माध्यमिक तथा बहुद्देशीय स्कूलों में (जिनमें सर्वोदय स्कूल भी शामिल हैं) छुट्टियों की संख्या घटाकर साल-भर में ७३ दिन कर दी गयी।

विश्वविद्यालय शिक्षा

आलोच्य अवधि में राज्य के छहों विश्वविद्यालयों में विकास का क्रम जारी रहा। इस अवधि में व्यावसायिक और तकनीकी तथा विशेष शिक्षा की सुविधाओं का भारी विस्तार हुआ। ऐसी संस्थाओं की संख्या, जो १९६२-६३ में ६२ थी, बढ़कर १९६४-६५ में २९६ हो गई [इसमें अनुस्नातक (अंडरग्रेजुएट) स्तर की संस्थाएं भी शामिल हैं]। इसी प्रकार, सामान्य शिक्षा देनेवाले कॉलेजों की सूची में भी १५ नए कॉलेजों के नाम जुड़े।

विश्वविद्यालयों के समेकन और समृद्धि के लिए प्रयास किए गए। पटना विश्वविद्यालय के पुस्तकालय का विस्तार किया गया और उसे समृद्ध बनाया गया, कुछ नए छात्रावासों का निर्माण किया गया और विश्वविद्यालय परिसर (यूनिवर्सिटी कैम्पस) में सुधार लाया गया।

भागलपुर विश्वविद्यालय में भौतिकी (फिजिक्स), रसायनशास्त्र (केमिस्ट्री) वनस्पतिशास्त्र (बॉटनी) और जन्तु-शास्त्र (जूलॉजी) के स्नातकोत्तर विभाग खोले गए।

इसी प्रकार, रांची विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान का एक नया स्नातकोत्तर विभाग खोला गया; सेंट कोलम्बस कॉलेज, हजारीबाग को अंगीभूत कॉलेज बनाया गया और महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, जमशेदपुर सहित ६ नए कॉलेजों को सम्बद्ध किया गया।

मगध विश्वविद्यालय भी विस्तार की दौड़ में किसी से पीछे नहीं रहा। (१) राजनीति विज्ञान, (२) संस्कृत और प्राकृत, (३) प्राचीन भारतीय इतिहास और एशियाई अध्ययन तथा (४) व्यावहारिक अर्थशास्त्र और वाणिज्य शास्त्र के चार नए स्नातकोत्तर विभाग खोले गए। इसी प्रकार, चार नये कॉलेजों को सम्बद्ध किया गया। बिहार विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय स्वास्थ्य-केन्द्र, विश्वविद्यालय अतिथि-सह-स्टाफ क्लब, आदि कतिपय नए भवनों का निर्माण पूरा किया गया। लंगट सिंह कॉलेज में नए ट्यूटोरियल प्रखंडों का निर्माण पूरा किया गया। उसी प्रकार, एक अंगीभूत कॉलेज में भी कुछ विशाल छात्रावास और नये पुस्तकालय-भवन बनाये गये।

इस विस्तार के बावजूद, लगता है कि पटना विश्वविद्यालय में सबसे अधिक विषयों के अध्यापन की व्यवस्था है, केवल कला फैकल्टी में हीं नहीं, बल्कि विज्ञान और मेडिकल फैकल्टियों में भी। रांची में व्यावसायिक कॉलेजों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक है, जबकि मगध, बिहार और भागलपुर अभीतक मुख्यतः कला-वर्ग के विषयों में ही चिपके हुए हैं। विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा के माध्यम के रूप में हिन्दी को अपनाने का लक्ष्य उत्तरोत्तर साकार होता जा रहा है। विश्वविद्यालय शिक्षा की प्रगति का सर्वाधिक उत्साहजनक पहलू यह है कि शोध-कार्य के प्रति विशेष अभिरुचि दिखाई पड़ने लगी है। बिहार विश्वविद्यालय में ही १८५ व्यक्ति शोध-कार्य कर रहे थे। रांची में निबन्धित शोधकर्त्ताओं की संख्या ९० थी।

कतिपय पुनर्गठन और नवीन विकास के कार्य भी हुए। ऐसे कार्यों में उल्लेखनीय हैं, बिहार विश्वविद्यालय के सम्बद्ध कॉलेजों के प्राचार्यों के वेतनमान में बढ़ोतरी, रांची और बिहार विश्वविद्यालयों में विश्वविद्यालय-अनुदान आयोग के वेतनमान का लागू किया जाना और बिहार विश्वविद्यालय में स्नातक प्रयोगशाला-सहायकों के लिए प्रदर्शक (डिमांस्ट्रेटर) की कोटि का सृजन।

प्रकीर्ण

प्राच्य शिक्षा, अनुसूचित जातियों और जन-जातियों की शिक्षा, शारीरिक शिक्षा और युवा-कल्याण कार्य-कलाप जैसे शिक्षा के अन्य क्षेत्रों में भी, आलोच्य वर्ष में, यथोचित ध्यान दिया गया।

इस रिपोर्ट के लिए सामग्री जुटाने तथा इसमें सुधार लाने में, इस विभाग तथा अन्य सरकारी विभागों के जिन पदाधिकारियों तथा जिन गैर-सरकारी व्यक्तियों ने कृपापूर्वक सहयोग किया है उन सबके प्रति शिक्षा निदेशालय और शिक्षा विभाग अपना आभार व्यक्त करता है।

मैं, श्री बी० एन० झा, उप-शिक्षा निदेशक (आयोजना), बिहार को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने परिश्रमपूर्वक यह रिपोर्ट तैयार की है।

ना० सु० नगेन्द्रनाथ,

लोक-शिक्षा निदेशक, बिहार।

अध्याय १

सामान्य सारांश

सामान्य सर्वेक्षण

१.१। १९६१ की जनगणना के अनुसार, जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय राज्यों में बिहार का दूसरा स्थान है। इस राज्य की जनसंख्या से अधिक जनसंख्या वाला एक ही राज्य है और वह है उत्तर प्रदेश। योजना-आयोग के शिक्षा प्रभाग ने शैक्षिक सुविधाओं की उपलब्धता विषयक क्षेत्रीय असंतुलन का जो अध्ययन किया था उसमें इस राज्य को, देश के १४ भाग "क" राज्यों में बारहवां स्थान दिया था, जबकि स्पष्टतः, शिक्षा को प्रपोषित करने की इस राज्य की क्षमता की दृष्टि से इसे तेरहवां स्थान दिया गया है। इसलिए, यह सिद्ध होता है कि यह राज्य शिक्षा के क्षेत्र में जो इतना पिछड़ा हुआ है उसका कारण यही है कि यह आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। इससे इस बात की आवश्यकता प्रतीत होती है कि राज्य-सरकार इस दिशा में अविरत प्रयास करे।

१.२। बिहार की जनसंख्या, १९६१ की जनगणना में संकलित सम्पूर्ण देश की जनसंख्या का १०.६ प्रतिशत है, और इस राज्य का क्षेत्रफल १,७४,००८ वर्ग कीलोमीटर है। इस राज्य की कुल प्राक्कलित जनसंख्या, जो १९६२-६३ में ४,७५,८१,१९० (२,३८,५९,७५२ पुरुष और २,३७,२१,४३८ महिलाएं) थी, बढ़कर १९६३-६४ में ४,९२,४२,९४७ (२,४६,९९,५३६ पुरुष और २,४५,४३,४११ महिलाएं) और १९६४-६५ में ५,०२,६६,४५३ (२,५१,९२,०२४ पुरुष और २,५०,७४,४२९ महिलाएं) हो गई। ६ से १७ वर्ष तक के आयुवर्ग के बालकों की प्राक्कलित जनसंख्या २६ प्रतिशत के हिसाब से जोड़ने पर, जो १९६२-६३ में १,२३,७१,१०९ (६२,०३,५३५ बालक और ६१,६७,५७४ बालिकाएं) थी, बढ़कर १९६३-६४ में १,२८,०३,१६६ (६४,२१,८७९ बालक और ६३,८१,२८७ बालिकाएं) और १९६४-६५ में १,३०,६९,२७८ (६५,४९,९२६ बालक और ६५,१९,३५२ बालिकाएं) हो गई।

१.३। राज्य की कुल प्राक्कलित आय, जो १९६२-६३ में ९३,८७,००,००० रु० थी, बढ़कर १९६३-६४ में १,००,००,०२,००० रु० और १९६४-६५ में १,११,३९,००,००० रु० हो गई। केवल शिक्षा के बजट से शिक्षा मद्दे कुल खर्च (जिसमें प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए स्थानीय निकायों को दिये गए सरकारी अनुदान और स्कूल शिक्षकों को दिए गए महंगाई भत्ते की रकमें शामिल हैं), जो १९६२-६३ में १५,३३,००,००० रु० था, बढ़कर १९६३-६४ में १५,७०,८६,००० रु० और १९६४-६५ में १७,५३,००,००० रु० हो गया। इस प्रकार, शिक्षा बजट से शिक्षा मद्दे खर्च, जो १९६२-६३ में कुल राजस्व का १६.३ प्रतिशत था, १९६३-६४ में १५.७ प्रतिशत हो गया।

२। शिक्षा संबंधी विधान

१.४। आलोच्य वर्ष में, राज्य-सरकार ने, सरकारी संकल्प सं० १००३, दिनांक १३ मई १९६३ के अधीन गैर-सरकारी माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक और बहुद्देशीय स्कूलों की प्रबन्ध-समितियों के पुनर्गठन के सम्बन्ध में नियमों का पुनरीक्षण किया। माध्यमिक स्कूलों में आन्तरिक मूल्यांकन (इंटर्नल असेसमेंट) की प्रणाली उठा ली गई।

१.५। पुनर्गठन सम्बन्धी दूसरा कदम यह उठाया गया कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की शिक्षा-प्रशिक्षण-विद्यालय-परीक्षा संचालित करने के लिए प्राधिकृत किया गया। यह परीक्षा पहले बिहार बुनियादी शिक्षा बोर्ड संचालित करता था।

३। संस्थाएं

१.६। निम्न तालिका में संस्थाओं की संख्या दी हुई है और बताया गया है कि वरीय बुनियादी स्कूलों, जूनियर बुनियादी स्कूलों और विशेष स्कूलों को छोड़कर, सभी प्रकार की संस्थाओं की संख्या में वृद्धि हुई है। बालकों के कनीय बुनियादी स्कूलों में ५३३ की कमी और बालिकाओं के बुनियादी विद्यालयों में १७ की कमी जो दिखाई पड़ती है वह इसलिए कि उन्हें मिडिल स्कूलों के रूप में उत्क्रमित किया गया है, और १० वरीय बुनियादी स्कूलों की जो कमी दिखाई पड़ती है वह इसीलिए कि उन्हें मिडिल स्कूलों के ढांचे पर बदल दिया गया है। विशेष संस्थाओं की संख्या में जो कमी हुई है उसका सम्बन्ध समाज शिक्षा केन्द्रों के बन्द हो जाने से है, जो कि चीन-भारत युद्ध तथा राष्ट्रीय आपातिक स्थिति के कारण खर्च में भारी कटौती होने के कारण करना पड़ा था। अतएव, १९६२-६३ के मुकाबले १९६४-६५ में बालकों की कुल १,६४८ संस्थाओं और बालिकाओं की कुल ३८५ संस्थाओं की जो कमी हुई, उसे कोई महत्वपूर्ण कमी नहीं माना जाएगा।

१.७। संस्थाओं की संख्या-तालिका

संस्था का प्रकार	बालकों के लिए				बालिकाओं के लिए			
	१९६२-६३	१९६३-६४	१९६४-६५	फर्क २--४	१९६२-६३	१९६३-६४	१९६४-६५	फर्क ६—८
१	२	३	४	५	६	७	८	९
विश्वविद्यालय	६	६	६	..	..	..	..	..
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड	१	१	१	..	..	..	..	..
सामान्य शिक्षा के कॉलेज ..	१०४	१०५	११८	(+)१४	१३	१४	१४	(+)१
शोध-संस्थाएं	४	४	४	..	..	..	..	..
व्यावसायिक शिक्षा वाले कॉलेज ..	३४	३४	३६	(+)२	१	१	१	..
विशेष शिक्षा वाले कॉलेज ..	२७	२९	३१	(+)४	..	..	..	..
उच्चतर माध्यमिक, उच्चतर बुनियादी और बहूद्देशीय स्कूल।	३१५	३४०	३४५	(+)३०	२६	२९	३७	(+)११
हाई स्कूल	१,३६२	१,४०५	१,५२०	(+)१५८	८७	९०	१००	(+)१३
मिडिल स्कूल	४,२९७	४,४७७	५,०५२	(+)७५५	३६८	४४३	४८८	(+)१२०
वरीय बुनियादी स्कूल	८३३	८५१	८२३	(—)१०	९	११	१२	(+)३
प्राथमिक स्कूल	३३,७९९	३४,४३९	३६,११३	(+)२,३१४	४,२११	४,२५४	४,३९२	(+)१८१

कनीय बुनियादी स्कूल ..	..	२,५०२	२,४३५	१,९६९	(—)५३३	३५४	३५४	३३७	(—)१७
शिशु स्कूल (नर्सरी स्कूल)	..	३०	३०	३५	(+)५	३	४	५	(+)२
व्यावसायिक स्कूल ..	..	१७३	१७४	१८७	(+)१४	४७	५१	४७	..
विशेष स्कूल ..	..	६,११५	४,३९९	१,७१४	(—)४,४०१	९१९	६८४	२२०	(—)६९९
कुल ..	..	४९,६०२	४८,७२९	४७,९५४	(—)१,६४८	६,०३८	५,९३५	५,६५३	(—)३८५

४। छात्र

१.८। निम्न तालिका में, विभिन्न प्रकार की संस्थाओं में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या विषयक स्थिति दिखाई गई है :--

विभिन्न प्रकार की संस्थाओं के अनुसार छात्रों का नामांकन

संस्थाओं के प्रकार	संस्थाओं में छात्रों की संख्या							
	बालक				बालिकाएं			
	१९६२-६३	१९६३-६४	१९६४-६५	फर्क २--४	१९६२-६३	१९६३-६४	१९६४-६५	फर्क ६--८
१	२	३	४	५	६	७	८	९
१। विश्वविद्यालय	६,०३४	६,२६४	६,५९०	(+)५५६	..	..	..	..
२। सामान्य शिक्षा के कॉलेज ..	८०,५१३	८३,९२७	८६,६२८	(+)६,११५	४,४५८	५,११७	५,२५३	(+)७९५
३। शोध-संस्था	१५२	१९०	२२०	(+)६८	..	..	..	..
४। व्यावसायिक शिक्षा के कॉलेज ..	१६,२५९	१८,३०५	१९,९८५	(+)३,७२६	१०१	१०९	११३	(+)१२
५। विशेष शिक्षा के कॉलेज ..	१,७४९	१,८२०	२,१७७	(+)४२८	..	..	..	..
६। उच्चतर/बहूद्देशीय/उच्चतर बुनियादी स्कूल ।	१,८७,७४९	२,०८,४३६	२,१२,३२७	(+)२४,५७८	१३,२२०	१४,३३४	१८,०८६	(+)४,८६६
७। हाई स्कूल	४,००,४८२	४,०९,९५७	४,३०,६६७	(+)३०,१८५	२२,१८९	२३,८०३	२३,१३६	(+)९४७
८। वरीय बुनियादी	१,६५,९१५	१,७५,२९७	१,७०,१९३	(+)४,२७८	१,८७७	२,२३६	२,३७४	(+)४९७

९। मिडिल स्कूल ..	..	८,०५,१०८	८,८०,५९१	९,९९,३९२	(+)१,९४,२८४	७१,२२६	८८,०२९	९७,४२२	(+)२६,१९६
१०। कनीय बुनियादी ..	..	१,९२,५५१	१,९५,२२०	१,५९,०५२	(—)३३,४९९	१७,७४२	१,९१,६११	१८,५७६	(+)८३४
११। प्राथमिक ..	..	२३,९२,००४	२५,४१,९२७	२६,२६,४४८	(+)२,३३,६३५	२,३७,७२९	२,४९,६२४	२,४७,९४४	(+)८,२१५
१२। शिशु (नर्सरी) ..	..	१,९४७	२,०६४	२,४०५	(+)४५८	९७	१५२	१४७	(+)५०
१३। व्यावसायिक स्कूल	..	३०,१७९	३०,१४७	३२,३६१	(+)२,१८२	३,७०२	४,१८६	३,९७८	(+)२७६
१४। विशेष स्कूल ..	..	२,२७,७०८	१,६९,७५०	७६,४४३	(—)१,५१,२६५	२६,८०३	२०,८५१	६,७५९	(—)२०,०४४
कुल ..	..	४५,०९,१५९	४७,२३,८२५	४८,२४,८८८	(+)३,१५,७२९	४,०१,१४४	४,२७,६०२	४,२३,७८८	(+)२२,६४४

१.९। ऊपर के आंकड़ों से स्पष्ट पता चलता है कि जूनियर बुनियादी स्कूलों और विशेष स्कूलों को छोड़कर, अन्य सभी प्रकार की संस्थाओं में छात्रों की संख्या बढ़ी है। १९६२-६३ के मुकाबले १९६४-६५ में बालक छात्रों की सख्या में लगभग ३,१५,७२९ और बालिका छात्राओं की संख्या में लगभग २२,६४४ की शुद्ध वृद्धि हुई है।

५। व्यय

१.१०। निम्न तालिका में, आलोच्य अवधि में, शिक्षा पर विभिन्न स्रोतों से हुए व्यय की तुलनात्मक रूपरेखा प्रस्तुत की गई है :—

शिक्षा पर व्यय।

प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष।

व्यय।	बालकों की संस्थाएं।				बालिकाओं की संस्थाएं।			
	१९६२-६३।	१९६३-६४।	१९६४-६५।	फर्क २—४	१९६२-६३।	१९६४-६४।	१९६४-६५।	फर्क ६—८।
१	२	३	४	५	६	७	८	९
सरकार—								
केन्द्रीय ..	९६,६४,९२१	१,१३,२३,८१७	१७,९८,२५,५०८	+२,८३,६१,९८२	१,१०,६७६	१,०७,६९५	१,८०,८२,७४७	+३१,६९,२२२
राज्य ..	१४,१७,९८,६०५	१५,६८,४३,७२१	..	..	१,४८,०२,८४९	१,५३,४६,६१९	..	..
जिला बोर्ड ..	३७,२८,२४२	३७,२८,७८३	५३,२१,५८२	+५,२७,४९९	३,०७,८९२	३,३९,१२०	८,७०,९४६	+ ८८,५२३
नगरपालिका बोर्ड	१०,६५,८४१	१,१३,९७,१७०	..	..	४,७४,५२१	५,०३,६७२	..	..
फीस ..	५,१४,७६,२१३	५,६२,३०,५८०	६,००,७१,६७४	+८५,९५,४६१	२२,४५,५८६	२४,४९,३४६	२४,५४,०७४	+२,०८,४८८
विश्वविद्यालय ..	..	..	३८,६३,५४८	..	..	..	२५,४४९	+ २५,४४९
धर्मस्व ..	१२,४८,८२४	४६,०४,०९१	२,१०,४२,०३९	+१,८६,८०१	१,८१,१४७	२,६९,९४६	२८,३३,६८३	+१,८५,०२७
अन्य स्रोत ..	२,०४,६९,९६२	२,२२,९८,३२९	..	..	२४,९२,९५८	२,३५,१५,७६२	..	..
कुल ..	२३,२४,५२,६०८	२५,६१,६९,०३८	२७,०१,२४,३५१	+३,७६,७१,७४३	२,०६,१५,६२९	२,१३,६८,१६०	२,४२,६६,८९९	+३६,५१,२७०

१.११। मान्यताप्राप्त संस्थाओं पर १९६४-६५ में प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष कुल खर्च जहां तक बालकों की संस्थाओं का सम्बन्ध है, ३,७६,७१,७४३ रु०, और जहां तक बालिकाओं की संस्थाओं का संबंध है, ३६,५१,२७० रु० बढ़ गया। प्रत्यक्ष खर्च में वृद्धि नई संस्थाओं के खुलने से हुई और अप्रत्यक्ष खर्च में वृद्धि भवन, फर्निचर, साज-सामान आदि के लिए उदारतापूर्वक अनावर्त्तक अनुदान देने के कारण हुई।

६। महत्वपूर्ण विकास स्कीमों की प्रगति

१.१२। १९६३-६४ और १९६४-६५ में कुछ महत्वपूर्ण स्कीमों की प्रगति का ब्योरा नीचे दिया जाता है :—

(१) प्राथमिक क्षेत्र—

तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान, प्राथमिक क्षेत्र में, जो अतिशय महत्व की स्कीमें थीं उनका संबंध इन विषयों से था—(क) प्राथमिक और मिडिल स्कूलों में अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति, (ख) द्वितीय योजना के दौरान खोले गये प्रशिक्षण स्कूलों का सुधार और समेकन, एवं शिक्षकों के वेतनमान में सुधार।

प्राथमिक शिक्षा से संबंधित स्कीमों पर समस्त व्यय १९६३-६४ में २१५.४४ लाख और १९६४-६५ में २२८.१८ लाख हो गया, जबकि १९६२-६३ में यह व्यय १७३.४९ लाख ही था।

(ख) आलोच्य दो वर्षों के दौरान प्राथमिक शिक्षा की सुविधाएं बढ़ाने के लिए विभिन्न स्कीमें चालू रखी गईं। "प्राथमिक स्कूल खोलना और उनकी स्थिति ठीक करना" जैसी योजनाओं पर, जिनसे ६—११ के आयु-वर्ग के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था कराने में मदद मिली, १९६३-६४ में ६१.२१ लाख और १९६४-६५ में १०६.४३ लाख खर्च हुए जबकि १९६२-६३ में इन पर केवल ५५.९८ लाख खर्च हुए थे। फलतः १९६३-६४ में ६४० और १९६४-६५ में १,६७४ नए प्राथमिक स्कूल खोले गए। इसी प्रकार "मिडिल स्कूल खोलना और उनकी स्थिति ठीक करना" विषयक योजना से नए मिडिल स्कूल खोलने में और पहले से मौजूद मिडिल स्कूलों की स्थिति ठीक करने में मदद मिली। यह स्कीम १४ वर्ष तक की आयु के बच्चों की शिक्षा-सुविधा बढ़ाने के ख्याल से अनुमोदित की गई थी, और इससे संविधान में निहित निदेशों को पूरा करने की दिशा में काफी प्रगति हुई। इस स्कीम पर कुल खर्च १९६३-६४ में ११.२० लाख रु० और १९६४-६५ में १६.०१ लाख रु० हुआ। फलतः ७५५ नए मिडिल स्कूल खोले गए और बहुतेरे मिडिल स्कूल की स्थिति में सुधार लाया गया।

"प्राक्-प्राथमिक संस्थाओं को सहायता" स्कीम के अधीन १९६३-६४ में ०.९४ लाख रु० और १९६४-६५ में ०.७५ लाख रु० खर्च हुए, जबकि १९६२-६३ में ०.५० लाख रुपये ही खर्च हुए थे। ये रकमें स्कूलों में अनुदान-स्वरूप वितरित की गईं।

सरकारी कन्या मिडिल स्कूलों के सुधार पर १९६३-६४ में १.६२ लाख रु० और १९६४-६५ में १.०७ लाख रु० खर्च हुए, जबकि गैर-सरकारी कन्या मिडिल स्कूलों पर १९६४-६५ में केवल ०.६० लाख रुपये खर्च हुए थे। १९६३-६४ में १.८४ लाख रु० और १९६४-६५ में १.९७ लाख रु० मिडिल स्तर की बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा की सुविधा देने की योजना पर खर्च हुए। "सरकारी बुनियादी स्कूलों में सुधार" योजना पर भी १९६३-६४ में २.१५ लाख और १९६४-६५ में २.०० लाख रु० खर्च हुए।

बालक मिडिल स्कूलों में बालिकाओं की भी शिक्षा चालू रहे, इसको बढ़ावा देने के लिए, मिश्रित स्कूलों में शौचालय आदि की सुविधाओं की व्यवस्था में सहायता करने की एक योजना चालू की गई और उस पर १९६४-६५ में ६०,००० रु० खर्च हुए।

बालिकाओं की शिक्षा के प्रसार के उद्देश्य से, "वयस्क महिलाओं के लिए संक्षिप्त पाठ्यचर्या" की व्यवस्था की गई, जिसपर १९६३-६४ में १४,००० रु० और १९६४-६५ में २४,००० रु० खर्च हुए।

निर्धन किन्तु मेधावी छात्राओं के उत्प्रेरणा-स्वरूप राज्य-सरकार ने योजना-स्कीम के तौर पर १९६३-६४ में १.९२ लाख रु० और १९६४-६५ में १.१९ लाख रु० खर्च किए। "प्रशिक्षण-विद्यालयों का सुधार, प्रसार और स्थापना" स्कीम पर १९६४-६५ में २८.७२ लाख रु० और १९६४-६५ में २८.०८ लाख रु० खर्च हुए।

प्राथमिक और मिडिल स्कूलों के शिक्षकों के वेतनमान में सुधार लाने से संबंधित योजना पर १९६३-६४ में ९१.७५ लाख रु० और १९६४-६५ में ६४.४६ लाख रु० की मोटी रकमें खर्च हुईं।

(२) माध्यमिक क्षेत्र—

तीसरी योजना-स्कीम के अधीन, १९६३-६४ में ५५.५२ लाख रु० और १९६४-६५ में ८३.७६ लाख रु० माध्यमिक शिक्षा के सुधार और प्रसार पर खर्च हुए।

१९६३-६४ और १९६४-६५ के दौरान सबसे अधिक खर्च हुआ एक योजना-स्कीम पर, जिसका संबंध शिक्षकों के वेतनमान में सुधार लाने से है। ये खर्च इन वर्षों में क्रमशः ३०.६७ लाख और ३०.६७ लाख रु० थे।

दूसरे महत्वपूर्ण कार्यक्रम का संबंध मौजूदा सरकारी बहूद्देशीय स्कूलों के विस्तार और सुधार से है। इस स्कीम पर १९६३-६४ में ८.०२ लाख और १९६४-६५ में ११.३८ लाख रु० हुए।

माध्यमिक स्कूलों में शारीरिक शिक्षा में सुधार लाने के लिए भी सहायता दी गई, और इस मद में १९६३-६४ में ५७,००० रु० और १९६४-६५ में ६७,००० रु० खर्च हुए।

अनुसूचित जातियों और जन-जातियों के हितों पर भी ध्यान दिया गया। इनकी निःशुल्क शिक्षा के कारण शिक्षण-फीस में हुई क्षति की पूर्ति में ६.२६ लाख रु० खर्च किए गये।

इसी प्रकार, नए सरकारी उच्चतर माध्यमिक स्कूल खोलने के लिए १९६३-६४ और १९६४-६५ में क्रमशः २.१२ लाख और २.१३ लाख रुपए खर्च हुए। गैर-सरकारी बहूद्देशीय उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के सुधार और प्रसार की स्कीम पर १९६३-६४ में ४.४३ लाख रु० और १९६४-६५ में ६.६३ लाख रुपए खर्च हुए।

शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुए इलाकों में उच्चतर माध्यमिक स्कूल खोलने के लिए, तथा वर्त्तमान राज्य-साहाय्यित स्कूलों में सुधार लाने के लिए भी राज्य-सरकार ने उदारतापूर्वक साहाय्य दिया। इस स्कीम पर १९६३-६४ में १.०१ लाख रु० और १९६४-६५ में ६.०७ लाख रु० खर्च हुए।

इसी प्रकार, गैर-सरकारी हाई/उच्चतर माध्यमिक स्कूलों को दिए गए अतिरिक्त सहायता अनुदान की रकम १९६३-६४ में ४.३९ लाख रु० और १९६४-६५ में ४.९६ लाख रु० तक पहुंच गयी। मौजूदा अर्थ-साहाय्यित और असाहाय्यित हाई स्कूलों पर भी १९६३-६४ में ३ लाख रु० और १९६४-६५ में २.१० लाख रु० की रकम खर्च की गई।

शारीरिक शिक्षा के निमित्त माध्यमिक स्कूलों को सहायता देने में १९६३-६४ में ०.५७ लाख और १९६४-६५ में ०.६७ लाख रु० खर्च हुए।

१९६३-६४ में ११.६१ लाख रु० और १९६४-६५ में ५.७३ लाख रु० सैनिक स्कूल, तिलैया के सुधार पर खर्च हुए। इसी प्रकार, नेतरहाट पब्लिक स्कूल के सुधार पर १९६३-६४ और १९६४-६५ दोनों ही वर्षों में प्रतिवर्ष ०.१९ लाख रु० खर्च हुए।

(३) बालिका-शिक्षा—माध्यमिक स्तर—

बालिका स्कूलों से संबंधित विशेष स्कीमों पर १९६३-६४ और १९६४-६५ में जो खर्च हुए उनका ब्योरा नीचे दिया जाता है:—

(लाख रुपयों में)

स्कीम का नाम	व्यय	
	१९६३-६४ में	१९६४-६५ में
(१) ग्रामीण या अर्द्ध-नगरी क्षेत्रों में राज्य साहाय्यित बालिका उच्चतर माध्यमिक स्कूलों का खोला जाना।	०.५५	२.५६
(२) ग्रामीण या अर्द्ध-नगरी क्षेत्रों में मौजूदा गैर-सरकारी बालिका उच्च/उच्चतर माध्यमिक स्कूलों को राज्य साहाय्यित स्कूलों में बदलना।	१.३४	२.२५
(३) कन्या माध्यमिक स्कूलों में शिक्षिकाओं के लिये क्वार्टरों का निर्माण..	०.४०	१.००
(४) माध्यमिक स्कूलों में बालिकाओं के लिये छात्रावासों का निर्माण ..	१.२५	..
(५) मिश्रित माध्यमिक स्कूलों में बालिकाओं के लिये विश्राम कक्षों का निर्माण।	०.४५	..
(६) माध्यमिक स्कूलों में बालिकाओं के आने-जाने के लिये सवारी का उपबन्ध।	०.२०	..
(७) बालिकाओं के लिये योग्यता-सह-निर्धनता-वृत्तिका ..	..	१.२६
कुल	४.१९	७.०७

(४) शिक्षक -प्रशिक्षण कालेज—

शिक्षक प्रशिक्षण कालेजों का प्रसार, सुधार और स्थापना ..	०.९७	२.२८
विशेष संक्षिप्त पाठचर्या, आवृत्ति-चर्या (रिफ्रेशर कोर्स) आदि का आयोजन	०.३३	..
कुल ..	१.३०	२.२८

(५) विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा—

तीसरी योजना में, विश्वविद्यालय-शिक्षा से संबंधित स्कीम की अनुमोदित लागत ५३७ लाख थी। १९६३-६४ में ७८.५६ लाख और १९६४-६५ में ६३.६४ लाख रु० खर्च हुए।

नीचे के विवरण से स्पष्ट होगा कि विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में १९६३-६४ और १९६४-६५ में कौन-सी स्कीमें चालू रहीं और क्या खर्च हुए :—

(लाख रुपयों में)

क्रम सं०	स्कीम का नाम	व्यय	
		१९६३-६४	१९६४-६५
१	राष्ट्रभाषा-परिषद् का विकास	०.८१	०.०१
२	मिथिला संस्कृत-स्नातकोत्तर अध्ययन एवं शोध संस्थान का विकास	१.२३	..
३	काशी प्रसाद जायसवाल शोध संस्थान का विकास ..	०.०२	०.०४
४	अरबी-फारसी-स्नातकोत्तर अध्ययन एवं शोध संस्थान ..	..	०.०४
५	बिहार रिसर्च सोसाइटी का विकास	०.१२	०.११
६	ग्राम उच्चतर अध्ययन संस्थान (रूरल इन्स्टिच्यूट ऑफ हायर स्टडीज), बिरौली का विकास।	०.१५	०.३९
७	पटना विश्वविद्यालय का विकास	..	६.००
८	बिहार विश्वविद्यालय का विकास	०.१६	१२.४०
९	रांची विश्वविद्यालय का विकास	०.५५	४.५५
१०	भागलपुर विश्वविद्यालय का विकास	०.१०	१२.४५
११	मगध विश्वविद्यालय का विकास	१३.४०	१८.३०
१२	विश्वविद्यालय सेवा-आयोग	२.०२	१.५०
१३	राज्य विश्वविद्यालय आयोग	५३.४२	१.२५
१४	संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा का विकास	१.७३	२.१०
१५	महिला ट्यूटोरियल कालेज को सहायता	०.२३	०.४८
१६	छात्रवृत्ति और वृत्तिका	४.६४	४.०२
	कुल	७८.५६	६३.६४

(६) अन्य शिक्षा स्कीमें—

(क) समाज शिक्षा—आपतकालीन स्थिति में कटौती और घटौती होने के कारण आलोच्य अवधि में सबसे अधिक नुकसान इसी क्षेत्र को हुआ।

(ख) पुस्तकालय—१९६३-६४ में १.२३ लाख रु० और १९६४-६५ में १५,००० रु० सार्वजनिक पुस्तकालयों पर और पुस्तकालय-कर्मचारियों के प्रशिक्षण एवं अनुमंडलीय पुस्तकालयों के विकास पर खर्च हुए।

(ग) दृश्य-श्रव्य शिक्षा (ऑडो विजुअल एडुकेशन)—४,००० रु० राज्य फिल्म-लाइब्रेरी के विकास पर और १,००० रु० दृश्य-श्रव्य-शिक्षा के निमित्त कर्मशाला के विकास पर खर्च हुए।

(७) शारीरिक शिक्षा—

निम्न विवरण से पता चलता है कि शारीरिक शिक्षा से संबंधित स्कीमों पर क्या खर्च किया गया :—

(लाख रुपयों में)

क्रम सं०	स्कीम का नाम	व्यय	
		१९६३-६४	१९६४-६५
१	राजकीय स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा कालेज का विकास ..	०.४२	०.२०
२	व्यायामशालाओं को सहायता	०.१०	..
३	शारीरिक शिक्षा संबंधी सेमिनारों और समारोहों का आयोजन ..	०.०१	..
४	खेलकूद-प्रतियोगिता का आयोजन	०.१०	०.२०
५	पटने में खेलकूद स्टैडियम-सह-खेलाड़ी-अतिथि-भवन (स्पोर्ट्समैन गेस्ट हाउस) का निर्माण।	२.५७	०.६९
	कुल	३.२०	१.०९
	युवा-कल्याण—		
१	युवा छात्रावास	..	०.०४
२	विज्ञान-मंदिर	..	०.३५
३	छात्र-पर्यटन	०.०६	..
		०.०६	०.३९
	एन० सी०सी० एवं ए० सी० सी०—		
१	एन० सी० सी० प्रशासन-तंत्र को सुदृढ़ करना	२.२०	१.५७
२	एन० सी० सी० सीनियर डिवीजन का प्रसार	०.०१	०.०७
३	एन० सी०सी० राइफल्स का प्रसार	३.२५	७.१२
४	एन० सी० सी० जूनियर डिवीजन का प्रसार	०.०२	०.०८
५	ए० सी० सी० का प्रसार	०.९८	०.६४
६	एन० सी० सी० कैम्पों का आयोजन	०.८७	०.३३
	कुल	७.३३	९.८१

(लाख रु० में)

क्रम सं०	स्कीम का नाम	व्यय १९६३-६४	व्यय १९६४-६५
(८)	**असुविधाग्रस्तों की शिक्षा—**		
१	असुविधाग्रस्त बालकों की शिक्षा के विकास के लिये स्वैच्छिक संघटनों को सहायता।	०.१५	०.१५
२	असुविधाग्रस्त बालकों को वृत्तिका	०.१४	०.१४
३	सुधार-विद्यालय (रिफॉर्मेटरी स्कूल), हजारीबाग का विकास ..	..	०.५०
	कुल ..	०.२९	०.७९
(९)	**संस्कृत शिक्षा का उन्नयन—**		
१	गैर-सरकारी संस्कृत उच्च विद्यालयों का विकास ..	०.३९	०.६४
२	शास्त्रार्थ-प्रतियोगिता का आयोजन	०.०४	..
३	संस्कृत-अध्ययन के लिये छात्रवृत्ति और वृत्तिका	..	०.२३
४	संस्कृत-शिक्षकों को प्रशिक्षण-सुविधाएं देने की व्यवस्था ..	०.०४	०.०६
	कुल	०.४७	०.९३
(१०)	**अरबी-फारसी का विकास —**		
१	गैर-सरकारी मदरसों को अनुदान	०.१५	०.२०
२	अरबी-फारसी अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति एवं वृत्तिका ..	..	०.०८
३	अरबी-फारसी शिक्षकों को प्रशिक्षण-सुविधाएं देने की व्यवस्था ..	..	०.०४
	कुल	०.१५	०.३२
(११)	**सौन्दर्यपरक शिक्षा (एस्थेटिक एडुकेशन)—**		
१	राज्य-सांस्कृतिक शिक्षा-बोर्ड का विकास और मोद-मंडलियों का पुनर्गठन।	१.१७	१.३१
२	पटने में राज्य-नाट्यशाला (स्टेट थियेटर हॉल) का निर्माण ..	३.००	०.६४
३	भारतीय नृत्य कला मंदिर का प्रांतीयकरण	०.५१	०.६०
४	संगीत, नृत्य और नाटक एवं ललित कला में रत संस्थाओं को सहायता।	०.३७	०.२५
५	कला-क्षेत्र के विशिष्ट व्यक्तियों को वित्तीय सहायता ..	..	०.०३
६	पाली एवं बौद्धशास्त्र के स्नातकोत्तर अध्ययन का नव नालंदा महा-बिहार।	..	०.१२
	कुल ..	५.०५	२.९५
(१२)	**अन्य प्रकीर्ण स्कीमें—**		
१	निदेशालय और मुख्यालय स्थापना का सुदृढ़ीकरण ..	०.१७	०.१९
२	वाणिज्य-संस्थानों का विकास	०.१०	..
३	महत्वपूर्ण शैक्षिक कार्यों के लिये स्वैच्छिक संघटनों को सहायता ..	१.३७	१.१५
	कुल	१.६४	१.३४

१.१३। १९६३-६४ की अवधि के महत्वपूर्ण कार्य-कलाप—

(१) प्राथमिक क्षेत्र—

१९६३-६४ में, विकास-अनुदान के रूप में राज्य की विभिन्न नगरपालिकाओं और अधिसूचित क्षेत्र-समितियों के बीच ५ लाख रु० आनुपातिक रूप से वितरित किए गए ।

१९६३-६४ में, जीवन-यापन-भत्ते के रूप में राज्य की विभिन्न नगरपालिकाओं और अधिसूचित क्षेत्र-समितियों के बीच ४ लाख रु० की एक दूसरी रकम वितरित की गई।

राज्य के मिडिल और प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों को वेतन और भत्ते देने के लिये १९६३-६४ में १ करोड़ का अनुदान मंजूर किया गया, यह रकम विभिन्न जिलों की शिक्षा-निधि और नगरपालिकाओं के बीच वितरित की गई।

महंगाई-भत्ते के भुगतान के लिये १९६३-६४ में ५० लाख रु० की मंजूरी दी गई। यह रकम जिला-शिक्षा-निधि और नगरपालिकाओं के बीच उनकी आवश्यकतानुसार वितरित की गई।

११,५०८ रु० की रकम तिरहुत प्रमंडल ३ नगरपालिकाओं के मिडिल स्कूलों के लिये अनुदान-स्वरूप मंजूर की गई।

अप्रशिक्षित कर्मचारियों की जगह पर प्रशिक्षित कर्मचारियों की नियुक्ति की योजना के अधीन १९६३-६४ में ११ लाख की रकम मंजूर की गई। इसमें से १०,०३,१६० रु० ग्रामीण क्षेत्रों के लिए थे और ९६,८४० रु० शहरी क्षेत्रों के लिए।

हरिजन प्राथमिक विद्यालयों के लिए, जो कि कल्याण विभाग से शिक्षा विभाग में अन्तरित किए गए हैं, १९६३-६४ में ३०,८९३ रु० का अनुदान मंजूर किया गया। इसे राज्य के विभिन्न जिला-शिक्षा-निधियों को आवंटित किया गया।

प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान मंजूर शिक्षक-इकाइयों को बनाए रखने के लिये, १९६३-६४ में ३० लाख रु० का अनुदान मंजूर किया गया।

कतिपय स्कूलों को सामुदायिक केन्द्रों में विकसित करने के लिए १९६३-६४ में २६,४०० रु० की एक दूसरी रकम मंजूर की गई।

(२) बुनियादी शिक्षा क्षेत्र—

सरकारी अधिसूचना सं० २३२९, दिनांक १० फरवरी १९६२ के अधीन संघटित राज्य-शिक्षा-सलाहकार-बोर्ड के सदस्यों का नाम निर्देशन किया गया।

राज्य सरकार ने महिला-प्रशिक्षण-स्कूल, मुजफ्फरपुर की चहारदीवारी ऊंची करने के लिये २७,४७८ रु० की पुनरीक्षित रकम मंजूर की।

राज्य सरकार ने अधिसूचना सं० १३२९, दिनांक २ मई १९६३ के अनुसार शिक्षक-प्रशिक्षण-स्कूलों की परीक्षा संचालित करने का काम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को सौंप दिया।

१९६३-६४ के दौरान, राज्य सरकार ने राज्य के वरीय बुनियादी स्कूलों के भवनों की मरम्मत के लिए १५,००० रु० की रकम मंजूर की।

राज्य सरकार ने सरकारी कनीय बुनियादी स्कूल के शिक्षकों को कृषि में प्रशिक्षित करने की स्कीम को १५,७०० रु० के खर्च पर, १ अप्रील १९६४ से एक वर्ष तक चालू रखना मंजूर किया।

राज्य सरकार ने कुछेक सरकारी संस्थाओं में (जिनमें पूर्व बुनियादी स्कूल और दो अन्य संस्थाएं भी शामिल हैं) नगरी शिल्प सिखाने का काम चालू रखने के लिए, १ मार्च १९६३ से १ वर्ष तक के लिये ३५,५४० रु० का अनावर्तक अनुदान मंजूर किया। १९६३-६४ के दौरान, सरकारी वरीय बुनियादी स्कूलों की मरम्मत और निर्माण के लिए २ लाख रु० की मंजूरी दी गई।

राज्य सरकार ने ४०० सरकारी वरीय बुनियादी स्कूलों के प्रधानाध्यापकों को बेहतर वेतन और भत्ते देने के लिए ६,९०,००० रु० की मंजूरी दी।

स्वैच्छिक संघटनों द्वारा संचालित ४३ पूर्व-बुनियादी स्कूलों में वितरण के लिए, राज्य सरकार ने १९६३-६४ के दौरान ५०,००० रु० की मंजूरी दी।

जिला शिक्षा-अधीक्षक के कार्यालय में स्वच्छता-फिटिंग और पेय जल-आपूर्त्ति के लिए ४,२३६ रु० की स्वीकृति दी गई।

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के शिक्षकों के अतिरिक्त महंगाई भत्ता देने के लिय राज्य सरकार ने ४५,००,०००रु० की रकम की मंजूरी दी।

पिछड़े मुसलमानों के कल्याण-मकतबों के शिक्षकों के वेतनमान अन्य शिक्षकों के समतुल्य करने के लिए २५,८०० रु० की रकम मंजूर की गई।

मिडिल स्कूलों में शिल्प का अध्यापन आरंभ करने के लिए राज्य सरकार ने १ लाख रु० की रकम मंजूर की।

१९६१ में पुनरीक्षित वेतनमान के अनुसार शिक्षकों को वेतन देने के लिये ३० लाख रु० की रकम मंजूर की गई।

जिला बोर्डों के साधारण अनुदान के रूप में २४ लाख रु० की रकम मंजूर की गई, जिसे जिला-शिक्षा-निधि में जमा किया गया।

(३) माध्यमिक क्षेत्र—

गैर-सरकारी हाई स्कूलों को साधारण अनुदान देने के लिये राज्य सरकार ने ४,१५,४३८ रु० की रकम मंजूर की। यह रकम वितरण के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को सौंप दी गई।

३१ मार्च १९४९ के पहले मान्यताप्राप्त सरकारी हाई स्कूलों में काम करनेवाले लिपिकों के वेतनमान बढ़ाने के लिये राज्य सरकार ने १५,५०,७९३ रु० की रकम की मंजूरी दी। यह रकम वितरण के लिए, सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जिम्मे दे दी गई।

गैर-सरकारी हाई स्कूलों में कृषि और विज्ञान विशेषज्ञों की नियुक्ति के लिये राज्य सरकार ने ८१,२०० रु० की रकम की मंजूरी दी।

राज्य सरकार ने १,२४,५१४ रु० की रकम उन गैर-सरकारी हाई स्कूलों में वितरणार्थ मंजूर की, जो भूतपूर्व जमींदारों द्वारा चलाये जाते थे।

संथाल-परगना में १०० हाईस्कूलों के संचालन के लिये २,१०० रु० की रकम मंजूर की गई।

राज्य सरकार ने बालिका मिडिल स्कूल, कदमकुआं, पटना के लिये २,७७८ रु० मंजूर किये।

मिडिल स्कूलों में पढ़नेवाले अनुसूचित जन-जातियों के छात्रों की, जिन्हें निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, शिक्षा-फीस की प्रतिपूर्त्ति के तौर पर राज्य सरकार ने २,०१,९८४ रु० का अनुदान मंजूर किया। इसे विभिन्न जिला-शिक्षा-निधि में आनुपातिक रूप में जमा किया गया।

प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों के वेतन, भत्ता, आदि देने के लिये राज्य सरकार ने १ करोड़ रु० की राशि मंजूर की। इसे जिला-शिक्षा-निधियों और नगरपालिकाओं में वितरित किया गया।

प्राथमिक और मिडिल स्कूलों के शिक्षकों को महंगाई भत्ता देने के लिए ५० लाख रुपये की मंजूरी दी गई।

तिरहुत प्रमंडल की नगरपालिकाओं के मिडिल स्कूलों के लिये ११,५०८ रु० की रकम मंजूर की गई।

(४) विश्वविद्यालय क्षेत्र—

पटना वीमेंस ट्रेनिंग कालेज में ५० सीट बढ़ाए जाने के कारण पटना विश्वविद्यालय को ४,२६० रु० अनुदान मंजूर किया गया।

राज्य सरकार ने बिहार राज्य विश्वविद्यालय आयोग को कामेश्वर सिंह दरभंगा (के० एस० डी०) संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा पर होनेवाले खर्च के लिए ४२,००० रु० का अनुदान मंजूर किया।

दरभंगा जिले में, निदेशक, रूरल इंस्टिच्यूट, बिरौली के कार्यालय के लिए स्थायी अग्रिम के रूप में ४०० रु० की रकम की स्वीकृति दी।

(५) शिक्षक प्रशिक्षण-क्षेत्र—

पटना वीमेंस ट्रेनिंग कालेज में ५० सीटें बढ़ाने के कारण पटना विश्वविद्यालय को ४,२६० रु० का अनुदान मंजूर किया गया।

राज्य सरकार ने वीमेंस टीचर्स ट्रेनिंग स्कूल, मुजफ्फरपुर की चहारदीवारी को ऊंचा करने की स्कीम मद्धे २७,४७८ रु० के खर्च की मंजूरी पुनरीक्षित की। शिक्षक प्रशिक्षण स्कूल की परीक्षा, जिसे पहले बुनियादी शिक्षा बोर्ड संचालित करती थी, अधिसूचना सं० १३२९, दिनांक २ मई १९६३ के अधीन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा संचालित होने लगी।

राज्य सरकार ने रिफॉर्मेटरी स्कूल, हजारीबाग की उस प्रशाखा को, जो शिक्षकों को शिल्प का प्रशिक्षण दिया करती है, १,३०,७८० रु० के खर्च पर १ मार्च १९६३ से एक वर्ष तक चालू रखने की मंजूरी दी।

राज्य सरकार ने १५,७०० रु० के खर्च पर १ अप्रील १९६३ से एक वर्ष के लिए, भागलपुर जिलान्तर्गत नगरपारा शिक्षक-प्रशिक्षण स्कूल में शिक्षकों को कृषि में प्रशिक्षण देने की स्कीम चालू रखने की मंजूरी दी।

योग्यता-सह-निर्धनता छात्रवृत्ति के लिए ७२,००० रु० की स्वीकृति दी गई।

३१ मार्च १९४९ तक मान्यताप्राप्त स्कूलों में काम करनेवाले शिक्षकों और लिपिकों को १ अप्रील १९४९ से पुनरीक्षित वेतनमान के अनुसार वेतन देने के लिये दूसरी किश्त के रूप में, ४ लाख रुपए का एकमुश्त अनुदान दिया गया।

३१ मार्च १९४९ के बाद और ३१ मार्च १९५७ तक मान्यताप्राप्त हाई स्कूलों को अनुदान देने के लिये, दूसरी किश्त के रूप में ४,६८,२०० रु० की एक मुश्त स्वीकृति दी गई।

१ जनवरी १९५१ के बाद और १९५६-५७ के सत्र तक मान्यताप्राप्त उच्च हाई स्कूलों के शिक्षकों और लिपिकों को, प्रति शिक्षक प्रतिमास १२ रु० की दर से भुगतान करने के लिए, दूसरी किश्त के रूप में १,६५,७९२ रु० की मंजूरी दी गई।

३१ मार्च १९५७ तक अभिज्ञात विद्यालयों को देने के लिए, दूसरी किश्त के रूप में, एकमुश्त अनुदान के तौर पर २,८५,२५० रु० की राशि मंजूर की गई।

२० सरकारी साहाय्यित उच्चतर माध्यमिक स्कूलों को आवर्त्तक अनुदान देने के लिये, दूसरी किश्त के रूप में २५,६५६ रु० की राशि मंजूर की गई।

गैर-सरकारी उच्च (हाई) उच्चतर एवं बहूद्देशीय माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों और लिपिकों को अतिरिक्त महंगाई भत्ता देने के लिए, राज्य सरकार ने ३१ लाख रु० की रकम की मंजूरी दी।

पुरुषों और महिलाओं के गैर-सरकारी प्रशिक्षण स्कूलों के प्रशिक्षणार्थियों और शिक्षकों को वृत्तिका, वेतन और महंगाई भत्ता देने के लिये ४४,८१६ रु० वितरित किए गए।

दरभंगा जिले में, शिक्षक-प्रशिक्षण-स्कूल, शाहपुर पटोरी के लिए ८ एकड़ जमीन अर्जित करने के निमित्त २४,०३२ रु० का खर्च मंजूर किया गया।

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को शिक्षक प्रशिक्षण स्कूल की परीक्षा के संचालन के लिये १,७२,६०३ रु० मंजूर किए गए।

शिक्षक प्रशिक्षण कालेज, रांची और भागलपुर के विस्तार सेवा विंग के यात्रा और महंगाई भत्ते के भुगतान के लिए १२,००० रु० की रकम मंजूर की गई।

(६) **बालिका शिक्षा क्षेत्र—**

महिला मिडिल स्कूल, कदमकुआं, पटना के लिए २,७७८ रु० के अनुदान की मंजूरी दी गई।
छात्राओं को योग्यता-सह-निर्धनता छात्रवृत्ति देने के लिये १,२६,००० रु० की राशि स्वीकृत की गई।

(७) **सांस्कृतिक और शोध क्षेत्र—**

हाई स्कूलों के छात्रों के सांस्कृतिक विकास के लिये सभी क्षेत्रीय उप-शिक्षा निदेशकों और विद्यालय-निरीक्षिकाओं को ५,००० रु० आवंटित किए गए।

(८) **प्राच्य-शिक्षा क्षेत्र (ओरिएंटल एडुकेशन सेक्टर)—**

१० गैर-सरकारी संस्कृत हाई स्कूलों में नया पाठ्यक्रम लागू करने के लिये राज्य सरकार ने ४८,००० रु० की रकम मंजूर की।

(९) **विशेष वर्गीय एवं जनजातीय शिक्षा क्षेत्र—**

मिडिल स्कूलों में पढनेवाले अनुसूचित जन-जातियों के छात्रों की निःशुल्क शिक्षा मद्धे फीस की हानि को पूरा करने के लिये अनुदान के रूप में २,०१,९८४ रु० की मंजूरी दी गई। यह अनुदान विभिन्न जिला शिक्षा-निधियों में आनुपातिक रूप से जमा की गई।

(१०) **प्रकीर्ण शैक्षिक कार्य—**

बाल अपचारी केन्द्र (सेन्टर आफ जुवेनाइल डेलिक्वेन्ट्स), हजारीबाग से सम्बद्ध सहायक भवन (ओक्जीलियरी होम) में रहनेवाले निर्धन और मेधावी छात्रों के लिए वृत्तिका के रूप में १,८०० रु० की मंजूरी दी गई।

सैनिक स्कूल, तिलैया के प्राचार्य ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। नामांकन और स्टाफ की नियुक्ति के लिए आवेदन-पत्र आमंत्रित किये गए थे। परीक्षा के लिए आवश्यक प्रबन्ध किए गए।

इस स्कूल में भरती के लिए १४ जिलों में चुनाव की प्रतियोगिता परीक्षा हुई। प्रमंडल-स्तर पर, व्यक्तित्व-जांच का आयोजन किया गया, जिसमें जिला मजिस्ट्रेट, उप-सचिव, शिक्षा विभाग और प्राचार्य, सैनिक स्कूल, तिलैया ने भाग लिया।

रिफार्मेटरी स्कूल, हजारीबाग में बाल-सुधार केन्द्र की योजना एक वर्ष तक चालू रखने के लिये राज्य सरकार ने उस स्कूल को ६६,५०० रु० की रकम मंजूर की।

शिक्षकों को शिल्प का प्रशिक्षण देने के निमित्त विशेष इकाई को १ मार्च १९६३ से एक वर्ष तक चालू रखने के लिये राज्य-सरकार ने १,३०,७८० रु० की रकम मंजूर की।

राज्य सरकार ने एन० सी० सी० के अधीन एक सीनियर डिवीजन और तीन जूनियर डिवीजन नेवी यूनिटों को चालू रखने की स्वीकृति दी।

१० एन० सी० सी० राइफल्स बटालियन और १२१ एन० सी० सी० राइफल्स को चालू रखने के लिये ५६,७६६ रु० मंजूर किए गए।

राज्य सरकार ने ४२ जूनियर डिवीजन (बालक), एन० सी० सी० को चालू रखने की स्वीकृति दी।

राज्य सरकार ने एन० सी० सी० राइफल्स की १५० कम्पनी और १३ बटालियन हेडक्वार्टर्स को चालू रखने की स्वीकृति दी।

राज्य सरकार ने एन० सी० सी० कैडेटों को उपहारादि के लिये और नई दिल्ली में हुई स्वातंत्र्य-दिवस-परेड में एन० सी० सी० कंटिजेंट में भाग लेने के लिए भी रुपए मंजूर किए।

राज्य भर में राष्ट्रीय शारीरिक दक्षता आन्दोलन बड़े पैमाने पर चलाया गया। १६२ क्षेत्रों में जांच के आयोजन किए गए, जिसमें ५०,००० लोगों ने भाग लिया।

पटना कौलेजिएट स्कूल के परिसर में कसरती (एथलेट्स) लोगों का एक राज्य-स्तरीय शिक्षण-शिविर आयोजित किया गया, जिसमें विद्यालयों से संबद्ध २५ कसरतियों को भरपूर प्रशिक्षण दिया गया।

इलाहाबाद में आयोजित अखिल भारतीय स्कूल चैम्पियनशीप में १५ प्रशिक्षित कसरतियों (एथलेटों) को भेजा गया। एक कसरती १९६३ का सर्वश्रेष्ठ कसरती घोषित किया गया।

पाठ्य-पुस्तकों के प्रकाशन और बिक्री को संगठित करने के लिये ५,००,००० रु० की रकम मंजूर की गई।

राज्य सरकार ने ७ एन०सी०सी० राइफल्स बटालियनों और ८८ एन० सी० सी० राइफल्स को चालू रखने के लिए ४,७७,००४ रु० की रकम मंजूर की।

राज्य सरकार ने ३१० एन० सी० सी० प्लाटून्स को १९६३-६४ में चालू रखने के लिये २,९२,००० रु० की रकम मंजूर की।

श्री एम० क्यू० दोजा १० मई १९६३ से ६ मास के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त किए गए।

अध्याय २

शिक्षा-कार्मिक और संगठन

संगठन ।

२.१ । अन्य राज्यों की तरह, इस राज्य में भी शिक्षा विभाग के प्रधान एक मंत्री हैं । आलोच्य अवधि में श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह शिक्षा के प्रभारी रहे । इसके अतिरिक्त, वे कृषि और स्थानीय स्व-शासन के भी प्रभारी थे । साथ ही, उन्हें एक राज्य मंत्री श्री गिरीश तिवारी की सहायता प्राप्त होती रही ।

२.२ । मंत्री की सहायता स्थायी सिविल सेवकों का एक ग्रूप करता है, जो सचिव, उप-सचिव और अवर-सचिव के पदों पर नियुक्त रहते हैं । शिक्षा सचिवालय उन्हीं से संघटित होता है । इस सचिवालय से सम्बद्ध स्थायी सिविल सेवकों ने मंत्री को सलाह देने का और सरकार के आदेशों का अंजाम देने का भी काम किया ।

२.३ । सचिवालय में, निबन्धक की अध्यक्षता में बहुतेरे अनुसचिवीय स्टाफ ने, प्रशासन के संचालन में सरकार की सहायता की ।

२.४ । नीचे दिये गये आरेख से, आलोच्य वर्ष में सरकारी स्तर के संगठनात्मक ढांचे का चित्र मिलेगा :—

राज्य शिक्षा विभाग

१ । सरकारी स्तर पर संगठन ।

मंत्री—

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह

राज्य-मंत्री—

श्री गिरीश तिवारी

सचिव—

(१) श्री एस० सहाय, आई०ए०एस०
(२) श्री एम० आलम, आई०ए०एस०

उप-सचिवगण—

(१) श्री के० एम० जुबेरी
(२) श्री एम० पी० एन० शर्मा
(३) श्री आर० आर० प्रसाद
(४) श्री के० प्रसाद
(५) श्री एल० बी० शरण

अवर-सचिव—

श्री एस० नाथ

२.५ । शिक्षा विभाग तीन निदेशालयों में विभक्त है :—

(१) लोक-शिक्षा-निदेशालय,
(२) समाज एवं युवा-कल्याण निदेशालय, और
(३) पुरातत्व एवं संग्रहालय निदेशालय ।

तीनों निदेशालय अलग-अलग निदेशकों के जिम्मे रखे गये । आलोच्य अवधि में श्री के० अहमद, बी०ए० (कैंटब) लोक शिक्षा निदेशक के पद पर बने रहे ।

(२) विभागीय स्तर पर संगठन

२.६। लोक-शिक्षा-निदेशक
श्री के० अहमद, बी०ए० (कैंटब)

निदेशक, समाज एवं युवा कल्याण
श्री नवल किशोर गौड़, एम०ए०

निदेशक, पुरातत्व एवं संग्रहालय
डॉ० बी०पी० सिन्हा, एम०ए०, पी-एच०डी०।

२.७। **सचिवालय और विभाग स्तर पर कार्यालय-संगठन**—राज्य-मुख्यालय में शिक्षा-विभाग के दो सेट अनुसचिवीय स्टाफ हैं। एक सेट सचिवालय-स्थापना का है और दूसरा सेट निदेशालय-स्थापना का। अब ये दोनों सेट (१९५६ में ही) समामेलित कर दिए गए और लोक-शिक्षा-निदेशक के प्रभाराधीन रखे गए हैं।

२.८। यह स्टाफ नौ प्रशाखाओं में बंटा रहा, जिसका ब्योरा इस प्रकार है :—

प्रशाखा १—राजपत्रित स्टॉफ की सेवा-शर्तें, विश्वविद्यालय-शिक्षा, प्रशिक्षण कॉलेज, उच्चतर विद्या-संस्थान।
प्रशाखा २—माध्यमिक शिक्षा।
प्रशाखा ३—प्रशिक्षण स्कूल, बुनियादी स्कूल।
प्रशाखा ४—बजट।
प्रशाखा ५—मुख्यालय-स्थापना, छात्रवृत्ति।
प्रशाखा ६—बालिका-शिक्षा, प्राच्यविद्या-शिक्षा।
प्रशाखा ७—प्राथमिक शिक्षा।
प्रशाखा ८—अंकेक्षण।
प्रशाखा ९—एन०सी० सी०, शारीरिक शिक्षा।

२.९। **लोक-शिक्षा निदेशक**—लोक-शिक्षा निदेशक राज्य सरकार के मुख्य शिक्षा-सलाहकार बने रहे। काम बहुत अधिक रहने के कारण, प्राथमिक शिक्षा, अपर लोक-शिक्षा-निदेशक के स्वतंत्र प्रभार में रहा।

२.१०। इनके अतिरिक्त, आलोच्य अवधि में, ८ उप-शिक्षा-निदेशक और ७ सहायक-शिक्षा-निदेशक तथा निम्नलिखित पदाधिकारी भी थे :—

(१) लोक-शिक्षा-निदेशक के निजी सहायक ;
(२) सामान्य प्रशासक ;
(३) सहायक अभियन्ता ;
(४) सांख्यिकी पदाधिकारी।

२.११। आलोच्य अवधि में इन पदों को धारण करने वाले पदाधिकारियों और उनके वेतनमानों का परिचय नीचे अंकित आरेख से मिलेगा—

आरेख

लोक-शिक्षा-निदेशालय, बिहार का संगठनात्मक ढांचा

लोक-शिक्षा-निदेशक, बिहार (१,९५०—२,२५० रु०)।

अपर लोक-शिक्षा-निदेशक—

(१) श्री एस०एम० अहमद
(२) श्री एस०बी०शरण, आई०ए०एस०
(१,२००—१,७०० रु० तथा १५० रु० विशेष वेतन प्रतिमास)।

उप-शिक्षा-निदेशक—

(१) उ०शि०नि० (सामान्य)—श्री ए० पी० श्रीवास्तव।
(२) उ०शि०नि० (प्रशासन)—श्री ए० के० चटर्जी।
(३) उ०शि०नि० (योजना)—श्री सन्त प्रसाद।
(४) उ०शि०नि० (बु० एवं प्रा० १)—श्री एच० एन० ठाकुर।
(५) उ०शि०नि० (बु० एवं प्रा०२)—श्री बी० पाण्डेय।
(६) उ०शि०नि० (माध्यमिक)—श्री आर०एस० सिंह।
(७) उ०शि०नि० (एन०सी०सी०)—श्री आर० आर० प्रसाद।
(८) उ०शि०नि० (बालिका)—श्रीमती लीला बनर्जी।
(४५०—१,२५० रु० तथा १५० रु० विशेष वेतन)।

सहायक शिक्षा निदेशक

(१) स०शि०नि० (बु० एवं प्रा० १)—श्री के० सी० मिश्र ।
(२) स०शि०नि० (बु० एवं प्रा० २)—श्री नन्दजी सिंह ।
(३) स०शि०नि० (बु० एवं प्रा० ३)—श्री एस० के० सिंह ।
(४) स०शि०नि० (संस्कृत)—श्री आर० पी० शर्मा ।
(५) स०शि०नि० (इस्लामी)—श्री एस० अहमद ।
(६) स०शि०नि० (समाज एवं युवा-कल्याण)—श्री एम० पी० श्रीवास्तव ।
(७) स०शि०नि० (माध्यमिक)—श्री एस० एन० सिंह ।
(८) स०शि०नि० (एन०सी०सी०)—डा० एस० के० सिंह ।
(३२५—९८० रु० तथा ७५ रु० विशेष वेतन) ।

आलोच्य अवधि में, निदेशालय-स्तर पर, जिन अन्य पदाधिकारियों ने लोक-शिक्षा-निदेशक की सहायता की, वे निम्नलिखित हैं :—

(१) लोक-शिक्षा-निदेशक के निजी सहायक—(३००—७५० रु०)—श्री पी० सी० बरारी ।
(२) सामान्य प्रशासक—(२९०—६५० रु०)—श्री एस० डी० सिंह ।
(३) सहायक अभियन्ता—(३२५—९८५ रु०)—श्री शौकत अली ।
(४) सांख्यिकी पदाधिकारी (२९०—६५० रु०)—श्री आर० शरण ।

२.१२ । **समाज एवं युवा-कल्याण निदेशालय**—यह निदेशालय श्री नवल किशोर गौड़, एम०ए० के नियंत्रणाधीन रहा है, जो कि बिहार शिक्षा सेवा श्रेणी-१ के सदस्य हैं । उनकी सहायता सहायक शिक्षा निदेशक ने की, जो बिहार-शिक्षा-श्रेणी २ का पद है । आलोच्य अवधि में श्री एम०पी० श्रीवास्तव ने यह पद धारण किया । इसके अतिरिक्त, तीन पदाधिकारियों ने भी निदेशक के उत्तरदायित्वों के निर्वहण में योगदान दिया ।

२.१३ । पुस्तकालय-अधीक्षक का जिन्होंने राज्य में पुस्तकालय सेवा को संगठित किया, पद आलोच्य अवधि में निम्नलिखित व्यक्तियों ने धारण किया :—

(१) श्री जयदेव मिश्र ।
(२) श्री बन्धु प्रसाद ।
(३) श्री भगवान प्रसाद ।

२.१४ । प्रकाशन-पदाधिकारी का, जो समाज एवं युवा-कल्याण साहित्य के प्रकाशन के प्रभारी रहे, पद आलोच्य अवधि में निम्नलिखित व्यक्तियों ने धारण किया :—

(१) श्री राम रेखा सिंह ।
(२) श्री पी० एन० शर्मा ।
(३) श्री सुरेश्वर पाठक ।

२.१५ । दृश्य-श्रव्य शिक्षा पदाधिकारी, अनुदेश संबंधी सामग्री और प्रणाली के प्रभारी रहे । आलोच्य अवधि में श्री राजेन्द्र प्रसाद ने यह पद धारण किया ।

२.१६ । **पुरातत्व एवं संग्रहालय निदेशालय**—डॉ० बी० पी० सिन्हा, एम०ए०, पी-एच०डी०, निदेशक, पुरातत्व एवं संग्रहालय के पद के अंशकालीन प्रभारी रहे । वे बिहार शिक्षा सेवा श्रेणी-१ के सदस्य हैं और पटना विश्वविद्यालय में प्राध्यापक हैं । वे इस निदेशालय के प्रधान रहे और सरकार के प्रति सीधे उत्तरदायी रहे । उनके मार्गदर्शन में प्राचीन स्थलों की खुदाई और खोज का कार्य संचालित करने में, और राज्य के पुरातन स्मारकों की सुरक्षा के विषय में उन्हें सलाह देने में उनकी सहायता एक संरक्षण पदाधिकारी (श्री लाला आदित्य नारायण) और दो खुदाई एवं खोज पदाधिकारियों (डॉ० सीताराम राय, एम०ए०, पी-एच०डी० और डॉ० बी०एस० वर्मा) ने की ।

शिक्षा-सेवा

२.१७ । शिक्षा-सेवा को मोटा-मोटी (क) राज्य-शिक्षा-सेवा (श्रेणी १ और श्रेणी-२—राजपत्रित) और (ख) अवर-शिक्षा-सेवा (अराजपत्रित) दो वर्गों में बांटा जा सकता है, जो विभिन्न संवर्गों में और विभिन्न वेतनमानों में बटे हैं ।

२.१८। प्रशासनिक ढांचे में, प्रथम श्रेणी राजपत्रित पंक्तियों में लोक-शिक्षा निदेशक, अपर-लोक-शिक्षा निदेशक, उप-शिक्षा निदेशक क्षेत्रीय उप-शिक्षा निदेशक, जिला शिक्षा-पदाधिकारी और विद्यालय-निरीक्षका शामिल हैं।

प्रशासनिक ढांचे में, द्वितीय श्रेणी राजपत्रित पंक्तियों में जिला-शिक्षा-अधीक्षक, विद्यालय जिला-निरीक्षक और अनुमंडलीय शिक्षा पदाधिकारी आते हैं। समान्यत: मिडिल स्तर तक शिक्षा-तंत्र का प्रशासन, अराजपत्रित उत्कृष्ट पंक्ति की सेवा वाले कार्मिकों द्वारा सम्पन्न होता है, यथा विद्यालय-उप-निरीक्षिका, विद्यालय-उप-निरीक्षक, बुनियादी शिक्षा के उप-अधीक्षक, सामान्य शिक्षा के उप-अधीक्षक जो जिला-शिक्षा-अधीक्षक से सम्बद्ध हैं।

२.१९। सबसे निचली पंक्ति में प्रखंड-शिक्षा-विस्तार-पदाधिकारी हैं, जिनका प्राथमिक उत्तरदायित्व है प्राथमिक स्कूल का पर्यवेक्षण और निरीक्षण।

२.२०। राज्य-मुख्यालय के प्रशासनिक ढांचे की रूपरेखा प्रस्तुत करने के बाद, अब प्रमंडल-स्तर तक के प्रशासनिक ढांचे की रूपरेखा दी जाती है।

२.२१। प्रमंडल में उच्चतम पदाधिकारी हैं क्षेत्रीय उप-शिक्षा निदेशक। राज्य में चार प्रमंडल हैं; इसलिए चार क्षेत्रीय उप-शिक्षा निदेशकों ने काम किया। आलोच्य अवधि में निम्नलिखित व्यक्तियों ने क्षेत्रीय उप-शिक्षा-निदेशक के पदों पर काम किया :--

तिरहुत प्रमंडल	.. ..	(१) श्री एच० चौधरी। (२) श्री वी० पाण्डेय। (३) श्री बी० एम० शर्मा।
पटना प्रमंडल	.. ..	(१) श्री जे० मिश्र।
भागलपुर प्रमंडल	.. ..	(१) श्री एम० रहमान। (२) श्री वी० पाण्डेय। (३) श्री एच० चौधरी।
छोटानागपुर प्रमंडल	.. ..	(१) श्री सी० पी० सिंह।

२.२२। चार प्रमंडलों में १७ जिले थे, जिनमें से हरेक जिला, जिला-शिक्षा-पदाधिकारी (बिहार-शिक्षा-सेवा श्रेणी १) के प्रभाराधीन था। जिला-शिक्षा-पदाधिकारी क्षेत्रीय उप-शिक्षा निदेशक के प्रत्यक्ष नियंत्रण में रहे।

२.२३। प्रमंडल-स्तर पर, प्रमंडलीय बुनियादी शिक्षा अधीक्षक और प्रमंडलीय समाज एवं युवा कल्याण पदाधिकारी ने अपने-अपने क्षेत्रों में अर्थात् बुनियादी और समाज एवं युवा-कल्याण विषयक कार्यों में क्षेत्रीय उप-शिक्षा-निदेशक की सहायता की।

२.२४। जहां तक बालिका शिक्षा की बात है, बालिका माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के नियंत्रण और निरीक्षण के लिए केवल एक ही पदाधिकारी विद्यालय-निरीक्षिका थीं। आलोच्य अवधि में श्रीमती उमा सिन्हा ने यह पद धारण किया था।

२.२५। जिला-स्तर पर, जिला-शिक्षा-पदाधिकारी (बिहार-शिक्षा-सेवा श्रेणी १) थे, जो जिले की सभी प्रकार की शिक्षण-संस्थाओं के लिए उत्तरदायी रहे। जिलों में कई अनुमंडल हैं, और हरेक अनुमंडल, अनुमंडलीय शिक्षा-पदाधिकारी के प्रभाराधीन था। प्रखंड-शिक्षा-विस्तार-पदाधिकारी से लेकर, विद्यालय-उप-निरीक्षक, अनुमंडलीय शिक्षा-पदाधिकारी और जिला-शिक्षा-अधीक्षक, आदि पदों से होते हुए जो विशाल प्रशासनिक पदानुक्रम फैला है, उसके शीर्षस्थ पदाधिकारी थे जिला-शिक्षा-पदाधिकारी। यद्यपि विद्यालय-जिला-निरीक्षिकाएं, बालिका-संस्थाओं की स्वतंत्र प्रभारी थीं, फिर भी उन्होंने आम तौर पर जिला-शिक्षा-पदाधिकारी से मार्गदर्शन प्राप्त किए।

२.२६। राज्य के ५८ अनुमंडल, अनुमंडलीय शिक्षा-पदाधिकारी के प्रभाराधीन रहे। अनुमंडलीय शिक्षा पदाधिकारी अनुमंडल की सभी प्रकार की शिक्षण-संस्थाओं के कुशल कार्यचालन के लिए उत्तरदायी बने रहे। उनके अधीन विद्यालय-उप-निरीक्षिकाएं (जो कम-से-कम ४० मिडिल स्कूलों की प्रभारी थीं) और प्रखंड स्तर पर बहुतेरे प्रखंड-शिक्षा-विस्तार पदाधिकारी थे। प्राथमिक स्कूलों की संख्या के आधार पर, कुछ प्रखंडों में एकाधिक प्रखंड शिक्षा-विस्तार-पदाधिकारी रखे गए। सामान्यतया, हर ५०—६० प्राथमिक स्कूलों पर एक प्रखंड शिक्षा-विस्तार पदाधिकारी रखे गए थे। आलोच्य अवधि में ४१ विद्यालय-उप-निरीक्षिकाएं पर्दानशीन बालिका प्राथमिक स्कूलों और सभी प्रकार की बालिका मिडिल स्कूलों की प्रभारी रहीं। इस प्रकार, १९६४-६५ में, अवर-शिक्षा-सेवा के उच्च वर्ग में निरीक्षण-पदाधिकारियों की संख्या १०७ थी। इसी प्रकार, १९६४-६५ में, अवर-शिक्षा-सेवा के निम्न वर्ग में निरीक्षण-पदाधिकारियों की संख्या ८०८ थी।

२.२७। निम्न संरेख में, जिला और नीचे के स्तरों का प्रशासनिक ढांचा दिखाया गया है :—

जिला-स्तर।	पुरुष शाखा-सामान्य शिक्षा।	महिला शाखा।	समाज-शाखा।
१। उच्च (हाई)/उच्चतर माध्यमिक।	जिला शिक्षा पदाधिकारी (१७) (श्रेणी--१) बालक और मिश्रित स्कूलों के लिए—		
उप-अधीक्षक (शारीरिक शिक्षा) (अवर-शिक्षा-सेवा-उच्च वर्ग)।	उप-अधीक्षक, बुनियादी शिक्षा (अवर-शिक्षा-सेवा-उच्च वर्ग)।	नगर-निगम। जिला परिषद्।	जिला-शिक्षा-अधीक्षक (श्रेणी-२) उप-शिक्षा-अधीक्षक (सामान्य) अवर-शिक्षा-सेवा-उच्च वर्ग।)
			विद्यालय--जिला--निरीक्षिका, बालिका विद्यालयों के लिए (श्रेणी-२)
			जिला-समाज एवं युवा-कल्याण पदाधिकारी (वि० शि० से० श्रेणी-२ कनीय)
अनुमंडल स्तर			
(१) मध्य/गैर-सरकारी उच्च विद्यालय (हाई स्कूल)।	अनुमंडलीय शिक्षा-पदाधिकारी (श्रेणी-२)।		
			विद्यालय उप-निरीक्षिका, केवल मुफस्सिल अनुमंडल में-- (अ०शि०से०) (उच्च वर्ग)।
बहुतेरे प्रखंड			
(१) मिडिल स्कूल	विद्यालय-उप-निरीक्षिका (अ०शि०से०) (उच्च वर्ग)।		
(२) संस्कृत टोल एवं पाठशाला।			
प्रखंड स्तर।			
(१) प्राथमिक स्कूल।	विद्यालय-अवर-निरीक्षिका/प्रखंड शिक्षा-विस्तार पदाधिकारी (अ०शि०से० उच्च वर्ग एवं अ० शि० से० निम्न वर्ग)।	प्रखंड विकास पदाधिकारी (राजपत्रित पंक्ति)	पुरुष समाज-शिक्षा-संगठन महिला समाज-शिक्षा संगठक (अ०शि०से० उच्च वर्ग)।

अध्याय ३

प्राथमिक शिक्षा

१ । प्रशासन एवं नियंत्रण

३.१। पांच वर्ग तक की शिक्षा निःशुल्क करने की राज्य सरकार की घोषणा के साथ ही, ऐसे विद्यालय खोलने और चलाने का गैर-सरकारी उद्यम घटता जा रहा है। प्राथमिक स्कूलों के प्रशासन और नियंत्रण में, स्थानीय स्वशासन (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, १९५४ के द्वारा, महत्वपूर्ण परिवर्त्तन लाए गए। जिला-शिक्षा-अधीक्षक अब जिला-शिक्षा-निधि प्रचालित कर रहे हैं और जिला-बोर्डों के प्रशासकों की सलाह से, ग्रामीण क्षेत्रों के सभी प्रकार की प्राथमिक स्कूलों का प्रबन्ध कर रहे हैं। इनमें ऐसे प्राथमिक स्कूल भी शामिल हैं जिनके प्रबन्ध की प्रत्यक्ष जिम्मेवारी जिला बोर्डों और यूनियन बोर्डों पर रहती थी। शहरी क्षेत्रों के स्कूलों पर नगरपालिका आयुक्त परिषद् की कार्यपालिका का नियंत्रण बना रहा, जिन नगरपालिकाओं की निर्वाचित कार्यपालिका विशेष पदाधिकारी द्वारा अधिक्रान्त न हुई थी। जहां की नगरपालिका अधिक्रान्त हो गई थी वहां, ऐसे स्कूलों का नियंत्रण और प्रबन्ध विशेष पदाधिकारी ने, शिक्षा विभाग के उन पदाधिकारियों की सहायता से किया, जो उन क्षेत्रों में पदस्थापित थे और जिनका कर्त्तव्य था शिक्षा-बजट बनाना तथा इन संस्थाओं का पर्यवेक्षण करना। १९६३-६४ और १९६४-६५ के दौरान, कई नगरपालिकाएं अधिक्रान्त हुईं।

३.२। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजतियों, पिछड़े मुस्लिमों और पिछड़े हिन्दुओं आदि के बच्चों के विशेष स्कूलों को, पहले-जैसा, जिला-शिक्षा-अधीक्षक के द्वारा, ऐसे स्कूलों के लिए खासतौर पर दिए गए अनुदान से चलाया गया।

३.३। इन विद्यालयों के सामान्य पर्यवेक्षण, निरीक्षण और मार्गदर्शन की जिम्मेवारी, प्रखंड स्तर पर, प्रखंड-शिक्षा-विस्तार पदाधिकारियों पर रही। प्राथमिक स्कूलों की सामान्य स्थिति संगठित करने और उसमें सुधार लाने की दिशा में उन्होंने अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन भली-भांति किया। इसके लिए उन्होंने स्थानीय जनता से बारम्बार और समय पर सम्पर्क स्थापित किया और स्थानीय समितियां बनाईं ताकि स्कूलों के भौतिक वातावरण में सुधार लाने की दिशा में जनता का सक्रिय सहयोग सुलभ हो सके।

३.४। विद्यालय उप-निरीक्षक, प्रखण्ड-शिक्षा-विस्तार-पदाधिकारियों के नियंत्रण-पदाधिकारी रहे। इस लिए उन्होंने भी अपने क्षेत्र के कई प्राथमिक विद्यालयों का निरीक्षण किया और इस प्रकार प्राथमिक स्कूलों पर उनका सामान्य पर्यवेक्षण रहा। इसी प्रकार, मुफस्सिल अनुमण्डलों में, विद्यालय-उप-निरीक्षिका के पद का सृजन जब से हुआ तब से पर्दानशीन बालिका प्राथमिक स्कूलों का निरीक्षण सम्पूर्णतः उन्ही की जिम्मेदारी रही। जिलों के सदर अनुमण्डलों में इस प्रकार के स्कूलों का निरीक्षण-कार्य जिला-विद्यालय-निरीक्षिका द्वारा किया गया। इन महिला-पदाधिकारियों ने अपनी अधिकारिता के भीतर पड़ने वाले सामान्य बालिका प्राथमिक स्कूलों पर भी सामान्य पर्यवेक्षण रखा। अनुमण्डलीय शिक्षा पदाधिकारी अपने क्षेत्र में पड़नेवाली सभी प्रकार की शिक्षा-संस्थाओं (जिनमें प्राथमिक स्कूल भी शामिल हैं) के समग्र रूप से प्रभारी रहे। इस प्रकार, उन्होंने भी, अपने क्षेत्र के प्राथमिक स्कूलों के कुशल कार्यचालन की जिम्मेदारी में योगदान किया। इन प्रखण्ड-शिक्षा विस्तार-पदाधिकारियों ने, उच्चतर स्तर के विभिन्न पदाधिकारियों से आवश्यक मार्गदर्शन प्राप्त किये और उनका निकट पर्यवेक्षण उन्हें सुलभ हुआ। निदेशालय-स्तर पर, अपर-लोक-शिक्षा-निदेशक इस शाखा के अनन्य प्रभारी रहे, जिन्होंने अपने दौरों के सिलसिले में इन स्कूलों से सम्बद्ध पदाधिकारियों के कार्यों का पर्यवेक्षण किया। विद्यालय-भवनों की रूपरेखा में उनकी विशेष रुचि रही।

२ । विद्यालय-वर्गों की स्कीम

३.५। राज्य में प्राथमिक शिक्षा देनेवाली संस्थाओं का वर्गीकरण निम्न प्रकार किया जा सकता है :—

(क) निम्न प्राथमिक स्कूल (लोअर प्राइमरी स्कूल) तीन वर्गों वाला—वर्ग १ से ३ तक (संथाल परगना में पहाड़िया लोगों के लिए शिशु वर्ग भी)।

(ख) उच्च प्राथमिक स्कूल (अपर प्राइमरी स्कूल) पांच वर्गों वाला—वर्ग १ से ५ तक (संथाल परगना में पहाड़िया लोगों के लिए शिशु वर्ग भी)।

(ग) कनीय बुनियादी स्कूल, पांच कोटियों वाला—कोटि १ से ५ तक।

(घ) उच्च (हाई), मिडिल और वरीय बुनियादी स्कूलों से सम्बद्ध प्राथमिक वर्ग।

(ङ) आंग्ल-भारतीयों और यूरोपीयों के लिए स्कूलों में प्राथमिक वर्ग।

३.६। अधिक शिक्षकों का उपबन्ध करने और ३४ छात्रों पर १ शिक्षक के अनुपात में अधिक बालकों को विद्यालय में भर्ती कराने की जो परिकल्पना सरकारी आदेश में की गई है उसका मुस्तैदी से अनुसरण किया गया। इस प्रस्तावित अनुपात को अमल में लाने के विचार से विद्यालयों में अतिरिक्त शिक्षकों को पदस्थापित कर एक शिक्षक वाले स्कूलों की संख्या घटाने का प्रयास किया गया।

३.७। एक ओर छात्र-संख्या में वृद्धि और दूसरी ओर समुचित स्थान के अभाव ने स्कूल-प्रबन्धकों को बाध्य कर दिया कि दो पाली में विद्यालय चलाने की प्रणाली लागू की जाए और ऐसे विद्यालयों में काम के घंटे नियत कर दिए जाएं। अधिकांश विद्यालयों का कार्य-काल १०.३० बजे पूर्वाह्न से ४.३० बजे अपराह्न तक रहा। विद्यालयों के दैनन्दिन कार्यों में शिक्षानुषंगी कार्य-कलापों को यथोचित स्थान दिया गया।

३। स्कूल

३.८। राज्य के प्राथमिक स्कूलों की संख्या के तुलनात्मक आंकड़े निम्न तालिका में दिए गए हैं :—

प्राथमिक स्कूलों की संख्या जिनमें कनीय बुनियादी और नर्सरी स्कूल भी शामिल हैं।

प्रबन्ध	बालकों के लिए			
	१९६२-६३	१९६३-६४	१९६४-६५	फर्क २—४
१	२	३	४	५
केन्द्रीय सरकार	८८	९१	९२	(+)४
राज्य सरकार	२६	२२	२६	..
जिला बोर्ड	८,७२१	८,६२३	८,३२८	(—)३९३
नगर बोर्ड	७६९	७६२	७४१	(—)२८
प्राइवेट साहाय्यित ..	२६,२७५	२६,९५८	२८,६९०	+२,४.१५
प्राइवेट असाहाय्यित ..	४५२	४४८	२४०	(—)२१२
कुल	३६,३३१	३६,९०४	३८,११७	(+)१,७८६

प्रबन्ध	बालिकाओं के लिए			
	१९६२-६३	१९६३-६४	१९६४-६५	फर्क ६—८
१	६	७	८	९
केन्द्रीय सरकार	..	१	१	(+)१
राज्य सरकार	१	..	२	(+)१
जिला बोर्ड	४३८	४२१	४०८	(—)३०
नगर बोर्ड	२०५	१९९	१९१	(—)१४
प्राइवेट साहायि्यत ..	३,८७१	३,९३३	४,०९२	(+)२२१
प्राइवेट असाहायि्यत ..	५३	५७	४०	(—)१३
कुल ..	४,५६८	४,६११	४,७३४	(+)१६६

३.९। उपर्युक्त तालिका में १९६३-६४ और १९६४-६५ के बालक और बालिका प्राथमिक स्कूलों (जिनमें कनीय बुनियादी स्कूल और नर्सरी शामिल हैं) के प्रबन्धवार तुलनात्मक आँकड़े दिए गए हैं।

३.१०। १९६४-६५ में प्राथमिक स्कूलों की कुल संख्या ४२,८५१ थी (३८,११७ बालकों के लिए और ४,७३४ बालिकाओं के लिए) जब कि १९६३-६४ में कुल प्राथमिक स्कूल ४१,५४० थे (३६,९२९ बालकों के लिए और ४,६११ बालिकाओं के लिए), और १९६२-६३ में कुल प्राथमिक स्कूल ४०,९२९ थे (३६,३५६ बालकों के लिए और ४,५७३ स्कूल बालिकाओं के लिए)। मान्यताप्राप्त प्राथमिक स्कूलों की संख्या बढ़कर कुल १,९४७ हो गई, जिसमें बालक स्कूल १,७८६ बढ़े और बालिका स्कूल १६१ बढ़े। यह प्राथमिक शिक्षा में हुई प्रगति का प्रमाण है। जिला और नगर बोर्डों द्वारा प्रबन्धित तथा प्राइवेट असाहायियत बालक और बालिका स्कूलों की संख्या में गिरावट आई। इसका कारण यह हुआ कि ऐसे बहुतेरे स्कूल विस्तार और सुधार कार्यक्रम के अधीन ले लिए गए।

४। छात्र

३.११। बालक और बालिका प्राथमिक स्कूलों में पढ़नेवाले छात्रों की संख्या के तुलनात्मक आंकड़े निम्न तालिका में दिये गए हैं:—

प्रबन्ध	बालक विद्यालयों में			
	१९६२-६३	१९६३-६४	१९६४-६५	फर्क २ और ४
१	२	३	४	५
केन्द्रीय	७,०३३	७,८७३	८,१२७	(+)१,०९४
राज्य सरकार	२,१३१	२,०५४	१,८६४	(—)२६७
जिला बोर्ड	९,१६,१८०	९,३९,२२०	८,९०,५७०	(—)२५,६७०
नगर बोर्ड	९५,२२७	९६,१४०	९४,११४	(—)१,११३
प्राइवेट साहायियत ..	१५,२७,८७१	१६,५४,५३३	१७,६४,२७६	(+)२,३६,४०५
प्राइवेट असाहयियत ..	३८,८६९	३९,३९१	२९,०१४	(—)९,८५५
कुल	२५,८७,३११	२७,३९,२११	२७,८७,९०५	(+)२,००,५९४

प्रबन्ध	बालिका विद्यालयों में			
	१९६२-६३	१९६३-६४	१९६४-६५	फर्क ६ और ८
१	६	७	८	९
केन्द्रीय सरकार	..	६७	८२	(+)८२
राज्य सरकार	३६	५९	१३६	(+)१००
जिला बोर्ड	२९,७४२	२७,६९९	२६,८६१	(—)२,८८१
नगर बोर्ड	२०,६९४	२०,५१७	२०,५३०	(—)१६४
प्राइवेट साहायियत ..	२,०४,३६०	२,१७,३०९	२,१६,९००	(+)१२,५४०
प्राइवेट असाहायियत ..	२,७३६	३,२८६	२,१५८	(—)५७८
कुल	२,५७,५६८	२,६८,९३७	२,६६,६६७	(+)९,०९९

३.१२। विभिन्न प्रकार के प्राथमिक स्कूलों में (जिनमें कनीय बुनियादी स्कूल भी शामिल हैं) १९६३-६४ और १९६४-६५ में पढ़नेवाले छात्रों की संख्या क्रमशः ३,००,९४८ और ३,०५,४७२ थी।

३.१३। बालक और बालिका स्कूलों में छात्रों की कुल संख्या १९६४-६५ में ३०,५४,५७२ (२७,८७,९०५ बालक और २,६६,६६७ बालिकाएं) और १९६३-६४ में ३०,०९,४८७ (२७,४०,५८० बालक और २६,८९३ बालिकाएं) थी, जब कि १९६२-६३ में कुल संख्या २८,४६,१३९ (२५,८८,५७१ बालक और २,५७,५६८ बालिकाएं) रही। इस प्रकार १९६२-६३ की अपेक्षा छात्र संख्या में २,०८,४३३ (१,९९,३३४ बालक और ९,०९९ बालिकाएं) की वृद्धि हुई।

३.१४। आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि राज्य, जिला बोर्ड और नगरपालिका बोर्ड के प्रबन्धाधीन तथा प्राइवेट असाहायियत स्कूलों में छात्र-संख्या में गिरावट आई है। राज्य-प्रबंन्धित स्कूलों की छात्र-संख्या में गिरावट नगण्य है। विद्यालय-प्रबन्ध के अन्य क्षेत्रों में छात्र संख्या में गिरावट का कारण यह हो सकता है कि विभिन्न स्कूलों का प्रसार-सुधार-कार्यक्रम के अधीन ले लिया गया है, जैसा कि विद्यालयों से सम्बन्धित पिछली तालिका में दिखाया जा चुका है। छात्र संख्या में हुई वृद्धि से इस बात का संकेत मिलता है कि अपने बाल-बच्चों को विद्यालयों में शिक्षा दिलाने में जनता की रुचि बढ़ रही है।

५। बर्बादी

३.१५। गतिहीनता और बर्बादी ये दो ऐसे भयानक रोग हैं जो प्राथमिक शिक्षा की जीवनी शक्ति को ही खाते जा रहे हैं। १९६१ में वर्ग १ में पढ़नेवाले १४,७०,५१८ छात्रों (बालकों और बालिकाओं) में से, केवल ३,३८,३४५ छात्र (बालक और बालिकाएं) १९६५ में वर्ग ५ में पढ़े (१९६५ में वर्ग ५ में पढ़नेवाले छात्र वही थे जो १९६१ में वर्ग १ में प्रविष्ट हुए थे)। इससे पता चलता है कि केवल २३ प्रतिशत-छात्रों (बालकों और बालिकाओं) की ही प्रसामान्य प्रगति हुई, शेष ७७ प्रतिशत छात्रों ने या तो पढ़ना छोड़ दिया या नीचे के वर्गों में ही रुके रहे।

६। अनिवार्यता

३.१६। नगर क्षेत्रों में—अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का पहला कार्यक्रम रांची नगरपालिका क्षेत्र में १९२०-२१ में चालू किया गया। तब से यह स्कीम धीरे-धीरे १५ जिला नगरपालिकाओं और लोहरदगा नगरपालिका क्षेत्र में लागू की गई।

१९६३-६४

३.१७। १९६३-६४ में ८७१ संस्थाएं थीं, जहां यह अनिवार्यता लागू थी। इस अनिवार्यता के अनुसार १,०२,२०५ बालकों और १५,९८० बालिकाओं का नामांकन हुआ था। औसत दैनिक उपस्थिति ८०.४ प्रतिशत थी, और इस अनिवार्यता के अनुसार कुल नामांकन, विद्यालय जाने की उम्र बालों की कुल जनसंख्या का ६४.२ प्रतिशत हुआ।

३.१८। विद्यालयों में उपस्थिति का सुनिश्चय करने के लिए दबाव डालने की भी कार्रवाई की गई। ४,८९६ नोटिसें जारी की गईं और २०१ उपस्थिति-आदेश निकाले गए। विद्यालय में उपस्थित नहीं होनेवाले छात्रों के अभिभावकों से सम्पर्क स्थापित करने के लिए ३९ पुरुष और १ महिला उपस्थिति-पदाधिकारी थी। अनिवार्य शिक्षा की इस स्कीम मद्धे कुल खर्च ३७,७२,११५ रु० तक पहुंच गया।

१९६४-६५

३.१९। १९६४-६५ के दौरान, अनिवार्य शिक्षा की उम्र के अनुसार वर्गों में छात्रों की कुल संख्या १,३८,७२६ थी, जिसमें ९४,००४ बालक थे और ४४,७२२ बालिकाएं। इस अनिवार्यता के अनुसार कुल नामांकन, विद्यालय जाने की उम्र बालों की कुल प्राक्कलित जनसंख्या का ८५.४ प्रतिशत हुआ। इस प्रकार, यद्यपि बालकों की संख्या में ८,२०१ की थोड़ी-सी गिरावट आई, तथापि अनिवार्यता के अनुसार समग्र संख्या में २१.२ प्रतिशत वृद्धि हुई। बालकों के नामांकन में अभाव का कारण यह माना जा सकता है कि शहर के स्कूलों में समुचित स्थान का अभाव था और बहुतेरे नए गैर-मान्यताप्राप्त प्राइवेट विद्यालय खुल गए जिनमें धनी-मानी परिवारों के छात्र चले गए।

बालकों की अनुपस्थिति के विरुद्ध इस वर्ष जारी की गई नोटिसों की संख्या ५५१ थी, जबकि पूर्व वर्ष में ऐसी नोटिसों की संख्या ४,८९६ पहुंच गई थी।

३.२०। १९६४-६५ में ३६ उपस्थिति-पदाधिकारी थे, जिससे पता चलता है कि इस वर्ष इस काम में ४ पदाधिकारियों की कमी हो गई, और यह कमी संभवतः रिक्तियों के नहीं भरे जाने के कारण थी। १९६४-६५ में हुआ कुल खर्च ४१,९८,९०० रु० का था। खर्च में पूर्व वर्ष की अपेक्षा ४,२६,७८५ रु० की जो वृद्धि हुई उसका कारण था पिछले साल वेतनमान में किया गया सुधार।

३.२१। ग्रामीण क्षेत्रों में—६ से १४ वर्ष के आयु वर्ग के बालकों और बालिकाओं की अनिवार्य शिक्षा की स्कीम १९४९ में चम्पारण जिले के वृन्दावन के संहत क्षेत्र में चालू की गई। १९५९ और १९६० के दौरान ६ से ११ वर्ष तक के आयु वर्ग के बालक-बालिकाओं को अनिवार्य शिक्षा देने की स्कीम राज्य के ५३ अनुमण्डलों में से प्रत्येक अनुमण्डल के एक-एक सामुदायिक विकास प्रखंड में चलाई गई। इस प्रकार, इस स्कीम के अधीन ९,००० ग्राम आ गए।

३.२२। १९६४-६५ के दौरान इस अनिवार्यता के अनुसार नामांकित छात्रों की कुल संख्या ४,२२,१६७ हो गई (३,१०,७०३ बालक और ११,१८४ बालिकाएं), जबकि १९६३-६४ के दौरान कुल संख्या ४,४१,८७३ थी (३,२४,४२१ बालक और १,१७,४५२ बालिकाएं)। छात्रों की संख्या में १९,७०६ की कमी उस सामान्य गिरावट के कारण है जो १९६२ में हुए चीनी आक्रमण के समय से विद्यालयों की देखभाल और बालकों-बालिकाओं को प्रेरणा की व्यवस्था में कटौती करने से हो गई।

३,२३। १९६४-६५ के दौरान कुल खर्च ७६,१९,७२१ रु० हुआ जबकि १९६३-६४ में कुल खर्च ६३,९५,५७२ रु० हुआ था।

७। शिक्षक—संख्या, वेतनमान, आदि

३.२४। विभिन्न निकायों द्वारा प्रबन्धित प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की संख्या (प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित अलग-अलग) के तुलनात्मक आंकड़े निम्न तालिका में दिए गए हैं:—

प्राथमिक स्कूलों (कनीय बुनियादी और नर्सरी स्कूलों सहित) में शिक्षकों की संख्या

प्रबन्ध	प्रशिक्षित			
	१९६२-६३	१९६३-६४	१९६४-६५	फर्क २ और ४
१	२	३	४	५
सरकार	२५२	२६४	२५९	+७
जिला बोर्ड	१८,२२९	१८,३४४	१७,६६९	—५६०
नगर बोर्ड (म्युनिसिपल बोर्ड) ..	२,१३१	२,१०९	२,१२६	—५
प्राइवेट (साहाय्यित) ..	२७,७२०	३०,०९८	३१,७४१	+४,०२१
प्राइवेट (असाहाय्यित) ..	५९४	५६८	४४४	—१५०
कुल	४८,९२६	५१,३८०	५२,२३९	+३,३१३

प्रबन्ध	अप्रशिक्षित			
	१९६२-६३	१९६३-६४	१९६४-६५	फर्क ६ और ८
१	६	७	८	९
सरकार	३१	३०	४३	+१२
जिला बोर्ड	३,१७५	३,१५३	२,९०८	—२६७
नगर बोर्ड (म्युनिसिपल बोर्ड) ..	१,१०८	१,०७८	१,०१८	—९०
प्राइवेट (साहाय्यित) ..	१२,८८८	११,९४९	१४,७६९	+१,८८१
प्राइवेट (असाहाय्यित) ..	५३९	५०४	३३३	—२०६
कुल	१७,७४१	१६,७१४	१९,०७१	+१,३३०

३.२५। उपर्युक्त तालिका में राज्य में विभिन्न प्रबन्धों के अधीन प्राथमिक स्कूलों में १९६२-६३ के मुकाबले १९६३-६४ और १९६४-६५ के दौरान काम करनेवाले प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या का तुलनात्मक विवरण दिया गया है।

१९६४-६५ में प्राथमिक स्कूलों में ५२,२३९ प्रशिक्षित और १९,०७१ अप्रशिक्षित शिक्षक थे। इसी प्रकार १९६३-६४ में प्राथमिक स्कूलों में ५१,३८० प्रशिक्षित और १६,७१४ अप्रशिक्षित शिक्षक थे, जबकि पूर्व वर्ष में प्रशिक्षित शिक्षक ४८,९२६ और अप्रशिक्षित शिक्षक १७,७४१ ही थे। प्राथमिक शिक्षा के प्रसार और सुधार कार्यक्रम के अधीन विद्यालयों को ले लिए जाने के कारण जिला-बोर्ड, नगर-बोर्ड और असाहाय्यित विद्यालयों के शिक्षकों की संख्या में किंचित गिरावट आई है। प्राथमिक शिक्षा के प्रसार और सुधार कार्यक्रम के ही अधीन नए स्कूलों के खोले जाने के कारण १९६२-६३ की अपेक्षा १९६४-६५ में शिक्षकों की संख्या में ४,६४३ की वृद्धि हो गई है।

३.२६। वेतनमान—भारत सरकार की इस सिफारिश पर कि किसी भी अप्रशिक्षित शिक्षक को प्रतिमास ४० रु० से कम और किसी भी प्रशिक्षित शिक्षक को प्रतिमास ५० रु० से कम नहीं मिलना चाहिए, राज्य सरकार ने प्राथमिक और मिडिल स्कूलों के शिक्षकों का वेतनमान बढ़ाने के लिए कदम उठाए (सरकारी पत्र संख्या ४६८, दिनांक १ सितम्बर १९६१ द्रष्टव्य)।

योग्यता।	पुनरीक्षित वेतनमान।
अप्रशिक्षित मैट्रिक, मध्यमा और मौलवी ..	४५—२—५५—द०रो०—२—७५ रु०।
प्रशिक्षित नन-मैट्रिक	४५—२—५५—द०रो०—२—७५ रु०।
अप्रशिक्षित नन-मैट्रिक और यू०पी० प्रशिक्षित	४०—१—५०—द०रो०—१—६० रु०।

३.२७। वेतन के अतिरिक्त, प्रत्येक शिक्षक को सरकारी मंहगाई भत्ते के रूप में प्रतिमास २० रु० मिलते हैं। इसके अलावा, प्रतिमास ५ रु० उन शिक्षकों को मिलते हैं जिनका वेतन और भत्ता मिलाकर १०० रु० से ऊपर नहीं जाता। मिडिल, अपर प्राइमरी और एकाधिक शिक्षकों वाले लोअर प्राइमरी स्कूलों के प्रधानाध्यापकों को प्रतिमास क्रमशः ५, ३ और २ रु० की दर से प्रधानाध्यापक भत्ता मिलता था।

८। वर्गों का आकार

३.२८। वर्गों का आकार विहित करनेवाले विनियम में आलोच्य अवधि में कोई परिवर्त्तन नहीं हुआ। ४० छात्र प्रति शिक्षक की विहित सीमा की पुष्टि की गई, यद्यपि बहुत अधिक छात्रों वाले स्कूलों को पालियों में चलाना पड़ा।

६। व्यय

३.२६। निम्न तालिका में प्रत्यक्ष व्यय के तुलनात्मक आंकड़े दिए गए हैं :—

प्राथमिक विद्यालय

सभी स्रोतों से प्राथमिक स्कूलों (कनीय बुनियादी विद्यालयों सहित) पर होनेवाला प्रत्यक्ष व्यय

स्रोत	बालक			
	१९६२-६३	१९६३-६४	१९६४-६५	फर्क २ और ४
१	२	३	४	५
	रु०	रु०	रु०	रु०
केन्द्रीय सरकार	३,११,४६२	३,४५,२२१	४,७५,३२०	+१,६३,८५८
राज्य सरकार	४,४२,५४,७८०	४,७०,५८,८१३	४,९९,६५,१२२	+५७,१०,३४२
जिला-बोर्ड	२१,०२,९१८	२१,६३,९११	२३,३४,३६५	+२,३१,४४७
नगर-बोर्ड	६,५४,६०२	७,१७,३६१	७,२८,५२८	+७३,९२६
फीस	१,१६,४६८	१,२१,९८८	७५,६२४	—४०,८४४
दान	२७,४१८	२६,९१८	९,०३,८५३	—३,१९,०५०
अन्य स्रोत	११,९५,४८५	११,६१,७५७		
कुल	४,८६,६३,१३३	५,१५,९६,०३२	५,४४,८२,८१२	+५८,१९,६७९

स्रोत	बालिका			
	१९६२-६३	१९६३-६४	१९६४-६५	फर्क ६ और ८
१	६	७	८	९
	रु०	रु०	रु०	रु०
केन्द्रीय सरकार	९,३५७	७,२००	..	—९,३५७
राज्य सरकार	४३,४८,५०७	४९,१८,९५२	५४,६१,१६३	+११,१२,६५६
जिला-बोर्ड	२,६७,२४९	२,७५,२६२	२,८३,७७७	+१६,५२८
नगर-बोर्ड	२,२५,१३२	२,२६,४२७	२,२१,४८०	—३,६५२
फीस	..	३,६६५	१,५३०	+१,५३०
दान	३०४	२,१००	९५,९२७	+४,६८१
अन्य स्रोत	७०,९४२	७०,३८३		
कुल	४९,२१,४९१	५५,०४,०४९	६०,४३,८७७	+११,२२,३८६

३.३०। उपर्युक्त तालिका में, बालकों और बालिकाओं की प्राथमिक शिक्षा पर (जिसमें कनीय बुनियादी स्कूल भी शामिल है) १९६३-६४ और १९६४-६५ के दौरान विभिन्न स्रोतों से हुआ कुल प्रत्यक्ष खर्च दिया हुआ है। इस तालिका से स्पष्ट पता चलता है कि बालकों की संस्थाओं में कुल प्रत्यक्ष खर्च जो १९६२-६३ में ४,८६,६३,१३३ रु० था, बढ़कर १९६३-६४ में ५,१५,९६,०३२ रु० और १९६४-६५ में ५,४४,८२,८१२ रु० हो गया। १९६२-६३ के प्रत्यक्ष खर्च की अपेक्षा खर्च में शुद्ध वृद्धि ५८,१९,६७९ रु० की हुई। इसी प्रकार बालिकाओं की संस्थाओं में १९६२-६३ के प्रत्यक्ष खर्च की अपेक्षा १९६४-६५ के प्रत्यक्ष खर्च में शुद्ध वृद्धि ११,२२,३८७ रु० की हुई। खर्च ४९,२१,४९१ रु० से बढ़कर १९६३-६४ में ५५,०४,०४९ रु० और

१९६४-६५ में ६०,४३,८७७ रु० हो गया। फीस और दान तथा कुछ अन्य स्रोतों को छोड़कर, प्रत्येक स्रोत ने खर्च की वृद्धि का भारवहन करने में हिस्सा लिया। इस खर्च का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इस क्षेत्र में भारत सरकार का योगदान बढ़ता गया है।

१०। एक शिक्षक वाले स्कूल

३.३१। निम्न तालिका में इसका तुलनात्मक चित्र मिलेगा कि एक शिक्षक वाले स्कूलों की संख्या क्या है और ऐसे कितने विद्यालय किनके प्रबन्धाधीन हैं:—

एक शिक्षक वाले स्कूलों की संख्या

प्रबन्ध	बालक			
	१९६२-६३	१९६३-६४	१९६४-६५	फर्क २ और ४
१	२	३	४	५
केन्द्रीय सरकार	४१	३८	अनुपलब्ध	..
राज्य सरकार	..	..	..	..
जिला-बोर्ड	२,५११	२,३८९	अनुपलब्ध	..
नगरपालिका-बोर्ड	९७	९३	अनुपलब्ध	..
प्राइवेट साहाय्यित ..	१८,१७३	१८,४६५	अनुपलब्ध	..
प्राइवेट असाहाय्यित ..	२१५	२००	अनुपलब्ध	..
कुल	२१,०३७	२१,१८५	२१,६३४	+५९७

प्रबन्ध	बालिका			
	१९६२-६३	१९६३-६४	१९६४-६५	फर्क ६ और ८
१	६	७	८	९
केन्द्रीय सरकार	..	..	अनपलब्ध	..
राज्य सरकार	..	..	..	..
जिला-बोर्ड	२५३	२४४	अनुपलब्ध	..
नगरपालिका-बोर्ड	५८	५३	अनुपलब्ध	..
प्राइवेट साहाय्यित ..	२,९१८	२,९४९	अनुपलब्ध	..
प्राइवेट असाहाय्यित ..	४२	४८	अनुपलब्ध	..
कुल	३,२७१	३,२९४	३,२९०	+१९

एक शिक्षक वाले स्कूलों में नामांकन

प्रबन्ध	बालक			
	१९६२-६३	१९६३-६४	१९६४-६५	फर्क २ और ४
१	२	३	४	५
केन्द्रीय सरकार	१,८३१	१,९३२	..	..
राज्य सरकार	..	..	..	..
जिला-बोर्ड	१,३४,५०७	१,३१,८३६	अनुपलब्ध	..
नगरपालिका-बोर्ड	४,५८९	४,६१२	अनुपलब्ध	..
प्राइवेट साहाय्यित ..	८,११,०६६	८,४८,१५२	अनुपलब्ध	..
प्राइवेट असाहाय्यित ..	१०,०११	८,९१५	अनुपलब्ध	..
कुल	९,६२,००४	९,९५,४४७	अनुपलब्ध	..

प्रबन्ध	बालिका			
	१९६२-६३	१९६३-६४	१९६४-६५	फर्क ६ और ८
१	६	७	८	९
केन्द्रीय सरकार	..	..	..	..
राज्य सरकार	..	..	..	..
जिला-बोर्ड	११,९२३	११,०५०	अनुपलब्ध	..
नगरपालिका-बोर्ड	२,५७१	२,२३४	अनुपलब्ध	..
प्राइवेट साहाय्यित ..	१,३४,५८३	१,३८,२२८	अनुपलब्ध	..
प्राइवेट असाहाय्यित ..	१,३९८	१,८६२	..	..
कुल	१,५०,४७५	१,५३,३७४	..	..

३.३२। उपर्युक्त तालिकाओं में क्रमशः १९६३-६४ और १९६४-६५ के दौरान एक शिक्षक वाले स्कूलों की संख्या और उनमें हुए नामांकनों की संख्या के तुलनात्मक विवरण दिए गए हैं।

११ । विद्यालय भवन और साज-सामान

३.३३ । प्राथमिक स्कूलों के लिए भवन-व्यवस्था की समस्या विकट है। विद्यालय-भवनों के निर्माण के लिए दो ही ऐसे स्रोत थे, जिनसे रुपए आते थे। एक स्रोत था, शिक्षा विभाग स्वयं जो प्रसार और सुधार कार्यक्रम के अधीन विद्यालय-भवनों के निर्माण के लिए सहायता देता था। सामान्यतः यह सहायता निर्माण-व्यय के दो-तिहाई तक ही सीमित रहती थी और बाकी एक-तिहाई का खर्च स्थानिक रूप से समुदाय को वहन करना पड़ता था। हरिजन और जनजातीय क्षेत्रों में यह सहायता बढ़ाकर ५।६ कर दी जा सकी थी। सरकारी सहायता का दूसरा स्रोत, जनता को, विद्यालय-भवनों के निर्माण के लिए, सामुदायिक विकास विभाग के माध्यम से सुलभ था। इस एजेंसी से प्राप्त सहायता केवल ५० प्रतिशत तक सीमित थी। यह सहायता मुख्यतः प्रसार एवं सुधार कार्यक्रम वाले विद्यालयों से भिन्न विद्यालयों के लिए ही थी।

३.३४ । इस प्रणाली में स्पष्टतः त्रुटियां थीं, क्योंकि एक ही प्रयोजन के लिए दो विभिन्न प्रकार की सहायता उसी सरकारी स्रोत से दी जाती थी। इसके अलावा, स्थानीय समदाय अपना हिस्सा सफलतापूर्वक नहीं जुटा पाता था, और इसलिए बहुतेरे भवन अधूरे ही रह जाते थे। इसलिए, यह निर्णय किया गया कि प्रसार एवं सुधार कार्यक्रम के अधीन विद्यालय-भवनों के निर्माण का सम्पूर्ण खर्च सरकार ही वहन करेगी। किन्तु, विदेशी आक्रमणों, के चलते, और बाद में इसकी रकम की बाढ़ साहाय्य में विनियोगान्तरित करने के कारण, दोनों प्रकार की सहायता स्थगित कर दी गई।

३.३५ । साज-सामान की स्थिति भी कमोबेश वही रही जो भवन की थी। जहां कहीं साज-सामान दिये गए हैं, उसी योजना अवधि में ही दिए गए हैं, क्योंकि विदेशी आक्रमण के बाद से साज-सामानों की खरीद रोक दी गई है। साज-सामान बस इतने ही रहे कि विद्यालयों को किसी प्रकार चलाया जाता रहा।

१२ । शिक्षण प्रणाली और स्तर

३.३६ । एकीकृत पाठ्यक्रम जो शुरू किया गया था वह अन्तिम वर्गों तक पहुंच गया। समुचित साज-सामान और अन्य तकनीकी उपकरणों के अभाव में पाठ्यक्रम के उद्देश्यों की प्राप्ति दुष्कर बनी रही।

१३ । पुनर्गठन और नया विकास

३.३७ । प्राथमिक शिक्षा से सम्बन्धित जिन नयी स्कीमों पर आलोच्य अवधि में काम हुए उनका विवेचन, इसके पूर्व, अध्याय १ में किया जा चुका है।

अध्याय ४

बुनियादी शिक्षा

१। स्कूलों के प्रकार (पूर्व बुनियादी, कनीय बुनियादी, वरीय बुनियादी और उत्तर बुनियादी)

४.१। आलोच्य अवधि में, इस राज्य में चारों प्रकार की बुनियादी संस्थाएं चलती रहीं, यथा पूर्व-बुनियादी स्कूल, कनीय बुनियादी स्कूल, वरीय बुनियादी स्कूल, और उत्तर बुनियादी स्कूल (जिन्हें अब सर्वोदय उच्च विद्यालय कहा जाता है)। प्रशिक्षण स्कूल और कालेज, बुनियादी प्रतिमानों की ओर उन्मुख हैं। अधिकांश बुनियादी स्कूलों का प्रबन्ध राज्य के द्वारा होता है, लेकिन कुछ संस्थाएं प्राइवेट प्रबन्ध में भी चलायी गईं। कुछ कनीय और वरीय बुनियादी स्कूल नगरपालिका बोर्डों द्वारा भी चलाए गए।

२। स्कूल

४.२। १९६३-६४ और १९६४-६५ इन दो क्रमागत वर्षों के दौरान, कनीय और वरीय बुनियादी विद्यालयों की प्रबन्धवार संख्या निम्न तालिकाओं में दिखाई गई है :—

(१) कनीय बुनियादी स्कूलों की संख्या

प्रबन्ध	बालक			
	१९६२-६३	१९६३-६४	१९६४-६५	फर्क २ और ४
१	२	३	४	५
केन्द्रीय सरकार	..	..	..	..
राज्य सरकार	१४	११	१६	+२
जिला बोर्ड	२६३	२५४	१७८	—८५
नगर बोर्ड	१४	१४	..	..
प्राइवेट साहाय्यित	२,२१०	२,१५६	१,७७५	—४३५
प्राइवेट असाहाय्यित ..	१	..	..	१
कुल	२,५०२	२,४३५	१,९६९	—५३३

प्रबन्ध	बालिकाएं			
	१९६२-६३	१९६३-६४	१९६४-६५	फर्क ६ और ८
१	६	७	८	९
केन्द्रीय सरकार	..	..	..	..
राज्य सरकार	..	..	..	..
जिला बोर्ड	१	१	१	..
नगर बोर्ड	..	..	..	..
प्राइवेट साहाय्यित	३५३	३५३	३३६	—१७
प्राइवेट असाहाय्यित ..	..	..	..	..
कुल	३५४	३५४	३३७	—१७

४.३। कनीय बुनियादी स्कूलों की संख्या में गिरावट का कारण उनका उत्क्रमण और मिडिल स्कूलों में परिवर्त्तन बताया जा सकता है। प्रसार और सुधार कार्यक्रम के अधीन बहुतेरे कनीय बुनियादी विद्यालय को मिडिल स्तर में उत्क्रमित किया गया है।

(२) वरीय बुनियादी स्कूलों की संख्या

प्रबन्ध	बालक				बालिका			
	१९६२-६३	१९६३-६४	१९६४-६५	फर्क ४ और २	१९६२-६३	१९६३-६४	१९६४-६५	फर्क ६ और ८
१	२	३	४	५	६	७	८	९
केन्द्रीय सरकार	..	..	..	..	..	..	..	..
राज्य सरकार	५१७	५२१	५२८	+११	७	७	८	+१
जिला बोर्ड	६८	६७	५९	—९	..	..	..	..
नगर बोर्ड	..	..	..	..	..	..	..	..
प्राइवेट साहाय्यित	२४६	२६१	२३५	—११	२	४	४	+२
प्राइवेट असाहाय्यित ..	२	२	१	—१	..	..	..	..
कुल	८३३	८५१	८२३	—१०	९	११	१२	+३

३ । छात्र

४.४। १९६३-६४ और १९६४-६५ के दौरान कनीय बुनियादी और वरीय बुनियादी स्कूलों में छात्रों की प्रबन्धवार संख्या निम्न तालिकाओं में दी गई है:—

कनीय बुनियादी विद्यालयों में ।

प्रबन्ध	बालक			
	१९६२-६३	१९६३-६४	१९६४-६५	फर्क २ और ४
१	२	३	४	५
केन्द्रीय सरकार	..	..	..	..
राज्य सरकार.	१,२८३	१,२६२	९७७	—३०६
जिला बोर्ड	३२,७९६	३३,८०८	१८,७३६	—१४,०६०
नगर बोर्ड	२,४०७	२,५५२	..	—२,४०७
प्राइवेट साहाय्यित	१,५५,९९९	१,५७,५९८	१,१८,२०८	—३७,७९१
प्राइवेट असाहाय्यित ..	६६	..	..	—६६
कुल	१,९२,५५१	१,९५,२२०	१,३७,९२१	—५४,६३०

प्रबन्ध	बालिका			
	१९६२-६३	१९६३-६४	१९६४-६५	फर्क ६ और ८
१	६	७	८	९
केन्द्रीय सरकार	..	..	..	..
राज्य सरकार	..	..	२०२	+२०२
जिला बोर्ड	१८०	१९१	४,८४९	+४,६६९
नगर बोर्ड	..	..	..	..
प्राइवेट साहाय्यित	१७,५६२	१८,९७०	३४,६५६	+१७,०९४
प्राइवेट असाहाय्यित ..	..	..	..	..
कुल	१७,७४२	१९,१६१	३९,७०७	२१,९६५

छात्र-संख्या में गिरावट का कारण, कनीय बुनियादी विद्यालयों का मिडिल स्कूलों में उत्क्रमण कहा जा सकता है।

वरीय बुनियादी स्कूलों में

प्रबन्ध	बालक			
	१९६२-६३	१९६३-६४	१९६४-६५	फर्क २ और ४
१	२	३	४	५
केन्द्रीय सरकार	..	..	..	..
राज्य सरकार	१,११,५६७	१,१५,६९२	१,०२,२०७	—९,३६०
जिला बोर्ड	१३,३९५	१४,४९२	१०,६२३	—२,७७२
नगर बोर्ड	..	..	..	..
प्राइवेट साहाय्यित	४०,७०१	४४,८३६	३३,२९८	—७,४०३
प्राइवेट असाहाय्यित ..	२५२	२०७	९८	—१५४
कुल	१,६५,९१५	१,७५,२२७	१,४६,२२६	—१९,६८९

प्रबन्ध	बालिका			
	१९६२-६३	१९६३-६४	१९६४-६५	फर्क ६ और ८
१	६	७	८	९
केन्द्रीय सरकार	..	..	..	..
राज्य सरकार	१,५२५	१,५४५	१७,८१३	+१६,२८८
जिला बोर्ड	..	..	१,३९५	+१,३९५
नगर बोर्ड	..	..	..	..
प्राइवेट साहाय्यित ..	३५२	६९१	७,१३२	+६,७८०
प्राइवेट असाहाय्यित ..	..	..	१	+१
कुल	१,८७७	२,२३६	२६,३४१	+२४,४६४

छात्र-संख्या में गिरावट का कारण यही हो सकता है कि कुछ वरीय बुनियादी स्कूलों में वर्ग ८ करीब-करीब उठा दिया गया।

४। शिक्षक-संख्या, वेतनमान, आदि

४.५। १९६३-६४ और १९६४-६५ के दौरान बुनियादी स्कूलों में प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित शिक्षकों का तुलनात्मक विवरण निम्न तालिका में दिया गया है :--

बुनियादी स्कूलों में शिक्षकों की संख्या

संस्थाएं	प्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या				अप्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या			
	१९६२-६३	१९६३-६४	१९६४-६५	फर्क २ और ४	१९६२-६३	१९६३-६४	१९६४-६५	फर्क ६ और ८
१	२	३	४	५	६	७	८	९
कनीय बुनियादी	४,१२०	४,२६२	३,५५१	--५६९	१,१६३	१,०६०	८३०	—३३३
वरीय बुनियादी	५,२८३	५,४५७	५,३९०	+१०७	४६५	४७९	३९४	—७१
कुल	९,४०३	९,७१९	८,९४१	—४६२	१,६२८	१,५३९	१,२२४	—४०४

५। वर्गों का आकार

४.६। कनीय बुनियादी स्कूल में प्रथम पांच वर्ग और वरीय बुनियादी स्कूल में आठ वर्ग होते हैं। वर्ग में छात्रों की प्राधिकृत संख्या ३० से ४० तक हो सकती है।

Sub. National Systems Unit,
National Institute of Educational
Planning and Administration
17-B,Sri Aurbindo Marg,NewDelhi-110016
DOC. No. 1885
Date 26-11-84

६। बुनियादी शिक्षा पर प्रत्यक्ष खर्च
(१) कनीय बुनियादी स्कूल।

स्रोत	बालकों का स्कूल			
	१९६२-६३	१९६३-६४	१९६४-६५	फर्क २ और ४
१	२	३	४	५
केन्द्रीय सरकार	..	..	..	..
राज्य सरकार	३२,९९,४१०	३३,७८,७९४	२७,५४,०४३	—५,४५,३६७
जिला बोर्ड	२२,२९०	२५,२३६	३४,३५६	+१२,०६६
नगर बोर्ड	१५,०३३	१२,६३७	..	—२,३९६
फीस	२१,६१८	१७,०४८	८४	—२१,५३४
धर्मस्व	..	..	..	..
अन्य स्रोत	..	..	..	..
कुल	३३,५८,३५१	३४,३३,७१५	२७,८८,४८३	—५,६९,८६८

स्रोत	बालिकाओं का स्कूल			
	१९६२-६३	१९६३-६४	१९६४-६५	फर्क ६ और ८
१	६	७	८	९
केन्द्रीय सरकार	९,३५७	..	..	—९,३५७
राज्य सरकार	३,४८,४२६	३,७३,३५८	३,३९,११४	—९,३१२
जिला बोर्ड	१८०	१८०	१८०	..
नगर बोर्ड	..	..	..	..
फीस	..	..	..	..
धर्मस्व	..	..	..	..
अन्य स्रोत	..	..	..	..
कुल	३,५७,९६३	३,७३,५३८	३,३९,२९४	—१८,६६९

(२) वरीय बुनियादी स्कूल ।

स्रोत	बालकों का स्कूल			
	१९६२-६३	१९६३-६४	१९६४-६५	फर्क २ और ४
१	२	३	४	५
केन्द्रीय सरकार	..	..	..	..
राज्य सरकार	७१,११,७९०	७५,०७,१८६	७७,६७,०५३	+६,५५,२६३
जिला बोर्ड	५७,१९१	६२,९९०	२३,४३५	—३३,७५६
नगर बोर्ड	..	..	..	..
फीस	१,६५,४८७	१,८१,९९८	१,४४,८३३	—२०,६५४
धर्मस्व	९,०५२	१९,०६४	..	..
अन्य स्रोत	८४,०२१	९७,४९३	८३,९१०	—९,१६३
कुल	७४,२७,५४१	७८,६८,७३१	८०,१९,२३१	+५,९१,६९०

स्रोत	बालिकाओं का स्कूल			
	१९६२-६३	१९६३-६४	१९६४-६५	फर्क ६ और ८
१	६	७	८	९
केन्द्रीय सरकार	..	..	..	..
राज्य सरकार	१,००,२३५	१,२४,२४६	१,२९,१८८	+२८,९५३
जिला बोर्ड	..	..	..	..
नगर बोर्ड	..	..	..	..
फीस	..	..	..	..
धर्मस्व	..	..	..	..
अन्य स्रोत	२५८	२१२	४०३	+१४५
कुल	१,००,४९३	१,२४,४५८	१,२९,५९१	+२९,०९८

७. बुनियादी प्रशिक्षण कालेज और स्कूल (संख्या, नामांकन, उपलब्धि और व्यय)।

४.७। १९६३-६४ और १९६४-६५ के दौरान, बुनियानी प्रशिक्षण कॉलेजों और स्कूलों की संख्या, नामांकन और व्यय विषयक तुलनात्मक स्थिति, निम्न चारों तालिकाओं में बताई गई है:—

(१) बुनियादी प्रशिक्षण कॉलेजों और स्कूलों की संख्या

संस्था।	प्रबन्ध।	१९६२-६३	१९६३-६४	१९६४-६५	फर्क ३ और ५	१९६२-६३	१९६३-६४	१९६४ ६५	फर्क ७ और ९
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
१। स्नातकोत्तर बुनियादी प्रशिक्षण कॉलेज।	सरकार ..	५	५	५	..	..	..	..	..
	कुल ..	५	५	५	..	..	..	..	..
२। पूर्वस्नातक बुनियादी प्रशिक्षण कॉलेज।	..	..	..	..	..	..	..	..	..
३। बुनियादी प्रशिक्षण स्कूल।	सरकार ..	८३	७९	७९	—४	१६	२०	२०	+४
	साहाय्यित	१	१	४	+३	१	१	४	+३
	असाहाय्यित	१	..	..	—१	..	..	..	..
कुल ..	..	८५	८०	८३	—२	१७	२१	२४	+७

*पूर्व स्नातक स्तर।
†इसमें बालिकाओं के लिए स्कूल स्तर की ४ संस्थाएं शामिल हैं।

(२) बुनियादी प्रशिक्षण महाविद्यालयों और विद्यालयों में नामांकन

संस्था।	प्रबन्ध।	१९६२-६३	१९६३-६४	१९६४-६५	फर्क ३ और ५
१	२	३	४	५	६
१। स्नातकोत्तर बुनियादी प्रशिक्षण कॉलेज	सरकार ..	७२७	७०८	७४४	+१७
	कुल ..	७२७	७०८	७४४	+१७
२। पूर्व स्नातक बुनियादी प्रशिक्षण कॉलेज	..	..	..	..	..
३। बुनियादी प्रशिक्षण स्कूल ..	सरकार ..	१६,१६०	१५,४४०	१४,४०४	--१,७५६
	साहाय्यित	७८	६६	१३५	+५७
	असाहाय्यित	२६	..	..	—२६
	कुल ..	१६,२६४	१५,५०६	१४,५३९	—१,७२५

संस्था।	प्रबन्ध।	१९६२-६३	१९६३-६४	१९६४-६५	फर्क ७ और ९
१	२	७	८	९	१०
१। स्नातकोत्तर बुनियादी प्रशिक्षण कॉलेज	सरकार ..	..	..	..	..
	कुल ..	..	..	..	..
२। पूर्व स्नातक बुनियादी प्रशिक्षण कॉलेज	..	..	..	..	..
३। बुनियादी प्रशिक्षण स्कूल ..	सरकार ..	२,३३३	२,८५४	२,६०८	+२७५
	साहाय्यित	२५	२३	२१३	+१८८
	असाहाय्यित	..	..	..	..
	कुल ..	२,३५८	२,८७७	२,८२१	+४६३

*पूर्व स्नातक स्तर।
†इसमें बालिकाओं के लिए स्कूल स्तर की ५३१ संस्थाएं शामिल हैं।

(३) बुनियादी प्रशिक्षण कॉलेजों और स्कूलों का व्यय

संस्था।	व्यय-स्रोत।	बालकों के लिए।			
		१९६२-६३	१९६३-६४	१९६४-६५	फर्क ३ और ५
१	२	३	४	५	६
स्नातकोत्तर बुनियादी प्रशिक्षण कॉलेज ..	सरकार ..	२,७५,१५२	३,५४,५७३	३,६६,१३२	+९०,९८०
	फीस ..	९,२०४	२८,१५०	..	—९,२०४
	अन्य स्रोत	२,९७३	४,१५७	६,८००	+३,८२७
	कुल ..	२,८७,३२९	३,८६,८८०	३,७२,९३२	+८५,६०३
बुनियादी प्रशिक्षण स्कूल ..	सरकार ..	४२,१२,५५१	३९,५२,६७७	४५,२४,४३८	+३,११,८८७
	फीस ..	..	..	..	..
	अन्य स्रोत	२९,१८८	५५,७९४	३८,९९०	+९,८०२
	कुल ..	४२,४१,७३९	४०,०८,४७१	४५,६३,४२८	+३,२१,६८९

संस्था।	व्यय-स्रोत।	बालिकाओं के लिए।			
		१९६२-६३	१९६३-६४	१९६४-६५	फर्क ७ और ९
१	२	७	८	९	१०
स्नातकोत्तर बुनियादी प्रशिक्षण कॉलेज ..	सरकार ..	..	..	..	..
	फीस ..	..	..	..	..
	अन्य स्रोत	.	..	..	..
	कुल ..	..	..	..	..
बुनियादी प्रशिक्षण स्कूल ..	सरकार ..	८,१८,८१८	९,७०,३१७	१०,५०,३५७	+२,३१,५३९
	फीस ..	..	..	..	..
	अन्य स्रोत	२,६९८	८८१	१०,९८०	+८,२८२
	कुल ..	८,२१,५१६	९,७३,९६१	१०,६१,३३७	+२,३९,८२१

*पूर्व स्नातक स्तर।
†इसमें १,६५,३९८ स्कूल स्तर का है।

८। शिक्षण प्रणाली और स्तर

४.८। बुनियादी स्कूलों में शिक्षण का मुख्य सिद्धांत है समवाय शिक्षण-प्रणाली। शिल्प-कर्म, दैनन्दिन सामाजिक जीवन और भौतिक वातावरण इस प्रणाली के कार्य-कलाप हैं। किंतु इस लक्ष्य की सिद्धि पूरी तरह नहीं हो पायी। सालों भर सहभोज, सांस्कृतिक आयोजन, विद्यालय-संसद्, और समन्वित जीवन आदि पाठ्येतर कार्य-कलापों के द्वारा स्वावलम्बन, आत्मनिर्भरता और आत्मानुशासन के गुणों का विकास करने का भी प्रयास किया गया। सही ढंग से शिक्षकों की व्यवस्था करने पर इन कार्य-कलापों के द्वारा अपेक्षित स्तर की दक्षता प्राप्त की जा सकती है।

९। बुनियादी शिक्षा का आर्थिक पहलू

४.९। बुनियादी संस्थाओं में स्वतःपूर्णता का अपेक्षित स्तर और लक्ष्य प्राप्त करने के प्रयास जारी हैं। किंतु कतिपय मूलभूत मजबूरियों के कारण इस कार्यक्रम की प्रगति में बाधा हुई। जिन विद्यालयों में मुख्य शिल्प कृषि था उनमें घटिया किस्म की जमीनों की बिखरी होल्डिंगों के कारण काम की प्रगति में व्यवधान पहुंचता रहा। अधिकांश विद्यालयों में सामान्यतया अच्छा अहाता नहीं होने के कारण छुट्टा पशुओं ने शाक-सब्जी और फलों के पौधों की बेतरह बर्बादी की। इसी प्रकार, अच्छे करघों एवं अच्छी किस्म के सूत के अभाव में तथा उच्च वर्गों में (जहां शिल्प को सचमुच अर्थकारी बनाया जा सकता था) छात्रों की अपेक्षित संख्या में कमी हो जाने से कताई-बुनाई शिल्प की भी प्रगति अवरुद्ध रही। शहरी क्षेत्रों में अवस्थित विद्यालयों में शहरी शिल्पों को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है।

१०। प्रशासन और नियंत्रण

४.१०। राज्य की अन्य संस्थाओं की तरह बुनियादी संस्थाएं भी शिक्षा विभाग के प्रशासन और नियंत्रण के अधीन रहीं। आलोच्य अवधि में, क्षेत्रीय उप-शिक्षा-निदेशक बुनियादी-शिक्षा-अधीक्षक की आम तौर पर सहायता से, अपनी अधिकारिता के भीतर प्रशिक्षण विद्यालयों एवं खास तौर पर उत्तर-बुनियादी विद्यालयों और आम तौर पर अन्य बुनियादी विद्यालयों के काम का पर्यवेक्षण और निरीक्षण करते रहे, हालांकि जिलों में जिला शिक्षा-पदाधिकारियों ने अधिक नजदीक से इनका पर्यवेक्षण और निरीक्षण किया। बुनियादी शिक्षा के उप-अधीक्षक, अपनी अधिकारिता के भीतर, इन संस्थाओं के विभागीय निरीक्षण और नियंत्रण पदाधिकारी रहे, हालांकि सामुदायिक विकास प्रखंडों के भीतर पड़नेवाले इन विद्यालयों के वेतन-बिलों के प्रतिहस्ताक्षरी पदाधिकारी प्रखंड विकास पदाधिकारी रहे। इन विद्यालयों के सामान्य विकास में, हर बुनियादी विद्यालय की स्थानीय समितियों का योगदान बहुत महत्वपूर्ण बना रहा। किंतु प्रशिक्षण महाविद्यालय, लोक शिक्षा निदेशक, बिहार के नियंत्रण में बने रहे। अब, प्रशिक्षण विद्यालयों में बिहार शिक्षा सेवा श्रेणी २ के प्राचार्य हुए, जिससे वे प्रशासन के मामले में अधिक आत्म-निर्भर इकाई बन सके और जिला शिक्षा-पदाधिकारी के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन चलते रहें।

अध्याय ५

माध्यमिक शिक्षा

१ । प्रशासन और नियंत्रण

५.१ । लोक-शिक्षा-निदेशक की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राज्य के सभी गैर-सरकारी उच्च (हाई), उच्चतर माध्यमिक और बहूद्देशीय स्कूलों के नियंत्रण पदाधिकारी हैं । ये संस्थाएं तीन प्रकार की हैं —

(क) राज्य-अर्थ-साहाय्यित,
(ख) राज्य-साहाय्यित प्राइवेट, और
(ग) प्राइवेट असाहाय्यित ।

५.२ । राज्य-प्रबन्धित उच्च (हाई), उच्चतर माध्यमिक और बहूद्देशीय विद्यालयों का दायित्व सीधे सरकार पर है । फिर भी, हरेक विद्यालय की एक स्थानीय प्रबन्ध समिति होती है, जिसके अध्यक्ष होते हैं संबद्ध जिले के जिला दंडाधिकारी, और सचिव होते हैं विद्यालय के प्राचार्य । क्षेत्रीय उपशिक्षा-निदेशक और जिला शिक्षा पदाधिकारी को अपने अधिकारिता के भीतर पड़नेवाली सभी उच्च, उच्चतर माध्यमिक और बहूद्देशीय विद्यालयों का निरीक्षण करने की शक्ति प्रदान की गई है । जिला शिक्षा-पदाधिकारी की सहायता, सम्बद्ध क्षेत्र के अनुमंडल के अनुमंडलीय शिक्षा-पदाधिकारी करते हैं ।

५.३ । विद्यालय निरीक्षिका बालिका उच्च (हाई स्कूलों) के निरीक्षण की प्रभारी हैं । इन स्कूलों से संबद्ध सभी अनुदानों का वितरण उन्हींके द्वारा होता है । उनकी सहायता, आवश्यकतानुसार, जिला विद्यालय निरीक्षिकाएं करती हैं ।

५.४ । प्राइवेट विद्यालय प्राइवेट उद्यमों के परिणाम हैं । किंतु इनमें से अधिकांश विद्यालयों को सरकार से अनुदान मिलता है, इसलिये इन्हें प्राइवेट साहाय्यित कहा जाता है । कुछ विद्यालय ऐसे हैं जिन्हें ऐसा अनुदान नहीं मिलता इसलिए उन्हें असाहाय्यित कहा जाता है ।

५.५ । राज्य-अर्थ साहाय्यित उच्च (हाई), उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भी प्राइवेट विद्यालय हैं, क्योंकि उनपर स्थानीय प्रबन्ध समिति का नियंत्रण रहता है, किन्तु विद्यालय का सम्पूर्ण घाटा राज्य सरकार पूरा करती है । ये विद्यालय ऐसे क्षेत्रों में खोले गये हैं जो शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े इलाके हैं और अधिकांशतः छोटानागपुर प्रमंडल, भागलपुर प्रमंडल के संथाल परगना जिले तथा तिरहुत प्रमंडल के कतिपय विलगित क्षेत्रों में अवस्थित हैं ।

५.६ । आलोच्य वर्षों में, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, आंग्ल-भारतीय एवं यूरोपीय शिक्षा संयुक्त बोर्ड तथा बुनियादी शिक्षा बोर्ड ने, परिपत्र जारी करके और प्राइवेट विद्यालयों को मान्यता तथा अनुदान देने का कार्य विनियमित करके, अपने अधीनस्थ विद्यालयों के कार्यों को विनियमित करने का काम चालू रखा । मिडिल स्कूलों को मान्यता देने का प्राधिकार अनुमंडलीय शिक्षा पदाधिकारी को है और उन विद्यालयों के नियमित निरीक्षण के जरिए दैनन्दिन मार्गदर्शन का उत्तरदायित्व विद्यालय-उप-निरीक्षक पर है । बालिका मिडिल स्कूलों को मान्यता विद्यालय उप-निरीक्षिका देती हैं और उन विद्यालयों का निरीक्षण-कार्य विद्यालय उप-निरीक्षिका का कर्त्तव्य है ।

२ । विद्यालय वर्गों की स्कीम

५.७ । इस राज्य में माध्यमिक शिक्षा निम्नलिखित प्रकार के स्कूलों के जरिए दी जाती है :—

(१) बहूद्देशीय और सर्वोदय विद्यालय (उत्तर-बुनियादी विद्यालय) ।	(क) वर्ग ६ से वर्ग ११ विशिष्ट तक । (ख) वर्ग ८ से वर्ग ११ विशिष्ट तक ।
(२) उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	(क) वर्ग ६ से वर्ग ११ विशिष्ट तक । (ख) वर्ग ८ से वर्ग ११ विशिष्ट तक ।
(३) हाई स्कूल	(क) वर्ग ६ से वर्ग ११ तक ।। (ख) वर्ग ८ से वर्ग ११ तक ।
(४) मिडिल स्कूल, वर्ग ६ से ७ तक	प्राथमिक वर्गों के साथ या प्राथमिक वर्गों के बिना ।
(५) वरीय बुनियादी स्कूल वर्ग ६ से वर्ग ८ तक ..	प्राथमिक वर्गों के साथ या प्राथमिक वर्गों के बिना ।

५.८ । इस बात का प्रयत्न किया जा रहा है कि उच्च (हाई) और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को केवल वर्ग ८ से वर्ग ११ या वर्ग ११ विशिष्ट तक परिसीमित कर दिया जाए और वर्ग ६/७ को (जो मिडिल स्कूलों में होते हैं) तथा वर्ग १ से ५ तक को (जो प्राथमिक स्कूलों में होते हैं) इन माध्यमिक विद्यालयों से अलग कर दिया जाए । विभाग इस आशय के आदेश जारी कर चुका है कि प्राथमिक और मिडिल विद्यालयों को, माध्यमिक विद्यालयों से जुड़ा हुआ नहीं रखा जाए, बल्कि उन अंगों को अलग करके अलग प्रधानाध्यापक और अलग

प्रबन्ध समिति के अधीन कर दिया जाय फिर भी, कुछ माध्यमिक विद्यालयों में प्राथमिक और मिडिल विद्यालय अभी भी चल रहे हैं, क्योंकि वे उच्चतर विद्यालय के लिए आपूरक का काम करते हैं और उच्च वर्गों में सीधे नामांकन में सुविधा होती है। इसको प्रोत्साहन नहीं देना है।

३। विद्यालय

५.६। निम्न तालिका में, आलोच्य अवधि में, कोटिवार विद्यालयों की संख्या दी गई है :--

प्रबन्ध व्यवस्था के अनुसार माध्यमिक स्कूलों की संख्या

प्रबन्ध।	बालक।				बालिका।			
	१९६२-६३	१९६३-६४	१९६४-६५	फर्क ४ और २।	१९६२-६३	१९६३-६४	१९६४-६५	फर्क ८ और ६।
१	२	३	४	५	६	७	८	९
(१) बहूद्देशीय उच्चतर माध्यमिक और उत्तर-बुनियादी विद्यालय								
सरकार--								
केन्द्रीय	..	..	२	+२	..	..	..	..
राज्य	४०	४०	४२	+२	१७	१७	१८	+१
साहाय्यित	२५०	२८०	२८५	+३५	६	९	१७	+११
असाहाय्यित	२५	१९	१६	-९	३	३	२	१
कुल	३१५	३३९	३४५	+३०	२६	२९	३७	+११
(२) हाई स्कूल--								
सरकार---								
केन्द्रीय	६	६	५	-१	..	..	..	..
राज्य	१	१	१	..	४	४	६	+२
साहाय्यित	७७८	८०५	९३२	+१५४	६४	६७	७५	+११
असाहाय्यित ..	५७७	५९३	५८२	+५	७९	१९	१९	..
कुल	१,३६२	१,४०५	१,४२०	+१५८	८७	९०	१००	+१३

प्रबन्ध।	बालक।				बालिका।			
	१९६२-६३	१९६३-६४	१९६४-६५	फर्क ४ और २।	१९६२-६३	१९६३-६४	१९६४-६५	फर्क ८ और ६।
१	२	३	४	५	६	७	८	९
(३) मिडिल स्कूल--								
सरकार—								
केन्द्रीय	८	८	१३	+५	१	१	१	..
राज्य	४	६	७	+३	४५	४५	४५	.
जिला बोर्ड	२,०३५	२,१३१	२,४०५	+३७०	७८	९६	१०८	+३०
नगर बोर्ड	११४	१३२	१५४	+४०	४०	४५	५१	+११
साहाय्यित	१,४७४	१,५३४	१,८९३	+४१९	१८१	२२८	२५५	+७४
असाहाय्यित	६१२	६६६	५८०	−८२	२३	२८	२८	+५
कुल ..	४,२९७	४,४७७	५,०५२	+७५५	३६८	४४३	४८८	+१२०
(४) वरीय बुनियादी विद्यालय--								
सरकार--								
केन्द्रीय	..	..	..	..	..	..	..	..
राज्य	५१७	५२१	५२८	+११	७	७	८	+१
जिला बोर्ड	६८	६७	५८	−१०	..	..	..	..
नगर बोर्ड	..	..	१	१	..	..	..	..
साहाय्यित	२४६	२६१	२३५	−११	२	४	४	+२
असाहाय्यित	२	२	१	−१	..	..	..	..
कुल ..	८३३	८५१	८२३	−१०	९	११	१२	+३

५.१०। उपर्युक्त तालिका में जो आंकड़े दिये गये हैं उनसे, स्पष्ट है कि सभी प्रकार के माध्यमिक विद्यालयों की संख्या में सामान्य वृद्धि हुई। जहांतक बहूद्देशीय और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की संख्या में वृद्धि की बात है, १९६२-६३ की अपेक्षा १९६४-६५ में बालक-विद्यालयों की संख्या में ३० संस्थाओं की और बालिका विद्यालयों की संख्या में ११ संस्थाओं की वृद्धि हुई। उसी प्रकार, १९६२-६३ में बालकों के जितने उच्च विद्यालय थे उनके अलावा इस अवधि में १५८ नये विद्यालय खुले और बालिका विद्यालयों की संख्या में इस अवधि में १३ विद्यालयों की वृद्धि हुई किन्तु इस अवधि में अत्यन्त उल्लेखनीय प्रगति मिडिल स्कूलों में नज़र आई। १९६२-६३ में जितने मिडिल स्कूल थे उनके अलावा, १९६४-६५ तक, बालकों के ७५५ और बालिकाओं के १२० नए मिडिल स्कूल खुले। किन्तु बुनियादी विद्यालयों की संख्या में, बालक-क्षेत्र में १० विद्यालय कम हो गए। हां, बालिका-क्षेत्र में ३ नए बुनियादी विद्यालय खुलने से एक हद तक इस घटौती की पूर्त्ति हो गई।

४। छात्रों की संख्या

५.११। नीचे की तालिका में दिखाया गया है कि आलोच्य अवधि में किस प्रकार के प्रबन्ध वाले विभिन्न प्रकार के माध्यमिक विद्यालयों में नामांकन की स्थिति क्या रही है :—

तालिका सं० २०

माध्यमिक स्कूलों में छात्रों की संख्या

[उच्च (हाई) और उच्चतर माध्यमिक बहूद्देशीय और उत्तर-बुनियादी विद्यालय]

विभिन्न संस्थाओं में छात्रों की संख्या

प्रबन्ध	बालक।				बालिका।			
	१९६२-६३	१९६३-६४	१९६४-६५	फर्क २ और ४	१९६२-६३	१९६३-६४	१९६४-६५	फर्क ६ और ८
१	२	३	४	५	६	७	८	९
(१) बहूद्देशीय उच्चतर माध्यमिक और उत्तर-बुनियादी विद्यालय—								
सरकार—								
केन्द्रीय	५५४	८८६	+८८६	..	..	..	..	
राज्य ..	१९,४६४	२०,११४	२०,०२४	+५६०	९,४१६	९,७०७	१०,३३२	+९१६
साहाय्यित ..	१,६३,५४८	१,७८,९२५	१,८४,०८८	+२०,५४०	१,७७५	२,४४५	५,४४५	+३,६७०
असाहाय्यित ..	.. ४,७३७	८,८४३	७,३२९	+२,५९२	२,०२९	२,१८२	२,३०९	+२८०
कुल ..	१,८७,७४९	२,०८,४३६	२,१२,३२७	+२४,५७८	१३,२२०	१४,३३४	१८,०८६	+४,८६६

तालिका सं० २०—क्रमशः

प्रबन्ध ।	बालक ।				बालिकाएं ।			
	१९६२-६३	१९६३-६४	१९६४-६५	फर्क २ और ४	१९६२-६३	१९६३-६४	१९६४-६५	फर्क ६ और ८
१	२	३	४	५	६	७	८	९
(२) हाई स्कूल—								
सरकार—								
केन्द्रीय ..	३,७३३	३,२७९	२,९६९	—७६४	..	..	..	..
राज्य ..	२९१	२८८	२६७	—२४	१,१३३	१,११३	१,८९४	+७६१
साहाय्यित ..	२,६१,९६७	२ ६५,८६६	२,९३,४२०	+३१,४५३	१७,९७५	१९,३४८	१८,३५७	+३८२
असाहाय्यित ..	१,३४,४९१	१,४०,५२४	१,३४,०११	—४८०	३,०८१	३,३४२	२,८८५	—१९६
कुल ..	४,००,४८२	४,०९,९५७	४,३०,६६७	+३०,१८५	२२,१८९	२३,८०३	२३,१३६	+९४७
(३) मिडिल स्कूल—								
सरकार—								
केन्द्रीय ..	३,७७०	३,८५०	५,०५५	+१,२८५	५८७	६३१	७२४	+१३७
राज्य ..	५६४	६५४	१,०७१	+५०७	११,८८३	१२,६५९	१३,१९२	+१,५०९
जिला बोर्ड ..	४,१०,००३	४,५५,८०८	५,५५,९८२	+१,०७,७६४	१२,३०१	१४,९२०	३१,०९२	+७,२८०
नगर बोर्ड ..	३८,२१५	४५,२८९			११,५११	१३,११७		
साहाय्यित ..	२,६४,३७५	२,८४,९४९	३,४६,६८२	+८२,३०७	३०,१२८	४०,३९६	४५,३०५	+१५,१७७
असाहाय्यित ..	८८,१८१	९०,०४१	९०,६०२	+२,४२१	४,८१६	६,३५६	६,९०९	+२,०९३
कुल	८,०५,१०८	८,८०,५९१	९,९९,३९२	+१,९४,२८४	७१,२२६	८८,०२९	९७,४२२	+२६,१९६

तालिका सं० २०—कर्मात

प्रबन्ध।	बालक।				बालिका।			
	१९६२-६३	१९६३-६४	१९६४-६५	फर्क २ और ४	१९६२-६३	१९६३-६४	१९६४-६५	फर्क ६ और ८।
१	२	३	४	५	६	७	८	९
४) वरीय बुनियादी स्कूल—								
सरकार—								
केन्द्रीय ..	..	..	..	..	..	..	..	..
राज्य ..	१,११,५६७	१,१५,६९२	१,१८,४१८	+६,८५१	१,५२५	१,५४५	१,६०२	+७७
जिला बोर्ड ..	१३,३९५	१४,४९२	१२,०१८	—१,३७७	..	..	..	..
नगर बोर्ड ..	..	..	..	..	..	..	..	..
साहाय्यित ..	४०,७०१	४४,८३६	३९,६५८	—१,०४३	३५२	६९१	७७२	४२०
असाहाय्यित	२५२	२०७	९९	—१५३	..	..	..	..
कुल ..	१,६५,९१५	१,७५,२२७	१,७०,१९३	+४,२७८	१,८७७	२,२३६	२,३७४	+४९७

५। शिक्षक संख्या, वेतनमान, आदि

५.१२। निम्न तालिका में दिखाया गया है कि हर प्रकार के माध्यमिक विद्यालयों में विभिन्न प्रबन्धों के अधीन शिक्षकों की संख्या क्या है:--

माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या

प्रबन्ध।	प्रशिक्षित।				अप्रशिक्षित।			
	१९६२-६३	१९६३-६४	१९६४-६५	फर्क ४ और २	१९६२-६३	१९६३-६४	१९६४-६५	फर्क ६ और ८
१	२	३	४	५	६	७	८	९
उच्च/उच्चतर माध्यमिक बहूद्देशीय विद्यालय।								
सरकार	१,०३९	१,०५०	१,२२४	+१८५	३९१	३८०	३६५	--२६
साहाय्यित	५,४६८	५,७८६	६,६१८	+१,१५०	८,५३२	८,८६२	९,५१८	+९८६
असाहाय्यित	१,५३१	१,७४४	१,८७५	+३४४	३,८४७	३,८५०	३,५०७	--३४०
कुल	८,०३८	८,५८०	९,७१७	+१,६७९	१२,७७०	१३,०९२	१३,३९०+	६२०

१९६४-६५ के उत्तर-बुनियादी विद्यालयों के आंकड़े, जो उच्च (हाई)/उच्चतर माध्यमिक/बहूद्देशीय विद्यालयों के आंकड़े में शामिल हैं।

सरकार	..	..	..	..	..	..	..	..
साहाय्यित	१८	११	..	..	४१	२४	..	..
असाहाय्यित	४	४	..	..	१०	६	..	..
कुल ..	२२	१५	..	..	५१	३०	..	..

प्रबन्ध	प्रशिक्षित।				अप्रशिक्षित।			
	१९६२-६३	१९६३-६४	१९६४-६५	फर्क २ और ४	१९६२-६३	१९६३-६४	१९६४-६५	फर्क ६ और ८।
१	२	३	४	५	६	७	८	९
मिडिल स्कूल—								
सरकार ..	३७९	४१५	५१६	+१३७	१२४	१०६	१२२	—२
जिला बोर्ड ..	८,८५०	९,७०५	११,४०४	+२,५५४	२,८२८	२,६६७	२,५७५	—२५३
नगर बोर्ड ..	७७८	८९४	१,१०८	+३३०	५७३	६३४	७०७	+१३४
साहाय्यित ..	४,८६५	५,५४९	७,३८२	+२,५१७	३,३९२	३,३३६	३,४९४	+१०२
असाहाय्यित ..	१,२२९	१,३२९	१,३५०	+१२१	१,७९०	१,८१२	१,६३७	—१५३
कुल ..	१६,१०१	१७,८९२	२१,७६०	+५,६९९	८,७०७	८,५५५	८,५३५	—१७२
वरीय बुनियादी विद्यालय—								
सरकार ..	३,९९६	४,०३९	४,०७२	+७६	२१	१५	१८	—३
जिला बोर्ड ..	२७९	३०३	३३५	+५६	८४	८७	८२	—२
नगर बोर्ड ..	..	..	५	+५	.	..	३	+३
साहाय्यित ..	१,००१	१,११२	९७६	—२५	३५९	३६१	२९०	—६९
असाहाय्यित ..	७	३	२	—५	१	१	१	..
कुल ..	५,२८३	५,४५७	५,३९०	+१०७	४६५	४७९	३९४	—७१

५.१३। उपयुक्त तालिका से पता चलता है कि उच्च (हाई)/उच्चतर माध्यमिक/बहूद्देशीय और उत्तर-बुनियादी विद्यालयों में प्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या जो १९६२-६३ में ८,०६० थी वह १९६४-६५ में बढ़कर ९,७१७ हो गई, अर्थात् प्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या में १,६५७ की वृद्धि हुई। इसी प्रकार, इस कोटि में अप्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या में ४६९ की वृद्धि हुई। इस प्रकार शिक्षकों की कुल संख्या में २,१२६ की वृद्धि हुई।

५.१४। मिडिल स्कूलों में शिक्षकों की संख्या में ५,४८७ की शुद्ध वृद्धि हुई। इसी तरह, बुनियादी विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या में शुद्ध वृद्धि ३६ की हुई। ऐसा देखने में आयगा कि उच्च (हाई) और उच्चतर माध्यमिक कोटि के विद्यालयों (और वह भी केवल साहाय्यित विद्यालयों) को छोड़कर, सभी प्रकार के विद्यालयों में, एक ओर तो प्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या में वृद्धि हुई और दूसरी ओर अप्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या में घटौती हुई। इसका मतलब यह है कि विद्यालयों में अधिकाधिक प्रशिक्षित शिक्षक रहने लगे हैं।

५.१५। विभिन्न कोटियों के विद्यालयों में, १९६२-६३ के मुकाबले १९६४-६५ में शिक्षकों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत प्रशिक्षित था यह नीचे दिया गया है :—

विद्यालय की कोटियां	१९६२-६३	१९६४-६५
१। उच्च (हाई)/उच्चतर माध्यमिक/बहूद्देशीय विद्यालय (उत्तर-बुनियादी विद्यालयों सहित)।	४३.५	४२
२। मिडिल स्कूल	३५	७१.८
३। वरीय बुनियादी विद्यालय	९१.९	९३.१

५.१६। १९६४-६५ में शिक्षक-छात्र का अनुपात इस प्रकार था :—

(१) उच्च/उच्चतर माध्यमिक/बहूद्देशीय और उत्तर-बुनियादी विद्यालय ..	२९.६
(२) मिडिल स्कूल	३६.२
(३) वरीय बुनियादी विद्यालय	२९.८

५.१७। मिडिल, उच्च, उच्चतर माध्यमिक या बहूद्देशीय विद्यालयों में शिक्षक की नियुक्ति के लिये न्यूनतम योग्यता के संबंध में कोई परिवर्त्तन नहीं हुआ। उच्च, उच्चतर माध्यमिक और बहूद्देशीय विद्यालयों के मानक स्टाफ ढांचे में भी कोई परिवर्त्तन नहीं हुआ। आलोच्य अवधि के दौरान वेतनमान में भी कोई परिवर्त्तन नहीं हुआ। वार्धक्य-निवृत्ति की आयु जो ५८ से बढ़ाकर ६२ कर दी गई थी, रिपोर्ट-अवधि में उसमें भी कोई परिवर्त्तन नहीं हुआ।

६। वर्गों का आकार

५.१८। माध्यमिक विद्यालयों में एक वर्ग में नामांकन की संख्या की सीमा ५२ रखी गई थी। लेकिन, खासकर शहरी क्षेत्रों में, नामांकन बहुत अधिक होने के कारण अधिकांश विद्यालयों में हर वर्ग में चार-चार, पांच-पांच प्रशाखायें चलानी पड़ी हैं, और काफी भीड़ रहने के कारण वर्गों को पालियों (शिफ्टों) में चलाया जाता है। इससे शिक्षण के स्तर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, और इसीलिए, भीड़ बंटाने के लिये, नए विद्यालयों को मान्यता दी जा रही है।

७। व्यय

५.१९। १९६३-६४ और १९६४-६५ में, अलग-अलग बालकों और बालिकाओं के विभिन्न प्रकार के माध्यमिक विद्यालयों पर किन-किन स्रोतों से, कितना-कितना व्यय हुआ है, इसकी रूपरेखा निम्न तालिका में दी गई है :—

माध्यमिक विद्यालयों पर किन स्रोतों से कितना व्यय हुआ

स्रोत।	बालकों के लिये।			
	१९६२-६३	१९६३-६४	१९६४-६५	फर्क २ और ४।
१	२	३	४	५
(१) उच्चतर माध्यमिक/बहूद्देशीय विद्यालय—				
केन्द्रीय	..	३८,८७५	८३,१५३	+८३,१५३
राज्य	५५,०७,०४८	५८,९९,०२०	६४,१९,७१०	+९,१२,६६२
फीस	७,१७,४५८	८२,४३,८३६	९५,३८,१९३	+२३,६३,७३५
धर्मस्व	१,१०,३६७	२,७२,१४९	१७,०९,६३४	+६,९५,५८३
अन्य स्रोत	९,०३,६८४	११,८१,१५०		
कुल	१,३६,९५,५५७	१,५६,३५,०३०	१,७७,५०,६९०	+४०,५५,१३३

स्रोत।	बालिकाओं के लिए।			
	१९६२-६३	१९६३-६४	१९६४-६५	फर्क ६ और ८
१	६	७	८	९
केन्द्रीय	..	..	..	..
राज्य	१०,४६,३४६	११,६५,८४१	१३,८९,०७१	+३,४२,७२५
फीस	४,८१,९७४	५,४६,२८३	६,८१,७१७	+१,९९,७४३
धर्मस्व	२२,९८२	३४,२४०	६,८७,९३८	+४,२८,४४७
अन्य स्रोत	२,३५,५०९	१,९९,३०६		
कुल	१७,८७,८११	१९,४५,६७०	२७,५८,७२६	+९,७०,९१९

स्रोत।	बालकों के लिये।			
	१९६२-६३	१९६३-६४	१९६४-६५	फर्क २ और ४
१	२	३	४	५
(२) उच्च विद्यालय—				
केन्द्रीय	२,३६,१११	३,०४,५३६	३,५२,११२	+१,१६,००१
राज्य	५९,८२,००४	६०,५९,०७४	६७,११,००३	+७,२८,९९९
फीस	१,४१,५५,४३५	१,५३,४५,२५०	१,६५,४९,४०९	+२,३९,४७४
धर्मस्व	८,८२,४५३	१०,५३,४४१	३४,०२,३८६	+९,८८,१३९
अन्य स्रोत	१५,३१,७९४	१६,३६,३७१		
कुल	२,२७,८८,२९७	२,४४,२८,६७२	२,७०,१४,९१०	+४२,२६,६१३

स्रोत।	बालिकाओं के लिये।			
	१९६२-६३	१९६३-६४	१९६४-६५	फर्क ६ और ८
१	६	७	८	९
केन्द्रीय	..	..	..	..
राज्य	७,६०,९४९	७,७०,८७१	८,७४,६०६	+१,१३,६५७
फीस	७,६४,८०५	८,१९,२९९	५,९४,२१४	—१,७०,५९१
धर्मस्व	२७,२४५	१,१४,२८१	३,६४,१३८	+३०,९४१
अन्य स्रोत	३,०६,१५२	२,७६,६०५		
कुल	१,८५,४१,१५१*	१९,८१,०५६	१८,३३,१५८	—२५,९९३

*इसमें नगर बोर्ड के २०० रु० भी शामिल हैं।

स्रोत।	बालकों के लिये।			
	१९६२-६३	१९६३-६४	१९६४-६५	फर्क २ और ४
१	२	३	४	५
(३) उत्तर-बुनियादी विद्यालय—				
केन्द्रीय	..	..	..	..
राज्य	१८,९४२	१४,०१८	..	..
फीस	५६,५६६	३८,३७०	..	..
धर्मस्व	४,३२२	६,५५०	..	..
अन्य स्रोत	४,४५१	३,४३५	..	..
कुल	८४,२८१	६२,५७३	..	..

स्रोत ।	बालिकाओं के लिये ।			
	१९६२-६३	१९६३-६४	१९६४-६५	फर्क ६ और ८
१	६	७	८	९
केन्द्रीय	..	..	..	..
राज्य	..	..	..	..
फीस	..	..	..	..
धर्मस्व	..	..	..	..
अन्य स्रोत	..	..	..	..
कुल	..	..		..

टिप्पणी—उत्तर-बुनियादी स्कूलों के आंकड़े उच्चतर माध्यमिक/बहूद्देशीय स्कूलों के आंकड़े में शामिल हैं ।

स्रोत ।	बालकों के लिये ।			
	१९६२-६३	१९६३-६४	१९६४-६५	फर्क २ और ४
१	२	३	४	५
(४) मिडिल स्कूल—				
केन्द्रीय	१,९०,७७६	२,३६,५४६	३,२९,७९६	+१,३९,०२०
राज्य	१३,१५,३०४	१,४८,९५,१५६	१,७२,०२,०२६	+४०,५०,७२२
जिला बोर्ड	११,९७,४५४	११,७९,३६१	१,४९,८४४	+३,०१,४९०
नगर बोर्ड	२,७५,०१०	२,६३,३६१	३,४०,४७१	+६५,४६१
फीस	५३,५५,९५९	५५,९४,२९१	५४,५८,२२९	+१,०२,२७०
धर्मस्व	४,८०,२२८	३,९७,६४८	२६,३७,५०९	+३,७६,४८०
अन्य स्रोत	१७,८०,८०१	१८,५७,४३४		
कुल	२,२४,३१,५३२	२,४४,२४,३९७	२,७४,६६,९७५	+५०,३५,४४३

स्रोत ।	बालिकाओं के लिये ।			
	१९६२-६३	१९६३-६४	१९६४-६५	फर्क ६ और ८
१	६	७	८	९
केन्द्रीय	४१,९७२	४४,५०३	५९,९९७	+१८,०२५
राज्य	१६,४१,७६३	१८,४४,०८२	२२,९१,०६०	+६,४९,२९७
जिला बोर्ड	२४,०४६	४२,२७४	७९,७८५	+५५,७३९
नगर बोर्ड	२,०८,३६१	२,३०,७७४	२,५०,६६९	+४२,३०८
फीस	७१,९८९	७३,७१३	२७,१९३	—४४,७९६
धर्मस्व	५०,३५७	४८,९५३	७,७९,०१४	+१,०६,२३७
अन्य स्रोत	६,२२,४३०	६,३६,५९०		
कुल	२६,६०,९०८	२९,२०,८८७	३४,८७,७१८	+८,२६,८१०

५.२० । निम्न तालिका से पता चलता है कि आलोच्य अवधि में विभिन्न कोटियों के विद्यालयों पर व्यय में शुद्ध वृद्धि या घटौती किस प्रकार हुई है :—

क्रम संख्या।	विद्यालयों की कोटि	१९६२-६३ की अपेक्षा १९६४-६५ में व्यय में वृद्धि।
	व्यय में शुद्ध वृद्धि	रु०
१	बालकों के उच्चतर माध्यमिक और बहूद्देशीय स्कूल	४०,५५,१३३
२	बालिकाओं के उच्चतर माध्यमिक और बहूद्देशीय स्कूल	९,७०,९१५
३	बालकों के हाई स्कूल	४२,२६,६१३
४	बालिकाओं के हाई स्कूल	..
५	बालकों के मिडिल स्कूल	५०,३५,४४३
६	बालिकाओं के मिडिल स्कूल	८,२६,८१०

५.२१ । बालिकाओं के हाई स्कूल में व्यय की घटौती संभवत: हाई स्कूलों के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के रूप में उत्क्रमित होने के कारण हुई।

५.२२ । बालकों के माध्यमिक स्कूलों पर (जिनमें मिडिल स्कूल भी शामिल हैं) हुए खर्च में राज्य सरकार का हिस्सा १९६२-६३ में २४.४७ प्रतिशत था। किंतु यह बढ़कर १९६३-६४ में ४१.६२ प्रतिशत और १९६४-६५ में ४१.९९ प्रतिशत हो गया।

५.२३ । उसी प्रकार बालिकाओं के माध्यमिक विद्यालयों पर (जिनमें मिडिल स्कूल भी शामिल हैं) हुए खर्च में राज्य सरकार का हिस्सा १९६२-६३ में १५ प्रतिशत था। किंतु यह बढ़कर १९६३-६४ में ५५.२१ और १९६४-६५ में ५६.३७ प्रतिशत हो गया।

८। छात्रवृत्ति, वृत्तिका और नि:शुल्कता, आदि

(१) छात्रवृत्ति वृत्तिका, पुस्तक-अनुदान और नि:शुल्कता—

५.२४ । राज्य सरकार छात्रों को सभी स्तर पर उदारतापूर्वक छात्रवृत्ति देती रही है। छात्रवृत्तियां विभिन्न प्रकार की हैं। कुछ तो मेधा-छात्रवृत्तियां (मैरिट स्कॉलरशिप) थीं, जो लोक परीक्षाओं में छात्रों की स्थिति (पोजीशन) के द्वारा अभिनिश्चित विशुद्ध मेधा के ही आधार पर दी गई। मिडिल छात्रवृत्ति ऐसी ही छात्रवृत्ति थी। इसी प्रकार, निम्न प्राथमिक छात्रवृत्तियां और उच्च प्राथमिक छात्रवृत्तियां भी मेधा-छात्रवृत्तियां ही थीं, जो उच्च (हाई) और मिडिल स्कूलों तक चलती थीं। इन छात्रवृत्तियों का मूल्य प्रतिमास क्रमश: ३ रु० और १० रु० था। इनके अलावा, मेधा-सह-निर्धनता छात्रवृत्तियां भी थीं, जिनका मूल्य प्रतिमास १५ रु० था और जो कि मिडिल और अन्य उत्तर प्राथमिक वर्गों के स्तर के लिए थीं। साथ ही अनुसूचित जातियों, अनसूचित जन-जातियों तथा पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए विशेष छात्रवृत्तियां, पुस्तक-अनुदान और अन्य वित्तीय सहूलियतें भी थीं। इसी प्रकार, सैनिकों की सन्तान को भी छात्रवृत्तियां दी गई। इनके अलावा, कुल छात्रों (नि:शुल्कता को छोड़कर) के १५ प्रतिशत ऐसे छात्रों को जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के थे, नि:शुल्कता दी गई। इसके अलावा, प्रत्येक विद्यालय में दान-उपदान से बनी निर्धन छात्र निधि से बहुतेरे छात्रों को फायदा पहुंचा।

५.२५। उच्च (हाई), उच्चतर माध्यमिक और बहूद्देशीय स्कूलों एवं मिडिल स्कूलों में छात्रों को किन स्रोतों से, कितनी और कितने मूल्यों की छात्रवृत्तियां, वृत्तिकाएं तथा अन्य वित्तीय सुविधाएं दी गई, इनका ब्योरा निम्न तालिका में दिया गया है :—

उच्च (हाई)/उच्चतर माध्यमिक और उत्तर-बुनियादी विद्यालयों में छात्रवृत्ति, वृतिका एवं अन्य वित्तीय सुविधाएं।

	दी गई छात्रवृत्तियों की संख्या					
	बालक			बालिका		
	१९६२-६३	१९६३-६४	१९६४-६५	१९६२-६३	१९६३-६४	१९६४-६५
	१	२	३	४	५	६
(१) छात्रवृत्ति केन्द्रीय सरकार।	६४६	६०४	४३७	७०	६२	४६
राज्य सरकार ..	४५,३६०	४५,९६७	४८,८४८	४,८५२	५,३१०	६,१९१
संस्था स्वयं ..	२१	..	३,०८०	११	..	२३४
स्थानीय निकाय ..	२१	३	३	६	..	..
अन्य ..	३३४	३४३	१०३	१२	१३	८
कुल छात्रवृत्तियां ..	४६,३८३	..	५२,४७१	४,९५१	५,३८५	६,४७९
(२) अन्य वित्तीय सुविधाएँ	२५,१५४	२०,६९८	३३,३७१	४,७०७	१,६७६	७,०४३
(३) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों तथा पिछड़े वर्गों के शिक्षा के लिए वित्तीय सुविधाएं (जो उपर्युक्त मद १ और २ में शामिल हैं)।	३०,०६१*	..	२९,६६५*	२,४४९	..	*१,६७४

	इन वर्षों में खर्च की गई कुल रकम					
	बालक			बालिका		
	१९६२-६३	१९६३-६४	१९६४-६५	१९६२-६३	१९६३-६४	१९६४-६५
	७	८	९	१०	११	१२
(१) छात्रवृत्ति केन्द्रीय सरकार।	४५,८३३	५१,०२२	४१,२२३	४,५३९	५,२२६	४,२८२
राज्य सरकार ..	४५,८०,०९२	५०,७५,८१७	५१,८२,२१६	५,६२,४३०	६,१५,७४६	७,१७,४९१
संस्था स्वयं ..	३,७८०	..	८६,१७६	१,९८०	..	५,६१९
स्थानीय निकाय ..	९०६	१०८	१०८	२७४	..	..
अन्य ..	६,८६९	७,३१६	१,६०१	२५४	२९१	३७९
कुल छात्रवृत्तियां ..	४६,३७,४८०	..	५३,११,३२४	५,६९,४७७	६,२१,२६३	७,२७,७७१
(२) अन्य वित्तीय सुविधाएँ	५,४६,५१५	५,१८,१५७	११,८६,९५३	४०,७४४	५७,४८१	३,१६,९०२
(३) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों तथा पिछड़े वर्गों की शिक्षा के लिए वित्तीय सुविधाएं (जो उपर्युक्त मद १ और २ में शामिल हैं)।	२८,५८,२३४	..	३२,७२,९०६*	३,०२,०८६	..	२,७८,३८०*

*पिछड़े वर्गों के आंकड़ों को छोड़कर

मिडिल स्कूलों में छात्रवृत्ति, वृत्तिका एवं अन्य वित्तीय सुविधाएं

छात्रवृत्ति के स्रोत	दी गई छात्रवृत्तियों की संख्या					
	बालक**			बालिका**		
	१९६२-६३	१९६३-६४	१९६४-६५	१९६२-६३	१९६३-६४	१९६४-६५
	१	२	३	४	५	६
(१) छात्रवृत्ति केन्द्रीय सरकार।	४१	४७	५	१०	६	९
राज्य सरकार ..	१९,३१३	२०,०५२	२५,६०२	३,३२५	४,९०८	६,१७२
संस्था स्वयं ..	..	..	३५	..	..	१०
स्थानीय निकाय	२२३	१०५	५६	५०	१९	१६
अन्य ..	३२	३२	२५२	६	१०	४५
कुल छात्रवृत्तियां .	१९,६०९	२०,२३६	२६,६५०	३,३९१	४,९४३	६,२५२
(२) अन्य वित्तीय सुविधाएं	११,४१९	९,९११	१७,२५८	७२१	५७५	४,०५५
(३) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों तथा पिछड़े वर्गों की शिक्षा के लिए वित्तीय सुविधाएं जो उपयुक्त मद १ और २ में शामिल हैं।	१७,५३९	..	१५,६५९*	२,५९६	..	२,२२४*

छात्रवृत्ति के स्रोत	इन वर्षों में खर्च की गई कुल रकम					
	बालक **			बालिका**		
	१९६२-६३	१९६३-६४	१९६४-६५	१९६२-६३	१९६३-६४	१९६४-६५
	७	८	९	१०	११	१२
(१) छात्रवृत्ति केन्द्रीय सरकार।	३,२४७	३,९७३	४६०	६२०	५१४	९७५
राज्य सरकार ..	१५,०५,९५०	१५,४६,९३४	१८,८२,५६७	२,८२,४८८	३,२६,९९४	४,५७,८६६
संस्था स्वयं ..	..	..	१,०५०	..	..	३००
स्थानीय निकाय ..	१०.८०७	५,२६५	१,३९२	२.३२१	१,२१८	५३७
अन्य ..	६१६	८००	१३,३१५	७२	१००	३,८२७
कुल छात्रवृत्तियां ..	१५,२०,६२०	१५,५६,९७२	१८,९८,७८४	२,८५,५०१	३,२८.८२६	४.६३.५०५
(२) अन्य वित्तीय सुविधाएं	१,५९,६३१	१,३६,०९४	४,३१,१२६	१६,०७२	१२,३३८	१,०,२६१६
(३) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों तथा पिछड़े वर्गों की शिक्षा के लिए वित्तीय सुविधाएं जो उपयुक्त मद १ और २ में शामिल हैं।	१३,५७,६४४	..	१०,७१,६५८*	२,०६,७४२	..	१,९६,२४६*

*इसमें वरीय बुनियादी विद्यालयों के आंकड़े शामिल हैं और पिछड़े वर्गों के आंकड़े शामिल नहीं हैं।

**इसमें वरीय बुनियादी विद्यालयों के आंकड़े शामिल हैं।

२ । विद्यालय-फीस—

५.२६ । आलोच्य अवधि में, शिक्षण-फीस की दर में कोई परिवर्त्तन नहीं हुआ । उच्च (हाई)और मिडिल स्कूलों के प्राथमिक वर्गों में कोई फीस नहीं ली जाती । आंग्ल भारतीय उच्च विद्यालयों में, हर विद्यालय में फीस में भिन्नता है और फीस की दरें उनकी प्रबन्ध-समितियां नियत करती हैं । उत्तर-बुनियादी विद्यालयों में, जो अब बहूद्देशीय ढंग के विद्यालय में परिणत कर दिये हैं, फीस छात्रों की उस आय में से काट लिये जाते हैं, जो छात्र पढ़ाई के दौरान उपार्जित करता है ।

९। शिक्षण प्रणाली एवं स्तर

५.२७ । आलोच्य वर्ष में, आन्तरिक मूल्यांकन (इंटर्नल असेसमेन्ट) की प्रणाली उठा दी गई और दो दशकों के बाद, सातवें वर्ग की समाप्ति पर लोक परीक्षा का सिलसिला फिर चालू किया गया ।

अध्ययन के स्तर में गुणवत्ता की दृष्टि से सुधार लाने के लिए ये कदम उठाए गए ।

५.२८ । माध्यमिक स्तर में, पाठ्यक्रम में वैविध्य लाने का क्रम जारी रहा और अधिकाधिक विद्यालयों ने वैकल्पिक विषय के रूप में विज्ञान का शिक्षण चालू किया । मिडिल स्कूलों में जो एकीकृत पाठ्यक्रम शुरू किया गया था, वह आलोच्य अवधि में अपने अंतिम चरण में पहुंच गया ।

१०। शिक्षा का माध्यम

५.२९ । अधिकांश माध्यमिक विद्यालयों में भाषेतर विषयों की शिक्षा का माध्यम हिन्दी ही रहा, क्योंकि राज्य के अधिकांश लोगों की मातृभाषा हिन्दी है । भाषायी अल्पसंख्यकों को भी अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध रही । बंगला, उर्दू या उड़िया को भी शिक्षा का माध्यम उन विद्यालयों में रखा गया, जहां छात्रों की संख्या विहित सीमा तक थी । इसी आधार पर, आंग्ल-भारतीय विद्यालयों में, शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी बनी रही । अब चूंकि इस बात पर जोर दिया जाने लगा है कि शिक्षा के माध्यम के रूप में क्षेत्रीय भाषाओं को अपनाया जाय, इसलिए अब, पहले की अपेक्षा, आधुनिक भारतीय भाषाओं की शिक्षा पर अधिक जोर दिया जाने लगा है । संथाली भाषा भी उन विद्यालयों में एक भाषा-विषय के रूप में रखी गई है जिनमें संथाली पढ़नेवाले छात्रों ने नाम लिखाये हैं ।

११ । हिन्दी की पढ़ाई

५.३० । सम्पूर्ण भारतीय संघ की सम्पर्क भाषा और बिहार की राजभाषा के रूप में हिन्दी को अंगीकृत किये जाने के साथ ही, राज्य सरकार की भाषा-नीति में कुछ महत्वपूर्ण परिवत्तन हुए हैं । पांचवें वर्ग तक अंग्रेजी की पढ़ाई बिलकुल उठा दी गई है । हिन्दी से भिन्न भाषा पढ़नेवाले छात्रों के लिए, चौथे वर्ग से ही, हिन्दी का राष्ट्रभाषा के रूप में अध्यापन चालू कर दिया गया है । हिन्दी से भिन्न भाषा जाननेवाले सभी सरकारी सेवकों को अब शिक्षा-माध्यम की भाषा में तथा कार्यालय-पत्राचार की भाषा में भी विभागीय परीक्षा पास करनी पड़ती है ।

१२। परीक्षा-फल

५.३१ । उच्चतर माध्यमिक एवं माध्यमिक विद्यालय अपने परीक्षार्थियों को, इन स्तरों पर, लोक-परीक्षा के लिए उत्प्रेषित (सेंट-अप) करते रहे । बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इन परीक्षाओं का संचालन

किया। रिपोर्टगत अवधि में, इन परीक्षाओं के परीक्षाफल का ब्योरा निम्न तालिका में दिया गया है :—

१९६३-६४ और १९६४-६५ का वार्षिक परीक्षाफल (उच्चतर माध्यमिक एवं माध्यमिक परीक्षा)।

	बालक							
	१९६३-६४				१९६४-६५			
	परीक्षा में बैठनेवालों की संख्या।		उत्तीर्ण होनेवालों की संख्या।		परीक्षा में बैठनेवालों की संख्या।		उत्तीर्ण होनेवालों की संख्या।	
	नियमित	स्वतंत्र	नियमित	स्वतंत्र	नियमित	स्वतंत्र	नियमति	स्वतंत्र।
१	२	३	४	५	६	७	८	९
वार्षिक								
उच्चतर माध्यमिक ..	९,७०९	४,५२६	४,३६१	१,०४४	१३,८४८	९,१४४	५,९०८	१,७६२
माध्यमिक	६,१५३९	३७,४०३	२७,२४५	८,८३२	७५,३५८	३६,५२१	३२,६७१	१०,९२६
पूरक								
उच्चतर माध्यमिक ..	१,७१९	१,०५०	३३७	३११	..	..	..	..
माध्यमिक	७,०८९	४,१७१	१,३२२	९९५	..	..	..	..

	बालिका							
	१९६३-६४				१९६४-६५			
	परीक्षा में बैठनेवालों की संख्या।		उत्तीर्ण होनेवालों की संख्या।		परीक्षा में बैठनेवालों की संख्या।		उत्तीर्ण होनेवालों की संख्या।	
	नियमित	स्वतंत्र	नियमित	स्वतंत्र	नियमित	स्वतंत्र	नियमित	स्वतंत्र
१	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
वार्षिक								
उच्चतर माध्यमिक ..	८८१	१८८	५५०	६४	१,३०२	२६२	८३५	९३
माध्यमिक	३,४९६	२,८९८	२,१४०	१,२४४	३,८१५	२,७६८	२,४११	१,३०१
पूरक								
उच्चतर माध्यमिक ..	१२३	८१	३१	४०	..	..	..	..
माध्यमिक	४२१	६७०	१५६	१५४	..	..	..	..

५.३२ । १९६३-६४ और १९६४-६५ में हुई उच्चतर माध्यमिक परीक्षा में बैठे परीक्षार्थियों की कुल संख्या क्रमश: १८,२७७ (१७,००४ बालक और १,२७३ बालिकाएं) और २१,५५६ (१९,९९२ बालक और १,५६४ बालिकाएं) थीं, जिनमें से क्रमश: ६,७३८ (६,०५३ बालक और ६३५ बालिकाएं) और ८,५९८ (७,६७० बालक और ९२८ बालिकाएं) उत्तीर्ण घोषित किए गए । उसी प्रकार, १९६३-६४ और १९६४-६५ में माध्यमिक विद्यालय परीक्षा में बैठे परीक्षार्थियों की कुल संख्या क्रमश: १,१७,६८७ (१,१०,२०२ बालक और ७,४८५ बालिकाएं) और १,१८,७३२ (१,११,८७९ बालक और ६,८५३ बालिकाएं) थीं, जिनमें से क्रमश: ४२,१५८ (३८,३९४ बालक और ३,७६४ बालिकाएं) उत्तीर्ण घोषित किए गए । उच्चतर माध्यमिक परीक्षा में उत्तीर्णता का औसत प्रतिशत (बालक और बालिका दोनों का) १९६४-६५ में ३९.९ हुआ, जबकि यह १९६३-६४ में ३६.४ था । माध्यमिक परीक्षा में उत्तीर्णता का औसत प्रतिशत १९६४-९५ में ३९.८ हुआ, जबकि यह १९६३-६४ में ३५.८ था ।

१६ । विद्यालय भवन और साज-सामान

५.३३ । द्वितीय शैक्षिक सर्वेक्षण से पता चलता है कि ९२.९ प्रतिशत मिडिल स्कूल अपने भवनों में अवस्थित थे, २.० प्रतिशत किराये के भवनों में और ५.१ प्रतिशत किराया-मुक्त भवनों में । शहरी क्षेत्रों में मिडिल प्रशाखा के किरायेवाले भवनों का प्रतिशत १२.२ अधिक था ।

५.३४ । इसी प्रकार, माध्यमिक प्रशाखा के ९५.९ प्रतिशत अपने भवनों में अवस्थित हैं, २.४ प्रतिशत किराये के भवनों में और १.८ प्रतिशत बिना-किराये के खुले स्थान में । माध्यमिक प्रशाखा के संबंध में, शहरी क्षेत्रों में, किराये के भवनों का प्रतिशत केवल ८.९ है ।

५.३५ । जिला-बोर्डों के प्रत्यक्ष प्रबन्ध में रहनेवाले अथवा प्रसार और सुधार कार्यक्रम की स्कीमों के अधीन आलोच्य अवधि में खोले गए मिडिल स्कूलों के भवनों में सुधार की गुंजाइश बहुत सीमित रही क्योंकि अर्थोपाय की कठिनाइयों के चलते राज्य सरकार से निधि का आवंटन प्राप्त न हो सका ।

माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में स्थिति कुछ अच्छी रही क्योंकि राज्य सरकार का उत्तरदायित्व बहुत कुछ सीमित था ।

५.३६ । फर्निचर और अन्य साज-सामान की भी स्थिति संतोषजनक नहीं थी । शहरी क्षेत्रों के विद्यालयों ने इस अभाव के बीच काम चलाने के लिए दूसरी पाली चलाई ।

५.३७ । विद्यालयों के पुस्तकालयों को समृद्ध बनाने के लिए द्वितीय योजना अवधि में कुछ उत्साहवर्द्धक कदम उठाए गए । मिडिल स्कूलों को जिला-शिक्षा-निधि से कुछ बहुत उपयोगी पुस्तकें दी गईं । इसी प्रकार, पुस्तकालय-अधीक्षक, बिहार ने विद्यालयों के पुस्तकालयों को समृद्ध बनाने के लिए जोरदार प्रयत्न किए । किन्तु आलोच्य अवधि में, योजना-उपबन्ध में भारी कटौती और घटौती हो जाने से, इन प्रोत्साहनों में भारी कमी करनी पड़ी । नतीजा यह है कि अधिकांश मिडिल स्कूलों के पुस्तकालय जैसे-तैसे और खराब अवस्था में हैं । माध्यमिक विद्यालयों के पुस्तकालय भी संतोषजनक अवस्था में बिलकुल नहीं हैं ।

१४ । बिहार राज्य माध्यमिक शिक्षा समिति

५.३८ । ३० अगस्त १९६१ से २ जुलाई, १९६८ तक चालू बिहार राज्य माध्यमिक शिक्षा समिति की रिपोर्ट का प्रकाशन इसी रिपोर्ट गत अवधि में हुआ ।

माध्यमिक शिक्षा समिति की रिपोर्ट १२८ पृष्ठों की है और ८ अध्यायों में विन्यस्त है, जिसमें उद्देश्य और हेतु, संगठन, प्रशासन एवं मूल्यांकन तथा मार्गदर्शन, स्टाफ और वित्त आदि विविध विषय समाविष्ट हैं ।

५.३९ । राज्य सरकार ने, बहुत विचार-विमर्श के बाद, छुट्टियों के दिनों की संख्या घटाने के संबंध में बिहार राज्य माध्यमिक शिक्षा समिति, १९६३ की सिफारिश मान ली और निम्नलिखित निर्णय लिए । ये निर्णय जनवरी, १९६५ से प्रभावी हुए :—

(१) माध्यमिक विद्यालयों में अर्थात्, उच्च (हाई), उच्चतर माध्यमिक और बहूद्देशीय विद्यालयों में (सर्वोदय विद्यालयों को छोड़कर), रविवार को छोड़कर, वर्ष-भर में अधिक-से-अधिक केवल ७३ दिन अवकाश अनुमान्य होना चाहिए और यह विद्यालयों की प्रबन्ध-समितियों पर ही पूर्णतया छोड़ दिया जाना चाहिए कि वह तदनुसार अवकाश-सूची बनाए ।

(२) उच्च और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परीक्षाओं के परीक्षार्थियों की जांच परीक्षा (टेस्ट एक्जामिनेशन) एक साथ होनी चाहिए ।

(३) विद्यालय-परीक्षा-समिति, माध्यमिक विद्यालय और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की परीक्षाएं एक साथ होनी चाहिए ताकि विद्यालयों में कार्य-काल की हानि कम-से-कम हो ।

(४) बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा संचालित परीक्षाओं से भिन्न लोक अथवा विभागीय परीक्षाओं के लिए, कार्य-दिवसों में विद्यालय-भवनों का उपयोग अनुमत नहीं होना चाहिए ।

सरकार के इन निर्णयों को सरकारी संकल्प सं० २ आर१-०३/६५-ई०—३००, दिनांक २५ जनवरी, १९६५ के अधीन अधिसूचित किया गया ।

५.४० । इस समिति की सिफारिशों के आधार पर आशा की जाती है कि शिक्षकों के वेतनमान पुनरीक्षित किए जाएंगे और छुट्टियों की संख्या में घटौती की जाएगी तथा छोटी-छोटी प्रशासनिक इकाइयों के सृजन और विषय-पर्यवेक्षकों की नियुक्ति पर विभाग का ध्यान आकृष्ट होगा ।

६.५। १९६३-६४ और १९६४-६५ के दौरान विभिन्न विश्वविद्यालयों के अधीन विश्वविद्यालय विभागों और अंगीभूत तथा सम्बद्ध कालेजों (सामान्य और व्यावसायिक) की ब्योरेवार संख्या नीचे अलग-अलग तालिकाओं में दिखाई गई है :—

विभिन्न विश्वविद्यालयों में विश्वविद्यालय विभागों, अंगीभूत तथा संबद्ध कालेजों आदि की संख्या-सूचक तालिका।

(*i*) पटना विश्वविद्यालय।

संस्थाओं के प्रकार।	बालक।				बालिका।			
	१९६२-६३।	१९६३-६४।	१९६४-६५।	फर्क २ और ४।	१९६२-६३।	१९६३-६४।	१९६४-६५।	फर्क ६ और ८।
१	२	३	४	५	६	७	८	९
स्नातकोत्तर विभाग ..	४०	४०	४०	..	..	..	..	..
सामान्य शिक्षा के अंगीभूत कालेज	३	३	३	..	२	२	२	..
व्यावसायिक शिक्षा के अंगीभूत कालेज	४	४	४	..	१	१	१	..
शोध-संस्थान ..	१	१	१	..	..	..	..	..
विशेष शिक्षा के अन्य संस्थान ..	२	२	२	..	..	..	..	..
कुल ..	५०	५०	५०	..	३	३	३	..

६.६। ज्ञात होगा कि आलोच्य अवधि में न तो कोई नया विभाग और न कोई नया कालेज ही खोला गया अथवा अंगभूत बनाया गया। किन्तु इस अवधि में समेकन का महान कार्य हुआ। विश्वविद्यालय-शिक्षा में गुणवत्ता की दृष्टि से उन्नति हुई। नए छात्रावासों और विश्वविद्यालय के भवनों का निर्माण, पुस्तकालयों का प्रसार हुआ, प्रयोगशालाओं में साज-सामान आए और विश्वविद्यालय परिसर की दशा में सुधार हुआ।

(*ii*) बिहार विश्वविद्यालय।

संस्थाओं के प्रकार।	बालक				बालिका			
	१९६२-६३।	१९६३-६४।	१९६४-६५।	फर्क २ और ४।	१९६२-६३।	१९६३-६४।	१९६४-६५।	फर्क ६ और ८।
१	२	३	४	५	६	७	८	९
स्नातकोत्तर विभाग ..	१६	१६	१६	..	..	..	..	..
सामान्य शिक्षा के अंगीभूत कालेज	२	२	२	..	१	१	१	..
व्यावसायिक शिक्षा के अंगीभूत कालेज	..	..	..	..	..	..	..	..
सामान्य शिक्षा के सम्बद्ध कालेज ..	२९	२९	२९	..	२	२	२	..
व्यावसायिक शिक्षा के सम्बद्ध कालेज	८	८	८	..	..	..	..	..
शोध-संस्थान	..	..	..	..	..	..	..	..
कुल ..	५५	५५	५५	..	३	३	३	..

६.७ । आलोच्य अवधि में कोई नए स्नातकोत्तर विभाग नहीं खोले गए ।

अंगभूत कालेजों की संख्या भी ३ पर रुकी रही और सामान्य शिक्षा के सम्बद्ध कालेजों की सूची में भी कोई नया कालेज नहीं जुड़ा ।

(*iii*) भागलपुर विश्वविद्यालय ।

संस्थाओं के प्रकार ।	बालक ।				बालिका ।			
	१९६२-६३ ।	१९६३-६४ ।	१९६४-६५ ।	फर्क २ और ४ ।	१९६२-६३ ।	१९६३-६४ ।	१९६४-६५ ।	फर्क ६— ।
१	२	३	४	५	६	७	८	९
स्नातकोत्तर विभाग ..	१३	१३	१७	+४	..	..	..	..
सामान्य शिक्षा के अंगीभूत कालेज	१	१	२	+१	१	१	१	..
व्यावसायिक शिक्षा के अंगीभूत कालेज	शून्य	शून्य	शून्य	..	..	..	..	..
सामान्य शिक्षा के सम्बद्ध कालेज ..	३२	३२	३५	+३	..	..	..	..
व्यावसायिक शिक्षा के सम्बद्ध कालेज	६	६	६	..	..	१	१	..
शोध-संस्थान	शून्य	शून्य	शून्य	..	..	..	..	..
अन्य संस्थाएं	शून्य	शून्य	शून्य	..	..	..	..	..
कुल ..	५२	५२	६०	+८	१	२	२	..
व्यावसायिक शिक्षा के अनुपलब्ध कालेज ।	..	४	२	+२	..	..	..	..
विशेष शिक्षा	२	२	२	..	..	..	..	..
कुल योग ..	५४	५८	६४	+१०	१	२	२	..

६.८ । वर्ष १९६२-६३ से तुलना करने पर पता चलेगा कि १९६४-६५ में निम्नलिखित नये स्नातकोत्तर विभाग खोले गए—(१) भौतिकी (फीजिक्स), (२) रसायन शास्त्र (केमिस्ट्री), (३) वनस्पति विज्ञान (बॉटनी) और (४) जन्तु विज्ञान (जूलॉजी) ।

१९६४-६५ में एक और कालेज आर० डी० एंड डी० जे० कालेज, मुंगेर को अंगीभूत बनाया गया । १९६४-६५ में सामान्य शिक्षा के सम्बद्ध कालेजों की सूची में ५ नये कालेज जोड़े गए— (१) के० डी० एस०

कॉलेज, गोगरी (मुंगेर), (२) जे० एम० एस० कॉलेज, मुंगेर, (३) एस० आर० टी० कॉलेज, धमुई (संथाल परगना), (४) आर० डी० एस० महाविद्यालय, सुलभारी (पूर्णिया), और (५) निर्मली कॉलेज, निर्मली (दरभंगा)।

(*iv*) रांची विश्वविद्यालय

संस्थाओं के प्रकार।	बालक।				बालिका।			
	१९६२-६३।	१९६३-६४।	१९६४-६५।	फर्क २ और ४।	१९६२-६३।	१९६३-६४।	१९६४-६५।	फर्क ६ और ८।
१	२	३	४	५	६	७	८	९
स्नातकोत्तर विभाग ..	१४	१४	१५	+१	..	..	..	..
सामान्य शिक्षा के अंगीभूत कॉलेज	२	२	३	+१	१	१	१	..
व्यावसायिक शिक्षा के अंगीभूत कॉलेज	शून्य	शून्य	शून्य	..	..	..	..	..
सामान्य शिक्षा के सम्बद्ध कॉलेज ..	१४	१४	१९	+५	२	२	२	..
व्यावसायिक शिक्षा के सम्बद्ध कॉलेज	९	९	१०	+१	..	..	..	..
शोध संस्थान	शून्य	शून्य	शून्य	..	..	..	..	..
अन्य	..	..	..	..	..	..	..	..
कुल ..	३९	३९	४७	+८	३	३	३	..

६.९। १९६४-६५ में मनोविज्ञान का एक नया स्नातकोत्तर विभाग खोला गया, और १९६४-६५ में सेंट कोलम्बस कॉलेज, हजारीबाग अंगीभूत कॉलेज हुआ। सामान्य शिक्षा के नये सम्बद्ध कॉलेजों में इनका उल्लेख किया जा सकता है—(१) डोरण्डा कॉलेज, डोरण्डा, रांची, (२) लोहरदग्गा कॉलेज, लोहरदग्गा, (३) करीम सिटी कॉलेज, जमशेदपुर, (४) मारवाड़ी कॉलेज, रांची, (५) सिन्द्री कॉलेज, सिन्द्री, और (६) के० बी० सहाय कॉलेज, बेरमो। व्यावसायिक शिक्षा का एक कॉलेज—महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल, कॉलेज जमशेदपुर—विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किया गया।

(*v*) मगध विश्वविद्यालय।

संस्थाओं के प्रकार।	बालक।				बालिका।			
	१९६२-६३।	१९६३-६४।	१९६४-६५।	फर्क २ और ४।	१९६२-६३।	१९६३-६४।	१९६४-६५।	फर्क ६ और ८।
१	२	३	४	५	६	७	८	९
स्नातकोत्तर विभाग ..	७	१०	११	+१	..	..	..	..
सामान्य शिक्षा के अंगीभूत कॉलेज	२	२	२	..	..	..	..	..
व्यावसायिक शिक्षा के अंगीभूत कॉलेज	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	..	..	..	..
सामान्य शिक्षा के संबद्ध कॉलेज ..	२४	२४	२८	+४	२	२	२	..
व्यावसयिक शिक्षा के सम्बद्ध कॉलेज	३	३	३	..	..	..	..	..
शोध संस्थान	..	..	..	..	..	..	..	..
अन्य संस्थाएं	..	..	..	..	..	..	..	..
कुल ..	३६	३९	४४	+५	२	२	२	..

६.१०। १९६३-६४ में (१) राजनीति-विज्ञान, (२) संस्कृत एवं प्राकृत, और (३) प्राचीन भारतीय इतिहास एवं एशियाई अध्ययन विषयक तीन नये स्नातकोत्तर विभाग और १९६४-६५ में प्रयुक्त अर्थशास्त्र एवं वाणिज्य शास्त्र विषयक एक नया स्नातकोत्तर विभाग खोले गए। अंगीभूत कॉलेजों की सूची में कोई नई वृद्धि नहीं हुई। किन्तु १९६४-६५ में सामान्य शिक्षा के इन चार नये कॉलेजों को सम्बद्धता दी गई (१) ए० एम० कॉलेज, गया, (२) एम० एम० डी० कॉलेज, बिक्रम, (३) बी० एन० कॉलेज, राजगीर, और (४) शिवदेनी कॉलेज मेंहुदिया-सवाल।

६.११। विभिन्न विश्वविद्यालयों में ३१ मार्च १९६५ को यथास्थित स्नातकोतर विभागों, अंगीभूत कॉलेजों, सम्बद्ध कॉलेजों, व्यावसायिक कॉलेजों, संस्थानों और असम्बद्ध कॉलेजों की सूची नीचे दी गई है :—

६.१२। (क) पटना विश्वविद्यालय—

मार्च, १९६२ में मगध विश्वविद्यालय की स्थापना के साथ ही, पटना विश्वविद्यालय को विशुद्ध अध्यापन विश्वविद्यालय (टीचिंग यूनिवर्सिटी) के रूप में पुनर्गठित किया गया, जिसका सम्बन्ध पटना नगर निगम क्षेत्र की (जो कि उसकी अधिकारिता है) संस्थाओं से रहा।

क। विश्वविद्यालय विभाग—(१) प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व, (२) अरबी, (३) बंगला, (४) अंग्रेजी, (५) अर्थशास्त्र, (६) भूगोल, (७) हिन्दी, (८) इतिहास, (९) मैथिली, (१०) श्रम एवं समाज कल्याण, (११) मनोविज्ञान, (१२) दर्शनशास्त्र, (१३) राजनीति विज्ञान,(१४) फारसी, (१५) संस्कृत, (१६) समाजशास्त्र, (१७) उर्दू, (१८) शिक्षा, (१९) प्रयुक्त अर्थशास्त्र अप्लायड इकानॉमिक्स एवं वाणिज्य शास्त्र, (२०) वनस्पति विज्ञान (बॉटनी), (२१) रसायन शास्त्र (केमिस्ट्री), (२२) भूगर्भशास्त्र (जियोलॉजी), (२३) गणित (मैथेमेटिक्स, (२४) भौतिकी (फिजिक्स), (२५) सांख्यिकी (स्टैटिस्टिक्स), (२६) प्राणिविज्ञान (जूलॉजी), (२७) शरीर-रचना-विज्ञान (अनाटॉमी), (२८) चिकित्सा शास्त्र (मेडिसिन), (२९) प्रसूति विज्ञान एवं स्त्री-रोग विज्ञान (आब्स्टेट्रिक्स ऐंड गाइनोकॉलोजी), (३०) रोग विज्ञान (पैथोलॉजी), (३१) नेत्र-रोग विज्ञान एवं कान-नाक-गला रोग विज्ञान (आथालमॉलोजी ऐंड ओटोहिमोलरिंजालोजी), (३२) औषध विज्ञान (फार्माकॉलोजी), (३३) शरीर-क्रिया विज्ञान (फीजियालोजी), (३४) शल्य-चिकित्सा विज्ञान (सर्जरी), (३५) शिशु-रोग-विज्ञान (पेडियाट्रिक्स, (३६) विकलांग-शल्य चिकित्सा-विज्ञान (आर्थोपेडिक सर्जरी), (३७) चेतन शून्यता-विज्ञान (एनास्थीसियोलोजी), (३८)अभिघटन-शल्य चिकित्सा-विज्ञान (प्लास्टिक सर्जरी), (३९) विकिरण-विज्ञान एवं विकिरण-चिकित्सा-विज्ञान (रेडियालोजी ऐंड रेडियो-थेरापी), (४०) विधिशास्त्र (लॉ) (बी० एल० तथा एम०एल०)।

ख। संस्थान—(१) मनोवैज्ञानिक शोध एवं सेवा संस्थान (इंस्टीच्यूट ऑफ साइकॉलाजिकल रिसर्च ऐंड सर्विस), (२) संगीत-संस्थान (इंस्टीच्यूट ऑफ म्यूजिक, (३) लोक प्रशासन-संस्थान (इंस्टीच्यूट ऑफ पब्लिक ऐडमिनिस्ट्रेशन)।

ग। अंगीभूत कॉलेज—

(१) सामान्य शिक्षा के कॉलेज—

(१) पटना कॉलेज, पटना।
(२) पटना साइंस कॉलेज, पटना।
(३) बी० एन० कॉलेज, पटना।
(४) पटना वीमेन्स कॉलेज, पटना।
(५) मगध महिला कॉलेज, पटना।

(२) व्यावसायिक शिक्षा के कॉलेज—

(१) पी० डब्लू० मेडिकल कॉलेज, पटना।
(२) बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, पटना।
(३) पटना लॉ कॉलेज, पटना।
(४) पटना ट्रेनिंग कॉलेज, पटना।

(३) विशेष शिक्षा के कॉलेज—

कोई नहीं।

घ। सम्बद्ध कॉलेज—

कोई नहीं।

ङ। असम्बद्ध कॉलेज—

(१) सामान्य शिक्षा के लिए—

कोई नहीं।

(२) व्यावसायिक शिक्षा के लिए—

(१) पटना डेंटल कॉलेज, पटना।
(२) गवर्नमेंन्ट आयुर्वेदिक कॉलेज, पटना।
(३) गवर्नमेंट तिब्बी कॉलेज, पटना।
(४) गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ हेल्थ एंड फीजिकल एडुकेशन, पटना।

(३) विशेष शिक्षा के लिए—

(१) मदरसा इस्लामिया शमसुल हुदा, पटना।

च। शोध-संस्थान—

(१) अरबी एवं फारसी शोध संस्थान,पटना।

६.१३। (ख) बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर—

बिहार विश्वविद्यालय, पटने में अधिष्ठित पुराने बिहार विश्वविद्यालय (१९५२—६०) और पुराने पटना विश्वविद्यालय (१९१७—५१) का अवशिष्ट वसीयतदार है। बिहार विश्वविद्यालय अधिनियम, १९५१ के अधीन १९५२ में स्थापित पुराने बिहार विश्वविद्यालय ने पटना नगर निगम क्षेत्र में अवस्थित कॉलेजों से भिन्न कॉलेजों का उत्तरदायित्व पुराने पटना विश्वविद्यालय से ग्रहण किया था। १९६० से भागलपुर और रांची में क्षेत्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना के साथ, इस विश्वविद्यालय पर केवल तिरहुत प्रमण्डल के शिक्षण-परीक्षण का उत्तरदायित्व रह गया। इसका मुख्यालय पटना से मुजफ्फरपुर अन्तरित होने पर कुछ संगठनात्मक और आवास आदि की वस्तुगत कठिनाइयां हुईं।

विश्वविद्यालय विभागों और कॉलेजों आदि के ब्योरे इस प्रकार हैं:—

क। विश्वविद्यालय-विभाग—(१) अंग्रेजी, (२) हिन्दी, (३) इतिहास, (४) संस्कृत, (५) राजनीति विज्ञान, (६) दर्शनशास्त्र, (७) अर्थशास्त्र, (८) मनोविज्ञान, (९) भौतिकी (फीजिक्स), (१०) रसायन शास्त्र (केमिस्ट्री), (११) गणित (मैथेमेटिक्स), (१२) वनस्पती-विज्ञान (बोटनी), (१३) प्राणि विज्ञान (जूलॉजी), (१४) उर्दू, (१५) मैथिली, (१६) वाणिज्य शास्त्र।

ख। संस्थान—कोई नहीं।

ग। अंगीभूत कॉलेज—

(१) सामान्य शिक्षा के लिए—

(१) लंगट सिंह कॉलेज, मुजफ्फरपुर।
(२) सी० एम० कॉलेज, दरभंगा।
(३) एम० डी० डी० महिला कॉलेज, मुजफ्फरपुर।

(२) व्यावसायिक शिक्षा के लिए—कोई नहीं।

ध। सम्बद्ध कॉलेज—

(१) सामान्य शिक्षा के लिए—

(१) डी० ए० वी० कॉलेज, सीवान।
(२) डी० बी० कॉलेज, जयनगर।
(३) डा० श्रीकृष्ण सिंह वीमेन्स कॉलेज, मोतिहारी।
(४) गोपालगंज कॉलेज, गोपालगंज।
(५) गोपेश्वर कॉलेज, हथुआ।
(६) जी० एम० आर० डी० कॉलेज, मोहनपुर वाया मोहिउद्दीनगर, दरभंगा।
(७) जगदम कॉलेज, छपरा।
(८) जयप्रकाश महिला महाविद्यालय, छपरा।
(९) जे० एस० कॉलेज, चन्दौली, बेलसंड (मुजफ्फरपुर)।
(१०) जगदीश नन्दन कॉलेज, बाबू बड़ही (मधुबनी)।
(११) जनता कॉलेज, झंझारपुर।
(१२) लक्ष्मीनारायण कॉलेज, भगवानपुर।
(१३) मारवाड़ी महाविद्यालय, दरभंगा।
(१४) मिल्लत कॉलेज, लहेरियासराय, दरभंगा।
(१५) एम० एल० एस० के० कॉलेज, सरिसवपाही, दरभंगा।
(१६) एम० जे० कॉलेज, बेतिया।
(१७) एम० एस० कॉलेज, मोतिहारी।
(१८) एम० एस० एस० गिरि कॉलेज, अरेराज (चम्पारण)।
(१९) प्रभुनाथ कॉलेज, दिघवारा (सारन)।
(२०) पण्डौल कॉलेज, पण्डौल (दरभंगा)।
(२१) आर० बी० कॉलेज, दलसिंगसराय।
(२२) राजेन्द्र कॉलेज, छपरा।
(२३) आर० पी० एस० कॉलेज, जैतपुर।
(२४) राजनारायण कॉलेज, हाजीपुर।
(२५) आर० डी० ए,स० कॉलेज, मुजफ्फरपुर।
(२६) आर० के० कॉलेज, मधुबनी।
(२७) रोसड़ा कॉलेज, रोसड़ा (दरभंगा)।
(२८) आर० बी० जी० आर० कॉलेज, महाराजगंज, सारण।
(२९) एस० आर० के० गोयनका कॉलेज, सीतामढ़ी।
(३०) समस्तीपुर कॉलेज, समस्तीपुर।
(३१) ए० एन० डी० कॉलेज, शाहपुर-पटौरी, दरभंगा।

(२) व्यावसायिक शिक्षा के लिए—

(१) मुजफ्फरपुर इंस्टीच्यूट ऑफ टेकनालॉजी, मुजफ्फरपुर।
(२) तिरहुत कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, ढोली, पो० पूसा।
(३) दरभंगा मेडिकल कॉलेज, लहेरियासराय (दरभंगा)।
(४) एस० के० लॉ कॉलेज, मुजफ्फरपुर।
(५) टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, तुर्की।
(६) टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, समस्तीपुर।

(३) विशेष शिक्षा के लिए—

कोई नहीं।

ङ। असम्बद्ध महाविद्यालय—

(१) सामान्य शिक्षा के लिए—कोई नहीं।
(२) व्यावसायिक शिक्षा के लिए—कोई नहीं।
(३) विशेष शिक्षा के लिए—

(१) रूरल इंस्टीच्यूट ऑफ हायर स्टडीज, सुन्दरनगर, बिरौली, दरभंगा।
(२) आयुर्वेदिक कॉलेज, मोतिहारी।

च। शोध-संस्थान—

(१) मिथिला रिसर्च इंस्टीच्यूट, दरभंगा।
(२) प्राकृत ऐंड जैन रिसर्च इंस्टीच्यूट, वैशाली (मुजफ्फरपुर)।

६.१४। (ग) भागलपुर विश्वविद्यालय—

भागलपुर विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना १९६१ में हुई, रिपोर्ट गत-वर्ष तक सम्बद्धकारी विश्वविद्यालय के रूप में काम करता रहा। विश्वविद्यालय की क्षेत्रीय अधिकारिता भागलपुर प्रमण्डल के राजस्व जिलों तक सीमित थी।

विश्वविद्यालय विभागों, कॉलेजों, आदि के ब्योरे निम्न प्रकार हैं:—

(क) विश्वविद्यालय विभाग—(१) हिन्दी, (२) वाणिज्य शास्त्र, (३) रूरल इकॉनोमिक्स एवं को-ऑपरेशन, (४) समाज शास्त्र, (५) सांख्यिकी, (६) श्रम एवं समाज कल्याण, (७) राजनीति-विज्ञान, (८) अंग्रेजी, (९) दर्शनशास्त्र, (१०) अर्थशास्त्र, (११) गणित, (मैथेमेटिक्स), (१२) इतिहास, (१३) मनोविज्ञान, (१४) भौतिकी (फीजिक्स), (१५) रसायन शास्त्र (केमिस्ट्री), (१६) वनस्पति विज्ञान (बॉटनी), (१७) प्राणिविज्ञान (जूलॉजी),

(ख) संस्थान—कोई नहीं।
(ग) अंगीभूत कॉलेज—

(१) सामान्य शिक्षा के लिए—

(१) टी० एन० बी० कॉलेज, भागलपुर।
(२) सुन्दरवती महिला महाविद्यालय, भागलपुर।
(३) आर० डी० ऐंड डी० जे० कॉलेज, मुंगेर।

(२) व्यावसायिक शिक्षा के लिए—कोई नहीं।
(३) विशेष शिक्षा के लिए—कोई नहीं।

(घ) सम्बद्ध कॉलेज—

(१) सामान्य शिक्षा के लिए—

(१) ए० पी० एस० एम० कॉलेज, बरौनी।
(२) बी० आर० एम० महाविद्यालय, मुंगेर।
(३) बी० एन० एम० कॉलेज बड़हिया, मुंगेर।
(४) बी० एस० एस० कॉलेज, सुपौल (सहरसा)।
(५) डी० एस० कॉलेज, कटिहार।
(६) देवघर कॉलेज, देवघर।
(७) फारबिसगंज कॉलेज, फारबिसगंज (पूर्णिया)।
(८) जी० बी० कॉलेज, नौगछिया।
(९) जी० डी० कॉलेज, बेगूसराय।
(१०) गोड्डा कॉलेज, गोड्डा।
(११) जी० एल० एम० कॉलेज, बनमखी।
(१२) एच० एस० कॉलेज, उदा-किसुनगंज।
(१३) जे० आर० एस० महाविद्यालय, जमालपुर।
(१४) जे० पी० कॉलेज, नारायणपुर।
(१५) के० के० एम० कॉलेज, जमुई, मुंगेर।
(१६) के० एम० डी० कॉलेज, परबत्ता।
(१७) कोशी कॉलेज, खगड़िया (मुंगेर)।
(१८) मारवाड़ी कॉलेज, किसुनगंज (पूर्णिया)।
(१९) मुरारका कॉलेज, सुलतानगंज।
(२०) पी० बी० एस० कॉलेज, बांका (भागलपुर)।
(२१) आर० एस० कॉलेज, तारापुर।
(२२) पूर्णिया कॉलेज, पूर्णिया।

(२३) सहरसा कॉलेज, सहरसा।
(२४) साहिबगंज कॉलेज, साहिबगंज।
(२५) एस० पी० कॉलेज, दुमका।
(२६) एस० के० महिला महाविद्यालय, बेगुसराय, मुंगेर।
(२७) एस० के० आर० कॉलेज, बरबीघा, मुंगेर।
(२८) टी० पी० कॉलेज, मधेपुरा (सहरसा)।
(२९) एच० एस० महाविद्यालय, हवेली खड़गपुर।
(३०) एल० जे० एम० महाविद्यालय, कटिहार।
(३१) के० डी० एस० कॉलेज, गोगरी (मुंगेर)।
(३२) जे० एम० एस० कॉलेज, मुंगेर।
(३३) एस० आर० टी० कॉलेज, धमरी (संथाल परगना)।
(३४) आर० डी० एस० महाविद्यालय, सुलमारी (पूर्णिया)।
(३५) निर्मली कॉलेज, निर्मली सहरसा।

२. व्यावसायिक शिक्षा के लिए—

(१) बिहार ऐग्रिकल्चर कॉलेज, सबौर।
(२) भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज, बरारी, भागलपुर।
(३) टी० एन० बी० लॉ कालेज, भागलपुर।
(४) मारवाड़ी कॉलेज, भागलपुर।
(५) टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, भागलपुर।
(६) टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, देवघर।

३. विशेष शिक्षा के लिए—कोई नहीं।

(ङ) असम्बद्ध कालेज—

(१) सामाय शिक्षा के लिए—कोई नहीं।
(२) व्यावसायिक शिक्षा के लिए:—
(१) एस० वाइ० एन० ए० आयुर्वेदिक कॉलेज, भागलपुर।
(२) ए०एस० के० आयुर्वेदिक कॉलेज, बेगूसराय।

३। विशेष शिक्षा के लिए—

(१) कला केन्द्र, भागलपुर।

(घ) रांची विश्वविद्यालय—

६.१५। रांची विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना १९६१ में हुई थी, रिपोर्ट गत वर्ष तक सम्बद्धकारी विश्वविद्यालय के रूप में कार्य करता रहा। इस विद्यालय की अधिकारिता छोटानागपुर प्रमण्डल के राजस्व जिलों तक बनी रही।

विश्वविद्यालय के विभागों और संबद्ध कालेजों आदि का विवरण नीचें दिया जाता है :—

(क) विश्वविद्यालय विभाग—(१) मानव विज्ञान (एन्थ्रोपालोजी), (२) वनस्पति विज्ञान, (३) रसायन विज्ञान, (४) भौतिक विज्ञान, (५) प्राणिविज्ञान (जूलॉजी), (६) भू-विज्ञान (जियोलाजी), (७) गणित, (८) अंग्रेजी, (९) भूगोल, (१०) हिन्दी, (११) इतिहास (१२) दर्शन शास्त्र, (१३) राजनीति विज्ञान. (१४) अर्थशास्त्र, (१५) मनोविज्ञान।

(ख) संस्थाएं—शून्य।
(ग) अंगीभूत कॉलेज।

१. सामान्य शिक्षा वाले।

(१) राँची कॉलेज, राँची।
(२) रांची महिला कॉलेज, रांची।
(३ टाटा कॉलेज, चाईबासा।
(४) सन्त कोलम्बस कॉलेज, हजारीबाग।

(*i*) व्यावसायिक शिक्षा वाले—शून्य।
(*ii*) विशेष शिक्षा—शून्य।

(घ) संबद्ध कॉलेज—

(१) सामान्य शिक्षा वाले—

(१) गणेश लाल अग्रवाल कॉलेज, डालटेनगंज।
(२) गिरीडीह महाविद्यालय, गिरीडिह।
(३) जमशेदपुर को-ऑपरेटिव कॉलेज जमशेदपुर।
(४) जमशेदपुर महिला कॉलेज, जमशेदपुर।
(५) जे० जे० कॉलेज, झुमरीतिलैया।
(६) राजा शिव प्रसाद कॉलेज, झरिया।
(७) राम सहायमल मोर कॉलेज, गोबिन्दपुर, धनबाद।
(८) सेन्त जेवियर कॉलेज, रांची।
(९) सिमडेगा कालेज, सिमडेगा।
(१०) गुमला कालेज, गुमला।
(११) पी० के० राय मेमोरियल कालेज, धनबाद।
(१२) बिरसा कॉलेज, खूंटी।
(१३) चतरा कालेज, चतरा।
(१४) एस० एस० एल० एन० टी० महाविद्यालय, धनबाद।
(१५) वर्कर्स कॉलेज, जमशेदपुर।
(१६) डोरन्डा कॉलेज, राँची।
(१७) लोहरदगा कॉलेज, लोहरदगा।
(१८) करीम सिटी कॉलेज, राँची।
(१९) मारवाड़ी कॉलेज, राँची।
(२०) सिन्दरी कॉलेज, सिन्दरी।
(२१) के० बी० सहाय कॉलेज, बेरमो।

व्यावसायिक शिक्षा वाले—

(१) बिहार इनस्टीच्यूट ऑफ टेकनोलॉजी, सिन्दरी।
(२) बिड़ला इनस्टीच्यूट ऑफ टेकनोलॉजी, मेसरा, राँची।
(३) रिजनल इनस्टीट्यूट ऑफ टेकनोलॉजी, जमशेदपुर।
(४) राँची एग्रिकलचर कॉलेज, रांची।
(५) छोटानागपुर लॉ कॉलेज, रांची।
(६) राँची मेडिकल कॉलेज, राँची।
(७) इन्डियन स्कूल ऑफ माइन्स ऐण्ड अप्लायड जिओलॉजी, धनबाद।
(८) राँची पशु चिकित्सा (वेटेनरी) कॉलेज, काँके, राँची।
(९) शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेज (टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज) रांची।

(III) विशेष शिक्षा वाले शून्य।

(ङ) मगध विश्वविद्यालय—

६.१६ मगध विश्वविद्यालय की स्थापना मगध विश्वविद्यालय अधिनियम, १९६१ (बिहार अधिनियम ४, १९६२) के अधीन १ मार्च, १९६२ को हुई और इसका मुख्यालय, बोधगया रखा गया। इसकी क्षेत्रीय अधिकारिता के अन्तर्गत पटना विश्वविद्यालय अधिनियम, १९६१ के अधीन स्थापित पटना विश्वविद्यालय में पड़ने वाले स्थानीय क्षेत्र को छोड़कर सम्पूर्ण पटना प्रमंडल रखा गया।

विश्वविद्यालय विभागों और संबद्ध कालेजों का ब्योरा नीचे दिया जाता है—

(क) विश्वविद्यालय विभाग—(१) अंग्रेजी, (२) हिन्दी (३) इतिहास, (४) अर्थशास्त्र, (५) गणित, (६) भूगोल, (७) दर्शनशास्त्र, (८) राजनीति विज्ञान, (९) संस्कृत और प्राकृत, (१०) प्राचीन भारतीय इतिहास और एशियाई अध्ययन, (११) प्रयुक्त अर्थशास्त्र (अप्लायड इकोनोमिक्स)।

(ख) संस्थान—शून्य—

(ग) अंगीभूत कॉलेज—

(*i*) सामान्य शिक्षा वाले—

(१) एच० डी० जैन महाविद्यालय, आरा।
(२) गया कॉलेज, गया।

(*ii*) व्यावसायिक शिक्षा वाले—शून्य।
(*iii*) विशेष शिक्षा वाले—शून्य।

(घ) सम्बद्ध कॉलेज।

(*i*) सामान्य शिक्षा वाले—

(१) बी० एस० कॉलेज, दानापुर।
(२) किसान कॉलेज, सोहसराय, पटना।
(३) नालन्दा कॉलेज, बिहार शरीफ।
(४) श्री चान्द उदासीन कॉलेज, हिलसा, पटना।
(५) जी० जे० कॉलेज, रामबाग, बिहार, पटना।
(६) ए० एन० एस० कॉलेज, अनीसाबाद, पटना।
(७) टी० पी० एस० कॉलेज, पटना-३।
(८) ए० एन० एस० कॉलेज, बाढ़, पटना।
(९) एम० डी० कॉलेज, नौबतपुर, पटना।
(१०) रामरतन सिंह कॉलेज, मोकामा।
(११) सोमवती महताब दास कॉलेज, पुनपुन।
(१२) गुरू गोविन्द सिंह कॉलेज, पटना-८।
(१३) जे० एन० कॉलेज, खगौल, पटना।
(१४) के० एल० एस० कॉलेज, नवादा।
(१५) एस० एस० कॉलेज, जहानाबाद, गया।
(१६) गौतमबुद्ध महिला कॉलेज, गया।
(१७) एस० सिन्हा कॉलेज, औरंगाबाद, गया।
(१८) जगजीवन महाविद्यालय, गया।
(१९) अनजवित सिंह कॉलेज, बिक्रमगंज, आरा।
(२०) एम० एम० आर० आर० प्रसाद सिंह कॉलेज, आरा।
(२१) एस० बी० पाटल कॉलेज, भभुआ, शाहाबाद।
(२२) जगजीवन राम कॉलेज, आरा।
(२३) धरीक्षण कुंबेरी कॉलेज, डुमरी (शाहाबाद)।
(२४) महादेवानन्द गिरि महिला महाविद्यालय, आरा।
(२५) महर्षि महाविद्यालय, बक्सर।
(२६) एस० पी० जैन कॉलेज सासाराम।
(२७) ए० एम० कॉलेज, गया।
(२८) एम० एम० डी० कॉलेज, विक्रम।
(२९) बी० एन० कॉलेज, राजगीर।
(३०) शिवदेनी कॉलेज, मेहन्दिया, अरवल।

(*ii*) व्यावसायिक शिक्षा वाले—

(१) कॉलेज ऑफ कॉमर्स, कंकड़बांग, पटना।
(२) बिहार पशु चिकित्सा (वेटेरिनरी) कॉलेज, पटना।

(*iii*) विशेष शिक्षा वाले—शून्य।

(ङ) असम्बद्धध कॉलेज—शून्य।

(च) शोध संस्थान—

श्री कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय—

६.१७। यह विश्वविद्यालय १९६१ में स्थापित हुआ था। यह एक ऐसा विश्वविद्यालय है जिससे अन्य महाविद्यालय संबद्ध हैं और जो उनकी परीक्षा संबंधी व्यवस्था करता है। संस्कृत शिक्षा प्रदान करनेवाली राज्य की

सभी संस्थाएं इसकी अधिकारिता के अन्तर्गत पड़ती हैं। इस विश्वविद्यालय से संबद्ध संस्था का पूरा ब्योरा नीचे दिया जाता है:—

कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा १९६४-६५

(क) विश्वविद्यालय विभाग— शून्य
(ख) संस्थान— शून्य
(ग) अंगीभूत महाविद्यालय— शून्य

(घ) सम्बद्ध महाविद्यालय,

(*i*) सामान्य शिक्षा वाले— शून्य
(*ii*) व्यावसायिक शिक्षा वाले— शून्य

(*iii*) विशेष शिक्षा वाले—

(१) एम० आर० एन० संस्कृत महाविद्यालय, दरभंगा।
(२) एम० एम० लालो विद्यापीठ, लोहना पो० लोहना रोड, दरभंगा।
(३) मिथिला संस्कृत महाविद्यालय, दीप (पो०) भाया झंझारपुर दरभंगा।
(४) प्रताप नारायण संस्कृत महाविद्यालय लक्ष्मीपुर, पो० बाँसी, भागलपुर।
(५) अवध बिहारी संस्कृत महाविद्यालय, रहीमपुर (पो०) मुंगेर।
(६) बालानन्द संस्कृत महाविद्यालय, आश्रम करनौबाद, पो० देवघर संथालपरगना।
(७) श्री एन० के० एम० संस्कृत महाविद्यालय, धानामठ, पो० राजीपुर, पटना।
(८) महन्थ केशव संस्कृत महाविद्यालय, फतुहा (पो०) पटना।
(९) राघवेन्द्र संस्कृत महाविद्यालय, तरेतपाली, पो० नौबतपुर, पटना।
(१०) राम निरंजन दास मुरारका संस्कृत महाविद्यालय, पटना सिटी।
(११) ब्रजभूषण संस्कृत महाविद्यालय, खरखुरा, पो० गया।
(१२) सिद्धेश्वरी संस्कृत महाविद्यालय, पचरुखिया (पो०) भाया, हसन बाजार शाहाबाद।
(१३) धर्म समाज संस्कृत महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर।
(१४) गवर्नमेन्ट महाविद्यालय, पटना।
(१५) गवर्नमेन्ट संस्कृत महाविद्यालय, भागलपुर।
(१६) गणपति गवर्नमेन्ट संस्कृत महाविद्यालय, राँची।
(१७) बाबा साहेब राम संस्कृत महाविद्यालय, पचाढ़ी, दरभंगा।
(१८) संस्कृत महाविद्यालय, बैगनी, पो० नवादा द्वारा बहेड़ा, दरभंगा।
(१९) सीवान संस्कृत महाविद्यालय, सीवान, छपरा।
(२०) जगदम्बा संस्कृत महाविद्यालय, बाथो, पो० शिवराम, दरभंगा।
(२१) गौतम संस्कृत महाविद्यालय, अहिल्या स्थान, पो० अहियारी, दरभंगा।
(२२) संस्कृत विद्यापीठ, १७२ डी, कमलानगर, दिल्ली।

(ङ) ऐसे महाविद्यालय जिन्हें औपचारिक रूप से संबद्धता नहीं प्रदान की गई है किन्तु जिन संस्थाओं के उम्मीदवारों को विश्वविद्यालय परीक्षा के हेतु नियमित माना गया है—

(१) गुरुकुल संस्कृत महाविद्यालय, मेहीयान, पो० छपरा।
(२) ब्रह्मचर्याश्रम संस्कृत महाविद्यालय, दिघवासराय, पो० विजयीपुर, छपरा।
(३) भारतीय मारवाड़ी संस्कृत महाविद्यालय, छपरा।
(४) श्री राम संस्कृत महाविद्यालय, विजयीपुर (पो०), छपरा।
(५) ऋषिकुल ब्रह्मचर्याश्रम संस्कृत महाविद्यालय, वेदीबन मधुबन, पो० छपरा।
(६) हरिहर संस्कृत महाविद्यालय, बकुल हरमठ (पो०) चम्पारण।
(७) गुरुकुल संस्कृत महाविद्यालय, वैद्यनाथ धाम (पो०), गुरुकुल वैद्यनाथधाम, संथालपरगना।
(८) ब्रह्मर्षि विश्वामित्र संस्कृत महाविद्यालय, बक्सर।
(९) बिहार संस्कृत महाविद्यालय, बिहारशरीफ, पटना।

६.१८। जिन विषयों के अध्यापन के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर विभाग खोले गए हैं, उनके आलोचनात्मक विश्लेषण से पता चलता है कि ऐसे विषय केवल ७(सात) ही हैं, उन विषयों के लिए ५ विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय विभाग हैं। ऐसे विषय हैं—(१) अंग्रेजी, (२) हिन्दी, (३) इतिहास, (४) दर्शनशास्त्र, (५) राजनीति विज्ञान, (६) गणित और (७) अर्थशास्त्र।

६.१९। पटना, बिहार, भागलपुर और रांची इन चारों विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर स्तर तक ५ विषयों में पाठ्यचर्या की व्यवस्था है—वनस्पति शास्त्र (बोटानी), प्राणि विज्ञान (जूलॉजी), रसायन विज्ञान (केमेस्ट्री), भौतिक विज्ञान (फीजिक्स) और मनोविज्ञान (साईकोलॉजी)। इसी प्रकार पटना, मगध और रांची इन तीन विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर स्तर में भूगोल (ज्योग्रफी) की पढ़ाई होती है। संस्कृत के साथ भी वही बात है जिसकी पढ़ाई पटना, बिहार और मगध इन तीनों विश्वविद्यालयों में होती है। मैथिली की पढ़ाई पटना और बिहार दो विश्वविद्यालयों में होती है। समाजशास्त्र (सोशियोलॉजी) और श्रम एवं समाज कल्याण (लेबर ऐंड सोशल वेलफेयर) की पढ़ाई पटना और भागलपुर दो विश्वविद्यालयों में होती है। पटना और मगध विश्वविद्यालयों प्रयुक्त अर्थशास्त्र एवं वाणिज्य (अप्लायड इकोनामिक्स ऐंड कामर्स) पढ़ाया जाता है। बिहार और भागलपुर वाणिज्य की पढ़ाई होती है। पटना और भागलपुर में सांख्यिकी (स्टेटिटिक्स) की पढ़ाई होती है। पटना और बिहार में उर्दू की पढ़ाई होती है। पटना में प्राचीन इतिहास और पुरातत्व पढ़ाया जाता है, मगध में में प्राचीन इतिहास और एशियाई अध्ययन की अध्यापन-व्यवस्था है। पटना ही एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय है जहां निम्नलिखित १३ चिकित्सा विषयों में स्नातकोत्तर स्तर तक पढ़ाई की सुविधाएं हैं—(१) अनाटॉमी, (२) मेडिसिन, (३) आब्सट्रेट्रिक्स एवं गाइनोकोलॉजी, (४) पैथोलॉजी, (५) आप्टिकलमोलोजी एवं ऑटोहेमडियोलॉजी, (६) फर्माकोलोजी, (७) फिजियोलॉजी, (८) सर्जरी, (९) पेडियाट्रिक्स, (१०) आर्थोपेडिक्स सर्जरी, (११) अनेस्थिसियोलौजी, (१२) प्लास्टिक सर्जरी, (१३) रेडियोलॉजी एवं रेडियोथिरायी। केवल पटना विश्वविद्यालय में ही निम्नलिखित ५ विषयों में स्नातक स्तर तक पढ़ाई की सुविधाएं प्राप्त थीं—(१) अरबी, (२) बंगाली, (३) परसियन, (४) लॉ, और (५) शिक्षा (एडुकेशन)। केवल भागलपुर विश्वविद्यालय के अंतर्गत ही ग्रामीण अर्थशास्त्र एवं सहकारिता (रूयल इकोनामिक्स ऐंड को-आपरेशन) में और केवल रांची विश्वविद्यालय में ही मानव विज्ञान (एथोपोलॉजी) की पढ़ाई की सुविधाएं प्राप्त थीं।

६.२०। ऐसा प्रतीत होता है कि पटना विश्वविद्यालय ही एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय है जिसमें सबसे अधिक विषयों में पढ़ाई होती है, न केवल कला में ही अपितु विज्ञान (सायंस) और मेडिसिन में भी। रांची में अपेक्षाकृत बहुत अधिक व्यावसायिक कालेज, हैं, जबकि मगध, बिहार और भागलपुर में अब भी मुख्यतः आर्टस ग्रुप की ही पढ़ाई होती है।

६.२१। इस भांति विश्वविद्यालय स्तर में विज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में विस्तार की प्रवृति है।

६.२२। निम्नलिखित तालिका से पता चलता है कि १९६३-६४ और १९६४-६५ के दौरान विश्वविद्यालयों और कालेज में कितने छात्र थे—

कॉलेजों में छात्रों की संख्या

संस्थाएं	छात्रों की संख्या			
	बालकों की संस्थाएं			
	१९६२-६३	१९६३-६४	१९६४-६५	फर्क २-४
१	२	३	४	५
विश्वविद्यालय	६,०३४	६,२६४	५,७९०	—२४४
शोध संस्थाएं	१५२	१९०	२१६	+६४
सामान्य शिक्षा वाले कालेज	८०,५१३	८३,९२७	८४,११६	+३,६०३
व्यावसायिक शिक्षा वाले कालेज ..	१६,२५९	१८,३०५	५२,८४८	+३४,८४०
विशेष शिक्षा वाले कालेज ..	१,७४९	१,८२०		
कुल ..	१,०४,७०७	१,१०,५०६	१,४२,९७०	+३८,२६३

कालेजों में छात्रों की संख्या

संस्थाएं	छात्रों की संख्या			
	बालिका की संस्थायें			
	१९६२-६३	१९६३-६४	१९६४-६५	फर्क ६-८
१	६	७	८	९
विश्वविद्यालय	..	..	८००	+८००
शोध संस्थाएं	..	..	४	+४
सामान्य शिक्षा वाले कालेज ..	४,४५८	५,११७	७,७६५	+३,३०७
व्यावसायिक शिक्षा वाले कालेज ..	१०१	१०९	४,३२२	+४,२२१
विशेष शिक्षा वाले कालेज ..	..	..	..	..
कुल	४,५५९	५,२२६	१२,८९१	+८,३३२

उपर्युक्त आंकड़ों से यह स्पष्ट हो जाता है कि १९६२-६३ वर्ष से छात्रों की संख्या बढ़कर ३८,२६३ और छात्राओं की संख्या बढ़कर ८,३३२ हो गई है ।

३ । शिक्षकों की संख्या वेतमान आदि ।

६.२३ । निम्नलिखित तालिका से १९६२-६३ के मुकाबले १९६३-६४ और १९६४-६५ के दौरान विभिन्न कालेजों और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों की संख्या जाहिर होगी :—

संस्थाएं	कालेजों और विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की संख्या (पुरुष और स्त्री)			
	१९६२-६३	१९६३-६४	१९६४-६५	फर्क २—४
१	२	३	४	५
विश्वविद्यालय	२७७	३२५	३४७	+७०
शोध संस्थाएं	२५	२६	२७	+२
सामान्य शिक्षा वाले कॉलेज ..	३,३६१	३,९११	४,३३१	+९७०
व्यावसायिक शिक्षा वाले कालेज ..	१,०५८	१,२१६	३,९३०	+१,१९७
विशेष शिक्षा वाले कालेज ..	२२८	२३१	..	..
कुल ..	४,९४९	५,७०९	८,६३५	+३,६८६

६.२४। यह स्पष्ट है कि १९६२-६३ की तुलना में १९६४-६५ में ३,६८६ शिक्षकों की शुद्ध वृद्धि हुई है।

विश्वविद्यालय शिक्षकों और अंगीभूत एवं संबद्ध कालेजों के शिक्षकों के वेतनमानों में कोई परिवर्त्तन नहीं हुआ हालांकि इस विषय पर आमतौर से असंतोष की भावना देखी गई।

६.२५। विश्वविद्यालयों और प्राइवेट कॉलेजों की विभिन्न पद कोटियों के शिक्षकों के वेतनमान इस प्रकार थे—

विश्वविद्यालय	प्राइवेट कालेज
१। प्राचार्य—३५०—२५—६५०—द० रो०—३५ १,००० रु० और महंगाई भत्ता १७½ प्रतिशत।	(१) प्राचार्य—५००—३५—८५०+१७½ प्रतिशत महंगाई भत्ता।
२। प्राध्यापक—३५०—२५—६५०—द० रो०—३५—१,००० रु० महंगाई भत्ता १७½ प्रतिशत।	(२) प्राध्यापक—३००—२५—५००—द० रो०—२५—७५०+१७½ प्रतिशत महंगाई भत्ता।
३। व्याख्याता—२००—२०—२२०—२५—३२० —द० रो०—२५—६७०—द० रो०—२०—७५०+२० प्रतिशत महंगाई भत्ता किन्तु शर्त्त यही है कि कम-से-कम ४५ रु० और अधिक-से-अधिक ६० रु० की राशि मिलेगी जबकि वेतन २०० रु० से लेकर ३०० रु० के बीच हो। ३०० से अधिक वेतन होने पर वेतन का १७½ प्रतिशत।	(३) व्याख्याता—२००—२०—२२०—१५—३४०—द० रो०—२०—५००+१७½ प्रतिशत महंगाई भत्ता।

तालिका IV व्यय

१९६३-६४ और १९६४-६५ के दौरान उच्चतर शिक्षा संबंधी विभिन्न संस्थाओं पर किए गए कुल प्रत्यक्ष व्यय इस प्रकार हैं—

उच्चतर शिक्षा संबंधी संस्थाओं पर किए गए प्रत्यक्ष व्यय।

संस्थाएं	बालकों के लिए			
	१९६२-६३	१९६३-६४	१९६४-६५	अन्तर २—४
१	२	३	४	५
विश्वविद्यालय	८३,५९,५८२	१,०६,५०,५९२	१,०३,५६,०६२	+१९,९६,४८०
शोध संस्थाएं	२,४४,३३०	३,०१,४८५	३,२५,०७४	+८०,७४४
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ..	..	४८,२४,०५७	..	..
सामान्य शिक्षा वाले कालेज ..	१,८४,६६,५४१	१,९४,६१,११५	२,२५,००,२९२	+४०,३३,७५१
व्यावसायिक शिक्षा वाले कालेज ..	१,१५,५४,८०२	१,३२,०३,८६९	२,८४,३९,३३०	+१,६३,६१,६५८
विशेष शिक्षा वाले कालेज ..	५,२२,८७०	५,७२,६६९		
कुल	३,९१,४८,१२५	४,९०,१३,७८७	६,१६,२०,७५८	+२,२४,७२,६३३

उच्चतर शिक्षा संबंधी संस्थाओं पर किए गए प्रत्यक्ष व्यय।

संस्थाएं	बालिकाओं के लिये			
	१९६२-६३	१९६३-६४	१९६४-६५	अन्तर ६—८
१	६	७	८	९
विश्वविद्यालय	..	..	..	..
शोध संस्थाएं	..	..	..	..
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ..	..	..	..	..
सामान्य शिक्षावाले कालेज ..	१५,०६,५७१	१६,७८,९४९	१९,०१,२५४	+३,९४,६८३
व्यावसायिक शिक्षा वाले कालेज ..	५२,८९७	५७,६८७	१२,६३,९५९	+१२,११,०६२
विशेष शिक्षावाले कालेज ..	..	..	..	..
कुल	१५,५९,४६८	१७,३६,६३६	३१,६५,२१३	+१६,०५,७४५

६.२७। इससे स्पष्ट है कि १९६४-६५ में १९६२-६३ की अपेक्षा बालकों और बालिकाओं की संस्थाओं पर हुए खर्च में क्रमशः २,२४,७२,६३८ और १६,०५,७४५ रु० की वृद्धि हुई है।

५। छात्रवृत्ति, वृत्तिका और निःशुल्क छात्रत्व

६.२८। १९६४-६५ के दौरान विभिन्न स्त्रोतों से ३२,१५० छात्रवृत्तियां और वृत्तिकाएं (३०,३२० बालक और १,८३० बालिकाओं) दी गई जिनकी राशि १,११,१९,१३३ रु० (बालकों को १,०५,५८,३०५ रु० और बालिकाओं को ५६,०८,२८०) होती है। इनका ब्योरा नीचे दिया गया है —

१९६४-६५ में कालेजों और विश्वविद्यालय स्तर पर दी गई छात्रवृत्तियां और वृत्तिकाएं—

निम्नलिखित द्वारा दी गई छात्रवृत्तियां और वृत्तिकाएं	छात्रवृत्तिकाएं/वृत्तिकाएं			
	बालकों के लिये		बालिकाओं के लिये	
	१९६३-६४	१९६४-६५	१९६३-६४	१९६४-६५
१	२	३	४	५
केन्द्रीय सरकार	६१३	२८,६४०	२६	१,७५३
राज्य सरकार	११,३९७	..	९९०	..
स्वयं संस्था	४७	४५२	१	२
स्थानीय निकाय	..	..	..	..
अन्य	९१६	४९२	१२५	१७
विश्वविद्यालय निधि ..	..	..	..	५८
कुल	१२,९७३	३०,३२०	१,१४२	१,८३०

निम्नलिखित द्वारा दी गई छात्रवृत्तियां और वृत्तिकाएं	प्रतिवर्ष कुल मूल्य			
	बालकों के लिये		बालिकाओं के लिये	
	१९६३-६४	१९६४-६५	१९६३-६४	१९६४-६५
१	६	७	८	९
केन्द्रीय सरकार	३,७५,५६८	१,००,४०,१०७	१९,५८९	५,४६,१७६
राज्य सरकार	३८,५१,७३९	..	४,३०,२४४	..
स्वयं संस्था	४,३४०	१,७९,९२०	३००	१६०
स्थानीय निकाय	..	..	..	..
अन्य	२,६०,३२५	१,२८,५७५	४४,९९०	३,१९७
विश्वविद्यालय निधि ..	..	२,०९,७०३	..	११,२९५
कुल ..	४४,९१,९७२	१,०५,५८,३०५	४,९५,१२३	५,६०,८२८

६ । शिक्षण पद्धति और स्तर

६.२९ । चूंकि राज्य के सभी विश्वविद्यालय अभी प्रारंभिक अवस्था में ही हैं इसलिए विश्वविद्यालय स्तर पर अभी शिक्षण स्तर को बढ़ाने के संबंध में विशेष आशा नहीं की जा सकती। नए विश्वविद्यालयों में भवन, अपर्याप्त साज-सामान की प्रयोगशाला, पुस्तकालय एवं छात्रावास संबंधी स्थानगत संकुलन के संबंध में अनुभव किया जा रहा था। फिर भी पटना विश्वविद्यालय में केन्द्रीय रूप से (एक ही जगह) ऑनर्स(सम्मान) की पढ़ाई की जो व्यवस्था की गई वह एक तीन प्रयोग के रूप में संतोषजनक साबित हुई है ।

६.३० । सभी विश्वविद्यालयों तथा संबद्ध महाविद्यालयों को समुचित विकास के लिये कदम उठाना है ।

६.३१ । छात्र अशान्ति और परीक्षा की पद्धति में होनेवाली अनियमितताओं का प्रभाव शिक्षण के स्तर पर पहले से ही पड़ने लग गया है । शिक्षण के स्तर को बढ़ाने के लिए अभी बहुत कुछ करना है ।

शिक्षा का माध्यम

६.३२ । कतिपय ऐसे स्नातकोत्तर शिक्षण जहां अंग्रेजी चलानी पड़ी, को छोड़कर हिन्दी ही शिक्षण का माध्यम बराबर बनी रही ।

६.३३। विभिन्न विश्वविद्यालयों तथा कॉलेजों से प्राप्त आंकड़े के अनुसार १९६४-६५ के अन्तर्गत विभिन्न परीक्षाओं में शामिल होनेवाले और सफलता प्राप्त करनेवाले बालकों और बालिकाओं की संख्या इस प्रकार थी —

वार्षिक परीक्षा फल (सालाना) हिन्दी एवं अन्य समकक्ष परीक्षा (१९६३-६४)।

परीक्षा का नाम	बालक				बालिकाएं			
	परीक्षा में शामिल होनेवालों की संख्या		परीक्षा में उत्तीर्ण होनेवालों की संख्या		परीक्षा में शामिल होनेवालों की संख्या		परीक्षा में उत्तीर्ण होनेवालों की संख्या	
	नियमित	प्राइवेट	नियमित	प्राइवेट	नियमित	प्राइवेट	नियमित	प्राइवेट
१	२	३	४	५	६	७	८	९
डिग्री तथा अन्य समकक्ष परीक्षाएं : कला और विज्ञान								
डी० लिट०	५	..	५	..	..	..	..	..
डी०एस०-सी० (कला) ..	१	..	१	..	..	..	..	..
डी०एस०-सी० (विज्ञान) ..	१	..	१	..	..	..	..	..
पी०एच०डी० (कला) ..	३२	..	३२	..	..	..	..	..
पी०एच०डी० (विज्ञान) ..	९	..	९	..	..	..	..	..
एम०ए०	१,७८४	७२८	१,४७३	५८६	२७६	७६	२५७	६०
एम०एस-सी०	४६५	१९	३०६	१०	४४	..	४४	..
बी०ए० (ऑनर्स) द्वि-वर्षीय कोर्स ..	३,९७९	१२६	२,३२२	७५	५०१	२१	३५०	१७
बी०ए०	६,५१६	..	३९६	..	३०	..	२८	..
बी०ए० (विशेष अंग्रेजी) ..	..	५	..	५	..	..	..	..
बी०एस-सी०	३,३७४	२	१,०७६	२	५४	..	२३	..
बी०एस-सी० (एडु०) ..	१	..	१	..	..	..	..	..
एम० ए०	२९	..	१९	..	९	..	६	..
बी०एड्०	७६८	४७१	७४५	४४३	१७१	२१	१६१	२०
इंजीनियरिंग								
एम० एस-सी० प्रयुक्त भू-विज्ञान (अप्लायड जियोलॉजी)।	१९	..	१९	..	..	..	..	..
एम० एस-सी० प्रयुक्त भूगोल (अप्लायड ज्योग्रफी)।	७	..	७	..	..	..	..	..

परीक्षा का नाम	बालक				बालिकाएं			
	परीक्षा में शामिल होनेवालों की संख्या		परीक्षा में उत्तीर्ण होनेवालों की संख्या		परीक्षा में शामिल होनेवालों की संख्या		परीक्षा में उत्तीर्ण होनेवालों की संख्या	
	नियमित	प्राईवेट	नियमित	प्राईवेट	नियमित	प्राईवेट	नियमित	प्राईवेट
१	२	३	४	५	६	७	८	९
बी०एस-सी० (ऑनर्स) प्रयुक्त भौतिकी (अप्लायड फिजिक्स)।	१५	..	१५	..	..	..	..	..
बी०एस-सी० (आनर्स) पैट (टेकनोलॉजी)	२१	..	२१	..	..	..	..	..
सिविल इंजीनियरिंग स्नातक (बैचलर आफ सी०ई०)।	३००	..	१५७	..	..	..	..	..
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्नातक (बैचलर ऑफ ई०ई०)।	२४२	..	१५६	..	..	..	..	..
मेकैनिकल इंजीनियरिंग के स्नातक	२८२	..	२२१	..	..	..	..	..
बी०एस-सी० प्रोडक्शन इंजीनियरिंग	१९	..	१३	..	..	..	..	..
बी०एस-सी० केमिकल इंजीनियरिंग	४२	..	३३	..	..	..	..	..
बी०एस-सी० टेलिकम्युनिकेशन ..	३२	..	२२	..	..	..	..	..
बी०एस-सी० मेटालार्जी ..	३५	..	३०	..	..	..	..	..
बी०एस-सी० माइनिंग ..	९०	..	८५	..	..	..	..	..
			मेडिसिन					
पी०एच०डी० (मेडिसिन) ..	५	..	५	..	..	..	..	..
एम० डी०	८२	..	२५	..	४	..	..	..
एम० बी०, बी० एस० ..	२०४	..	११३	..	४५	..	३८	..
डी० जी० ओ०	..	..	..	..	७	..	६	..
एम० एस०	१३१	..	५४	..	२४	..	९	..
डी०पी०एच०	१	..	१	..	..	..	..	..
डी०ओ०	६	५	..	१	..	१	..	..
डी०टी०एम०	७	७	..	..	..	..	..	..

परीक्षा का नाम	बालक				बालिकाएं -			
	परीक्षा में शामिल होनेवालों की संख्या		परीक्षा में उत्तीर्ण होनेवालों की संख्या		परीक्षा में शामिल होनेवाले की संख्या		परीक्षा में उत्तीर्ण होनेवालों की संख्या	
	नियमित	प्राइवेट	नियमित	प्राइवेट	नियमित	प्राइवेट	नियमित	प्राइवेट
१	२	३	४	५	६	७	८	९
आयुर्वेदिक (गेस) ..	६९	४०	..	३	..	..	२	..
तिब्बी (गेस)	४७	३५	..	३	..	..	२	..
एस०एस-सी०वेटेरिनरी (पेट०) पी०ए० एच० ।	९	..	९	..	..	..	..	..
बी०एस-सी० वेट (ए-एच) ..	१४४	..	१०६	..	..	..	..	..
कृषि (एग्रिकल्चर)								
बी०एस-सी० (एग्रि०) ..	९९	..	९४	..	..	..	..	..
वाणिज्य (कॉमर्स)								
पी-एच०डी० (कॉमर्स) ..	१	..	१	..	..	..	..	..
एम० कॉम०	९७	१३	८७	११	..	..	..	..
बी० कॉम० (ऑनर्स) ..	२२५	..	१६१	..	..	..	..	..
बी० कॉम०	१,१२७	११४	५२२	५९	..	..	..	..
लॉ (कानून)								
एम० एल०	११	..	४	..	..	..	..	..
बी० एल०	४९०	१७०	२७४	१२०	..	..	..	..
इन्टरमीडिएट और अन्य समकक्ष परीक्षाएं								
प्राक-कला (प्री-आर्ट्स) ..	२१,६८५	१,८०९	८,३५१	१,०६५	२,०६२	४१६	१,२०७	२१२
प्राक-विज्ञान (प्री-साइंस) ..	१४,३३८	१८	५,६७१	१८	२८५	..	१६९	..
प्राक-वाणिज्य (प्री-कामर्स) ..	१,६४४	२२४	७४४	९०	१	..	१	..

वार्षिक परीक्षाफल (सालाना) डिग्री और अन्य समकक्ष परीक्षाएं, १९६४-६५

(१) डिग्री और अन्य समकक्ष परीक्षाएं

परीक्षा का नाम	बालक				बालिकाएं			
	परीक्षा में शामिल होनेवालों की सं०		परीक्षा में उत्तीर्ण होनेवालों की सं०		परीक्षा में शामिल होनेवालों की सं०		परीक्षा में उत्तीर्ण होनेवालों की सं०	
	नियमित	प्राईवेट	नियमित	प्राईवेट	नियमित	प्राईवेट	नियमित	प्राईवेट
१	२	३	४	५	६	७	८	९
कला एवं विज्ञान (आर्ट्स और साईंस)								
डी० लिट्०	४	..	४	..	..	..	..	..
डी० एस-सी० (कला) ..	..	..	..	..	..	..	..	..
डी०एस-सी० (विज्ञान) ..	..	..	..	..	..	..	..	..
पी०एच०डी० (कला) ..	५९	..	५९	..	६	..	६	..
पी० एच० डी० (विज्ञान) ..	९	..	९		..	..	..	..
एम० ए०	१,९९१	८१५	१,७१०	६३३	२७३	१०२	२४३	८५
एम०एस-सी०	५१९	३४	३८५	२०	४७	१	४४	..
बी०ए० (ऑनर्स) द्विवर्षीय कोर्स ...	४,७८३	२७४	२,९८६	९४	५६५	१४	४१६	४
बी०एस-सी० (ऑनर्स) द्विवर्षीय कोर्स	१,०३३	२३	५५१	४	२५	..	२०	..
बी०ए०	८,०७८	३,४३८	३,४९७	१,५३२	१,०३३	४३९	५१२	२०१
बी०ए० विशेष अंग्रेजी ..	२१	..	१८	..	..	..	..	..
बी०एस-सी० (मिलिटरी साईन्स)	४८	..	१७	..	..	..	..	..
एम०एड०	३२	..	२७	..	१२	..	११	..
बी०एड०	७६७	१२३	७४५	१०३	११६	..	१११	..
इंजीनियरिंग।								
एम०एस-सी० अप्लायड जियोलोजी	१९	..	१९	..	..	..	..	..
एम०एस-सी० (माईनिंग) ..	३४	..	३४	..	..	..	..	..

परीक्षा का नाम	बालक				बालिकाएं			
	परीक्षा में शामिल होनेवालों की सं०		परीक्षा में उत्तीर्ण होनेवालों की सं०		परीक्षा में शामिल होनेवालों की सं०		परीक्षा में उत्तीर्ण होनेवालों की सं०	
	नियमित	प्राईवेट	नियमित	प्राइवेट	नियमित	प्राईवेट	नियमित	प्राईवेट
१	२	३	४	५	६	७	८	९
एम०एस-सी० (अप्लायड जियोफिजिक्स)	१५	..	१५	..	..	..	..	..
बी०एस-सी० (आनर्स) अप्लायड जिओलॉजी।	२१	..	२१	..	..	..	..	..
बी०एस-सी० (ऑनर्स) अप्लायड बियो-फिजिक्स।	१७	..	१७	..	..	..	..	..
बी०एस-सी० (ऑनर्स) पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी।	२०	..	२०	..	..	..	..	..
सिविल इंजीनियरिंग (सी०ई०) के स्नातक।	३५९	..	२३८	..	..	..	..	..
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्नातक	३२१	..	१७८	..	..	..	..	..
मेकैनिकल इंजीनियरिंग के स्नातक	३५५	..	२४०	..	..	..	..	..
बी०एस-सी० (प्रोडक्शन इंजीनियरिंग)	१५	..	१०	..	..	..	..	..
बी०एस-सी० केमिकल इंजीनियरिंग	२७	..	२५	..	..	..	..	..
बी०एस-सी० टेकनिकल कम्युनिकेशन	२१	..	१३	..	..	..	..	..
बी०एस-सी० मेटालॉजी ..	६२	..	५५	..	..	..	..	..
बी०एस-सी० (माईनिंग) ..	९३	..	८७	..	..	..	..	..
पी०एच०डी० (मेडिसिन) ..	३	..	३	..	..	..	..	..
एम० डी०	९९	..	४०	..	८	..	४	..
एम० बी०, बी० एस० ..	३६०	..	१७०	..	७४	..	५८	..
डी० जी० ओ०	..	..	..	..	७	..	५	..
एम०एस०	१५८	..	८८	..	१६	..	८	..

परीक्षा का नाम	बालक				बालिकाएं			
	परीक्षा में शामिल होनेवालों की सं०		परीक्षा में उत्तीर्ण होनेवालों की सं०		परीक्षा में शामिल होनेवालो की सं०		परीक्षा में उत्तीर्ण होनेवालों की सं०	
	नियमित	प्राइवेट	नियमित	प्राईवेट	नियमित	प्राईवेट	नियमित	प्राईवेट
१	२	३	४	५	६	७	८	९
डी०ओ०एच०	२	..	१	..	..	..	..	..
डी०ओ०	६	..	४	..	..	..	..	..
डी०टी०एम०	५	..	३	..	..	..	..	..
पशुपालन (भिटेरिनरी)								
एम०एस-सी० (वेट०) पी०ए० एच०	१५	..	१९	..	..	..	..	..
बी०एस-सी० (वेट०) एवं एनीमल हुसबेन्ड्री।	१५४	..	९९	..	..	..	..	..
कृषि (एग्रीकल्चर)								
एम०एस-सी० (एग्री०) ..	५३	..	५२	..	..	..	..	..
बी०एस-सी० (एग्री०) ..	२४५	..	२३२	..	..	..	..	..
पी०एच०डी० (एग्री०) ..	१	..	१	..	..	..	..	..
वाणिज्य (कॉमर्स)								
पी० एच० डी०	..	..	..	..	..	..	..	..
एम० कॉम० ..	..	..	..	..	..	..	..	..
बी० कॉम० (ऑनर्स)	१०८	..	९	९१	..	६	..	..
बी० कॉम०	१,११८	..	१९५	..	४९९	..	७८	१
लॉ।								
एम० एल०	८	७	५	..	..	..	..	..
बी० एल०	५११	१३७	३७४	११५	..	..	..	..
इन्टरमीडिएट तथा अन्य परीक्षाएं।								
प्राक कला (प्री-आर्ट्स) ..	१६,९८५	३,०४०	८,७६६	१,४३०	२,१३९	७३६	१,४४७	४३०
प्राक विज्ञान (प्री-साइन्स) ..	१३,१३९	१,६०४	५,०६४	४४९	२६४	१२	१९०	४
प्राक वाणिज्य (प्री-कामर्स) ..	१,७९३	१६१	९६२	७६	२	..	१	..

II भवन और साज-सामान

६.३४। एक ओर राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में मकान की कमी के चलते काफी दिक्कत महसूस हुई तो दूसरी ओर छात्रों की संख्या में निरन्तर वृद्धि के चलते कठिनाई का अनुभव किया गया।

(*i*) पटना विश्वविद्यालय ने, जो एक शिक्षण-सह-आवासीय विश्वविद्यालय है सैदपुर क्षेत्र में पर्याप्त भू-अर्जन संबंधी एक योजना तैयार करके छात्रों को आवासीय सुविधायें प्रदान करने की समस्या को हल करने की कोशिश की।

काफी संख्या में स्टाफ क्वार्टर और छात्रावास-निर्माण की योजना शुरू की गयी है और जब यह सम्पन्न हो जायगी, तब विश्वविद्यालय लगभग २,००० छात्रों को आवासीय सुविधायें प्रदान कर सकेगा।

(*ii*) बिहार विश्वविद्यालय को अपना कार्यालय भवन था, लेकिन इस विश्वविद्यालय को भी, अपने साथ संबद्ध कालेजों की सबसे अधिक संख्या रहने से गुणात्मक विकास संबंधी योजनाओं को पूरा करने में काफी बाधा महसूस हो रही है। आलोच्य वर्ष में लंगट सिंह कालेज में विश्वविद्यालय स्वास्थ्य केन्द्र, विश्वविद्यालय अतिथि-शाला-सह-स्टाफ क्लब, नया ट्यूटोरियल ब्लौक और बोटानी तथा जूलौजी ब्लौक का विस्तार-कार्य पूरा हो गया।

दरभंगे में सी०एम० कालेज का पुस्तकालय भवन, नन-रिसिडेंट सेंटर और हेवी-वर्कशौप का निर्माण-कार्य पूरा हो गया। ७५ सीट वाले स्नातकोत्तर महिला छात्रावास, उप-कुलपति निवास, विश्वविद्यालय मुद्रणालय भवन, एम०डी०डी०एम० कालेज में न्यू आर्ट ब्लौक और सी०एम० कालेज के न्यू आर्ट ब्लौक तथा १०० सीट वाले लड़कों के छात्रावास के निर्माण-कार्य की गति बहुत आगे बढ़ा दी गयी।

(*iii*) रांची विश्वविद्यालय द्वारा कोई निर्माण-योजना आगे नहीं बढाई गई। फिर भी, साज-सामान की खरीद मद्धे इसने २,५७,७१२ रु० की राशि खर्च की।

(*iv*) मगध विश्वविद्यालय ने गया कालेज के लिये एक नये छात्रावास का निर्माण कार्य पूरा किया। गया कालेज का विस्तार-कार्य और बोध गया में विश्वविद्यालय प्रशासन ब्लौक (एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लौक) का निर्माण कार्य पूरा किया गया। जहां तक साज-सामानों का संबंध है, इस सिलसिले में कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं किया गया।

(*v*) भागलपुर विश्वविद्यालय ने भवन-अनुरक्षण मद्धे १०,००० रु० की राशि खर्च की। भागलपुर विश्व-विद्यालय का परिसर काफी विस्तृत है जहां निर्माण-कार्य करना अत्यावश्यक है।

किराये के भवन में चल रहे कुछ कालेजों को छोड़कर, प्रायः सभी सरकारी कालेजों को अपना भवन है। अंगीभूत कालेजों और विश्वविद्यालयीय विभागों में साज-सामान बिल्कुल पर्याप्त थे। नये कालेज अपनी प्रयोग-शाला को सुसज्जित करने और वास्तविक सुविधाओं में वृद्धि करने के लिये काफी प्रयास कर रहे थे।

विश्वविद्यालयों में शोध

६.३५। उक्त विषय संबंधी रिपोर्ट सिर्फ बिहार और रांची विश्वविद्यालयों से प्राप्त हुई है।

(क) बिहार विश्वविद्यालय के शोध संबंधी कार्यकलापों के संक्षिप्त ब्योरे इस प्रकार हैं—

आलोच्य वर्ष के दौरान (१९६४-६५) १८५ व्यक्ति, अधिकांशतः विश्वविद्यालय के शिक्षक और छात्र एम० डी०, एम०एस०, ए०डी० एवं डी०लिट्० की डिग्रियों प्राप्त करने के लिये विभिन्न विषयों पर शोध कर रहे थे। १८५ शोधकर्त्ताओं में से, ४८ शोधकर्त्ता १९६१ में, ६९ शोधकर्त्ता १९६२ में, ५७ शोधकर्त्ता १९६३ में और ११ शोधकर्त्ता १९६४ में रजिस्ट्रीकृत किये गये। १४ उम्मीदवारों को एम०डी०, २२ उम्मीदवारों को एम०एस०, १८ उम्मीदवारों को पी-एच०डी० तथा दो उम्मीदवारों को डी०लिट्० की डिग्रियां प्रदान की गयीं। शिक्षकों और शोध-छात्रों को १५० रु० से ५०० रु० के बीच की राशि का शोध अनुदान दिया गया, जिनकी संख्या २२ है। अंगीभूत और संबद्ध कालेजों के बहुत-से शिक्षकों के शोध-कार्य के लिये यात्रा अनुदान भी दिया गया। भारत तथा विदेश में उच्चतर अध्ययन और शोध-कार्य के लिये आठ शिक्षकों को अध्ययन-छुट्टी दी गयी।

१९६४ में पी-एच०डी० के हेतु बिहार विश्वविद्यालय द्वारा शोध कार्य के लिए अनुमोदित विषयों की सूची जिसमें शोधकर्त्ताओं और उनके मार्गदर्शकों के नाम भी शामिल हैं।

क्रम संख्या।	रजिस्ट्रेशन संख्या।	नाम और पता।	थीसिस का विषय।	मार्ग-दर्शकों के नाम और पता।
१	१६१	श्री एम० एन० उपाध्याय, ४७७, हिमाचल नगर, हैदराबाद, दक्कन।	१९५०-५१ से १९६३ तक आन्ध्र प्रदेश में हस्तशिल्प विकास संबंधी अध्ययन (हैंडीक्राफ्ट इन आन्ध्र प्रदेश फ्रौम १९५०-५१ टु १९६३ (: ए स्टडी इन ग्रोथ)।	डा० (श्रीमती) जुस्सावाला, एम०ए०, पी-एच०डी०, अर्थशास्त्र विभागाध्यक्ष, नाजम कालेज, उस्मानियां युनिवर्सिटी, हैदराबाद।
२	१७३	श्री विश्वनाथ प्रसाद, ग्राम और डाक पुरानी गोसाईं, द्वारा और पुलिस थाना चनपटिया, जिला चंपारण।	काव्य में दार्शनिक एवं व्याकरण संबंधी तत्व (दि फिलासफिकल ऐंड ग्रामिटिकल एलिमेंट्स इन पोएट्रीज)।	डा० डी० बी० शास्त्री, स्नातकोत्तर हिन्दी विभाग, मगध विश्वविद्यालय, गया।
३	१८४	श्री सुशील कुमार सिंह, प्राचार्य, जगदंब कालेज, छपरा।	बिहार में पंचायत वित्त (पंचायत फाइनेंस इन बिहार)।	डा० आर० बी० सिंह, विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभागाध्यक्ष, एल०एस० कालेज, मुजफ्फरपुर।
४	१९३	श्री हृषिकेश प्रसाद सिन्हा, दर्शन के व्याख्याता, आर०डी०एस० कालेज, मुजफ्फरपुर।	नीतिशास्त्रीय निर्णय का स्वरूप एवं आधार (दि नेचर ऐंड बेसिस ऑफ एथिकल जजमेंट्स)।	डा० बी० एन० ओझा, एम० ए०, डी० लिट्०, दर्शन विभाग, एल०एस० कालेज, मुजफ्फरपुर।
५	१९६	श्री रामानन्द सिन्हा, एम० ए०, वैशाली भवन, घिरनीपोखर रोड, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर।	संतों की सहज साधना ..	डा० आर० एस० चौधरी, हिन्दी के व्याख्याता, एल० एस० कालेज, मुजफ्फरपुर।
६	१८५	श्रीमती वाणी आचार्या, द्वारा श्री पी० एन० राय, वकील, डाक कल्याणी, मुजफ्फरपुर।	फिजियोलॉजिकल ऐंड पैथोलौजिकल स्टडीज ऑफ सर्टेन फुंगी इम्परफेक्ट।	डा० एस० एस० प्रसाद, एम० एस-सी०, पी-एच०डी०, विश्वविद्यालय वनस्पतिशास्त्र विभागाध्यक्ष, एल० एस० कालेज, मुजफ्फरपुर।
७	२०१	श्री विमल देव सिन्हा, वनस्पति शास्त्र के व्याख्याता, एल० एस० कालेज, मुजफ्फरपुर।	पैथोलौजिकल ऐंड फीजियोलौजिकल स्टडीज ऑफ सर्टेन फुंगी इम्परफेक्ट।	डा० एस० एस० प्रसाद, विश्वविद्यालय वनस्पतिशास्त्र विभागाध्यक्ष, एल० एस० कालेज, मुजफ्फरपुर।
८	२१०	श्री वैद्यनाथ पांडे, एम० ए०, द्वारा श्री जानकीशरण शाही, वकील, श्रीनंदन रोड, दहियावन टोली, छपरा।	बिहार में क्रिश्चियन मिसनरियों की भूमिका (१८१३—८५) (दि रौल ऑफ दि क्रिश्चियन मिशनरीज इन बिहार १८१३—८५)।	प्रो० सीताराम सिंह, इतिहास विभागाध्यक्ष, एल० एस० कालेज, मुजफ्फरपुर।
९	२११	श्री महंथ श्यामसुन्दर दास, अर्थशास्त्र के व्याख्याता, एल० एस० कालेज, मुजफ्फरपुर।	बिहार की आबादी और खाद्य योजना (पोपुलेशन ऐंड फूड प्लानिंग इन बिहार)।	डा० एस० पी० सिन्हा, अर्थशास्त्र के रीडर, सी० एम० कालेज, दरभंगा।

क्रम संख्या।	रजिस्ट्रेशन संख्या।	नाम और पता।	थीसिस का विषय।	मार्ग-दर्शकों के नाम और पता।
१०	१९८	श्री सत्यनारायण प्रसाद, रसायनशास्त्र के व्याख्याता, एल० एस० कालेज, मुजफ्फरपुर।	सम स्टडीज इन ऑक्सिडेशन एंड रिडक्शन्स।	डा० बी० पी० ज्ञानी, विज्ञान फैकल्टी के डीन, रांची विश्वविद्यालय, रांची।
११	१९९	श्री जी० के० मेनन, वाणिज्य के व्याख्याता, आर०डी०एस० कालेज, मुजफ्फरपुर।	कम्युनिटी डेवलपमेंट—ए केस स्टडी इन मुसहरी।	डा० आर० पी० सिंह, विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभाग के अध्यक्ष, एल० एस० कालेज, मुजफ्फरपुर।
			डी०लिट्० के लिए।	
१	१	श्री रामाकान्त झा, राजनीति विज्ञान विभाग, आर० के० कालेज, मधबनी।	मिथिला में राजनीतिक विचार (पौलिटिकल थाउट इन मिथिला)।	डा० एल० पी० सिन्हा, विश्वविद्यालय राजनीति विज्ञान विभागाध्यक्ष, एल० एस० कालेज, मुजफ्फरपुर।
२	२	डा० रफीक हुसेन, सहायक प्राध्यापक (असिस्टेंट प्रोफेसर), लखनऊ विश्वविद्यालय।	सूफीज्म इन इंडिया ..	प्रो० ए० कादरी, उर्दू विभागाध्यक्ष, एल० एस० कालेज, मुजफ्फरपुर।

(ख) रांची विश्वविद्यालय

इस विश्वविद्यालय के शिक्षकों तथा अन्य शोध छात्रों एवं विद्यार्थियों में शोधकार्य के प्रति अक्षुण्ण रूप से दिलचस्पी बनी रही। १९६४-६५ वर्ष के दौरान डी०लिट्०, पी-एच०डी०, एम०एस० और एम०एड्० डिग्री के लिए रजिस्ट्रेशन कराने वाले विश्वविद्यालय के शिक्षकों और अन्य शोध छात्रों एवं विद्यार्थियों की कुल सं० ९० (८६ पुरुष और ४ महिलाएं) थीं।

९.३६। पुनर्गठन एवं नवविकास कार्य

इस उप-शीर्ष के अधीन केवल बिहार, रांची और मगध विश्वविद्यालयों से रिपोर्ट का ब्योरा मिला है। १९६४-६५ के दौरान पुनर्गठन एवं नवविकास कार्यों की विश्वविद्यालयवार समीक्षा निम्नलिखित के अन्तर्गत विस्तृत रूप से दी जाती है :—

(i) बिहार विश्वविद्यालय

(१) सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्यों का वेतनमान ५००—३५—८५० रु० से बढ़कर ७००—४०—१,१०० रु० कर दिया गया।

(२) शिक्षक का वेतनमान २००—२०—२२०—१५—३४०—द०रो०—२०—५०० रु० से बढ़ाकर ३००—२५—५००—द०रो०—२५—७०० रु० कर दिया गया।

(३) स्नातक प्रयोगशाला सहायकों से संबंधित डिमांस्ट्रेटरों के ग्रेड को सृजित किया गया और उनका वेतन बढ़ाकर १५०—१०—२३०—द०रो०—१५—३५० रु० कर दिया गया।

(४) अंगीभूत महाविद्यालयों के शिक्षकों के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का वेतन लागू किया गया।

(*ii*) **रांची विश्वविद्यालय**

(१) १ जुलाई, १९६४ से लोक-सेवा आयोग के वेतनमान को स्वीकार करना।

(२) निम्नलिखित चार कालेजों को सम्बद्ध कालेजों की कोटि में जोड़ना—

(क) सिन्दरी कालेज, सिन्दरी।

(ख) के० बी० सहाय कालेज, बेरमो।

(ग) मारवाड़ी कालेज, रांची।

(घ) एम०जी०एम० मेडिकल कालेज, जमशेदपुर।

(३) शिक्षा आयोग का मुआयना और विश्वविद्यालय द्वारा इस आशय के संलेख का उपस्थापन जिसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से आग्रह किया गया है कि रांची विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाया जाए।

(४) युनिवर्सिटी एम्प्लायमेंट इन्फौर्मेशन ऐंड गाइडेंस ब्यूरो खोलना।

(५) केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय के तत्वावधान में वनस्पतिशास्त्र के अंतर्गत अनुवाद कक्ष खोलना।

(६) दिसम्बर, १९६४ में विश्वविद्यालय के तत्वावधान में अखिल भारतीय इतिहास कांग्रेस का आयोजन करना।

(७) बिहार इन्सटीट्यूट ऑफ सिन्दरी तथा रेजिनल इन्सटीट्यूट ऑफ टेक्नोलौजी, जमशेदपुर में इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर शिक्षण की व्यवस्था करना।

(८) बिड़ला इन्सटीट्यूट ऑफ टेक्नोलौजी, मेसरा में विज्ञान, इंजीनियरी और रॉकेटरी में स्नातकोत्तर शिक्षण की व्यवस्था करना।

(९) विश्वविद्यालय कैम्पस के लिये मास्टर प्लान तैयार करने का निश्चय करना।

(*iii*) **मगध विश्वविद्यालय**

"अप्लायड इकॉनौमिक्स एवं कॉमर्स" में विश्वविद्यालय विभाग की स्थापना १९६४-६५ सत्र से की गई। इस प्रकार विश्वविद्यालय विभाग में १,१३,२३८ पुस्तकों की वृद्धि हुई जिन्हें आलोच्य अवधि के दौरान जेनरल लाइब्रेरी में शामिल कर लिया गया।

निम्नलिखित कालेजों को प्रत्येक के सम्मुख उल्लिखित विषय में संबद्धता प्रदान की गई :—

(१) एम० बी० आर० आर० बी० पी० कालेज, आरा।	मनोविज्ञान में बी०ए० ऑनर्स की पढ़ाई	तीन वर्ष।
(२) जे०जे० कालेज, गया ..	राजनीति विज्ञान में बी०ए० ऑनर्स की पढ़ाई।	,,
(३) एम०डी० कालेज, नौबतपुर ..	अर्थशास्त्र में बी०ए० ऑनर्स की पढ़ाई	,,
(४) किसान कालेज, सोहसराय ..	राजनीति विज्ञान तथा मनोविज्ञान में बी०ए० ऑनर्स की पढ़ाई।	,,
(५) कालेज ऑफ कामर्स, पटना ..	गणित एवं अर्थशास्त्र में बी०ए० ऑनर्स —मैथिली में बी०ए० पास की पढ़ाई।	,,
(६) एस०पी० जैन कालेज, सासाराम	राजनीति विज्ञान एवं अर्थशास्त्र में बी० ए० ऑनर्स की पढ़ाई।	,,
(७) एम०बी० कालेज, बक्सर ..	अर्थशास्त्र तथा हिन्दी में बी०ए० ऑनर्स की पढ़ाई।	,,
(८) ए०एन० महाविद्यालय, श्रीकृष्णपुरी	भूगोल में बी०ए० पास की पढ़ाई ..	,,

(९) ए०एन० कालेज, गया ..	अंग्रेजी, हिन्दी रचना, उर्दू रचना, बंगला रचना, प्रिंसिपल हिन्दी, उर्दू एवं बंगला, फारसी, पाली, संस्कृत, नागरिक शास्त्र, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, तर्कशास्त्र, दर्शन और गणित में बी०ए० तक पास की पढ़ाई, बी०एस-सी० पास—गणित, भौतिकी, रसायनशास्त्र, वनस्पतिशास्त्र तथा प्राणी विज्ञान।	तीन वर्ष।
(१०) एस० सिन्हा कालेज, औरंगाबाद	उर्दू और मनोविज्ञान में बी०ए० ऑनर्स की पढ़ाई।	तीन वर्ष अस्थाई तौर पर।
(११) ए०एन०एस० कालेज, बाढ़ ..	राजनीति विज्ञान में बी०ए० ऑनर्स की पढ़ाई।	तीन वर्ष।
(१२) टी०पी०एस० कालेज, पटना ..	राजनीति विज्ञान तथा अर्थशास्त्र में बी० ए० ऑनर्स की पढ़ाई।	,,
(१३) बी०एन० कालेज, राजगीर ..	अंग्रेजी, रचना (हिन्दी, उर्दू और बंगला), प्रिंसिपल (हिन्दी, उर्दू और बंगला), पाली, संस्कृत, फारसी, तर्कशास्त्र, दर्शन-शास्त्र, इतिहास, राजनीति विज्ञान, प्राकृत, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, गणित, मनोविज्ञान और समाजशास्त्र।	,,
(१४) एस०यू० कालेज, हिलसा ..	गणित, भौतिकी और रसायनशास्त्र में बी०एस-सी० पास।	,,

एच०डी० जैन कालेज, आरा में मनोविज्ञान, संस्कृत और प्राकृत में ऑनर्स की पढ़ाई शुरू की गई। यह कालेज विश्वविद्यालय का एक अंगीभूत कालेज है।

अध्याय ७

शिक्षकों का प्रशिक्षण (बुनियादी और ग़ैर-बुनियादी)

१ । प्रशिक्षण विद्यालय (संस्थाएं, छात्र, उपलब्धि, व्यय आदि)

७.१ राज्य के सभी प्रशिक्षण विद्यालयों में एक ही सामान्य सिलेबस चलता है, जिसे बुनियादी ढांचे पर मान्यता दी गई है। अब सरल दस्तकारी और समाज सेवा सदृश कार्यकलाप, सामुदायिक जीवन और सांस्कृतिक एवं मनोरंजनात्मक कार्यक्रम पाठ्यक्रम के अभिन्न अंग बन गये हैं।

७.२। सभी प्रशिक्षण विद्यालयों में प्रशिक्षण का द्विवर्षीय कोर्स चलता है और सामान्यतः मैट्रिकुलेट तथा उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण लोग ही उनमें प्रवेश पाते हैं। फिर भी जहां तक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति और महिला उम्मीदवारों की शैक्षिक योग्यता का प्रश्न है, उन्हें कुछ शिथिलता दी गई। पुरुष और स्त्री प्रशिक्षणार्थियों की वृत्तिका-दर क्रमशः २० और २५ रु० है। प्रशिक्षण विद्यालयों में दो वर्षों का प्रशिक्षण पूरा कर लेने पर प्रशिक्षणार्थियों को प्राथमिक और मिड्ल विद्यालयों में नियोजन-योग्य घोषित किया जाता है।

७.३। निम्न तालिका में १९६३-६४ और १९६४-६५ वर्ष के बारे में अनेक संस्था, छात्र, उपलब्धि, व्यय आदि का उल्लेख है :—

प्रशिक्षण संस्थाओं, छात्रों आदि की संख्या।

(१) सामान्य और बुनियादी प्रशिक्षण विद्यालय (संस्थाएं, छात्र संख्या, उपलब्धि, व्यय)।

प्रबन्ध।	पुरुषों के लिए।							
	बुनियादी (बेसिक)।			अन्तर।	गैर-बुनियादी (नन-बेसिक)			अन्तर।
	१९६२-६३।	१९६३-६४।	१९६४-६५।		१९६२-६३।	१९६३-६४।	१९६४-६५।	
१	२	३	४	५	६	७	८	९
	(*i*) प्रशिक्षण संस्थाओं की संख्या।							
प्रशिक्षण विद्यालय (सामान्य और बुनियादी)।								
सरकारी ..	८३	७९	७९	—४	..	..	..	..
साहाय्यित ..	१	१	४	+३	११	१२	..	—११
असाहाय्यित ..	१	..	..	—१	..	..	..	..
कुल ..	८५	८०	८३	—२	११	१२	..	—११
	(*ii*) छात्रों की संख्या।							
सरकारी ..	१६,१६०	१५,४४०	१४,४०४	—१,७५६	..	..	..	..
साहाय्यित ..	७८	६६	१३५	+५७	३२७	४३१	..	—३२७
असाहाय्यित .	२६	..	..	+२६	..	..	..	..
कुल ..	१६,२६४	१५,५०६	१४,५३९	—१,७२५	३२७	४३१	..	—३२७

महिलाओं के लिये ।

प्रबन्ध ।	बुनियादी (बेसिक)			अन्तर ।	गैर-बुनियादी (नन-बेसिक)			अन्तर ।
	१९६२-६३ ।	१९६३-६४ ।	१९६४-६५ ।		१९६२-६३ ।	१९६३-६४ ।	१९६४-६५ ।	
१	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
			(*i*) प्रशिक्षण संस्थाओं की संख्या ।					
प्रशिक्षण विद्यालय (सामान्य और बुनियादी) ।								
सरकारी ..	१६	२०	१६+४	+४	२	२	२	..
साहाय्यित ..	१	१	४	+३	७	७	३	—४
असाहाय्यित ..	..	..	..	..	..	..	..	..
कुल ..	१७	२१	२०+४	+७	९	९	५	—४
			(*ii*) छात्रों की संख्या ।					
सरकारी ..	२,३३३	२,८५४	२,६०८	+२७५	२०३	१८५	१८४	—१९
साहाय्यित ..	२५	२३	२१३	+१८८	१९७	२५०	११६	—८१
असाहाय्यित ..	..	..	..	..	..	..	..	..
कुल ..	२,३५८	२,८७७	२,८२१	+४६३	४००	४३५	३००	—१००

(*iii*) शिक्षकों की संख्या (पुरुष और महिला) ।

संस्थाएं ।	पुरुष ।			
	१९६२-६३ ।	१९६३-६४ ।	१९६४-६५ ।	अन्तर २ और ४ ।
१	२	३	४	५
बुनियादी प्रशिक्षण ..	८३१	८४४	८६४+०	३३
सामान्य प्रशिक्षण	२३	२२	९+०	—१४
कुल ..	८५४	८६६	८७०+०	१९

संस्था ।	महिला ।			
	१९६२-६३ ।	१९६३-६४ ।	१९६४-६५ ।	अन्तर ६ और ८
१	६	७	८	९
बुनियादी प्रशिक्षण	९३	१४१	१३८+२७	४५+२७
सामान्य प्रशिक्षण	४१	३८	७+८	—२६
कुल ..	१३४	१७९	१४५+३५	+४६

(*iv*) संस्थाओं पर प्रत्यक्ष व्यय ।

संस्था ।	पुरुषों के लिये ।			
	१९६२-६३ ।	१९६३-६४ ।	१९६४-६५ ।	अन्तर २—४ ।
१	२	३	४	५
बुनियादी प्रशिक्षण	४२,९३,६९६	४०,०८,४७१	४९,३६,३६०	+६,४२,६६४
सामान्य प्रशिक्षण	२,५५,७९८	४३,७१२	६४,०१३	—१,९१,७८५
कुल ..	४५,४९,४९४	४०,५२,१८३	५०,००,३७३	+४,५६,८७९

संस्था ।	महिलाओं के लिये ।			
	१९६२-६३ ।	१९६३-६४ ।	१९६४-६५ ।	अन्तर ६ और ८ ।
१	६	७	८	९
बुनियादी प्रशिक्षण	८,३३,४१८	९,७३,९६१	११,२३,५९४	+२,९०,१७६
सामान्य प्रशिक्षण	१,५४,२००	१,५२,४८०	१,३४,१३९	—२०,०६१
कुल ..	९,८७,६१८	११,२६,४४१	१२,५७,७३३	+२,७०,११५

१९६३-६४ और १९६४-६५ वर्ष के परीक्षाफल ।

	पुरुष ।							
	१९६३-६४ ।				१९६४-६५ ।			
	सम्मिलित होने-वालों की संख्या ।		उत्तीर्ण होने वालों की संख्या ।		सम्मिलित होने-वालों की संख्या ।		उत्तीर्ण होने वालों की संख्या ।	
	नियमित ।	स्वतंत्र ।	नियमित ।	स्वतंत्र ।	नियमित ।	स्वतंत्र ।	नियमित ।	स्वतंत्र ।
१	२	३	४	५	६	७	८	९
नियमित	७,७५२	२,३५०	४,६६९	८३५	..	..	..	..
अल्पकालीन प्रशिक्षण कोर्स ..	४०६	२१	२७३	१०	..	..	..	..

	महिला ।							
	१९६३-६४ ।				१९६४-६५ ।			
	सम्मिलित होने-वालों की संख्या ।		उत्तीर्ण होने वालों की संख्या ।		सम्मिलित होने-वालों की संख्या ।		उत्तीर्ण होने वालों की संख्या ।	
	नियमित ।	स्वतंत्र ।	नियमित ।	स्वतंत्र ।	नियमित ।	स्वतंत्र ।	नियमित ।	स्वतंत्र ।
१	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
नियमित	१,४७६	५३१	५२२	११८	..	..	..	..
अल्पकालीन प्रशिक्षण कोर्स ..	५८	९	९	१	..	..	..	..

इन विद्यालयों में प्रवेश के लिए चयन सेलेक्शन कैम्पों के द्वारा किया गया । इन कैम्पों में व्यक्तित्व परीक्षण के अतिरिक्त, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और स्त्री उम्मीदवारों के लिए एक लिखित परीक्षा होती थी । अन्य उम्मीदवारों के लिए भी उसी प्रकार के व्यक्तित्व, परीक्षण और सामुदायिक जीवन-यापन से संबंधित परीक्षण चलते थे । सेलेक्शन-कैम्पों का संचालन साक्षात्कार बोर्ड के जरिए होता था जिसके प्रधान संबद्ध जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी होते थे ।

७.४ । शिक्षा के लिए मानक स्टाफ-व्यवस्था का ढांचा वही रहा जो पहले था—

बिहार शिक्षा सेवा में श्रेणी-२ (कनीय) के अन्तर्गत एक प्राचार्य (प्रिंसिपल), उच्चवर्गीय तीन अनुदेशक, निम्नवर्गीय छः अनुदेशक, निम्नवर्गीय दो लिपिक और छात्रावास दरबान तथा नाइट गार्ड सहित चार चपरासी ।

प्रशिक्षण महाविद्यालय ।

(संस्थाएं, छात्र संख्या उपलब्धि, व्यय ।)

निम्नलिखित तालिका में १९६३-६४, १९६४-६५ वर्ष के दौरान शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय संबंधी छात्रसंख्या नामांकन, उपलब्धि, व्यय आदि के तुलनात्मक आंकड़े दिए गये हैं :—

(*i*) संस्थाओं की संख्या ।

कालेजों के प्रकार।	प्रबन्ध ।	बालक ।				बालिकाएं ।			
		१९६२-६३ ।	१९६३-६४ ।	१९६४-६५ ।	अन्तर ३—५	१९६२-६३ ।	१९६३-६४ ।	१९६४-६५ ।	अन्तर ७—९
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
बुनियादी प्रशिक्षण कालेज—									
स्नातकोत्तर ..	सरकारी ..	५	५	५	..	..	..	..	..
पूर्व स्नातक ..	सरकारी ..	..	..	७९	+७९	..	..	१६	+१६
पूर्व स्नातक ..	साहाय्यित ..	..	..	४	+४	..	..	४	+४
गैर-बुनियादी प्रशिक्षण कालेज—									
स्नातकोत्तर ..	साहाय्यित ..	१	१	१	..	१	१	१	..
पूर्व स्नातक ..	सरकारी ..	..	..	..	..	..	..	..	..
पूर्व स्नातक	साहाय्यित ..	..	..	..	..	..	..	..	..
	कुल ..	६	६	८९	+८३	१	१	२१	+२०

(*ii*) छात्रों की संख्या ।

संस्थाओं का प्रकार ।	प्रबन्ध ।	निम्न कालेजों में छात्रों की संख्या ।							
		बालक ।				बालिका ।			
		१९६२-६३ ।	१९६३-६४ ।	१९६४-६५ ।	अन्तर ३—५	१९६२-६३ ।	१९६३-६४ ।	१९६४-६५ ।	अन्तर ७—९
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
(क) बुनियादी प्रशिक्षण कालेज—									
स्नातकोत्तर	सरकारी ..	७२७	७०८	७४४	+१७	..	..	..	..
	साहाय्यित ..	..	..	..	..	..	..	..	..
	असाहाय्यित ..	..	..	..	..	..	..	..	..
(ख) गैर-बुनियादी प्रशिक्षण कालेज—									
स्नातकोत्तर ..	सरकारी ..	१२७	११९	१२०	—७	१०१	१०९	११३	+१२
	साहाय्यित ..	..	..	..	..	..	..	..	..
	असाहाय्यित ..	..	..	..	..	..	..	..	..
	कुल ..	८५४	८२७	८६४	+१०	१०१	१०९	११३	+१२

परीक्षा का नाम ।	पुरुष ।				महिला ।			
	१९६३-६४ ।		१९६४-६५ ।		१९६३-६४ ।		१९६४-६५ ।	
	परीक्षा में बैठने वालों की संख्या ।	पास करने वालों की संख्या ।	परीक्षा में बैठने वालों की संख्या ।	पास करने वालों की संख्या ।	परीक्षा में बैठने वालों की संख्या ।	पास करने वालों की संख्या ।	परीक्षा में बैठने वालों की संख्या ।	पास करने वालों की संख्या ।
	नियमित । स्वतंत्र ।	नियमित । स्वतंत्र ।	नियमित । स्वतंत्र ।	नियमित । स्वतंत्र ।	नियमित । स्वतंत्र ।	नियमित । स्वतंत्र ।	नियमित । स्वतंत्र ।	नियमित । स्वतंत्र ।
१	२ ३	४ ५	६ ७	८ ९	१० ११	१२ १३	१४ १५	१६ १७
एम० एड० (गैर-बुनियादी) ।	२९ ..	१९ ..	३२ ..	२७ ..	९ ..	६ ..	१२ ..	११ ..
डिप०-इन-एड० (गैर-बुनियादी) ।	.. ..	.. ..	१२५ ..	१२५ ..	.. ..	.. ..	११६ ..	११६ ..
डिप०-इन-एड० (बुनियादी) ।	.. ..	.. ..	६४२ १२३	६२० १०३	.. ..	.. ..	९८ ७	९७ ५
बी० एड०	.. ७६८ ४७१	७४५ ४४३	.. ...	.. ..	१७१ २१	१६१ २०	.. ..	.. ..

(*iv*) निम्न संस्थाओं पर खर्च ।

कालेजों का प्रकार ।	खर्च के स्रोत ।	बालक ।			अन्तर	बालिका ।			अन्तर
		१९६२-६३ ।	१९६३-६४ ।	१९६४-६५ ।	३—५ ।	१९६२-६३ ।	१९६३-६४ ।	१९६४-६५ ।	७—९ ।
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
स्नातकोत्तर बुनियादी प्रशिक्षण महाविद्यालय ।	सरकार से ..	२,७५,१५२	३,५४,५७३	३,६६,१३२	+९०,९८०	..	..	..	..
	फीस से ..	९,२०४	२८,१५०	..	—९,२०४	..	..	..	..
	अन्य स्रोत ..	२,९७३	४,१५७	६,८००	+३,८२७	..	..	..	..
	कुल ..	२,८७,३२९	३,८६,८८०	३,७२,९३२	+५,६०३	..	..	..	..
स्नातकोत्तर गैर-बुनियादी प्रशिक्षण महाविद्यालय ।	सरकार से ..	६२,३१३	६१,१८८	६४,०१३	+१,७००	५२,८९७	५७,६८७	६२,२५७	+९,३६०
	फीस से ..	..	..	..	..	..	..	..	..
	अन्य स्रोत ..	..	..	..	..	..	..	..	..
	कुल ..	६२,३१३	६१,१८८	६४,०१३	+१,७००	५२,८९७	५७,६८७	६२,२५७	+९,३६०

७.६ । ऊपर की तालिका से यह ज्ञात होगा कि शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेजों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई है। इस तालिका में दिखाए गए प्रशिक्षण स्कूलों की संख्या पहले प्रशिक्षण स्कूल में दिखाये गए थे, जिन्हें अब नया शीर्षक "पूर्व स्नातक" के अधीन दिखाया गया है। ऐसे प्रशिक्षण स्कूलों की कुल संख्या १०३ थी। (८३ बालकों और २० बालिकाओं के लिये)।

७.७ । १९६४-६५ में छात्रों की संख्या ८६४ और १९६३-६४ में ८२७ थी, जबकि पिछले वर्ष १९६२-६३ में वह ८५४ थी। १९६४-६५ में छात्राओं की संख्या ११३ थी जबकि १९६३-६४ में १०९ और १९६२-६३ में १०१ थी। इस प्रकार छात्रों की संख्या में भी वृद्धि हुई।

७.८ । शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेजों का विस्तृत विवरण निम्न कंडिकाओं में दिए जाते हैं :—

(क) शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेज, पटना (गैर-बुनियादी) ।

७.९ । पुराने पटना विश्वविद्यालय से संबद्ध, यह कॉलेज अब अंगीभूत कालेज बन गया है। एडुकेशन में स्नातकोत्तर शिक्षण के हेतु एक अलग विश्वविद्यालय विभाग के अन्तर्गत पुराना एम० एड० कोर्स चलाया जा रहा है, जिसके लिये नया भवन बनवाया गया है। इस कालेज में ८५ छात्रों एवं कई शिक्षकों को आवासीय सुविधाएं देने की व्यवस्था है। इस संस्थान को अपना एक फीजियोलाजिकल लेबोरेटरी है तथा इसमें आर्ट्स और क्राफ्ट की शिक्षा दी जाती है।

७.१० । पटना विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ एडुकेशन) में १९६४-६५ के दौरान एम० एड० परीक्षा में शामिल होनेवाले प्रशिक्षार्णार्थियों की कुल संख्या ४४ थी और १९६३-६४ में ३८। १९६४-६५ के दौरान डिप०-इन-एड० प्राप्त करनेवालों की कुल संख्या ७२३ पुरुष और १०२ स्त्रियां इसी प्रकार १९६३-६४ में १,१८८ प्रशिक्षणार्थियों ने एडुकेशन में बैचलर डिग्री पास की।

(ख) वोमेन्स ट्रेनिंग कॉलेज, पटना (गैर-बुनियादी)

७.११ । इस कालेज की स्थापना लगभग पन्द्रह वर्ष पहले हुई थी। इसमें एडुकेशन कोर्स में डिप्लोमा संबंधी प्रशिक्षण की व्यवस्था है। इसका स्वतंत्र छात्रावास है और बांकीपुर बहूद्देशीय बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय इसका प्रैक्टिसिंग स्कूल है।

(ग) टीचर्स ट्रेनिंग कालेज, तुर्की (बुनियादी)

७.१२ । १९५१ में बुनियादी शिक्षा के विस्तार संबंधी जागरण के क्रम में इसका श्री गणेश किया गया। इस कॉलेज में बुनियादी पद्धति (बेसिक सिस्टम) से प्रशिक्षण हेतु छात्रों को प्रवेश प्राप्त हुआ। इन १४ वर्षों के दौरान इस कॉलेज में काफी परिवर्तन हुए हैं। इसके अहाते में अब बहुत से भवन बन गए हैं और प्राचीन शिल्प पर जो बल दिया जाता था, इसकी जगह शैक्षिक अध्ययन ने ले लिया है। कृषि और वस्त्र उद्योग (टेक्सटाइल्स)। इन दो मुख्य क्राफ्ट की शिक्षा यहां दी जाती है। अध्यापन संबंधी नई मेथोडॉलोजियों के प्रयोग के लिये प्रयोगशालाओं के रूप में एक शिशु मन्दिर (प्राक् बुनियादी), एक सर्वोदय विद्यालय (बहूद्देशीय उच्चतर माध्यमिक) और एक सीनियर बुनियादी विद्यालय इससे संबद्ध हैं।

(घ) टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, भागलपुर (बुनियादी)

७.१३ । १९५४-५५ में स्थापित इस कॉलेज का गठन भी बुनियादी आधार पर हुआ है। इस कॉलेज के प्रमुख आकर्षण निम्नलिखित हैं :—

(क) सुविकसित पुस्तकालय-सह-वाचनागार,

(ख) मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला, और

(ग) फोटोग्राफी शाखा

(ङ) टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, रांची (बुनियादी) ।

७.१४ । १९५९ में स्थापित, यह कॉलेज, रांची जिला स्कूल के अहाते में अवस्थित है। इसके लिये एक स्वतंत्र भवन का होना अत्यावश्यक है, हालांकि संप्रति नष्ट-भ्रष्ट माध्यमिक प्रशिक्षण विद्यालय के छात्रावासों में ही प्रशिक्षणार्थियों को रहने की व्यवस्था है।

(च) टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, देवघर (संथाल परगना)

७.१५ । १९६२-६३ में स्थापित उस कॉलेज का गठन भी बुनियादी आधार पर हुआ है । अभी तक इसका स्वतंत्र भवन नहीं हो सका है और यह एक किराये के मकान में चल रहा है ।

(छ) टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, समस्तीपुर (दरभंगा)

७.१६ । १९६२ में स्थापित यह कॉलेज बिहार विश्वविद्यालय से संबद्ध है । इसे एक स्वतंत्र भवन की अत्यावश्यकता है । स्थानीय के०ई०एच०ई०स्कूल इससे संबद्ध है, जो इसका प्रैक्टिसिंग स्कूल है ।

(ज) पुनर्गठन और नया विकास

७.१७ । तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान दो नये टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज (समस्तीपुर और दरभंगा) का गठन किया गया है और इन कॉलेजों में विस्तार सेवा विंग की भी स्थापना की गयी है ।

अध्याय ८

व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा

१ । स्कूल [संख्या, नामांकन उपलब्धि (आउटपुट) और खर्च प्रत्येक प्रकार के लिये पृथक-पृथक]

८.१ । किसी आयोजित अर्थ-व्यवस्था में तकनीशियनों की जनशक्ति पर आवश्यकताओं का प्रमुख महत्व है । अतः तृतीय पंचवर्षीय योजना के सूत्रपात के साथ व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा में नए आयाम का समावेश हुआ है । तदनुसार ही, सामान्यतः देश के, और विशेषकर राज्य के तकनीकी कार्मिकों की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को दृष्टि में रखते हुए, इंजिनियरिंग, वाणिज्य, कृषि और पशुचिकित्सा के क्षेत्र में अपेक्षित विस्तार की गति को कायम रखना पड़ा ।

८.२ । देश में हो रहे औद्योगिक और कृषि के वृहत् विकास को ध्यान से देखने से हमें पता चलेगा कि सरकारी और गैर-सरकारी दोनों उपक्रमों में तकनीकी शिक्षा से नियोजन संबंधी बेहतर सम्भावनाएं प्राप्त हुई हैं ।

८.३ । १९६२-६३ के मुकाबले १९६३-६४ और १९६४-६५ के हर प्रकार की व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा संबंधी संस्थाओं की संख्या शिक्षकों के नामांकन उपलब्धि (आउटपुट) व्यय आदि के तुलनात्मक ब्योरे का सारांश नीचे दिया जाता है :—

(*i*) बालकों के हेतु संस्थाओं की संख्या

जिला बोर्ड एवं नगरपालिका ।

संस्था	सरकारी				म्युनिसिपल			
	१९६२-६३ ।	१९६३-६४ ।	१९६४-६५ ।	२—४ के अन्तर ।	१९६२-६३ ।	१९६३-६४ ।	१९६४-६५ ।	६—८ का अन्तर
१	२	३	४	५	६	७	८	९
कृषि	१९	१९	१९	..	..	..	..	
वाणिज्य	..	..	..	..	..	..	..	..
इंजी० एवं० टेक० ..	२६	२९	२९	+३	..	..	..	..
मेडिसीन	..	..	..	..	..	..	..	..
शारीरिक शिक्षा	..	..	..	..	..	..	..	..
पोलिटेकनिक	..	..	..	..	..	..	..	..
तकनीकी	..	..	..	..	..	..	..	..
अन्य	..	..	६	+६	..	..	..	..
आर्ट्स एवं क्राफ्ट	..	..	५	+५	..	..	१	+१
औद्योगिक	८	८	४	—४	४	४	..	—४
बुनियादी प्रशिक्षण (बेसिक ट्रेनिंग)	८३	७९	७९	—४	..	..	..	..
नॉर्मल ट्रेनिंग	..	..	..	..	..	..	..	..
अन्य	..	..	..	..	..	..	..	..
सहकारिता प्रशिक्षण आदि ..	१	..	..	—१	..	..	..	..
कुल जोड़ ..	१३७	१३५	१४२	+५	४	४	१	—३

(*i*) बालकों के हेतु संस्थाओं की संख्या—क्रमान्त ।

संस्था	जिला बोर्ड एवं नगरपालिका							
	साहाय्यित				असाहाय्यित			
	१९६२-६३।	१९६३-६४।	१९६४-६५।	१०—१२ का अन्तर।	१९६२-६३	१९६३-६४	१९६४-६५।	१४—१६ के अन्तर।
१	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
कृषि	..	..	..	..	..	..	..	..
वाणिज्य	४	४	५	+१	९	१२	१३	+४
इंजी०एवं०टेक०	..	..	..	..	..	..	..	..
मेडिसीन	..	..	..	..	..	..	..	..
शारीरिक शिक्षा	१	१	१	..	..	..	..	..
पोलिटेकनिक	..	..	..	..	..	..	..	..
तकनीकी	..	..	..	..	..	..	..	..
अन्य	..	..	..	..	..	..	..	..
आर्टस् एवं क्राफ्ट	..	..	४	+४	..	..	..	..
औद्योगिक	७	७	१	—६	१	..	..	—१
बुनियादी प्रशिक्षण (बेसिक ट्रेनिंग) ..	१	१	४	+३	..	..	..	..
नार्मल ट्रेनिंग	११	१२	..	—११	..	..	..	..
अन्य	..	..	..	..	..	..	..	..
सहकारिता प्रशिक्षण आदि ..	..	..	..	..	..	..	..	..
कुल जोड़ ..	२४	२५	१५	—९	१०	१२	१३	+३

(*ii*) बालिकाओं के हेतु संस्थाओं की संख्या

संस्था	सरकारी				साहाय्यित			
	१९६२-६३।	१९६३-६४।	१९६४-६५।	२—४ का अन्तर।	१९६२-६३।	१९६३-६४।	१९६४-६५।	६—८ का अन्तर।
१	२	३	४	५	६	७	८	९
कृषि	..	..	..	..	१	..	..	—१
अन्य तकनीकी (औद्योगिक) ..	..	..	४	+४	..	..	..	..
आर्टस् एवं क्राफ्ट	७	७	४	—३	१३	१३	९	—४
मेडिसीन	..	..	१	+१	..	..	..	..
बुनियादी प्रशिक्षण (बेसिक ट्रेनिंग)	१६	२०	२०	+४	१	१	४	+३
नार्मल ट्रेनिंग	२	२	२	—७	७	७	३	—४
कुल जोड़ ..	२५	२९	३१	+६	२२	२१	१६	—६

(*iii*) बालकों की संस्थाओं में छात्रों की संख्या

संस्थाओं के प्रकार	सरकारी राज्य और केन्द्र				जिला बोर्ड या म्युनिसिपल बोर्ड नगरपालिका।			
	१९६२-६३।	१९६३-६४।	१९६४-६५।	२—४ का अन्तर।	१९६२-६३।	१९६३-६४।	१९६४-६५।	६—८ का अन्तर।
१	२	३	४	५	६	७	८	९
कृषि ..	.. १,६८९	१,९६४	२,०२५	+३३६	..	..	..	..
वाणिज्य ..	.. ..	..	..	..	..	..	..	..
इंजिनियरिंग एवं टेकनोलॉजी	.. ७,११४	७,७३९	११,०७९	+३,९६५	..	..	..	..
वन-विज्ञान (फॉरेस्ट्री)	.. ..	..	..	..	..	..	..	..
मेडिसीन ..	.. ..	..	..	..	..	..	..	..
शारीरिक शिक्षा ..	.. ..	..	..	..	..	..	..	..
पोलिटेकनिक ..	.. ..	..	..	..	..	..	..	..
तकनीकी ..	.. ..	..	..	..	..	..	..	..
अन्य आर्ट्स एवं क्राफ्ट औद्योगिक	.. २,५२६	२,३१८	९७२ ५३५ ४६२	—५५७	१११	३८	४०	—७१
बुनियादी प्रशिक्षण (बेसिक ट्रेनिंग)	१६,१६०	१५,४४०	१४,४०४	१,७५६	..	..	..	..
नॉर्मल ट्रेनिंग ..	.. ..	..	..	..	..	..	..	..
पशु चिकित्सा ..	.. ..	..	..	..	..	..	..	..
अन्य ..	.. ..	..	..	..	..	..	..	..
सहकारी प्री-प्राइमरी नर्सरी ट्रेनिंग	१५८	१५८	..	..	..	..	..	..
कुल जोड़ ..	२७,६४७	२७,६१९	..	..	१११	३८	४०	—७१

(*iii*) बालकों की संस्थाओं में छात्रों की संख्या—क्रमान्त ।

संस्थाओं के प्रकार	साहाय्यित				असाहाय्यित			
	१९६२-६३।	१९६३-६४।	१९६४-६५।	१०—१२ का अन्तर।	१९६२-६३।	१९६३-६४।	१९६४-६५।	१४—१६ का अन्तर।
१	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
कृषि	..	..	..	..	..	..	..	..
वाणिज्य	४४३	४००	५५९	+११६	९१४	९४६	१,२६७	+३५३
इंजिनियरिंग एवं टेकनोलॉजी ..	..	..	..	..	..	..	..	..
वन-विज्ञान (फॉरेस्ट्री) ..	..	..	..	..	..	..	..	..
मेडिसीन	..	..	..	..	..	..	..	..
शारीरिक शिक्षा	..	..	..	..	..	..	..	..
पोलिटेकनिक	..	..	२१५	+२१५	..	..	..	..
तकनीकी	..	..	..	..	..	..	..	..
अन्य (आर्टस् एवं क्राफ्ट) ..	३४८	३८९	१९१	—१५७	९०	..	..	—९०
बुनियादी प्रशिक्षण (बेसिक ट्रेनिंग)	७८	७६	१३५	+५७	२६	..	..	—२६
नॉर्मल ट्रेनिंग	३२७	४३१	..	—३२७	..	..	..	..
पशु चिकित्सा	..	..	..	..	..	..	..	..
अन्य	..	..	..	..	..	..	..	..
सहकारी प्री-प्राइमरी ट्रेनिंग नर्सरी ..	..	..	..	..	..	..	..	..
कुल जोड़ ..	१,४११	१,५०१	१,१००	—३११	१,०३०	९४६	१,२६७	+२३७

(*iv*) बालिकाओं की संस्थाओं में छात्रों (स्कालरों) की संख्या ।

संस्थाओं के प्रकार ।	सरकारी ।				साहायित			
	१९६२-६३ ।	१९६३-६४ ।	१९६४-६५ ।	२—४ का अन्तर ।	१९६२-६३ ।	१९६३-६४ ।	१९६४-६५ ।	६—८ का अन्तर ।
१	२	३	४	५	६	७	८	९
कृषि संबंधी	..	..	..	..	..	..	..	..
तकनीकी शिक्षा	..	..	..	..	..	..	..	..
तकनीकी शिक्षा और औद्योगिक ..	..	..	..	..	..	..	..	..
आर्टस् और क्राफ्ट	४२५	४६९	४८२	+५७	५०९	३९५	३०३	२०६
औद्योगिक	..	..	..	..	..	..	..	..
मेडिसीन	..	..	७२	+७२	..	..	..	..
बुनियादी प्रशिक्षण (बेसिक ट्रेनिंग)	२,३३३	२,८५४	२,६०८	+२७५	२५	२३	२१३	+१८८
नार्मल ट्रेनिंग	२०३	१८५	१८४	—१९	१९७	२५०	११६	—८१
कुल जोड़ ..	२,९६१	३,५०८	३,३४६	+३८५	७३१	६६८	६३२	—९९

(*v*) व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा से सम्बन्धित अध्यापकों की संख्या ।

संस्थाओं के प्रकार ।	पुरुष ।				स्त्री ।			
	निम्नलिखित वर्षों के दौरान अध्यापकों की संख्या ।				निम्नलिखित वर्षों के दौरान अध्यापकों की संख्या ।			
	१९६२-६३ ।	१९६३-६४ ।	१९६४-६५ ।	अन्तर २—४ ।	१९६२-६३ ।	१९६३-६४ ।	१९६४-६५ ।	अन्तर ६—८ का ।
१	२	३	४	५	६	७	८	९
कृषि	१२५	१२०	१२३	−२	..	३	३	+३
वाणिज्य	३२	३३	४३	+११	..	..	..	..
इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी ..	५५४	६५६	८२२	+२६८	..	..	१३	+१३
मेडिसीन	..	..	..	..	..	..	६	+६
शारीरिक शिक्षा	३	३	३	..	..	..	..	..
पोलिटेकनिक तकनीकी अन्य ..	..	..	७४	}			२	+२
औद्योगिक	..	..	५८	} −३८	८१	७९	४७	−३४
आर्टस् और क्राफ्ट	२४६	..	७६	}	..	..	..	..
बुनियादी प्रशिक्षण	८३१	८४४	८६४	+३३	९३	१४१	१६५	+७२
नार्मल ट्रेनिंग ..	२३	२२	९	−१४	४१	३८	१५	−२६
प्राक् प्राथमिक (पूर्व प्राइमरी) और नर्सरी ।	४	४	..	−४	..	..	..	..
कुल ..	१,८१८	१,९६२	२,०७२	+२५४	२१५	२६१	२५१	+३६

(*vi*) परीक्षाफल

परीक्षा का नाम।	बालक।				बालिकायें।			
	सम्मिलित।		उत्तीर्ण।		सम्मिलित।		उत्तीर्ण।	
	नियमित।	स्वतन्त्र।	नियमित।	स्वतन्त्र।	नियमित।	स्वतन्त्र।	नियमित।	स्वतन्त्र।
१	२	३	४	५	६	७	८	९
कृषि	१३४	..	१,२२८	..	..	..	..	..
वाणिज्य	९६८	..	८८३	..	४	..	४	..
इंजीनियरिंग तथा टैक्नोलॉजी शिक्षा	२,७९६	..	२,३९७	..	४१	..	११	..
फॉरेस्ट्री	एन०ए०	..	एन०ए०	..	एन०ए०	..	..	..
औद्योगिक आर्ट्स और क्राफ्ट ..	२२१	..	२०३	..	२६८	..	२१५	..
बुनियादी प्रशिक्षण	..	..	..	..	..	..	..	..
गैर-बुनियादी प्रशिक्षण ..	..	..	..	..	..	..	..	..
पशु चिकित्सा (वेटेरिनरी) ..	५८९	..	३९७	..	..	..	..	..

१९६४ एवं १९६५ ।

बालक ।				बालिकायें ।			
सम्मिलित ।		उत्तीर्ण ।		सम्मिलित ।		उत्तीर्ण ।	
नियमित ।	स्वतन्त्र ।	नियमित ।	स्वतन्त्र ।	नियमित ।	स्वतन्त्र ।	नियमित ।	स्वतन्त्र ।
१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
..	..	..	..	एन०ए०	..	..	..
७४८	५८५	..	..	..	..	..	..
..	..	एन०ए०	..	..	..	..	..
..	..	एन०ए०	..	..	..	..	..
..	..	एन०ए०	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	एन०ए०	..	..	..	..	..

ii कालेज (प्रत्येक टाईप हेतु) संख्या, नामांकन; उपलब्धि (आउटपुट) व्यय, आदि ।

८.४ व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा वाले कॉलेजों के सम्बन्ध में सूचनायें निम्न तालिका में दी गयी हैं ।

(*i*) कॉलेजों की संख्या ।

कॉलेजों का प्रकार ।	प्रबन्ध ।	बालकों के हेतु ।				बालिकाओं के हेतु ।			
		१९६२-६३ ।	१९६३-६४ ।	१९६४-६५ ।	अन्तर ३–५ ।	१९६२-६३ ।	१९६३-६४ ।	१९६४-६५ ।	अन्तर ७–९ ।
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
कृषि ..	सरकारी ..	३	३	३	..	..	..	..	..
वाणिज्य ..	साहाय्यित ..	१	१	१	..	..	..	..	..
	असाहाय्यित ..	..	..	..	..	..	..	..	..
शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेज ।	सरकारी (बुनियादी) ।	५	५	५	..	..	..	..	..
	साहाय्यित (गैर-बुनियादी) ।	१	१	१	..	१	१	१	..
इंजीनियरिंग ..	सरकारी ..	४	४	४	..	..	..	..	..
	साहाय्यित ..	२	२	२	..	..	..	..	..
	असाहाय्यित ..	१	१	१	..	..	..	..	..
विधि (लॉ) ..	साहाय्यित ..	२	२	२	..	..	..	..	..
	असाहाय्यित ..	२	२	२	..	..	..	..	..
मेडिसीन ..	सरकारी ..	५	५	६	+१	..	..	..	..
	साहाय्यित ..	३	३	३	..	..	..	..	..
	असाहाय्यित ..	१	१	१	..	..	..	..	..
शारीरिक शिक्षा	सरकारी ..	१	१	१	..	..	..	..	..
पशु-चिकित्सा	सरकारी ..	२	२	२	..	..	..	..	..
	कुल ..	३४	३४	३५	+१	१	१	१	..

छात्रों की संख्या

(*ii*) निम्न कॉलेजों में

कॉलेजों के प्रकार और उनके प्रबंध		बालक			
		१९६२-६३	१९६३-६४	१९६४-६५	अन्तर २–४
१		२	३	४	५
कृषि ..	सरकारी	९२६	९३२	१,०८४	+१५८
वाणिज्य ..	साहाय्यित	१,२६१	१,२८८	१,०१६	—२४५
	असाहाय्यित	२,४१८	३,०७७	३,६६३	+१,२४५
शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेज	सरकारी बुनियादी ..	७२७	७०८	७४४	+१७
	साहाय्यित (गैर-बुनियादी) ..	७२७	११९	१२०	—७
	सरकारी	२,८७०	३,२१७	३,२७७	+४०७
अभियंत्रण ..	साहाय्यित	१,४२०	१,७४४	१,८८०	+४६०
	असाहाय्यित	१,२५४	१,२८५	१,४६८	+२१४
विधि ..	साहाय्यित	७३३	९६९	१,०९९	+३६६
	असाहाय्यित	१,०६३	१,०८१	१,२५३	+१९०
	सरकारी	१,५८६	१,८९७	२,१३५	+५४९
मेडिसिन ..	साहाय्यित	१,१०७	१,१९३	१,१९१	+८४
	असाहाय्यित	१४६	१४५	१७५	—१
	पशु-चिकित्सा विज्ञान ..	५८७	६२६	६६३	+७६
	कुल ..	१६,२५९	१८,३०५	१९,९८५	+३,७२६

कॉलेजों के प्रकार और उनके प्रबंध		बालिकाएं			
		१९६२-६३	१९६३-६४	१९६४-६५	अन्तर
१		६	७	८	९
कृषि ..	सरकारी				—
वाणिज्य ..	साहाय्यित	..	..	..	..
	असाहाय्यित	..	..	..	..
शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेज	सरकारी बुनियादी ..	..	..	..	..
	सहायता प्राप्त (गैर-बुनियादी)	१०१	१०९	११३	+१२
अभियंत्रण ..	सरकारी ..	..	..	..	..
	साहाय्यित ..	..	..	..	..
	असाहाय्यित ..	..	..	..	..
विधि ..	साहाय्यित ..	..	..	..	..
	असाहाय्यित ..	..	..	..	..
मेडिसिन ..	सरकारी ..	..	..	..	..
	साहाय्यित ..	..	..	..	.
	असाहाय्यित ..	..	..	..	..
	पशु-चिकित्सा विज्ञान ..	.	..	..	..
	कुल ..	१०१	१०९	११३	+१२

(iii) कॉलेजों

कॉलेजों के प्रकार।	बालक।		
	१९६२-६३।	१९६३-६४।	१९६४-६५।
१	२	३	४
	रु०	रु०	रु०
कृषि	११,३७,९६९	११,९८,४५४	११,७४,७७३
वाणिज्य	५,२३,१९२	६,८१,६६४	७,५७,७०१
शिक्षक प्रशिक्षण बुनियादी	२,८७,३२९	३,८६,८८०	३,७२,९३२
शिक्षक प्रशिक्षण (गैर-बुनियादी)	६२,३१३	६१,१८८	६४,०१३
इंजीनियरिंग	६१,४०,९७६	६९,०३,०९२	८४,३३,९३८
विधि (लॉ)	३,३४,०५४	३,२६,४६१	३,४६,०८१
मेडिसीन	२८,८६,०४७	३०,७२,००६	३७,८४,४११
शारीरिक शिक्षा	४३,६९०	४२,९६७	५३,०४०
पशु-चिकित्सा विज्ञान	४,३९,२३२	५,३१,१५७	६,३८,०१८
कुल ..	१,१५,५४,८०२	१,३२,०३,८६९	१,५६,३०,९०७

पर व्यय ।

वाणिकार्ये ।

अन्तर २—४ ।	१९६२-६३ ।	१९६३-६४ ।	१९६४-६५ ।	अन्तर ६—८ ।
५	६	७	८	९
रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
+३२,८०४	..	..	..	..
+२,४४,५०९	..	..	..	..
+८५,६०३	५२,८९७	५७,६८७	६२,२५७	+९,३६०
+१,७००	..	..	..	..
+२२,९२,९६२	..	..	..	..
+१२,०२७	..	..	..	..
+११,९८,३६४	..	..	..	..
+९,३५०	..	..	..	..
+१,९८,७८६	..	..	..	..
+४०,७६,१०५	५२,८९७	५७,६८७	६२,२५७	+९,३६०

III महत्वपूर्ण व्यावसायिक कॉलेज ।

(i) मेडिकल कॉलेज ।

८.५ । किसी कल्याण राज्य में मेडिकल कॉलेजों का क्या महत्व है इस पर बल देने की कदाचित् ही जरूरत है ; खासकर, पिछली तीन योजना अवधि के दौरान, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के सम्बन्ध में आकांक्षित प्रयास हुए हैं ताकि जनता को सुलभतापूर्वक उनकी उपलब्धि हो सके । जन-स्वास्थ्य की देख-रेख के लिये चिकित्सीय (मेडिकल) एवं प्राक्-चिकित्सीय (प्री-मेडिकल) कार्मिकों की संख्या-वृद्धि की दृष्टि से मेडिकल कॉलेजों का विस्तार हुआ है ।

८.६ । १९६३-६४ और १९६४-६५ के दौरान निम्नलिखित संस्थाओं द्वारा चिकित्सा और स्वास्थ्य शिक्षा दी जाती रही :—

(१) प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज, पटना ।

(२) दरभंगा मेडिकल कॉलेज, दरभंगा ।

(३) रांची मेडिकल कॉलेज, रांची ।

(४) गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज, पटना ।

(५) गवर्नमेंट तिब्बी कॉलेज, पटना ।

(६) एस० वाई० एन० ए० आयुर्वेदिक कॉलेज, भागलपुर ।

(७) अयोध्या एस० के० आयुर्वेदिक कॉलेज, बेगुसराय (मुंगेर) ।

(८) डेन्टल कॉलेज, पटना और

(९) पब्लिक हेल्थ इन्स्टिच्यूट ऐन्ड वैकसिन इन्स्टिच्यूट, नामकुम ।

८.७ । हिज रायल हाइनेस प्रिंस ऑफ वेल्स के इस राज्य में पधारने की स्मृति में तत्कालीन टेम्पुल मेडिकल स्कूल को उत्क्रमित कर और रोमर मेडिकल स्कूल भवन में परिवर्त्तन करके वर्त्तमान प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज, पटना की स्थापना १९२५ ई० में की गयी । कॉलेज के विभिन्न विभागों के समावेश के लिये पांच नयी संरचनायें बनीं । १९५१-५२ तक यह कालेज बिहार सरकार के नियन्त्रणाधीन था । जब नये पटना विश्वविद्यालय अधिनियम, १९५२ के अधीन यह विश्वविद्यालय शिक्षण और आवासीय विश्वविद्यालय बना तब मेडिसीन सर्जरी, ओपथालमोलोजी, फर्माकोलोजी, फीजियोलॉजी एवं अनाटोमी, पेडियाट्रिक्स, और्थोपेडिक्स और एनेस्कॉलॉजी विषयों में ११ नये स्नातकोत्तर विभाग खुले ।

८.८ पटना मेडिकल कॉलेज ने प्री-मेडिकल कोर्स भी चालू किया । फीजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलोजी विभाग का हाल ही आधुनिकीकरण हो गया है और उनमें उचित साज-समान जुटा लिये गये हैं ।

(ii) इंजीनियरिंग कॉलेज ।

८.९ । रिपोर्ट गत वर्ष में सात कॉलेज में (क) बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, पटना, (ख) रीजनल इन्स्टिच्यूट ऑफ टेकनोलॉजी, जमशेदपुर, (ग) बिहार इन्स्टिच्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सिन्दरी, (घ) मुजफ्फरपुर इन्स्टिच्यूट आफ टेक्नोलॉजी, मुजफ्फरपुर, (ङ) बिड़ला इन्स्टिच्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मेसरा, रांची, (च) भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, और (छ) इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स, धनबाद ।

इन संस्थाओं द्वारा आयोजना सम्बन्धी अपेक्षाओं की पूर्ति के सिलसिले में राज्य के प्रशिक्षित तकनीकी कर्मचारियों से सम्बन्धित बढ़ती हुई मांग बहुत हद तक पूरी हो सकी । इन संस्थाओं में से प्रत्येक के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी इस प्रकार है :—

इस राज्य के विभिन्न इंजीनियरिंग कॉलेजों का ब्योरा निम्न तालिका में दिखलाया गया है :—

क्रम सं० ।	संस्थानों का नाम ।	स्थापना वर्ष ।	पाठ्य विषय एवं उसकी अवधि ।	दी जाने वाली डिग्री ।
१	२	३	४	५
१	बिहार कालेज ऑफ इंजीनियरिंग, पटना ५ ।	१९०६	सिविल मेकैनिकल, इलेक्ट्रिकल, ५ वर्ष ।	बी०एस सी० (इंजी०)
२	रिजिनल इन्स्टिच्यूट ऑफ टेकनोलाजी, जमशेदपुर ।	१९६०	सिविल, मेकैनिकल मेटालाजिकल ५ वर्ष	वही
३	बिहार इन्स्टिच्यूट ऑफ टेकनालॉजी, सिन्दरी ।	१९५०	सिविल, मेकैनिकल इलेक्ट्रिकल, मेटालर्जी०, केमिकल, टेली-कम्यूनिकेशन ऐण्ड प्रोडक्शन, ५ वर्ष ।	वही
४	मुजफ्फरपुर इन्स्टिच्यूट ऑफ टेकनोलॉजी, मुजफ्फरपुर ।	१९५४	सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ५ वर्ष	वही
५	बिड़ला इन्स्टिच्यूट ऑफ टेकनोलॉजी, डाकघर मेसरा, रांची ।	१९५५	सिविल, मेकैनिकल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ।	वही
६	भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, डाकघर, बरारी, भागलपुर-३ ।	..	वही	.. वही
७	इन्डियन स्कूल ऑफ माइन्स	..	(विवरण दूसरे पृष्ठ पर अलग से दिया गया है ।)	

क्रम सं० ।	संस्थानों का नाम ।	न्यूनतम प्रवेश योग्यता ।	जिस विद्यालय से सम्बद्ध है, उसका नाम ।	आवासीय या अन्य ।	नियंत्रण प्राधिकारी ।
१	२	६	७	८	९
१	बिहार कालेज ऑफ इंजीनियरिंग, पटना-५ ।	उच्चतर माध्यमिक डिग्री प्रथम वर्ष या समकक्ष ।	पटना ..	आवासीय	पटना विश्वविद्यालय
२	रिजिनल इंस्टिच्यूट ऑफ टेकनोलॉजी, जमशेदपुर ।	वही प्रवेश जांच के साथ ।	रांची ..	वही ..	बोर्ड ऑफ गवर्नर ।
३	बिहार इन्स्टिच्यूट ऑफ टेकनोलॉजी, सिन्दरी ।	वही ..	रांची ..	वही ..	उद्योग विभाग ।
४	मुजफ्फरपुर इन्स्टिच्यूट ऑफ टेकनोलॉजी, मुजफ्फरपुर ।	उच्चतर माध्यमिक या स्नातक खंड I या समकक्ष परीक्षा ।	..	वही ..	निदेशक, उद्योग ।
५	बिड़ला इन्स्टिच्यूट ऑफ टेकनोलॉजी, डाकघर मेसरा, रांची ।	उच्चतर माध्यमिक या समकक्ष ।	रांची ..	वही	हिन्दुस्तान चैरिटी ट्रस्ट ।
६	भागलपुर कालेज ऑफ इंजीनियरिंग, डाकघर बरारी, भागलपुर-३ ।	वही ..	भागलपुर	..	उद्योग विभाग ।
७	इन्डियन स्कूल ऑफ माइन्स		.. (विवरण दूसरे पृष्ठ पर अलग से दिया गया ।)		

(iii) इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स, धनबाद ।

८.१० । भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन चलनेवाली बिहार की सबसे पुरानी संस्थाओं में से यह एक संस्था है । इसमें प्रवेश के लिये न्यूनतम योग्यता आई०एस-सी० है । प्रवेश के लिए एक जांच परीक्षा होती है । यह माइनिंग, इंजीनियरिंग, अप्लायड जियोलॉजी, अप्लायड जियो-फिजिक्स तथा पेट्रोलियम टेकनोलॉजी में ४ वर्षों की डिग्री प्रदान करती है । जियो-लॉजी और जिओफिजिक्स कोर्स की प्रवेश-योग्यता स्नातक है । यहां से दी जानेवाली डिग्रियां ये हैं—आई० एस० एम० (माइनिंग), बी०एस-सी० (माइनिंग इंजीनियरिंग), एम० एस-सी०, ए० आई० एस० एम०, बी०एस-सी० (टेक०), ए० आई० एस० एम० पैट्रोटेक०(रांची विश्वविद्यालय) ।

(iv) अखिल भारतीय संस्थाएं ।

८.११ । यहां चार ऐसी संस्थाएं हैं जिन्हें अखिल भारतीय स्तर की संस्थाओं में रखा जा सकता है, जैसे (क) केन्द्र प्रशासित इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स ऐण्ड एप्लायड जियोलॉजी, धनबाद, (ख) केन्द्र प्रशासित जमालपुर टेक्निकल इंस्टिच्यूट, (ग) राज्य प्रबंधित बिहार वेटेरिनरी कॉलेज, पटना और (घ) राज्य प्रबंधित रिफार्मेटरी स्कूल, हजारीबाग, जहां दूसरे राज्यों के किशोर अपराधी (जुवेनाइल ऑफेन्डर्स) भी लिये जाते हैं । इन संस्थाओं के संबंध में विस्तृत जानकारी अनुबंधी कंडिकाओं में दी गई है ।

८.१२ । इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स ऐण्ड एप्लाइड जियोलॉजी, धनबाद—इस संस्था के संबंध में संगत सूचनाएं पूर्व की कंडिका में दी जा चुकी है ।

८.१३ । जमालपुर टेक्निकल इंस्टिच्यूट—यह एक केन्द्र प्रशासित संस्था है और रेलवे इंजीनियरिंग में प्रशिक्षण प्रदान करती है । इस संस्था में भारत के प्रत्येक भाग से आए हुए छात्रों को प्रवेश मिलता है ।

८.१४ । बिहार पशुचिकित्सा कॉलेज, पटना—राज्य में अपने ढंग का यह अकेला कालेज है और राज्य सरकार इसका प्रबंध करती है । अब यह डिग्री स्तर तक का प्रशिक्षण देता है ।

८.१५ । रिफॉरमेटरी स्कूल, हजारीबाग—रिफॉरमेटरी स्कूल की स्थापना वैसे युवा अपचारियों को सामान्य और औद्योगिक प्रशिक्षण देने के लिए हुई है जो न्यायालय की दृष्टि में ऐसे स्कूल में प्राप्त प्रशिक्षण से लाभान्वित और समाज के लिये उपयोगी सदस्य हो सकते हैं । इसमें बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आसाम के किशोर अपचारियों को प्रवेश दिया जाता है । इस संस्था पर होनेवाले व्यय चारों राज्य वहन करते हैं । यह विद्यालय लोहारगिरी, काष्ठकार्य, बुनाई, मोटर-मरम्मत और कृषि प्रशिक्षण प्रदान करने के अतिरिक्त मिडल स्तर तक सामान्य शिक्षा प्रदान करता है ।

अध्याय ९।

समाज शिक्षा।

९.१। केन्द्र और साक्षरता (लिटरेसी) क्लास जिसमें साक्षरोत्तर (पोस्ट-लिटरेसी) क्लास, जनता कॉलेज, आदि भी शामिल हैं।

९.१। अप्रैल, १९३८ में चलाया गया सामूहिक साक्षरता अभियान राज्य वयस्क निरक्षरता-निवारण की दिशा में प्रथम प्रयास था। यह कार्य सोल्लास आरंभ किया गया था और राज्य, जिला एवं अनुमंडल स्तरों पर सामूहिक साक्षरता समितियां गठित की गयी थीं। विद्यालय अवर-निरीक्षक अपने-अपने क्षेत्रों में साक्षरता कार्य के प्रभारी थे। ज्यों-ज्यों समय बीतता गया आंदोलन की आरंभिक गति धीमी होती गई। फिर भी स्वतंत्रता प्राप्ति (१९४६-४७) के समय १,९३१ साक्षरता केन्द्र थे और उनकी पंजियों में ९१,१६७ वयस्कों के नाम दर्ज थे।

९.२। स्वतंत्रता प्राप्ति होते ही, वयस्क शिक्षा कार्यक्रम को नए सिरे से महत्व प्राप्त हुआ। सामूहिक साक्षरता अभियान से अब समाज शिक्षा कार्यक्रम का परिधि-विस्तार हुआ और उसके दायरे में निम्न छः-सूत्री कार्यक्रम भी शामिल कर लिये गये :—

(१) सफाई और स्वच्छता, (२) स्वास्थ्य और चिकित्सा, (३) संस्कृति और मनोरंजन, (४) सामाजिक रीतियों और व्यवहार परक सुधार, (५) आर्थिक उत्थान, और (६) प्रकाशन एवं प्रचार।

९.३। देश भर में सामुदायिक विकास कार्यक्रम संबंधी अभियान के फलस्वरूप समाज शिक्षा का नूतन ढंग से मूल्यांकन हुआ। न केवल साक्षरता कार्यक्रम तथा अन्य सूत्री कार्यक्रमों में ही तेजी आई बल्कि पुरुष और स्त्री दोनों के लिए समाज शिक्षा आयोजक (सोशल एडुकेशन ऑर्गेनाइजर) का अलग-अलग पद सृजित हुआ।

समाज शिक्षा बोर्ड को सुदृढ़ किया गया और द्वितीय योजनावधि में जिला समाज शिक्षा आयोजक (डिस्ट्रिक्ट सोशल एडुकेशन आर्गेनाइजर) और प्रमंडल सामाजिक शिक्षा आयोजक (डिवीजनल सोशल एडुकेशन आर्गेनाइजर) पदनामवाले राजपत्रित पंक्ति के पदाधिकारी नियुक्त किए गए जिनका कार्य था ग्रामीण जनता के सर्वतोमुखी उत्थान संबंधी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने और उनमें सक्रिय भाग लेने के लिये उन्हें प्रगाढ़ निद्रा से जाग्रत करना और उनका विश्वास एवं उत्साह प्राप्त करने के लिये इस वृहत् कार्यक्रम का पर्यवेक्षण, मार्ग-दर्शन और निदेशन करना। साथ ही इन साक्षरता और समाज केन्द्रों में लोगों को प्रशिक्षित कार्मिक बनाने के उद्देश्य से जनता कालेजों का भी संगठन हुआ। कार्यक्रम का उत्कर्ष अपने शीर्षबिन्दु तक तब पहुंच गया जब तृतीय योजना के दौरान राज्य स्तर पर एक अलग समाज एवं युवा कल्याण निदेशालय की स्थापना हुई जिसके निदेशक श्री एन० के० गौड़ बने।

९.४। नीचे दी गई तालिकाओं से १९६२-६३ के मुकाबले १९६३-६४ और १९६४-६५ के दौरान केन्द्रों और साक्षरता क्लासों की संख्या जाहिर होती है :—

स्कूलों और साक्षरता केन्द्रों की संख्या

संस्थाओं के प्रकार।	प्रबंध।	पुरुष के लिए			
		१९६२-६३	१९६३-६४	१९६४-६५	अन्तर ३–५
१	२	३	४	५	६
नियमित (रेगुलर) स्कूल ..	सरकारी ..	..	४	४	+४
साक्षरता केन्द्र	साहाय्यित ..	११७	११९	९६३	—४,४३०
	साहाय्यित ..	५,२१७	३,६५२		
	असहाय्यित ..	५९	३७		
	कुल ..	५,३९३	३,८१२	९६७	—४,४२६

संस्थाओं के प्रकार।	प्रबंध।	स्त्री के लिए।			
		१९६२-६३	१९६३-६४	१९६४-६५	अन्तर ७-९
१	२	७	८	९	१०
नियमित (रेगुलर) स्कूल ..	सरकारी ..	..	..	..	..
	साहाय्यित ..	१६	१६	२१७	—६९९
पुस्तकालय केन्द्र	साहाय्यित ..	९००	६८२		
	असाहाय्यित ..	..	..		
	कुल ..	९१६	६९८	२१७	—६९९

स्कूल तथा साक्षरता केन्द्र में पुरुषों एवं स्त्रियों की संख्या।

पुरुषों की संस्थाओं में

१	२	३	४	५	६
सामाजिक कार्यकर्त्ताओं के लिए स्कूल—					
(जनता सरकारी कॉलेज) ..		..	४१८	३३०	+३३०
नियमित (रेगुलर) स्कूल।	साहाय्यित ..	२,३६७	२,३९२	.	..
साक्षरता केन्द्र	साहाय्यित ..	१,८१,७११	१,२४,८३३	३०,७४४	—१,५४,९४७
	असाहाय्यित ..	१,६१३	१,०९७	..	..
	जोड़ ..	१,८५,६९१	१,२८,७४०	३१,०७४	—१,५४,६१७

स्त्रियों की संस्थाओं में

१	२	७	८	९	१०
सामाजिक कार्यकर्त्ताओं के लिए स्कूल—					
(जनता सरकारी कॉलेज) ..		..	..	..	..
नियमित (रेगुलर) स्कूल।	साहाय्यित ..	३४२	३४६	६,६१२	—२०,५१३
साक्षरता केन्द्र	साहाय्यित ..	२६,७८३	२०,७२२		
	असाहाय्यित ..	९३	..	..	—९३
	जोड़	२७,२१८	२१,०६८	६,६१२	—२०,६०६

३। पाठ्यक्रम की अवधि

९.५। वयस्क शिक्षा की अवधि छः महीने की थी।

४। व्यय

९.६। १९६३-६४ और १९६४-६५ के दौरान इन संस्थाओं में हुए व्यय का स्रोत नीचे दिया गया है :—

विभिन्न स्रोतों द्वारा व्यय

(प्रत्यक्ष)

संस्थाओं के प्रकार।	स्रोत।	पुरुष।		स्त्री।	
		१९६२-६३	१९६३-६४	१९६४-६५	अन्तर
१	२	३	४	५	६
सामाजिक कार्यकर्त्ताओं के स्कूल ..	सरकार ..	..	..	..	..
बयस्कों के लिये स्कूल और साक्षरता केन्द्र।	नगरपालिका(म्यु-निसिपल) बोर्ड।	१०,८५,६८६	५,७८,७७६	२,४०,६६३	—८,४५,०२३
	जोड़ ..	१०,८५,६८६	५,७८,७७६	२,४०,६६३	—८,४५,०२३

५। पुस्तकालयों का विकास और साहित्य निर्माण

९.७। पुस्तकालयों के विकास पर काफी जोर दिया गया। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अधीन काफी संख्या में ग्रामीण पुस्तकालयों का संघटन हुआ है। विभिन्न प्रखंड मुख्यालयों में ये पुस्तकालय अच्छे पुस्तकालयों के रूप में स्थापित किए गए हैं और प्रत्येक प्रखंड कार्यालय की सूचना कक्ष में अच्छी-अच्छी पुस्तकें रखी जाने लगी हैं।

९.८। इनके अलावा पटना में एक केन्द्रीय राज्य पुस्तकालय, जिला स्तर पर १२ जिला पुस्तकालय, ५ राज्य पुस्तकालय और अनुमंडल मुख्यालयों में २७ अनुमंडल पुस्तकालयों का योजनाबद्ध विकास हुआ है। उपर्युक्त १७ जिला और राज्य पुस्तकालयों के साथ शिशु और परिगामी प्रशाखा (मोबाइल सेक्शन) संबद्ध रहेगी।

९.९। ये पुस्तकालय पुस्तकालय-अधीक्षक के निदेशन और पर्यवेक्षण के अधीन चल रहे हैं। पुस्तकालय प्रशिक्षण के लिये संक्षिप्त प्रशिक्षण कोर्स चलाया गया है। राज्य पुस्तकालय संघ की ओर से एक मासिक पत्रिका "पुस्तकालय" प्रकाशित होती रही।

६। वयस्क शिक्षा बोर्ड।

९.१०। वयस्क शिक्षा बोर्ड द्वारा कार्य संचालन जारी रहा और समाज शिक्षा संबंधी विषयों पर सरकार को सलाह दी जाती रही तथा आलोच्य अवधि में प्रखंड मुख्यालयों में समाज शिक्षा आयोजक (एस०ई०ओ०) से लेकर निदेशक स्तर तक के समाज शिक्षा पदाधिकारी कार्य संचालन करते रहे, यद्यपि इस कार्यक्रम की दक्षता के बारे में सिर्फ राज्य के ही नहीं बल्कि समग्र देश के कुछ क्षेत्रों में शंकाएं उठने लगी हैं।

अध्याय १०

बालिकाओं एवं महिलाओं की शिक्षा

(१) संस्था का प्रकार और स्तर

१०.१। अपने देश के प्रजातांत्रिक ढांचे के अधीन बालिकाओं और स्त्रियों की समुचित शिक्षा व्यवस्था के लिए उन्हें अनुकूल अवसर प्रदान करने के संबंध में विशेष प्रयास करना है ताकि वे राष्ट्रीय विकास में योगदान कर सकें।

स्वभावतः स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद से स्त्री-शिक्षा संबंधी सुविधाओं के विस्तार की दिशा में काफी बल दिया गया है।

१०.२। केन्द्र में स्त्री-शिक्षा के निमित्त राष्ट्रीय परिषद् (नेशनल कौंसिल) का गठन किया जा चुका है और राज्य स्तर पर इसकी शाखा भी संगठित कर दी गई है।

१०.३। बालिकाओं और स्त्रियों के लिए प्रकार और स्तर के अनुसार मान्यता प्राप्त संस्थाओं का वर्गीकरण दर्शानेवाली नीचे की तालिका से १९६३-६४ और १९६४-६५ वर्ष के दौरान हुई प्रगति की भी जानकारी मिल सकेगी :—

बालिका संस्थाओं की संख्या

संस्थाएं	निम्नलिखित वर्षों के दौरान संस्थाओं की संख्या			अन्तर २—४	अभ्युक्ति
	१९६२-६३	१९६३-६४	१९६४-६५		
१	२	३	४	५	६
डिग्री कालेज	१३	१४	१४	+१	
इन्टरमीडियट कालेज	..	..	..	..	
व्यावसायिक शिक्षा वाले कालेज ..	१	१	१	..	
विशेष शिक्षा वाले कालेज ..	..	..	..	..	
उच्चत्तर माध्यमिक/बहूद्देशीय और उत्तर बुनियादी स्कूल।	२६	२९	३७	+११	
उच्च स्कूल (हाई स्कूल) ..	८७	९०	१००	+१३	
सीनियर बुनियादी स्कूल ..	९	११	१२	+३	
मिडिल स्कूल	३६८	४४३	४८८	+१२०	
प्राथमिक स्कूल	४,२११	४,२५४	४,३९२	+१८१	
जूनियर बुनियादी स्कूल	३५४	३५४	३३७	—१७	
नर्सरी स्कूल	३	४	५	+२	
व्यावसायिक शिक्षा वाले स्कूल ..	४७	५१	२२	—२५	
विशेष शिक्षा वाले स्कूल ..	९१९	६८४	..	—९१९	
जोड़	६,०३८	५,९३५	५,४०८	—६३०	

१०.४। ऊपर की तालिका से पता चलेगा कि महत्वपूर्ण श्रेणी की सभी शिक्षा संस्थाओं, अर्थात् कालेजिएट, उच्चतर माध्यमिक और माध्यमिक की संख्या में वृद्धि हुई है। मिडिल और प्राथमिक स्टेज में तुलनात्मक वृद्धि दृष्टिगोचर होती है। जूनियर बुनियादी स्कूलों को मिडिल स्कूलों में उन्नयित करने के कारण उनकी संख्या में कमी दिखाई देती है। विशेष शिक्षा संबंधी स्कूल वे थे जो समाज शिक्षा से संबंधित थे। समाज शिक्षा केन्द्रों के लिए निधि के आवंटन में भारी कटौती के कारण इन स्कूलों को एकाएक धक्का लगा।

२। छात्राएं

१०.५। निम्नलिखित तालिका से १९६३-६४ एवं १९६४-६५ वर्ष के दौरान बालिका संस्थाओं में छात्राओं के तुलनात्मक आंकड़ों की जानकारी होती है:—

बालिका-विद्यालयों में स्कॉलरों की संख्या

संस्थाएं	वर्ष के दौरान स्कॉलरों की संख्या			अन्तर	अभ्युक्ति
	१९६२-६३	१९६३-६४	१९६४-६५	२—४	
१	२	३	४	५	६
डिग्री कालेज	४,४५८	५,११७	५,२५३	+७९५	
इंटरमीडियेट कालेज	..	..	..	..	
व्यावसायिक शिक्षा वाले कालेज ..	१०१	१०९	११३	+१२	
विशेष शिक्षा वाले कालेज ..	..	..	..	..	
उच्चतर माध्यमिक/बहूद्देशीय एवं उत्तर बुनियादी।	१३,२२०	१४,३३४	१८,०८६	+४,८६६	
उच्च स्कूल (हाई स्कूल) ..	२२,१८९	२३,८०३	२३,१३६	+९४७	
सीनियर बुनियादी स्कूल ..	१,८७७	२,२३६	२,३७४	+४९७	
मिडिल स्कूल	७१,२२६	८८,०२९	९७,४२२	+२६,१९९	
प्राथमिक स्कूल	२,३९,७२९	२,४९,६२४	२,४७,९४४	+८,२१५	
जूनियर बुनियादी स्कूल	१७,७४२	१९,१६१	१८,५७६	+८३४	
नर्सरी स्कूल	९७	१५२	१४७	+५०	
व्यावसायिक शिक्षा वाले स्कूल ..	३,७०२	४,१८६	३,९७८	—२७६	
विशेष शिक्षा वाले स्कूल ..	२६,८०३	२०,८५१	६,७५९	—२०,०४४	
जोड़	४,०१,१४४	४,२७,९०२	४,२३,७८८	+२२,६४४	

१०.६ । ऊपर की तालिका से पता चलता है कि स्त्रियों के लिए व्यावसायिक और विशेष शिक्षा संबंधी स्कूलों को छोड़कर, कालेजिएट, उच्चतर माध्यमिक, माध्यमिक, मिडिल प्राथमिक आदि प्रत्येक सेक्टर में छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई है। १९६२-६३ वर्ष तक २२,६४४ छात्रों की शुद्ध वृद्धि हुई थी।

सह-शिक्षा

१०.७ । उपर्युक्त आंकड़ों से जाहिर होगा कि सभी प्राथमिक स्कूलों में स्पष्टतः सह-शिक्षा है। मिडिल और माध्यमिक स्कूलों में भी करीब-करीब सह-शिक्षा है। विशेषकर शहरी क्षेत्रों में कालेजिएट स्तर पर सह-शिक्षा एक सामान्य विशेषता हो गई है।

१०.८ । प्राथमिक स्तर में नामांकन को बढ़ावा देने और उन्हें कायम रखने एवं नियमित उपस्थिति बनाए रखने की दिशा में विशेष कार्य किया गया है। सह-शिक्षा वाले मिडिल और माध्यमिक स्कूलों में छात्राओं के बीच अपेक्षित सुविधाएं प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता दी गई है। ऐसी विभिन्न संस्थाओं में जो सर्वथा बालिकाओं के लिए नहीं है। छात्राओं के नामांकन, को बढ़ावा देने और उन्हें कायम रखने की दिशा में प्राथमिक स्कूलों की शिक्षिकाओं के लिए किराया-मुक्त शिक्षिका आवासों, मिडिल स्कूलों में सेनिटरी ब्लाक, माध्यमिक स्कूलों में विश्राम कक्षों के निर्माण संबंधी विशेष कार्य किए गए।

१०.९ । बालकों के स्कूलों में पढ़नेवाली बालिकाओं और बालिका-स्कूलों में पढ़ने वाले बालकों की संख्या।

संस्थाएं।	बालक स्कूलों में पढ़नेवाली छात्राओं की संख्या।			
	१९६२-६३	१९६३-६४	१९६४-६५	अन्तर
१	२	३	४	५
विश्वविद्यालय	६५२	७६०	८००	+१४८
कालेज	२,००८	२,१९३	२,५१२	+५०४
शोध संस्थाएं	२	३	४	+२
इंटर कालेज	..	..	..	..
व्यावसायिक शिक्षा वाले कालेज ..	५३२	५८१	६६७	+१३५
विशेष शिक्षा वाले कालेज ..	५३	७६	८१	+२८
उच्चतर माध्यमिक, बहूद्देशीय और उत्तर-बुनियादी।	४,५०९ ६७	५,५३२	६,१७३	+१,५९७
उच्च स्कूल (हाई स्कूल) ..	८,८५७	९,३४४	११,४११	+२,५५४
मिडिल स्कूल	१,०८ ०३,०	१,२२,२८८	१,४७,७४७	+३९,७१७
सीनियर बुनियादी स्कूल ..	२३,१०८	२५,३८५	२४,५३५	+१,४२७
प्राथमिक स्कूल	४,६६,६७३	५,१९,८२१	५,५०,९७२	+८४,२९९
जूनियर बुनियादी स्कूल ..	३६,३१०	३८,१८३	३२,०४७	−४,२६३
नर्सरी स्कूल	७४७	६३५	८१०	+६३
व्यावसायिक स्कूल	२७८	२३६	३६०	+८२
विशेष स्कूल	६,४११	६,८२४	६,५५९	+१४८
जोड़	६,५८,२३७	७,३१,८६१	७,८४,६७८	+१,२६,४४१

संस्थाएं।	बालिका स्कूलों में पढ़नेवाले छात्रों की संख्या।			
	१९६२-६३	१९६३-६४	१९६४-६५	अन्तर ६—८
१	६	७	८	९
विश्वविद्यालय	..	..	..	..
कालेज	..	..	..	..
शोध संस्थाएं	..	..	..	..
इंटर कालेज	..	..	..	..
व्यावसायिक शिक्षा वाले कालेज ..	..	..	..	..
विशेष शिक्षा वाले कालेज ..	..	..	..	..
उच्चतर माध्यमिक, बहूद्देशीय और उत्तर-बुनियादी।	..	..	१७०	+१७०
उच्च स्कूल (हाई स्कूल) ..	२४९	२३९	..	—२४९
मिडिल स्कूल	६,५३०	९,४५८	१०,०४३	+३,५१३
सीनियर बुनियादी स्कूल ..	२८७	४१६	५६८	+२८१
प्राथमिक स्कूल	७५,०४८	८२,५७०	८२,३९१	+७,३३३
जूनियर बुनियादी स्कूल ..	१०,९९९	१२,२२७	१०,९१६	—८३
नर्सरी स्कूल	२७	६६	८०	+५३
व्यावसायिक स्कूल ..	..	..	..	..
विशेष स्कूल	..	..	..	..
जोड़	९३,१५०	१,०५,०५३	१,०४,१६८	+११,०१८

१०.१०। उपर्युक्त तालिका से यह पता चलता है कि बालकों की मान्यताप्राप्त संस्थाओं में ७,४८,६७८ छात्राएं पढ़ती थीं, जबकि १९६२-६३ में ६,६०,५४३ और १९६३-६४ में ७,३४,३५८। इसी प्रकार १९६४-६५ में बालिकाओं के स्कूलों में १,०४,१६८ छात्र पढ़ रहे थे जबकि १९६२-६३ में ९३,१५० और १९६३-६४ में १,०५,०५३ थे।

इस प्रकार १९६२-६३ की अपेक्षा १९६४-६५ में १,२४,१३५ छात्राओं की और १९६२-६३ एवं १९६४-६५ में बालिका स्कूलों में पढ़ने वाले ११,०१८ छात्रों की शुद्ध वृद्धि हुई।

४। शिक्षक

१०.११। सभी स्तर पर यह बात मान ली गई है कि शिक्षिकाओं की उपलब्धता से उन संस्थाओं की छात्राओं की संख्या बनी रहेगी जहां वे पदस्थापित होती हैं। एक ही स्थान में पति और पत्नी को पदस्थापित करना एक स्थायी परिपाटी हो गई है। यह पाया गया है कि शिक्षिकाओं की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है।

१०.१२। नीचे की तालिका से १९६३-६४ एवं १९६४-६५ में विभिन्न प्रकार के स्कूलों और कालेजों में कार्य करनेवाली शिक्षिकाओं की संख्या जाहिर होती है:—

(१) सामान्य शिक्षावाले स्कूलों में शिक्षिकाओं की संख्या।

संस्थाएं	प्रशिक्षित				अप्रशिक्षित			
	१९६२-६३	१९६३-६४	१९६४-६५	अन्तर २—४	१९६२-६३	१९६३-६४	१९६४-६५	अन्तर ६—८
१	२	३	४	५	६	७	८	९
नर्सरी स्कूल ..	२९	३१	४२	+१३	४४	४०	५८	+१४
जूनियर बुनियादी स्कूल ..	१११	१४२	१३३	+२२	९५	१०७	८८	—७
सीनियर बुनियादी स्कूल ..	२६६	२८५	२९८	+३२	२६	३४	३७	+११
प्राथमिक स्कूल ..	२,९८१	३,२५४	३,७८८	+८०७	२,७९९	२,८३१	३,३४२	+५४३
मिडिल स्कूल ..	१,५८९	१,७८१	२,२८२	+६९३	९४८	९५७	१,२२६	+२७८
उच्च/उच्चतर माध्यमिक स्कूल।	७२५	७०६	८६९	+१४४	५१७	६०८	६९८	+१८१
उत्तर-बुनियादी ..	..	..	..	..	..	..	..	..
कुल ..	५,७०१	६,१९९	७,४१२	+१,७११	४,४२९	४,५७७	५,४४९	+१,०२०

(२) व्यावसायिक और विशेष शिक्षावाले कालेजों और स्कूलों में महिला शिक्षकों की संख्या

संस्थाएं	निम्न अवधि में शिक्षकों की कुल संख्या			
	१९६२-६३	१९६३-६४	१९६४-६५	अन्तर २–४
१	२	३	४	५
विश्वविद्यालय	११	१२	१२	+१
सामान्य शिक्षा वाले कालेज	३०२	३४०	३६९	+६७
व्यावसायिक शिक्षावाले कालेज	२४	२५	३८	+१४
विशेष शिक्षा वाले कालेज	२	१	..	—२
व्यावसायिक शिक्षा वाले स्कूल	२१५	२६१	२५६	+४१
विशेष शिक्षा वाले स्कूल	३६	३९	१७७	+१४१
कुल	५९०	६७८	८५२	+२६२

१०.१३ । इसी प्रकार शिक्षकों की संख्या में सामान्य शिक्षावाली संस्थाओं में १९६२-६३ के दौरान १,६२३ प्रशिक्षित और ९२६ अप्रशिक्षित महिला शिक्षकों की वृद्धि हुई है । १९६२-६३ के दौरान महिला शिक्षकों की संख्या में २६२ की वृद्धि हुई है ।

५ । परीक्षाफल

१०.१४ । निम्न तालिका से १९६३-६४ और १९६४-६५ के दौरान विभिन्न परीक्षाओं में सम्मिलित एवं उत्तीर्ण होनेवाली छात्राओं की संख्या जाहिर होती है:—

विभिन्न परीक्षाओं में सम्मिलित एवं उत्तीर्ण होनेवाली छात्राओं की संख्या (डिग्री और अन्य समकक्ष परीक्षा) ।

१९६३-६४

परीक्षाओं का नाम	सम्मिलित होनेवाली छात्राओं की संख्या			उत्तीर्ण होनेवाली छात्राओं की संख्या		
	नियमित	स्वतन्त्र	कुल	नियमित	स्वतन्त्र	कुल
१	२	३	४	५	६	७
पी०एच०डी० ..	..	..	..	..	..	..
एम० ए० ..	२७६	७६	३५२	२५७	६०	३१७
एम० एस-सी० ..	४४	..	४४	४४	..	४४
बी० ए० (आनर्स) ..	५०१	२१	५२२	३५०	१७	३६७
बी० ए० ..	२९५	८७	३८२	१४३	४२	१८५
बी० एस-सी० (आनर्स) ..	३०	..	३०	२८	..	२८
बी० एस-सी० ..	५४	..	५४	२३	..	२३
बी० काम० ..	१	..	१	..	..	..
एम० डी० ..	४	..	४	२	..	२
एम० एस० ..	२४	..	२४	९	..	९
एम० बी०, बी० एस० ..	४५	..	४५	३८	..	३८
सी० ए० एम० एस० ..	..	..	..	..	..	..
एम०एड० (गैर-बुनियादी)	९	..	९	६	..	६
बी०एड० (बुनियादी) ..	..	..	..	..	..	..
बी०एड० (गैर-बुनियादी)	१७१	२१	१९२	१६१	२०	१८१

विभिन्न परीक्षाओं में सम्मिलित एवं उत्तीर्ण होनेवाली छात्राओं की संख्या (डिग्री और अन्य समकक्ष परीक्षा) ।

परीक्षाओं का नाम	१९६३-६४					
	सम्मिलित होनेवाली छात्राओं की संख्या			उत्तीर्ण होनेवाली छात्राओं की संख्या		
	नियमित	स्वतंत्र	कुल	नियमित	स्वतंत्र	कुल
१	२	३	४	५	६	७
एम० ओ० एल० ..	..	..	..	..	..	..
बी० ओ० एल० ..	..	..	..	..	..	..
डी० जी० ओ० ..	७	.	७	६	..	६
डी० सी० एच० ..	..	..	..	..	..	..
रूरल सायंस में स्नातक	..	..	..	..	..	..
प्राक्-कला ..	२,०६२	४१६	२,४७८	१,२०७	२१२	१,४१९
प्राक्-विज्ञान ..	२८५	..	२८५	१६९	..	१६९
प्राक्-वाणिज्य ..	१	..	१	१	..	१
उच्चतर माध्यमिक ..	८९१	१९८	१,०६९	५५०	६४	६१४
मालन्यूट्रीशन ..	३,४९६	२,९९८	६,३९४	२,१४०	१,२९४	३,४३४
ऐंग्लो-इंडियन ऐण्ड यूरोपीयन हाई स्कूल ।	..	..	..	..	..	..
सीनियर बुनियादी .:	२,१७१	..	२,१७१	१,८९४	..	१,८९४
मिड्ल ..	२५,९७०	२९	२६,२६६	२३,९८०	२७२	२४,२५२
जूनियर कैम्ब्रिज ..	..	..	..	..	..	..
अपर प्राइमरी ..	४१,५९०	..	४१,५९०	३७,५९५	..	३७,५९५
लोअर प्राइमरी ..	९९,८९६	..	९९,८९६	८६,३६२	..	८६,३६२
जूनियर बुनियादी ..	४,८८२	..	४,८८२	४,१४८	..	४,१४८
प्राक्-प्राथमिक (प्राइमरी)	..	..	..	..	..	..
नर्सिंग एण्ड मिडवाइफरी	..	..	..	..	..	..
ट्रेनिंग सर्टिफिकेट बेसिक (प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र बुनियादी) ।	..	..	..	..	..	..

विभिन्न परीक्षाओं में सम्मिलित एवं उत्तीर्ण होनेवाली छात्राओं की संख्या (डिग्री और अन्य समकक्ष परीक्षा) ।

परीक्षाओं का नाम	१९६३-६४					
	सम्मिलित होनेवाली छात्राओं की संख्या			उत्तीर्ण होनेवाली छात्राओं की संख्या		
	नियमित	स्वतंत्र	कुल	नियमित	स्वतंत्र	कुल
१	२	३	४	५	६	७
गैर-बुनियादी ..	..	..	..	..	..	..
सर्टिफिकेट इन नर्सिंग ऐंड यूडमिंग।	..	..	..	..	..	..
सर्टिफिकेट इन ओरिएन्टल इंडिया।	..	..	..	..	..	..
सर्टिफिकेट इन फीजिकली हैंडीकैप्ड।	५	..	५	४	..	४
बी० एल० ..	..	..	..	..	..	..
पूरक						
बी० ए० ..	२९५	८७	३८२	१४३	४२	१८५
बी० एस-सी० ..	११	..	११	४	..	४
बी० कॉम० ..	..	..	..	..	..	..
बी० एल० ..	..	..	..	..	..	..
एम० बी०, बी० एस० ..	..	..	..	..	..	..
प्राक्-कला ..	५६७	१७१	७३८	२९६	९७	३९३
प्राक्-विज्ञान ..	८९	..	८९	३४	..	३४
उच्चतर माध्यमिक ..	१२३	८१	२०४	३१	४०	७१
मैट्रिकुलेशन ..	४२१	६७०	१,०९१	१५६	१७४	३३०
प्राक्-वाणिज्य ..	४	..	४	२	..	२

विभिन्न परीक्षाओं में सम्मिलित एवं उत्तीर्ण होनेवाली छात्राओं की संख्या (डिग्री और अन्य समकक्ष परीक्षा)।

१९६४-६५

परीक्षाओं का नाम	सम्मिलित होनेवाली छात्राओं की संख्या			उत्तीर्ण होनेवाली छात्राओं की संख्या		
	नियमित	स्वतंत्र	कुल	नियमित	स्वतंत्र	कुल
१	८	९	१०	११	१२	१३
पी०एच० डी० ..	६	..	६	६	..	६
एम० ए० ..	२७३	१०२	३७५	२४३	८५	३२८
एम० एस-सी० ..	४७	१	४८	४४	..	४४
बी० ए० (आनर्स) ..	५६५	१४	५७९	४१६	४	४२०
बी० ए० ..	१,०३३	४३९	१,४७२	५१२	२०१	७१३
बी० एस-सी० (आनर्स) ..	२५	..	२५	२०	..	२०
बी० एस-सी० ..	८५	..	८५	५३	..	५३
बी० कॉम ..	१	..	१	..	..	..
एम० डी० ..	८	..	८	४	..	४
एम० एस० ..	१६	..	१६	८	..	८
एम० बी०, बी० एस० ..	७४	..	७४	५८	..	५८
सी० ए० एम० एस० ..	२	..	२	२	..	२
एम०एड० (गैर-बुनियादी)	१२	..	१२	११	..	११
बी० एड० (बुनियादी) ..	९८	७	१०५	९७	६	१०३
बी०एड० (गैर-बुनियादी)	११६	..	११६	१११	..	१११
एम० ओ० एल० ..	३	१	४	३	१	४
बी० ओ० एल० ..	२	२	४	१	..	१
डी० जी० ओ० ..	७	..	७	५	..	५
डी० सी० एच० ..	१	..	१	..	..	..
रूरल सायंस में स्नातक ..	३	..	३	२	..	२

विभिन्न परीक्षाओं में सम्मिलित एवं उत्तीर्ण होनेवाली छात्राओं की संख्या (डिग्री और अन्य समकक्ष परीक्षा)।

परीक्षाओं का नाम	१९६४-६५					
	सम्मिलित होनेवाली छात्राओं की संख्या			उत्तीर्ण होनेवाली छात्राओं की संख्या		
	नियमित	स्वतंत्र	कुल	नियमित	स्वतंत्र	कुल
१	८	९	१०	११	१२	१३
प्राक्-कला ..	२,१३९	७३६	२,८७५	१,४४७	४३०	१,६७७
प्राक्-विज्ञान ..	२६४	१२	२७६	१९०	४	१९४
प्राक्-वाणिज्य ..	२	..	२	१	..	१
उच्चतर माध्यमिक ..	१,३०२	२६२	१,५६४	८३५	९३	९२८
मालन्यूट्रीशन ..	३,८१५	२,७६२	६,५८३	२,४११	१,३०१	३,७१२
ऐंग्लो इंडियन ऐंड यूरोपीयन हाई स्कूल।	४८	..	४८	४२	..	४२
सीनियर बुनियादी ..	१,६०१	१६	१,६१७	१,४५१	१४	१,४६५
मिडिल ..	२३,९७६	..	२३,९७६	१९,४२१	..	१९,४२१
जूनियर कैम्ब्रिज ..	२५१	..	२५१	२१४	..	२१४
अपर प्राइमरी ..	४९,६२६	३६	४९,६६२	४३,०१८	३२	४३,०५०
लोअर प्राइमरी ..	१,१५,०१६	२०३	१,१५,२२९	९९,४१०	८४	९९,४९४
जूनियर बुनियादी ..	२,०३४	..	२,०३४	१,७३३	..	१,७३३
प्राक्-प्राथमिक (प्राइमरी)	१२८	४८	१७६	१२१	४८	१६९
नर्सिंग एण्ड मिडवाइफरी	७२	..	७२	७२	..	७२
ट्रेनिंग सर्टिफिकेट बेसिक (प्रशिक्षण प्रमाणपत्र बुनियादी)।	५१०	..	५१०	२२१	..	२२१
गैर-बुनियादी ..	५४	..	५४	२६	..	२६
सर्टिफिकेट इन नर्सिंग ऐंड यूडमिंग।	१३	..	१३	१०	..	१०

विभिन्न परीक्षाओं में सम्मिलित एवं उत्तीर्ण होनेवाली छात्राओं की संख्या (डिग्री और अन्य समकक्ष परीक्षा)।

परीक्षाओं का नाम	१९६४-६५					
	सम्मिलित होनेवाली छात्राओं की संख्या			उत्तीर्ण होनेवाली छात्राओं की संख्या		
	नियमित	स्वतंत्र	कुल	नियमित	स्वतंत्र	कुल
१	८	९	१०	११	१२	१३
सर्टिफिकेट इन ओरियन्टल इंडिया।	१२	..	१२	११	..	११
सर्टिफिकेट इन फीजिकल हैंडीकैप्ड।	५	.	५	५	..	५
बी० एल० ..	..	१	१	..	१	१
पूरक						
बी० ए० ..	२६१	१२७	३८८	१५४	५७	२११
बी० एस-सी० ..	२१	..	२१	१४	..	१४
बी० कॉम० ..	१	..	१	१	..	१
बी० एल० ..	१	१	२	१	१	२
एम० बी०, बी० एस० ..	१९	..	१९	१७	..	१७
प्राक्-कला ..	५१२	१७०	६८२	३१०	१०९	४१९
प्राक्-विज्ञान ..	६२	..	६२	४२	..	४२
उच्चतर माध्यमिक ..	१४०	६७	२०७	५६	४३	९९
मैट्रिकुलेशन ..	४६१	६४४	१,१०५	१८३	२४६	४२९
प्राक्-वाणिज्य ..	..	..	..	..	..	..

६। शिक्षा के विभिन्न प्रक्रम में छात्रवृत्तियां, वृत्तिकाएं, निःशुल्क छात्रत्व और अन्य वित्तीय रियायतें।

१०.१५ आलोच्य वर्ष के दौरान छात्रों को निम्न प्रकार की छात्रवृत्तियां और वृत्तिकाएं दी गईं।

(क) लोक परीक्षाफल के आधार पर योग्यता छात्रवृत्तियां दी गई। द्वितीय योजनावधि के अन्त तक मिडिल स्कूल छात्रवृत्ति परीक्षाफल के आधार पर चार वर्षों के लिये ३०० (तीन सौ) योग्यता छात्रवृत्तियां दी गई।

(१) बालिकाओं की संस्थाओं पर प्रत्यक्ष खर्च

संस्थाएं	निम्न अवधि में कुल खर्च		
	१९६२-६३	१९६३-६४	१९६४-६५
१	२	३	४
	रु०	रु०	रु०
डिग्री कॉलेज	१५,०६,५७१	१६,७८,९४९	१९,०१,२५४
इन्टर कॉलेज	..	..	..
व्यावसायिक शिक्षा वाले कॉलेज ..	५२,८९७	५७,६८७	६२,२५७
विशेष शिक्षा वाले कॉलेज ..	..	..	..
बहूद्देशीय उच्चतर माध्यमिक और उत्तर बुनियादी।	१७,८७,८११	१९,४५,६७०	२७,५८,७२६
उच्च विद्यालय (हाई स्कूल) ..	१८,१९,१५१	१९,८१,०५६	१८,३३,१५८
सीनियर बुनियादी	१,००,४९३	१,२४,४५८	१,२९,५९१
मिडिल स्कूल	२६,६०,९०८	२९,२०,८८९	३४,८७,७१८
जूनियर बुनियादी स्कूल ..	३,५७,९६३	३,७३,५८८	३,३९,२९४
प्राथमिक स्कूल	४५,५८,२१०	५१,२०,३१३	५६,९१,२२१
नर्सरी स्कूल	६,८१८	१०,१९८	१३,३९२
व्यावसायिक शिक्षावाले स्कूल ..	११,५१,८४७	१२,९०,६१०	१३,९७,५१३
विशेष शिक्षाबाले स्कूल ..	१,७३,०५७	१,१८,६६३	९२,११२
कुल ..	१,४१,७५,७२६	१,५६,२२,०८१	१,७७,०९,२०६

(२) बालिकाओं के संस्थाओं पर अप्रत्यक्ष खर्च।

विवरण	अप्रत्यक्ष खर्च		
	१९६२-६३(१)	१९६३-६४(२)	१९६४-६५(३)
	रु०	रु०	रु०
निदेशन और निरीक्षण ..	४,५६,६५७	५,१०,१२९	५,२१,०१६
भवन	..	१९,५४,८११	१८,७१,७९३
छात्रवृतियां	..	२१,११,८८९	२३,१४,३०५
छात्रावास चार्ज	..	२,४०,९८९	३,१५,७४१
प्रकीर्ण	५९,४३,२४६	९,२८,३११	१५,३७,८३८
कुल ..	६३,९९,९०३	५७,४६,१२९	६५,६०,६९३

(८) बालिकाओं और महिलाओं की शिक्षा व्यवस्था के लिए विशेष कदम।

१०.१६ प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ काल से ही बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विशेष स्कीमें चालू की गयी हैं। प्राथमिक स्तर पर शुरू में खोले जाने वाले स्कूलों में से २५ प्रतिशत स्कूल बालिकाओं के लिए थे। बाद में अनुमंडल-मुख्यालयों में सरकारी बालिका मिडिल स्कूल की स्थापना के लिए विशेष प्रयास किए गए। उनमें फिर सुधार लाया गया, उन्हें सुदृढ़ किया गया और उनके स्टाफ और भवनों का विस्तार किया गया। प्रखंड मुख्यालयों में एक-एक बालिका मिडिल स्कूल की स्थापना की जा सके इस दिशा में सहायता करने के लिए नए कदम उठाए गए। अनुमंडल स्तर पर एक बालिका माध्यमिक स्कूल की स्थापना के लिए सरकार ने उदारतापूर्वक अनुदान की मंजूरी दी। आलोच्य प्रवधि में नामांकन को प्रोत्साहित करने और नामांकन संबंधी उपस्थिति में सुधार लाने तथा इसके द्वारा प्राथमिक स्तर पर उन्हें कायम रखने के लिए विशेष स्कीमें लागू की गई। बालकों के मिडिल स्कूलों में पढ़ने वाली बालिकाओं के लिए शिक्षण-शुल्क देना अपेक्षित नहीं था। बाद में यह सुविधा बालिका स्कूलों को दे दी गयी। स्कूलों में बालिकाओं के नामांकन को बढ़ावा देने का एक दूसरा उपाय यह किया गया कि विशेष प्रेरणा-स्कीम तैयार कर उन्हें उपस्थिति के संबंध में पुरस्कार आदि दिये जायं ऐसे ही उद्देश्य को सामने रख कर मिश्रित मिडिल स्कूलों में बालिकाओं को स्वच्छता सुविधाएं प्रदान करने के लिए एक स्कीम पूरी की गयी। उसी प्रकार माध्यमिक स्कूलों में बालिकाओं की संख्या में वृद्धि हो इस उद्देश्य से शिक्षकों के लिए क्वार्टरों का निर्माण, विद्यार्थियों के लिए छात्रावास, विश्राम कक्ष, परिवहन सुविधाएं प्रदान करने की व्यवस्था आदि जैसी स्कीमें पूरी की गई।

(९) महिला पर्यवेक्षण स्टाफ

१०.१७ यह अध्याय II "शिक्षा कार्मिक और संगठन" में स्पष्ट कर दिया गया है।

अध्याय ११

प्रकीर्ण

१. प्राक् प्राथमिक शिक्षा

११.१। शिक्षा का यह क्षेत्र ३ से ५ वर्ष के आयुवर्ग वाले बच्चों की आवश्यकता पूरी करता है। इन संस्थाओं में अधिकांशतः सम्पन्न परिवार के बच्चों को ही प्रवेश मिला, क्योंकि उनके द्वारा लिए गए शुल्क की रकम अधिक थी।

११.२। १९६२-६३ में प्राक-प्राथमिक स्तर पर मान्यताप्राप्त संस्थाओं की कुल संख्या बालकों के लिए ३० और बालिकाओं के लिए ३ से बढ़कर १९६४-६५ में ३५ और ५ हो गयी। १९६२-६३ में इन संस्थाओं में नामांकन की संख्या २,०४४ (१,९४७ बालक, ९७ बालिका) से बढ़ कर १९६४-६५ में २,५५२ (२,४०५ बालक और १४७ बालिका) हो गयी। इन संस्थाओं में ६० प्रशिक्षित और ७० अप्रशिक्षित शिक्षक थे। १९६२-६३ में बालकों के स्कूलों पर प्रत्यक्ष व्यय १,३३,०७१ रुपये से बढ़कर १९६४-६५ में १,७९,६३२ रु० हो गया। इसी प्रकार बालिकाओं की संस्थाओं पर १९६२-६३ में प्रत्यक्ष व्यय ६,८१८ रुपये से बढ़कर १९६४-६५ में १३,३६२ रुपया हो गया।

११.३ निम्न तालिका में इन स्कूलों के संबंध में आँकड़े दिए जाते हैं।

(१) प्राक प्राथमिक स्कूलों की संख्या।

प्रबन्धक	निम्न अवधि में बालकों की संख्या				निम्न अवधि में बालिकाओं की संख्या			
	१९६२-६३	१९६३-६४	१९६४-६५	अंतर २—४	१९६२-६३	१९६३-६४	१९६४-६५	अंतर ६—८
१	२	३	४	५	६	७	८	९
सरकारी	४	४	४	..	१	१	१	..
जिला बोर्ड	..	..	..	..	१	१	१	..
नगरपालिका (म्युनिसिपल) बोर्ड ..	..	..	..	..	..	..	..	..
साहाय्यित	२४	२२	२९	+५	१	२	३	+२
असाहाय्यित	२	४	२	..	..	..	..	+२
जोड़	३०	३०	३५	+५	३	४	५	..

(२) प्राक् प्राथमिक-स्कूलों में छात्रों की संख्या।

१	२	३	४	५	६	७	८	९
सरकारी	२०७	२०७	२३५	+२८	३६	५९	४०	+४
जिला बोर्ड	..	..	..	..	४१	४०	२५	—१६
नगरपालिका (म्युनिसिपल) बोर्ड ..	..	..	..	..	..	..	..	..
साहाय्यित	१,६२८	१,५६९	२,०४५	+४१७	२०	५३	८२	+६२
असाहाय्यित	११७	२८८	१२५	+८	..	..	..	..
जोड़ ..	१,९४७	२,०६४	२,४०५	+४५३	९७	१५२	१४७	+५०

(३) प्राक-प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की संख्या।

	प्रशिक्षित				अप्रशिक्षित			
	१९६२-६३	१९६३-६४	१९६४-६५	अन्तर २—४	१९६२-६३	१९६३-६४	१९६४-६५	अन्तर ६—८
जोड़ ..	..	४३	६०	+६०	..	५०	७०	+७०

(४) व्यय

स्रोत	१९६२-६३	१९६३-६४	१९६४-६५	अन्तर २-४
१	२	३	४	५
	रु०	रु०	रु०	रु०
सरकारी	५६,७६९	५३,५५०	५८,३४०	+१,५७१
जिला बोर्ड	..	..	..	.
नगरपालिका (म्युनिसिपल) बोर्ड ..	..	..	..	..
फीस	३०,५१७	३५,३८८	५७,३४६	+२६,८२९
दान (इनडॉमेंट्स) ..	१७,२००	१७,५००	६३,९४६	+१८,१६१
अन्य स्रोत	२८,५८५	३०,६००		
जोड़ ..	१,३३,०७१	१,३७,०३८	१,७९,६३२	+४६,५६१

(४) व्यय

स्रोत	१९६२-६३	१९६३-६४	१९६४-६५	अन्तर ६-८
१	६	७	८	९
	रु०	रु०	रु०	रु०
सरकारी	४,७९८	६,२८३	८,१४०	+३,३४२
जिला बोर्ड	..	..	..	..
नगरपालिका (म्युनिसिपल) बोर्ड ..	..	..	..	..
फीस	१,५००	३,६६५	१,०३०	—४७०
दान (इनडॉमेंट्स) ..	५२०	..	४,१९२	+३,६७२
अन्य स्रोत	..	२५०		
जोड़ ..	६,८१८	१०,१९८	१३,३६२	+६,५४४

(२) सौंदर्यशास्त्रीय शिक्षा (कला, संगीत, नृत्य आदि)

११.४। स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही देश भर में ललित कला, शास्त्रीय एवं लोक नृत्य, नाटक और संगीत के उन्नयन संबंधी क्रियाकलाप को बढ़ावा देने के कार्य में गति आयी है।

इस राज्य में जनजातीय वर्गों की बहुलता और शास्त्रीय संगीत एवं चित्रकला की एक सुदीर्घ परम्परा के प्रसादात अपने सांस्कृतिक कार्यकलापों की पूर्णाभिव्यक्ति के लिए जनता में प्रबल उत्कंठा थी। जहां एक ओर इन संस्थाओं को विकसित और पुनर्जीवित करने की उत्कंठा थी वहीं दूसरी ओर जमीन्दारी उन्मूलन के साथ शास्त्रीय संगीत के पुराने संरक्षक समाप्त हो रहे थे और संरक्षण के अभाव में संगीत क्षीण हो रहा था।

११.५ प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान पटना आर्ट स्कूल जो पहले एक गैर-सरकारी संस्था थी, राज्य सरकार के प्रबन्ध में आ गई। बाद में कलात्मक ढंग का एक स्वतंत्र भवन निर्माण हुआ, स्टाफ की संख्या बढ़ाई गई तथा समुचित साज-समान की व्यवस्था की गई। इस स्कीम के अन्तर्गत निम्न विषयों में शिक्षा की व्यवस्था है:—

(१) ललित कला चित्रकारी,

(२) वाणिज्य-कला (कमर्शियल आर्ट्स) चित्रकारी,

(३) मॉडेलिंग,

(४) दस्तकारी (क्राफ्ट)।

११.६। प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान नृत्य, नाटक और संगीत के विकास के लिए एक सांस्कृतिक अनुदान समिति का गठन किया गया। बिहार संगीत, नृत्य और नाट्य अकादमी जो सांस्कृतिक अनुदान समिति का एक अंग है, से सम्बद्ध ५० संस्थाओं को अनुदान भी स्वीकृत किए गए। परन्तु इन संस्थाओं को तकनीकी मार्ग दर्शन, पर्यवेक्षण और वित्तीय सहायता की आवश्यकता थी। इन्हें सही दिशा में समेकित और विकसित करने के प्रयास-स्वरूप सांस्कृतिक शिक्षा बोर्ड का गठन भी किया गया जिसे संगीत, नृत्य और नाटक संबंधी कार्यक्रमों की योजना बनाने और उसके निष्पादन का भार सौंपा गया।

११.७। तीसरी योजना के दौरान पटना में स्टेट थियेटर हॉल का निर्माण पूरा किया गया और १९६३-६४ और १९६४-६५ के दौरान इस पर ३.६४ लाख रु० खर्च किए गए।

११.८। बालक और बालिकाओं दोनों के लिए माध्यमिक स्कूलों में सुयोग्य संगीत-शिक्षक की व्यवस्था करने में राज्य सरकार को बड़ी कठिनाई का अनुभव करना पड़ा। महसूस की गई इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए एक संगीत कॉलेज खोला जानेवाला था जिसके लिए तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान एक अलग स्कीम का अनुमोदन भी किया गया। किन्तु इस स्कीम का कार्यान्वयन नहीं हो सका। तब नृत्य और नाटक से संबंधित भारतीय नृत्य कला मंदिर नामक साहाय्यित संस्था को राज्य सरकार के प्रबन्ध के अधीन ले लेने का प्रस्ताव किया गया, किन्तु यह भी पूरा न हो सका।

११.९। इस संस्था को राज्य सरकार केवल अनुदान संबंधी सहायता ही दे सकी। जनजातीय नृत्य के संरक्षण के लिए राज्य प्रायोजित दूसरी संस्था छाउ नृत्य केन्द्र सरायकेला में है।

११.१०। उपर्युक्त दोनों संस्थाओं को १९६२-६३, १९६३-६४ और १९६४-६५ के दौरान दिए गये अनुदानों के ब्योरे नीचे दिए गए हैं:—

नृत्य का नाम	निम्न वर्षों के दौरान दिए गए सहायक अनुदान		
संस्थान	१९६२-६३	१९६३-६४	१९६४-६५
१। भारतीय नाट्य नृत्य कला अकादमी ..	४६,०३३	५५,५२२	९९,८१७
२। छाउ नृत्य केन्द्र	९१,८००	११,४३०	१०,९००

११.११। इन संस्थाओं के कार्य-कलापों की विस्तृत टिप्पणी नीचे दी जाती है:—

भारतीय नृत्य कला मंदिर, पटना।

भारतीय नृत्य कला मंदिर, पटना की स्थापना १९४९ ई० में हुई। १९५०-५१ से ही इस संस्था को सरकारी अनुदान प्राप्त होता रहा है और फिलहाल इसकी स्वीकृत वार्षिक अनुदान-राशि में ६० से ७० हजार के बीच फर्क पड़ता है।

यह संस्था भारत की शास्त्रीय नृत्य संबंधी तीन शैलियों अर्थात्, कथाकली, भरतनाट्यम् और मणिपुरी में प्रशिक्षण देती है। संस्था की लोकप्रियता और उपयोगिता बढ़ने पर राज्य सरकार ने इसे छज्जू बाग, पटना में लगभग ३६ कट्ठे जमीन पट्टे पर दी और कुल २,१९,५०० रुपये की लागत से एक भवन का भी निर्माण किया गया है।

इस संस्था को १९५५-५६ साल से घाटे के आधार पर सहायक अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता दी जा रही है।

छाउ नृत्य केन्द्र, सरायकेला।

राज्य सरकार ने छाउ नृत्य, कला एवं संस्कृति के उन्नयन के लिए सरायकेला में १९६० ई० में छाउ नृत्य केन्द्र की स्थापना की। प्रशिक्षण के पांच स्टेज हैं। सम्प्रति केन्द्र में १२१ प्रशिक्षणार्थी हैं। इस संस्था के समारक्षण के लिए प्रतिवर्ष १५,००० रुपये राशि की मंजूरी दी जाती है। छाउ नृत्य को बिहार के जनजातीय नृत्यों में प्रमुख स्थान प्राप्त है और संपूर्ण देश में यह अपने ढंग का एक अनोखा नृत्य है।

११.१२। इनके अलावा, आलोच्य अवधि के दौरान निम्नलिखित स्कीमें भी पूरी की गई :—

(१) राज्य सांस्कृतिक शिक्षा बोर्ड का विकास और नाट्य-मण्डली का पुनर्गठन।
(२) संगीत, नृत्य एवं नाटक और ललित कला के उत्थान में लगी संस्थाओं को सहायता।
(३) जनजातीय क्षेत्रों के लोक नृत्य और संगीत का विकास।
(४) कला के क्षेत्र में ख्याति-प्राप्त व्यक्तियों को आर्थिक सहायता।

११.१३। निम्न तालिका में १९६३-६४ और १९६४-६५ के दौरान ऐसी संस्थाएं, छात्रों की संख्या तथा उन पर हुए खर्च के तुलनात्मक आंकड़े दिए गए हैं:—

(१) सौन्दर्य विषयक संस्थाओं (एस्थेटिक इन्सट्टीयूशन्स) की संख्या।

संस्थाएँ	बालक				बालिका			
	१९६२-६३	१९६३-६४	१९६४-६५	अन्तर २—४	१९६२-६३	१९६३-६४	१९६४-६५	अन्तर ६—८
१	२	३	४	५	६	७	८	९
संगीत-नृत्य कॉलेज	१	१	१	..	..	..	..	..
अन्य ललित कला संबंधी कॉलेज ..	..	..	१ (पूर्व स्नातक)	+१	..	..	..	..
नृत्य स्कूल, ललित कला और संगीत स्कूल	४	४	२	—२	..	..	..	..
जोड़ ..	५	५	४	—१	..	..	..	..

(२) सौन्दर्य विषयक संस्थाओं में छात्रों की संख्या।

संगीत नृत्य कॉलेज ..	५८	९२	९०	+३२	..	..	..	..
अन्य ललित कला संबंधी कॉलेज ..	..	..	८७	+८७	..	..	..	..
नृत्य स्कूल, ललित कला और संगीत स्कूल	२७६	१५३	१४०	—१३६	..	..	..	..
जोड़ ..	३३४	२४५	३१७	—१७	..	..	..	..

(३) सौन्दर्य-विषयक संस्थाओं पर खर्च (कुल प्रत्यक्ष व्यय)

संगीत-नृत्य कॉलेज	१०,२०५	१०,४३३	१०,२८४	+७९	..	..	..
अन्य ललित कला संबंधी कॉलेज ..	..	..	६४,९९८	+६४,९९८	..	..	..
नृत्य स्कूल, अन्य ललित कला और संगीत स्कूल।	६८,९५४	७७,२२३	८,७१७	—६०,२३७	..	..	..
जोड़ ..	७९,१५९	८७,६५६	८३,९९९	+४,८४०	..	..	..

(क) संस्कृत शिक्षा

११.१४. राज्य में संस्कृत शिक्षा के अन्तर्गत तीन प्रकार की संस्थाएं हैं—टोल महाविद्यालय और संस्कृत उच्च विद्यालय। इसके पूर्व बिहार संस्कृत एसोशिएशन ही एकमात्र ऐसा एसोशिएशन था जो इन संस्थाओं का नियंत्रण अधीक्षण और अनुदान संबंधी वितरण किया करता था। परन्तु अब टोल और महाविद्यालय के एस० डी० एस० विश्वविद्यालय के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं और इन दोनों प्रकार की संस्थाओं के निमित्त उपबन्धित अनुदान बिहार राज्य विश्वविद्यालय आयोग और के० एस० डी० एस० विश्वविद्यालय के माध्यम से इन्हें दिये जाते हैं। इस के० एस० डी० एस० विश्वविद्यालय अधिनियम के उपबंध के अनुसार संस्कृत हाई स्कूल के नियंत्रण तथा अधीक्षण और मध्यमा स्तर से नीचे की परीक्षा संचालन के लिए राज्य सरकार द्वारा एक संस्कृत शिक्षा बोर्ड का सृजन किया गया है। संस्कृत शिक्षा बोर्ड के सचिव-सह-संस्कृत विद्यालय निरीक्षक का पद बिहार शिक्षा सेवा श्रेणी-१ का पद है। परन्तु इस पद को अभी तक नहीं भरा गया है। सहायक रजिस्ट्रार, संस्कृत परीक्षा जो सहायक शिक्षा निदेशक (संस्कृत) भी हैं और बिहार शिक्षा सेवा श्रेणी-२ के पदाधिकारी हैं बोर्ड के सचिव का कार्य कर रहे हैं। लोक शिक्षा निदेशक, बिहार बोर्ड के पदेन अध्यक्ष हैं। सहायक निरीक्षक, संस्कृत शिक्षा, बिहार शिक्षा सेवा श्रेणी-२ में एक पद और सहायक अधीक्षक, संस्कृत शिक्षा एस०ई०एस० उच्चवर्गीय में एक पद गैर-सरकारी संस्कृत संस्थाओं के निरीक्षण के लिए है। इन सभी संस्थाओं के शिक्षकों को महंगाई भत्ता सरकार द्वारा दिया जाता है। इसके अलावा १९४९ के पहले की संस्थाओं को वर्द्धित वेतन मद्धे-घाटे को पूरा करने के लिए पर्याप्त अनुदान दिए जाते हैं। ये संस्थाएं सरकार से नियमित रूप से सहायक अनुदान भी प्राप्त करती हैं।

(ख) इस्लामी शिक्षा

११.१५. राज्य के मदरसाओं को मान्यता देने और फाजिल आलिम, मौलवी और फौकनिया जैसी सार्वजनिक परीक्षाओं के संचालन के लिए एक बिहार मदरसा परीक्षा बोर्ड है। सहायक शिक्षा निदेशक (इस्लामी स्टडीज) इसके सचिव हैं जो इन संस्थाओं का निरीक्षण एवं नियंत्रण करते हैं। सभी मान्यता-प्राप्त मदरसाओं के शिक्षकों को महंगाई भत्ता सरकार द्वारा दिया जाता है इसके अलावा १९४९ के पहले की संस्थाओं को वेतन मद्धे घाटे को पूरा करने के लिए अच्छी खासी रकम वर्द्धित-वेतन-अनुदान के रूप में दी जाती है। ऐसी संस्थाओं में बहुतों को सहायक अनुदान भी दिया जाता है। इन परीक्षाओं के परिणाम के आधार पर कई योग्यता-छात्रवृत्तियां भी दी जाती हैं। राज्य में पटना स्थित मदरसा इस्लामिया समसुल होदा नामक एक सरकारी मदरसा है।

राज्य में अरबी और फारसी शिक्षा के विकास के लिए एक अरबी और फारसी स्नातकोत्तर शोध संस्था भी है। इस संस्था द्वारा अनेक शोध छात्रवृत्तियां दी जाती हैं और यह अरबी तथा फारसी के शोध-कार्यों का निरीक्षण करती हैं। इसकी एक प्रशिक्षण-शाखा है जो राज्य के हाई स्कूलों के मौलवियों को आधुनिक अरबी और फारसी में प्रशिक्षण देती है। कॉलेज और हाई स्कूलों को संस्कृत शिक्षा के ढर्रे पर परिवर्तित किया जा रहा है।

तालिका ६७

प्राच्य शिक्षा (ओरियंटल एडुकेशन) निमित्त संस्थाओं की संख्या

बालकों के लिए संस्थाओं एवं कालेजों की संख्या

प्रबन्ध	कालेज				संस्थाएं			
	१९६२-६३	१९६३-६४	१९६४-६५	अन्तर २—४	१९६२-६३	१९६३-६४	१९६४-६५	अन्तर ६—८
१	२	३	४	५	६	७	८	९
सरकारी	५	५	५	..	१६	१६	१६	..
जिला बोर्ड	..	..	..	..	१	१	१	..
नगर-पालिका बोर्ड (म्युनिसिपल बोर्ड)	..	..	..	..	..	..	..	..
साहाय्यित	..	..	..	..	४४९	४५५	४७५	+२६
असाहाय्यित	२०	२२	२५	+५	२११	२१७	२५४	+४३
.. कुल	२५	२७	३०	+५	६७७	६८९	७४६	+६९

तालिका ६८

प्राच्य शिक्षा संस्थाओं में छात्रों की संख्या

प्रबन्ध	कालेज			
	१९६२-६३	१९६३-६४	१९६४-६५	अन्तर २—४
१	२	३	४	५
सरकारी	३८५	३७३	३७८	—७
जिला बोर्ड	..	..	..	..
नगर-पालिका बोर्ड (म्युनिसिपल बोर्ड)	..	..	..	..
साहाय्यित	..	..	..	..
असाहाय्यित	१,१००	१,१७६	१,६५३	+५५३
कुल	१,४८५	१,५४९	२,०३१	+५४६
गैर-मान्यता प्राप्त	..	..	..	..
कुल योग	१,४८५	१,५४९	२,०३१	+५४६

प्रबन्ध	संस्थाएं			
	१९६२-६३	१९६३-६४	१९६४-६५	अन्तर ६—८
१	६	७	८	९
सरकारी	८८९	१,२८४	१,३६७	+३७८
जिला बोर्ड	२७	२१	२३	—४
नगर-पालिका बोर्ड (म्यनिसिपल बोर्ड)	..	..	..	..
साहाय्यित	२२,९३८	२४,०८०	२५,५२३	+२,५८५
असाहाय्यित	१६,०७४	१७,१६५	१८,२४१	+२,१६७
कुल	४०,०२८	४२,५५०	४५,१५४	+५,१२६
गैर-मान्यता प्राप्त	५३१	६९	एन०ए०	..
कुल योग	४०,५५९	४२,६१९	४५,१५४	+४,५९५

तालिका ६६

प्राच्य शिक्षा संस्थाओं में कुल प्रत्यक्ष व्यय

व्यय के स्रोत	१९६२-६३	१९६३-६४	१९६४-६५	अन्तर २—४
१	२	३	४	५
	रु०	रु०	रु०	रु०
राज्य सरकार	३,४६,३४८	४,७४,३६२	५,०६,६८१	+१,६०,३३३
जिला बोर्ड	..	..	..	..
नगर-पालिका बोर्ड (म्युनिसिपल बोर्ड)	..	..	..	..
फीस	२१	८	..	—२१
दान (एंडाउमेंट)	४८,५१५	२५,८८८	७४,२७१	—१६,५८७
अन्य स्रोत	४५,३४३	४७,१७७	..	..
कुल	४,४३,२२७	४,६७,४३५	५,८३,६५२	+१,४०,७२५

व्यय के स्रोत	१९६२-६३	१९६३-६४	१९६४-६५	अन्तर ६—८
१	६	७	८	९
राज्य सरकार	१२,६२,५८१	१३,५३,६०६	१४,६६,४२६	+२,०६,८४८
जिला बोर्ड	..	..	..	..
नगर-पालिका बोर्ड (म्युनिसिपल बोर्ड)	६०	..	६७३	+८८३
फीस	५,६६६	६,२७२	४,१४७	—१,५१६
दान (एंडाउमेंट)	३,६८,३३३	६,४८,८५६	६,८२,५०३	+८३,६०२
अन्य स्रोत	५,००,२६८	३,५१,६६०	..	..
कुल	२१,६६,६३८	२३,६३,६६७	२४,५७,०५२	+२,६०,११४

(४) असुविधाग्रस्तों की शिक्षा

११.१६. निम्नलिखित तालिका में असुविधाग्रस्तों से संबंधित शिक्षा, उनकी संस्थाओं एव छात्रों पर होनेवाले व्यय का विस्तृत विवरण दिया गया है :—

छात्रों की संख्या तथा असुविधाग्रस्तों की संस्था पर होनेवाला कुल प्रत्यक्ष व्यय

प्रबन्ध	बालकों के लिए संस्थाओं की संख्या				छात्रों की संख्या			
	१९६२-६३	१९६३-६४	१९६४-६५	अन्तर २—४	१९६२-६३	१९६३-६४	१९६४-६५	अन्तर ६—८
१	२	३	४	५	६	७	८	९
	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
सरकारी	१	१	१	..	६८	६७	६०	—८
साहाय्यित	९	११	११	+२	२७६	३०५	३११	+३५
असाहाय्यित	१	..	..	—१	२७	..	..	—२७
कुल	११	१२	१२	+१	३७१	३७२	३७१	..

प्रबन्ध	कुल व्यय			
	१९६२-६३	१९६३-६४	१९६४-६५	अन्तर १०—१२
१	१०	११	१२	१३
	रु०	रु०	रु०	रु०
सरकारी	९४,९८७	८९,६९३	१८,२४९	—७६,७३८
साहाय्यित	१,२७,४१८	७८,७९२	९६,४४५	—३०,९७३
असाहाय्यित	८,४७२	..	..	—८,४७२
कुल	२,३०,८७७	१,६८,४३५	१,१४,६९४	—१,१६,१८३

(५) अपचारी बच्चों की शिक्षा

११.१७. हजारीबाग में अपचारी बच्चों की शिक्षा के लिए दो भिन्न प्रकार की संस्थाएं हैं :—

११.१८. (१) रिफार्मेटरी स्कूल—किसी न्यायालय द्वारा सिद्ध दोष ठहराय गए युवा अपराधियों की सामान्य एवं औद्योगिक प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से स्थापित यह एक बहुत ही पुरानी संस्था है। इस संस्था में ११-१५ वर्ष के आयुवर्ग के किशोर अपराधियों को भेजा जाता है। अपचारी बालकों की सम्यक शिक्षा के हेतु शिक्षण एवं व्यवहार में मनोवैज्ञानिक विधि का आश्रय लिया जाता है। संस्था में प्रवेशकाल से ही बच्चों की शैक्षिक अव्यवस्था, बुद्धिलब्धि एवं सहज अभिरुचि की मात्रा के निर्धारण के उद्देश्य से बहुधा उनका इन्टरव्यू किया जाता है और उनसे सवालात पूछे जाते हैं। व्यक्तिगत निगरानी रखी जाती है और सामाजिक एवं व्यावसायिक मार्ग दर्शन प्राप्त होता है। बिहार शिक्षा सेवा श्रेणी-१ के एक पदाधिकारी इस संस्था के अधीक्षक हैं। एक उपाधीक्षक भी हैं जो बिहार शिक्षा सेवा श्रेणी-२ के पदाधिकारी हैं। इनके अलावा किशोर कारा-कैदियों के लिए यहां एक विशेष विंग भी खुल गयी है। रिफॉर्मेटरी स्कूल में प्राप्त सारी सुविधाएं जेल में रखे गए किशोरों को भी दी जाती हैं। १९६४-६५ वर्ष के प्रारम्भ में ११ किशोर कैदी थे और राज्य के अन्य जिला जेलों के ८ किशोर कैदी यहां भेजे गए। इनमें से १३ बालकों को वर्ष के दौरान मुक्त कर दिया गया। इस प्रकार ३० मार्च १९६५ को स्कूल में केवल ६ किशोर कैदी बच गए।

११.१९. सिद्धदोष ठहराए गए किशोरों के हेतु यह स्कूल एक आदर्श-गृह के रूप में कार्य करता है क्योंकि उनमें से अधिकांश विच्छिन्न परिवारों से आते हैं। यहां उन्हें पारिवारिक वातावरण प्रदान करने का हर संभव प्रयास किया जाता है। छोटे-छोटे बच्चों की देख-रेख के लिए एक मैट्रोन की नियोजित किया गया है। स्कूल के वातावरण से बच्चों की ऐसा एहसास होता है कि वे स्कूल जाते हैं और घर वापस आते हैं और उन्हें यह अनुभूति नहीं होने दी जाती कि वे सिद्धदोष ठहराये गये हैं। खेल-कूद तथा अन्य कार्यक्रम, जैसे स्काउटिंग ए०सी०सी० प्रशिक्षण भ्रमण, नाट्यकला, विवाद आदि में उनके चित्त को लगा रखा जाता है और हर क्षण उनमें परिवर्त्तन के सांचे में ढालने की चेष्टा की जाती है। स्कूल में चिकित्सा सेवा की एक टुकड़ी भी है, जिसमें एक चिकित्सा पदाधिकारी, एक कम्पाउन्डर, तीन पुरुष नर्स और १६ शय्यावाला अस्पताल है। १९६४-६५ वर्ष के दौरान २२६ मरीजों को इनडोर और २,२९८ मरीजों को आउटडोर मरीज के रूप में चिकित्सा सुविधाएं दी गईं। इनमें वहां के कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्य भी शामिल हैं।

११.२०. यह संस्था बाल अपराधियों के बीच सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और शैक्षिक परिवर्त्तन के साथ-साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण और समृद्धि सांस्कृतिक दृष्टिकोण लाने का हर संभव प्रयास करती है।

छात्र

११.२१.। १९६४-६५ वर्ष के दौरान २६ छात्रों से श्रीगणेश किया गया। उस वर्ष ५ छात्रों को प्रवेश मिला जिनमें से दो पश्चिम बंगाल, एक बिहार और दो नागालैण्ड से आए थे। वर्ष के दौरान कुल ४० बालकों को मुक्त किया गया। ३१ मार्च १९६५ को नामांकित छात्रों की कुल संख्या ६१ थी जिनमें १४ बिहार के, २८ पश्चिम बंगाल के, १४ आसाम के, ३ उड़ीसा के और २ नागालैण्ड के थे। देश के पूर्वांचल में यह संस्था अपने ढंग की अकेली है। फिलहाल इससे बिहार, बंगाल, आसाम, उड़ीसा और नागालैण्ड जैसे पांच राज्यों की आवश्यकताएं पूरी होती हैं।

११.२२.। इस स्कूल में प्रवेशप्राप्त लड़के अधिकांशतः निम्न मध्य वर्ग के परिवार से आते हैं और वे निरक्षर अथवा आंशिक रूप से साक्षर होते हैं और वे ११-१५ वर्ष के आयु वर्ग के भीतर होते हैं।

व्यय

११.२३। छात्रों के प्रतिपालन पर विगत वर्ष यानी १९६३-६४ में हुए २,१३,९७२ रु० के व्यय की अपेक्षा १९६४-६५ में २,१४,२७९ रु० व्यय हुआ। इस स्कूल के वर्कशॉप सेक्शन से कुल आय १९,९९८.६० रु० हुआ जो सरकारी कोषागार में जमा कर दिया गया।

सामान्य शिक्षा स्कूल विंग

११.२४.। वह स्कूल जो सामान्य शिक्षा प्रदान किया करता है पहले प्राथमिक स्तर तक था। हाल ही उसे उच्च बुनियादी स्तर तक उत्क्रमित किया गया। किन्तु इसमें छात्रों की अभिरुचि और प्रवृत्ति के अनुसार प्राक् प्रवेशिका और प्रवेशिका वर्ग भी है। इसका अर्थ यह हुआ कि माध्यमिक स्तर तक कोचिंग की व्यवस्था है।

इस विशेष प्रकार के स्कूल की पूर्ववर्त्ती निजी शर्त्तों के अनुसार छात्रों का वर्गीकरण छः कोटियों में किया गया है। तारीख ३१ मार्च १९६५ को विभिन्न कोटियों में अध्ययन करनेवाले छात्रों की संख्या निम्न प्रकार थी :—

प्राक्-साक्षरता (प्री-लिट्रेसी)	२९
साक्षरतोत्तर (पोस्ट-लिट्रेसी)	१४
मिडिल	६
प्राक्-प्रवेशिका (प्री-मैट्रिक)	३
प्रवेशिका (मैट्रिक)	५
श्रेणी "अ"	४
कुल	६१

११.२५.। स्कूल सेक्शन के लिए ७ और छात्रावास सेक्शन के लिए १४, जिन्हें हाउस मास्टर कहा जाता है, मिलाकर कुल २१ शिक्षक थे। विभिन्न वेतनमान में १९ व्यवसाय अनुदेशक (ट्रेड अनुदेशक) भी हैं। विद्यालय-भवन पक्का और दो-मंजिला है।

औद्योगिक प्रशिक्षण

११.२६.। कुल योग्य और महत्वाकांक्षी छात्रों को इस संस्था से संबद्ध औद्योगिक डिप्लोमा क्लास करने की सुविधा प्रदान की जाती है। छात्रों को सामान्य शिक्षा में प्रवीणता प्राप्त करने के अलावा स्कूल में पढ़ाये जाने वाले १४ ट्रेड में कम-से-कम एक ट्रेड में योग्यता प्राप्त करनी पड़ती थी।

छात्रगण निम्नांकित विभिन्न ट्रेड ले सकते हैं :—

(क) बुनाई, (ख) बढ़ईगिरी, (ग) टिनस्मिथी, (घ) लोहारगिरी, (ङ) मोल्डिंग, (च) जिल्दसाजी, (छ) सिलाई, (ज) चमड़े का काम, (झ) रंगाई और पालिशिंग, (ञ) मोटर मरम्मती, (ट) विद्युत् लेपन (इलेक्ट्रो-प्लेटिंग), (ठ) फिटिंग और टर्निंग, (ड) राजमिस्त्री का काम, (ढ) कृषि एवं डेयरी, (ण) विजिटेबुल गार्डेनिंग।

११.२७। इस संस्था से सम्बद्ध एक तकनीकी स्कूल है जिसमें ऐसे बाहरी व्यक्ति जो कम-से-कम मिडिल परीक्षा पास हैं और १५–१९ वर्ष की आयु के हैं प्रवेश पा सकते हैं। किन्तु रिफार्मेटरी स्कूल के वैसे छात्र जो उम्र और शिक्षा की कसौटी के अन्तर्गत आते हैं, वे इस विद्यालय के किसी भी ट्रेड को चुनकर लाभान्वित हो सकते हैं। यह पाठ्यक्रम ५ वर्षों का होता है।

११.२८। ३१ मार्च १९६५ को भिन्न-भिन्न ट्रेड में छात्रों की संख्या इस प्रकार है :—

(१)	बुनाई	१२
(२)	टिनस्मिथी	१
(३)	बढ़ईगिरी	५
(४)	लोहारगिरी	७
(५)	मोल्डिंग	४
(६)	जिल्दसाजी	७
(७)	सिलाई	७
(८)	चमड़े का काम	१
(९)	रंगाई और पालिसिंग ..	८
(१०)	मोटरगाड़ी मरम्मत ..	३
(११)	विद्युत् लेपन (इलेक्ट्रो प्लेटिंग) ..	..
(१२)	फिटिंग और टर्निंग	७
(१३)	राजमिस्त्री का काम ..	४
कुल		६६

परिवीक्षा (प्रोबेशन) विंग।

११.२९। इस स्कूल में भी बाल अपचारियों के लिए परिवीक्षा कार्यक्रम (प्रोबेशन प्रोग्राम) बनाया जाता है। पुनर्वास कार्य में काफी प्रगति हुई है। परिवीक्षा के अन्तर्गत बिहार में १७२ बालक थे। इनमें से १२३ को

सेवा में पूर्णकालीन या अंशकालीन रूप में नियोजित किया गया। इनमें से बहुसंख्यक बालक स्वतंत्र व्यवसाय में व्यवस्थित हो पाए। १९६४-६५ के दौरान २ बालक प्रतिरक्षा-सेवा में नियोजित हुए।

शिक्षकों के क्राफ्ट प्रशिक्षण के हेतु विशेष विंग।

११.३०। रिपोर्टगत वर्ष के दौरान ७७ शिक्षकों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रशिक्षार्थियों ने प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया और वर्ष के अन्त में मुक्त हुए। भिन्न-भिन्न ट्रेड के अनुसार प्रशिक्षार्थी शिक्षकों की संख्या इस प्रकार थी :—

(१) बढ़ईगिरी	.. ..	१६
(२) सिलाई	.. ..	१५
(३) इलेक्ट्रिशियन	.. ..	शून्य
(४) शिक्षक का कार्य	.. ..	४
(५) बुनाई	.. ..	२४
(६) जिल्दसाजी	.. ..	५
(७) बेंत और बांस का काम	..	६
(८) धातु का काम	.. ..	१
(९) रंगाई और छपाई	.. ..	६
कुल	.. ..	७७

११.३१। १९६४-६५ के दौरान इस विंग पर शिक्षकों के प्रशिक्षण मद्दे कुल खर्च १९६३-६४ में हुए ६५,५७८ रु० के बजाय ६८,५१४ रु० था।

(२) किशोर-अपचारियों की शिक्षा के लिए अग्रगामी केन्द्र।

११.३२। इसकी स्थापना १९५५ में हुई। यह संस्थान एक वरिष्ठ मनोवैज्ञानिक (सीनियर साइकोलोजिस्ट) के अधीन चलता है जो बिहार शिक्षा सेवा श्रेणी-१ के पदाधिकारी हैं। इस संस्था में ३ मनोवैज्ञानिक, ४ सामान्य शिक्षक, १ मेट्रोन और २ अटेंडेन्ट हैं। अग्रगामी केन्द्र की अनेक शाखाएं हैं।

(क) सहायक गृह (आब्जीलियरी होम)।

११.३३। ६–१४ वर्ष के उम्रवाले गैर-सिद्धदोष समस्यात्मक बच्चों की शिक्षा के लिए यह एक आवासीय विद्यालय है जहां ऐसे बच्चे अभिभावक द्वारा स्वेच्छा से भेजे जाते हैं और जिनके पालन-पोषण मद्दे अभिभावक ५० रु० प्रतिमाह संस्थान को दिया करते हैं। यह समस्यात्मक बच्चों पर प्रयोग और उनकी उपचर्या का अवसर प्रदान करता है। फिलहाल केवल ५० सीटों की व्यवस्था है। सहायक गृह के ६(छः) गरीब और मेधावी छात्रों को प्रेरणा स्वरूप २५ रु० प्रतिमाह की दर से वृत्तिकाएं दी जाती हैं।

(ख) शिशु मार्गदर्शन क्लीनिक।

११.३४। यह किशोर-अपचारियों और मानसिक रूप से दुर्बल और उपद्रवी बच्चों के मामले में बाहरी सलाह देने के निमित्त है।

(ग) प्रशिक्षण केन्द्र।

११.३५। यह केन्द्र दो प्रकार की ट्रेनिंग देता है—एक सामाजिक प्रतिरक्षा एवं शिशुमार्गदर्शन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के हेतु और दूसरा विषय अनुकूलन (ओरियेन्टेशन इन दी सबजेक्ट) के लिए बिहार सरकार का कारा विभाग इस प्रशिक्षण के लिए कुछ पदाधिकारियों को प्रतिनियुक्त करता है। डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए १५ सीटें और ओरियेन्टेशन कोर्स के लिए २० सीटें हैं।

शोध और प्रकाशन केन्द्र।

११.३६। यह केन्द्र पाइलाट सेन्टर के विभिन्न विभागों से प्राप्त आंकड़ा का विन्यास करता है और निष्कर्षों को रिपोर्ट और मोनोग्राफ के रूप में प्रकाशित करता है। १९६३-६४, १९६४-६५ और १९६५-६६ वर्ष के दौरान पाइलॉट सेन्टर के लिए ६९,५०० रु० वार्षिक अनुदान स्वीकृत किए गए।

(६) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति और अन्य पिछड़े वर्गों की शिक्षा।

११.३७। राज्य सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों के समग्र उन्नयन के लिए उदारता और सक्रियतापूर्वक लगी रही है। निःशुल्क शिक्षा की सुविधा उदारतापूर्वक इस प्रकार विस्तृत की गई है कि उसके दायरे में बिहार की संपूर्ण जनजाति आबादी आ जाय। इस रियायत के चलते स्कूलों को होने वाली हानि की प्रतिपूर्त्ति शिक्षा विभाग और कल्याण विभाग द्वारा अनुदान के जरिए पूरी की गई।

११.३८। निम्न तालिका में १९६३-६४ और १९६४-६५ वर्षों में संस्थाओं की संख्या, नामांकन, व्यय आदि से संबंधित विवरण प्रस्तुत किया गया है :—

तालिका।

विभिन्न प्रकार की संस्थाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों की संख्या।

संस्थाओं का प्रकार।	बालक			
	१९६२-६३।	१९६३-६४।	१९६४-६५।	अन्तर २—४।
१	२	३	४	५
नर्सरी स्कूल	..	..	३६	+३६
प्राथमिक स्कूल	७६,१९१	८१,९७५	४,६३,४२९	+३,८७,२३८
जूनियर बुनियादी स्कूल ..	१३,७३०	२,५५०	३५,२९६	+ २१,५६६
सीनियर बुनियादी स्कूल ..	१,७१७	३,१०४	४१,९८४	+४०,२६७
मिडिल स्कूल	३,१६५	५,३८३	१,२५,९७४	+१,२२,८०९
तकनीकी और औद्योगिक ..	८१	२२७	१६७	+८६
उच्च (हाई) उच्चतर माध्यमिक स्कूल	७४८	७३६	५८,१००	+५७,३५२
कुल	९५,६३२	९३,९७५	७,२४,९८६	+६,२९,३५४

संस्थाओं का प्रकार।	बालिकाएं			
	१९६२-६३।	१९६३-६४।	१९६४-६५।	अन्तर ६—८।
१	६	७	८	९
नर्सरी स्कूल	..	..	१७	+१७
प्राथमिक स्कूल	२१,०८२	२३,६७४	१,०५,१७६	+८४,०९४
जूनियर बुनियादी स्कूल ..	३,०६६	६०४	८,६१६	+५,५५०
सीनियर बुनियादी स्कूल ..	२२१	४२०	७,२८६	+७,०६५
मिडिल स्कूल	६९३	१,१९०	२४,२८३	+२३,५९०
तकनीकी और औद्योगिक ..	३५	३१	३८	+३
उच्च (हाई) उच्चतर माध्यमिक स्कूल	२४६	१९९	५,४४२	+५,१९६
कुल	२५,३४३	२६,११८	१,५०,८५८	+१,२५,५१५

(७) शारीरिक शिक्षा और युवा कल्याण क्रिया-कलाप।

११.३९। राज्य के युवा शारीरिक विकास की दिशा में उचित प्रोत्साहन देने की आवश्यकता को बहुत पहले ही मान्यता प्रदान की गई थी।

११.४०। और प्रत्येक योजना के अन्तर्गत स्कूलों में शारीरिक क्रियाकलापों को संगठित करने के लिए विशेष स्कीमें प्रस्तुत की गईं। इनके अन्तर्गत शारीरिक शिक्षा तथा युवा कल्याण से संबंधित विविध प्रोग्राम आते हैं जो इस प्रकार हैं :—

(क) शारीरिक शिक्षा और मनोरंजन।
(ख) खेलकूद।
(ग) युवा कल्याण।
(घ) एन० सी० सी० और ए०सी०सी०।
(ङ) स्काउट और गाइड।
(च) राष्ट्रीय सेवा।

११.४१। शारीरिक शिक्षा—१९६१-६२ तक लगभग २०० स्कूलों को शारीरिक प्रशिक्षण प्राप्त स्नातक प्रशिक्षक दिए गए। तृतीय योजना में भी इस स्कीम को चालू रखा गया। व्यायामशालाओं की सहायता पर १०,००० रु० व्यय किए गए।

११.४२। गवर्नमेन्ट कॉलेज ऑफ हेल्थ ऐण्ड फिजिकल एडुकेशन का विकास किया गया और १९६३-६४ और १९६४-६५ के दौरान क्रमश: ४२,००० रु० और २०,००० रु० व्यय किए गए। शारीरिक शिक्षा पर सेमिनारों और उत्सवों का आयोजन किया गया और इन पर १९६३-६४ के दौरान ८,००० रु० व्यय किए गए।

खेलकूद (स्पोर्ट्स एन्ड गेम्स)।

११.४३। प्रथम योजना में खेलकूद (स्पोर्ट्स) के उत्थान के लिए कोई उपबन्ध नहीं किया जा सका। द्वितीय योजना के दौरान एक कोचिंग स्कीम चालू की गयी। यह स्कीम अब भी चालू है। विभिन्न स्तरों पर खेलकूद (स्पोर्टस) प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और इस स्कीम पर १९६३-६४ के दौरान १०,००० रु० और १९६४-६५ के दौरान २०,००० रु० खर्च किए गए। इन दो वर्षों के दौरान जो सबसे महत्वपूर्ण काम किया गया वह राजेन्द्रनगर, पटना में एक खेलकूद स्टेडियम-सह-स्पोर्ट्समेन गेस्टहाउस का निर्माण कार्य है। इस स्कीम पर १९६३-६४ के दौरान २.५७ लाख रु० और १९६४-६५ के दौरान ६९,००० रु० खर्च किए गए।

युवा कल्याण।

११.४४। इस प्रोग्राम के अन्तर्गत १९६२ तक केन्द्रीय सरकार की सहायता से २१ युवा-छात्रावास बनाए जा चुके। ऐसे छात्रावासों पर १९६४-६५ के दौरान ४,००० रु०, विज्ञान मंदिर मद्धे ३५,००० रु० और छात्रों की अध्ययन-यात्रा मद्धे ६,००० रु० व्यय किया गया।

एन०सी०सी० और ए०सी०सी०।

११.४५। रिपोर्टगत इन दो वर्षों के दौरान शारीरिक शिक्षा के विकास से संबंधित स्कीम में एन०सी०सी० और ए०सी०सी० का महत्वपूर्ण स्थान रहा। इस स्कीम पर १९६३-६४ के दौरान ३.२५ लाख रु० और १९६४-६५ के दौरान ७.१२ लाख रु० व्यय किया गया। एन०सी०सी० सीनियर डिवीजन और जूनियर डिवीजन का विस्तार होता रहा। एन०सी०सी० सीनियर डिवीजन के विस्तार पर १९६३-६४ में ५,४०० रु० और १९६४-६५ में ६,००० रु० खर्च किया गया। उसी प्रकार एन०सी०सी० जूनियर डिवीजन के विस्तार पर ५७,५०० रु० और ६१,५०० रु० खर्च किया गया। एन०सी०सी० प्रशासन को सुदृढ़ बनाने पर १९६३-६४ के दौरान २.२० लाख और १९६४-६५ के दौरान १.५७ लाख रु० खर्च किया गया।

स्काउटिंग और गाइडिंग।

११.४६। स्कूलों में स्काउटिंग एवं गाइडिंग के संघटन में एकमात्र जो संस्था तकनीकी सहायता प्रदान करती है वह है "भारत स्काउट्स और गाइड्स", जिनका विकास तीन सहयोगी संस्थाओं के विलयन के पश्चात् हुआ था। यह संस्था स्कूलों में स्काउटिंग और गाइडिंग के संघटन में सहायक रही है। यद्यपि बहुत हद तक एन०सी०सी० और ए०सी०सी० ने स्कूलों में इसके कार्यक्रम को अपने दायरे में ले लिया है तथापि इस कार्य को प्रोत्साहन मिलना चाहिए।

राष्ट्रीय सेवा एवं राष्ट्रीय खेल-कूद।

११.४७। संभावना है कि देश के कालेज छात्रों के लिए राष्ट्रीय सेवा एवं राष्ट्रीय खेलकूद ही स्थायी स्कीम के रूप में सामने आए। इसके विस्तृत विवरण के संबंध में विचार हो रहा है।

८। पाठ्येत्तर क्रियाकलाप।

११.४८। निम्नलिखित कंडिकाओं में, राज्य के विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं द्वारा आयोजित पाठ्येत्तर प्रमुख क्रियाकलापों का विवेचन किया गया है :—

(क) वाद-विवाद गोष्ठियां (डिबेटिंग सोसाइटीज)—सभी माध्यमिक स्कूलों, कॉलेजों, सभी शिक्षक प्रशिक्षण स्कूलों और कॉलेजों में वाद-विवाद गोष्ठियों का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम ने प्राथमिक (एलीमेन्टरी) स्कूलों, सीनियर बेसिक स्कूलों और मिडिल स्कूलों को भी आकृष्ट किया है और उनमें भी वाद-विवाद गोष्ठी से संबंधित कुछ अच्छे कार्यक्रम होते हैं।

(ख) उद्यान—चहारदिवारी वाले सभी माध्यमिक स्कूलों, सीनियर बुनियादी स्कूलों और प्राथमिक (एलीमेन्टरी) स्कूलों में अपना एक उद्यान है जिनके कार्यक्रमों में बच्चे सक्रिय दिलचस्पी लेते हैं।

(ग) नाट्य संघ—अधिकांश स्कूलों में नाट्य संघ है। संस्थाओं में विशेष अवसरों पर नाटक और संगीत का आयोजन किया गया।

(घ) पत्रिकाएं—अधिकांश माध्यमिक स्कूलों में विद्यालय-पत्रिका प्रकाशित किए गए। कई स्कूलों में विभिन्न वर्गों में हस्तलिखित पत्रिका निकालकर प्रोत्साहित किया जाय।

(ङ) राष्ट्रीय एवं अन्य समारोह—विभाग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, संयुक्त राष्ट्र दिवस, झंडा दिवस, वन महोत्सव, गोसंवर्धन दिवस, बाल दिवस, बाबू कुंवर सिंह दिवस, शिक्षक दिवस, शिक्षा सप्ताह और नामांकन अभियान आदि का आयोजन किया गया।

(च) सामाजिक सभा—स्कूलों में सामाजिक सभा का आयोजन किया गया। यह गांवों में सामुदायिक जीवन का केन्द्र बन गया।

(छ) जूनियर रेडक्रास सोसाइटी—रिपोर्टगत वर्ष के दौरान राज्य में विगत वर्षों की भांति जूनियर रेडक्रॉस सोसाइटी ने कई स्कूलों में सक्रिय संस्था के रूप में कार्य किया।

(ज) सन्त जॉन एम्बुलेन्स एसोसियेशन—इस एसोसियेशन के तत्वावधान में सरकारी हाई स्कूल और ट्रेनिंग कॉलेज के छात्रों के बीच, प्रत्येक वर्ष, प्राथमिक चिकित्सा पर यथावत् योग्यता प्राप्त चिकित्सकों द्वारा व्याख्यान दिये जाते रहे। ऐसे व्याख्यानों पर होने वाले पूरा व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किये गये। जिन छात्रों ने सफलतापूर्वक परीक्षा सम्पन्न किया उन्हें प्रमाण-पत्र, वाउचर, मेडलियन और लेबेल्स दिये गये।

(१) अन्य प्रकार के कार्यकलाप।

कुछेक माध्यमिक स्कूलों, अच्छे मिडिल स्कूलों और कुछ बेसिक स्कूलों ने बढ़ईगिरी, धात का काम, किचेन गार्डेन, कृषि, बुनाई आदि जैसे उत्पादक कार्यकलाप में दिलचस्पी दिखाई।

NIEPA DC
D01885

९। स्कूल में भोजन व्यवस्था।

११.४९। कुछेक सरकार द्वारा प्रबंधित हाई स्कूल और उच्चतर माध्यमिक स्कूल को छोड़, अन्य स्कूलों के छात्रों के लिये नियमित रूप से भोजन या जलपान की आपूर्त्ति की व्यवस्था नहीं थी। ग्रामीण क्षेत्रों के कुछ माध्यमिक स्कूलों में भी जहां नियमित फीस ली जाती थी, लंच की व्यवस्था थी। कुछ ऐसे प्रखंडों में जहां निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा संबंधी अग्रपरियोजना चलाई गई थी, वहां छात्रों को मुफ्त पाउडर का दूध बांटा जाता था। कुछ स्कूलों में छात्रों को निःशुल्क हल्का नाश्ता देने की व्यवस्था थी।

१०। स्कूलों में स्वास्थ्य सेवा।

११.५०। स्कूल में छात्रों के स्वास्थ्य के डाक्टरी जांच की कोई नियमित व्यवस्था नहीं रही। स्कूली बच्चों को हैजा और चेचक से बचने के लिये टीका लगाने की व्यवस्था स्वास्थ्य सेवा की एक नियमित विशेषता रही है।

बि०स०मु० (शिक्षा) ३—मो०जी०—२,०००—२२-८-१९७५—ज० प्रसाद।

Sub. National Systems Unit,
National Institute of Educational
Planning and Administration
17-B, Sri Aurobindo Marg, New Delhi-110016
DOC. No. 1885
Date. 26-11-86